

विषय-सूची CONTENTS

✘ निदेशक मंडल Board of Directors	2-3
✘ महाप्रबंधकगण General Managers	4-5
✘ बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प Brief History & Vision Statement of the Bank	6-7
✘ निष्पादन की एक झलक Performance at a glance	8-9
✘ शेयरधारकों को संदेश Message to the Shareholders	10-14
✘ सूचना Notice	15-20
✘ निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21-35
✘ प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	36-57
✘ कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट Corporate Governance Report	58-88
✘ घोषणा Declaration	89
✘ लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49V के अनुसार प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to Clause 49V of the Listing Agreement	90
✘ कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	91
✘ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	92-94
✘ 31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र Balance Sheet as on 31st March 2011	96-97
✘ अनुसूची 1 - अनुसूची 12 Schedule 1 - Schedule 12	98-109
✘ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2011	110-111
✘ अनुसूची 13 - अनुसूची 18 Schedule 13 - Schedule 18	112-147
✘ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2011	148
✘ पिलर-3 के अंतर्गत नया पूँजी पर्याप्तता ढाँचा प्रकटीकरण New Capital Adequacy Framework Disclosures Under Pillar - 3	149-166

निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS



भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director



एस. एल. बंसल
कार्यपालक निदेशक
S. L. Bansal
Executive Director



संजीव कुमार जिंदल
निदेशक
Sanjeev Kumar Jindal
Director



सुरेखा मरांडी
निदेशक
Surekha Marandi
Director



डॉ. नयना शर्मा
निदेशक
Dr. Naina Sharma
Director



श्रेनिक सेठ
निदेशक
Srenik Sett
Director



सौमेन मजुमदार
निदेशक
Saumen Majumder
Director



सौमित्र तलापात्र
निदेशक
Soumitra Talapatra
Director



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री सौमेन मजुमदार, श्री सौमित्र तलापात्र, डॉ नयना शर्मा, श्रीमती सुरेखा मरांडी, श्री भास्कर सेन (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
श्री एस. एल. बंसल (कार्यपालक निदेशक), श्री श्रेनिक सेठ, श्री संजीव कुमार जिंदल

Shri Saumen Majumder, Shri Soumitra Talapatra, Dr. Naina Sharma, Smt. Surekha Marandi, Shri Bhaskar Sen
(Chairman & Managing Director), Shri S. L. Bansal (Executive Director), Shri Srenik Sett, Shri Sanjeev Kumar Jindal

महाप्रबंधकगण GENERAL MANAGERS



देबजीवन बसु
Debjiban Basu



रंजन कुमार मोहन्ती
Ranjan Kumar Mohanty



अम्बरीश नन्दा
Ambarisha Nanda



प्रनब कुमार राय
Pranab Kumar Roy



प्रदीप कुमार दत्ता
Pradip Kumar Dutta



प्रताप कुमार घोष
Pratap Kumar Ghosh



प्रबीर कुमार दत्ता
Prabir Kumar Dutta



समर सेनगुप्त
Samar Sengupta



उमा रंजन भट्टाचार्या
Uma Ranjan Bhattacharya



एम. शेखर
M. Sekhar



सर्वोच्च प्रबंधन TOP MANAGEMENT



श्री प्रबीर कुमार दत्ता, श्री प्रताप कुमार घोष, श्री समर सेनगुप्ता, श्री प्रनब कुमार राय, श्री देबजीवन बसु, श्री भास्कर सेन (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक),
श्री एस. एल. बंसल (कार्यपालक निदेशक), श्री रंजन कुमार मोहन्ती, श्री उमा रंजन भट्टाचार्या, श्री प्रदीप कुमार दत्ता, श्री एम. शेखर

Shri Prabir Kumar Dutta, Shri Pratap Kumar Ghosh, Shri Samar Sengupta, Shri Pranab Kumar Roy, Shri Debjiban Basu,
Shri Bhaskar Sen (Chairman & Managing Director), Shri S. L. Bansal (Executive Director), Shri Ranjan Kumar Mohanty,
Shri Uma Ranjan Bhattacharya, Shri Pradip Kumar Dutta, Shri M. Sekhar

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बिक्रमजित शोम

Company Secretary & Compliance Officer

Bikramjit Shom

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

सी-13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एल. बी. एस. मार्ग, भांडूप (पश्चिम), मुंबई - 400 078

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13 Pannalal Silk Mills Compound

L.B.S. Marg, Bhandup (W), Mumbai - 400078

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

मेसर्स. एच. एस. रूस्तगी एंड कं.

मेसर्स. जॉर्ज रीड एंड कं.

मेसर्स. डी. के. छाजेर एंड कं.

मेसर्स. एम. चौधुरी एंड कं.

मेसर्स. एम. सी. भंडारी एंड कं.

मेसर्स. रमेश सी. अग्रवाल एंड कं.

Statutory Central Auditors

M/s. H. S. Rustagi & Co.

M/s. George Read & Co.

M/s. D. K. Chhajer & Co.

M/s. M. Choudhury & Co.

M/s. M. C. Bhandari & Co.

M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.

पंजीकृत कार्यालय

युनाइटेड टावर

11 हेमंत बसु सरणी

कोलकाता - 700 001

Registered Office

United Tower

11 Hemanta Basu Sarani

Kolkata - 700001





बैंक का संक्षिप्त इतिहास

युनाइटेड बैंक का इतिहास 1914 से शुरू होता है। कुमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड (1914 में खुला था), कुमिल्ला युनियन बैंक लिमिटेड (1922 में खुला था) और हुगली बैंक (1932 में खुला था) 12 अक्टूबर, 1950 को बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ। यह बैंक 1918 में बंगाल सेंट्रल लोन कम्पनी लिमिटेड के रूप में खुला था। इनके समामेलन से 18 दिसम्बर, 1950 को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड बना। 19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ साथ इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ और तदनु रूप एक नए बैंक के रूप में इसका उद्भव हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्कांटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का भी इस बैंक में विलयन हुआ। बैंक का प्रधान कार्यालय 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट (संप्रति इसे एन. सी. दत्त सारणी के नाम से जाना जाता है) में था जिसे 1971 में मौजूदा प्रधान कार्यालय, युनाइटेड टावर में शिफ्ट किया गया।

BRIEF HISTORY OF THE BANK

History of United Bank of India dates back to 1914. Comilla Banking Corporation Ltd. (established in 1914), Comilla Union Bank Ltd. (established in 1922) and Hooghly Bank (established in 1932) amalgamated with Bengal Central Bank Ltd., formed on October 12, 1950, originally established in 1918 as Bengal Central Loan Company Ltd. to form United Bank of India Ltd. on December 18, 1950. On July 19, 1969, the Bank was nationalized along with 13 other Banks as a Corresponding New Bank. Subsequently, Cuttack Bank Ltd., Tezpur Industrial Bank Ltd., Hidustan Mercantile Bank Ltd., and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank. The Head Office of the Bank was situated at 4, Clive Ghat Street (presently known as N. C. Dutta Sarani), Kolkata – 700001 from where it was shifted to United Tower, it's present Head Office in 1971.



हमारा संकल्प व्यावसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्वों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के एक, व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगामी, आर्थिक रूप से सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप में उभरना है।
सारतः, सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणास्रोत होगा।

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer-centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan-India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.



वित्तीय वर्ष 2010-11 के निष्पादन की मुख्य बातें

- ◆ शुद्ध लाभ में 62.5% की वृद्धि
- ◆ परिचालनगत लाभ में 72.1% की वृद्धि
- ◆ शुद्ध ब्याज आय में 55.9% की वृद्धि
- ◆ गैर-ब्याज आय में 14% की वृद्धि
- ◆ अग्रिमों में 26.1% की वृद्धि
- ◆ जमा में 14.2% की वृद्धि
- ◆ पूंजी पर्याप्तता 13.5% पर, टीयर I - 8.90% पर
- ◆ औसत आस्तियों के प्रतिफल में 0.66 प्रतिशत सुधार (पिछले वर्ष यह 0.45% था)
- ◆ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिए जाने वाले अग्रिमों में 23.3% की वृद्धि
- ◆ एम एस एम ई अग्रिमों में 27.2% की वृद्धि

Performance Highlights of Financial Year 2010 - 11

- ◆ Net Profit up by 62.5%
- ◆ Operating Profit up by 72.1%
- ◆ Net Interest Income up by 55.9%
- ◆ Non - Interest Income up by 14%
- ◆ Advances up by 26.1%
- ◆ Deposits up by 14.2%
- ◆ Capital Adequacy at 13.05%; Tier I at 8.90%
- ◆ Return on Average Asset improved at 0.66% (Last Year 0.45%)
- ◆ Advances to Priority Sector grew by 23.3%
- ◆ MSME Advances grew by 27.2%



कार्यनिष्पादन की एक झलक
PERFORMANCE AT A GLANCE

राशि करोड़ ₹ में
Amount in ₹ Crore

मानदंड / Parameters	2008-09	2009-10	2010-11
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	1451	1534	1597
पूंजी / Capital			
ईक्विटी /Equity	1532.43	316.43	344.42
पी एन सी पी एस / PNCPS	250	550	800
प्रारक्षित एवं अधिशेष / Reserve & Surplus	1295.33	3036.5	3877.26
पूंजी पर्याप्तता / Capital Adequacy			
बेसेल I / Basel I	11.51%	11.02%	11.16%
बेसेल II / Basel II	13.28%	12.80%	13.05%
सकल लाभ / Gross Profit	677	876	1507
शुद्ध लाभ / Net Profit	185	322	523.97
कुल जमा / Total Deposit	54536	68180	77845
औसत जमा / Average Deposit	45654	62025	67855
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	16%	36%	9%
सकल अग्रिम / Gross Advances	35727	42756	53934
औसत सकल अग्रिम / Average Gross Advances	29040	38867	46196
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	25%	34%	19%
कुल व्यवसाय / Total Business	90263	110936	131779
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	20%	23%	18.80%
निवेश / Investments	17924	26068	26259
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Advances to Priority Sector	11757	14396	17751
शुद्ध जमा का प्रतिशत / ए एन बी सी / Per Cent of Net Credit / ANBC	41.76%	40.29%	41.52%
कुल कर्मचारी / Total Staff	15111	15285	15062
प्रति कर्मचारी व्यवसाय / Business Per Employee	5.85	7.14	8.6
सी बी एस शाखाओं की संख्या / Nos. of CBS Branches	1005	1534	1597

शेयरधारकों को संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। यह एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें सुदूर भविष्य के मद्देनजर बैंक की ओर से कई पहलें हुईं। बैंक ने पहली बार अवधारणा बैंकिंग की शुरुआत की और कॉरपोरेट ग्राहकों, खुदरा ग्राहकों, पेंशन भोगियों आदि के लिए विशेष शाखाएँ तथा सेवा केंद्र खोले। आपके बैंक को मध्यम एवं लघु उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रधानमंत्री रोजगार जनन कार्यक्रम के तहत पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। भारत की एक अग्रणी वित्तीय साप्ताहिक पत्रिका बिजनेस वर्ल्ड और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक आपका बैंक भारत के सर्वाधिक विकासमान बैंकों में चौथे स्थान पर है। भारत की एक और अग्रणी वित्तीय पत्रिका कैपिटल मार्केट के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ 500 कंपनियों में आपके बैंक का 276 वाँ स्थान है।

कार्यनिष्पादन का सार-संक्षेप

बैंक का कुल व्यवसाय 1,31,779 करोड़ रूपए (1,10,936 करोड़) रहा। इसमें कुल जमा 77,845 करोड़ रूपए (68,180 करोड़) और कुल ऋण 53,934 करोड़ रूपए (42,756 करोड़) रहा। पहली बार 'कासा' जमा कुल जमा के 40% से अधिक रहा। यह बैंकिंग उद्योग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस वर्ष ब्याज अर्जन में 20.8% की वृद्धि हुई और यह 6,341 करोड़ रूपए (5,249 करोड़) रहा। शुद्ध ब्याज आय में 56% सुधार हुआ और यह 2,169 करोड़ रूपए (1,391 करोड़) हुआ। आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे सतत् प्रयास के फलस्वरूप वांछित परिणाम मिले और सकल अनर्जक आस्तियाँ जो पिछले वर्ष 3.21% थी वह इस वर्ष कम होकर 2.51% हो गईं और शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ जो पिछले वर्ष 1.84% थी वह घट कर 1.42% हो गईं। बैंक के कार्यनिष्पादन को दर्शानेवाले विभिन्न अनुपातों में खासी मात्रा में सुधार हुआ। ऋणों पर प्रतिफल 9.47% से 10.36% हुआ, जमा लागत 5.92% से 5.67% हुई, शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.24% से 3.19% हुआ, आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.45% से 0.66% हुआ, आय अनुपात लागत 55.08% से कम होकर 46.30% हुई और ऋण जमा अनुपात 62.71% से 69.28% हुआ। समाहार करते हुए कहा जाए तो 2010-11 में आपके बैंक ने व्यवसाय के हर पैमाने पर कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाया।

आर्थिक परिवेश

पिछले एक वर्ष का आर्थिक परिवेश चुनौतीपूर्ण रहा। मुद्रा स्फीति का प्रबंधन सरकार के लिए महत् कार्य था। पूरे वर्ष केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में लगातार सख्ती बरती और बेंचमार्क रेपो और रिवर्स रेपो दरों में मार्च 2010 से आठ बार परिवर्तन किया। बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल रहने के लिए आपके बैंक को भी अपने ब्याज की दरों में फेर बदल करना पड़ा।

2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 8.6% की प्राक्कलित विकास दर में वृहद योगदान कृषि (अनुमानतः 5.4%) और सेवा क्षेत्र (अनुमानतः 9.7%) का रहा। इन आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय बैंकिंग उद्योग ने सुनम्य कार्यनिष्पादन का प्रदर्शन किया और ऋण तथा जमा - दोनों ही मोर्चे पर सम्मानजनक प्रगति दर्शायी। 25 मार्च, 2011 को पिछली वर्ष

MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

It is my pleasure to place before you the Annual Report of the Bank for 2010-11 – a year which was marked by a number of initiatives taken with long-term perspective – for the first time your Bank introduced 'concept banking' by launching specialized branches and service hubs for corporate clients, retail clients, pensioners etc., your Bank received the National Awards for being the 2nd best bank for lending to MSE Sector and was awarded 1st prize for lending under PMEGP scheme in the East and North East Zones. Your Bank ranked 4th among the India's Fastest Growing Banks as per the survey made by Business World, one of India's leading financial weekly and Pricewaterhouse Coopers and was placed at 276th spot among the Top-500 Companies in India by Capital Market, another leading financial magazine in the country.

Performance in a nut-shell

Your Bank clocked a total business of ₹131779 crore (₹110936 crore), total deposits of ₹77845 crore (₹68180 crore) and total advances of ₹53934 crore (₹42756 crore). For the first time the share of CASA deposit crossed 40% of the total deposit – a milestone in the Banking Industry. The interest earned during the year improved by 20.8% to reach ₹6341 crore (₹5249 crore) and the Net Interest Income improved by 56% to reach ₹2169 crore (₹1391 crore). Our persevering efforts to improve the asset quality yielded its desired results – the gross NPA has come down from 3.21% last year to 2.51% this year and the net NPA has come down from 1.84% last year to 1.42% this year. The various ratios, which collectively indicate the performance of the Bank, improved in fair proportions – Yield on Advances improved from 9.47% to 10.36%, Cost of Deposits came down from 5.92% to 5.67%, Net Interest Margin improved from 2.24% to 3.19%, Return on Assets improved from 0.45% to 0.66%, Cost to Income Ratio came down from 55.08% to 46.30% and Credit-Deposit Ratio improved from 62.71% to 69.28%. To sum up, during the year 2010-11, your Bank could register improved performance in all business parameters.

Economic Environment

The Economic Environment in the last one year had been challenging. Managing inflation was a major task for the Government. The Central Bank tightened its monetary policy consistently throughout the year increasing the benchmark Repo and Reverse Repo Rates as many as eight times since March 2010. Your Bank also had to realign its interest rates to remain competitive in the market.

During 2010 – 11 the estimated growth of the Indian Economy by 8.6% was majorly contributed by Agriculture (estimated 5.4%) and Service Sector (estimated 9.7%). The Indian Banking Industry, amidst these economic challenges, put up a resilient performance registering salutary advancement both on credit and deposit sides.





की तुलना में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋणों में 21.4% की वृद्धि★ और जमा में 15.8% की वृद्धि★ हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपके बैंक के ऋण प्रदाय में 26.1% की वृद्धि हुई जो इस उद्योग के मानक से पर्याप्त अधिक है। जमा में 14.2% की वृद्धि हुई।

★(स्रोत: भा.रि.बैंक बुलेटिन, 15 अप्रैल, 2011)

2010-11 में नई पहल

पूरे वर्ष आपके बैंक ने अपनी सेवाओं को और ध्यानाकर्षक, ग्राहकोन्मुख और सहजसुलभ बनाने के लिए कई नई पहलें कीं। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को आदर्शतम बनाने और अपने सुपुर्दगी माध्यमों को मजबूत करने के अदम्य प्रयास किए ताकि बैंकिंग परिचालन की लागत को कम किया जा सके, इसे इंज़ट मुक्त और सुप्रवाही बनाया जा सके। इस वर्ष आपके बैंक की 63 नयी शाखाएँ खुलीं और इस तरह 31.03.2011 तक इसकी 1597 शाखाएँ हो गईं। भारत भर में 225 नए ए टी एम खोले गए। इन्टरनेट और टेली बैंकिंग को फिर से सुसज्जित करके शुरू किया गया है और इसे उन अद्यतन विशेषताओं से युक्त बनाया गया है जो बाजार में संप्रति उपलब्ध है। वेबसाइट को भी सुसज्जित किया गया है ताकि यह नई पीढ़ी को आकर्षित कर सके। पिछले सितम्बर में हमने यह घोषणा की थी कि 12 महीने में हम 1000 ए टी एम लगाने का लक्ष्य पूरा करेंगे और तदनुसार इस वर्ष हमारी योजना 800 नए ए टी एम लगाने की है। (31 मार्च, 2011 तक बैंक के 508 ए टी एम हैं) 2011-12 में 102 नयी शाखाएँ खोलने की भी योजना है।

पहली बार आपके बैंक ने अवधारणा बैंकिंग की शुरूआत की है। हमने तीन महानगरों में कारपोरेट वित्त शाखाएँ खोली हैं। ये विशेष शाखाएँ हैं और कारपोरेट ग्राहकों के उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों को देखने के लिए सुसज्जित की गई हैं। इसी के साथ इन ग्राहकों और उनके कर्मचारियों को अन्य बैंकिंग उत्पादों का प्रति - विक्रय (क्रास सेल) भी कर सकेगी। हमने कोलकाता में दो खुदरा ऋण प्रसंस्करण हब की शुरूआत की है, जिसे क्रमशः भविष्य में अन्य महानगरों एवं ए-1 शहरों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन विशिष्ट शाखाओं को खोलने के पीछे भूलभूत भावना हमारे खुदरा ग्राहकों को त्वरित ऋण सुपुर्दगी सुनिश्चित करना है।

वरिष्ठ नागरिक, यु बी आई परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सम्माननीय सदस्य हैं। हमने समय से पेंशन का संवितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने प्रधान कार्यालय में एक अलग केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

आपका बैंक समाज में महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझता है एवं हमने महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना - युनाइटेड महिला उद्यमी योजना की शुरूआत करके महिला दिवस का आयोजन किया है। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी रियायती दर पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

आपके बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वर्ष के दौरान समग्र वृद्धि 23.31% रही, जो ₹14396 करोड़ से ₹17751 करोड़ हो गयी। समायोजित कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी 41.52% रही। 2010-11 में कृषि ऋण में 20% (₹5712 करोड़) एवं एम.एस.ई. ऋण में 28% (₹7228 करोड़) वृद्धि हुई तथा समाज के कमजोर वर्गों का ऋण 37% (₹5143 करोड़) बढ़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का ऋण 28% (₹2679 करोड़) बढ़ा एवं महिला लाभार्थियों का ऋण 29% (₹2451 करोड़) बढ़ा। आपके बैंक ने 31 मार्च, 2011 तक 345 किसान क्लबों को प्रायोजित किया है एवं इन किसान क्लबों का बैंक के निष्पादन में अंशदान सकारात्मक रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने 64510 नये किसान क्रेडिट कार्डों (ऋण सीमा ₹ 287 करोड़) को

As on 25th March 2011, on year-on-year basis, credit by all Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew by 21.4%★ and deposit grew by 15.8%★. Year-on-year, the credit in your Bank grew by 26.1%, beating the industry by a substantial margin, while the deposit grew by 14.2%.

★(Source: RBI – Bulletin dated 15th April 2011)

New Initiatives in 2010-11

Throughout the year your Bank has launched a number of new initiatives to make its services more focused, customer-centric and easily accessible. We tried to leverage our technology to the optimum and strengthen our delivery channels to ensure cost-effective, hassle-free and seamless banking operations. During the year your Bank opened 63 new branches (total branches as on 31.03.11 is 1597) and 225 new ATMs across the country, re-launched the revamped internet banking and tele-banking facilities with the updated features that are presently available in the market, gave a face-lift to its website to attract the younger generations. Last September we announced our target of having 1000 ATMs in the following 12 months and accordingly we plan to open 800 new ATMs this year (as on 31st March the Bank has 508 ATMs) apart from opening 102 new branches in 2011 – 12.

For the first time your Bank came-up with the idea of 'Concept Banking'. We have created Corporate Finance Branches at three metros. These branches are specialized branches and equipped to deal with high-value credit proposals of corporate clients and also cross sell other banking products to these clients and their employees.

We have created two 'Retail Loan Processing Hubs' in Kolkata to start with, which will be gradually extended to other metros and A1 cities in due course. The basic idea of creating these specialized branches was to ensure a robust and expeditious credit delivery to our retail customers.

Senior Citizens are extremely important and respectable members of the UBI-family. With a view to ensure timely pension disbursements we have created a separate "Centralized Pension Processing Cell" at our Head Office.

Your Bank recognizes the importance of women empowerment in the society and we celebrated the Women's Day by launching a new scheme for women entrepreneurs – United Mahila Udyami Yojana. Under the scheme women entrepreneurs can have need based credit facility at concessional terms.

Your Bank put up a stellar performance in the area of Priority Sector lending. Overall growth during the year was 23.31% from ₹14396 crore to ₹17751 crore. Share of priority sector lending in adjusted net bank credit is pegged at 41.52%. In 2010-11 agricultural lending went up by 20% (₹5712 crore), MSE advances went up by 28% (₹7228 crore), lending to weaker section grew by 37% (₹5143 crore), lending to minority community went up by 28% (₹2679 crore) and lending to women beneficiaries grew by 29% (₹2451 crore). Your Bank has sponsored 345 Farmer's Clubs up to March 31, 2011 and

जारी किया एवं 10700 स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) (ऋण ₹66 करोड़) के साथ ऋण संबंध स्थापित किया। जीवन व दुर्घटना बीमा संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने ऋण संबंध एस एच जी की ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को, जो गरीबी रेखा के नीचे या सामान्य रूप से उपर हैं, उनको जीवन व दुर्घटना बीमा संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु जनश्री बीमा योजना, एक सामाजिक सुरक्षा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गंठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वित की है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के क्रियाकलापों को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से 113 कृषि स्नातकों की भर्ती की है, जो विभिन्न क्षेत्रों एवं शाखाओं में पदस्थापित किए गए हैं।

वित्तीय समावेशन

हाल के दिनों में वित्तीय समावेशन को एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के रूप मान्यता प्राप्त हुई है। बैंक को आर्बिट्रि कुल 1889 ग्रामों में से इस वर्ष आपके बैंक को बिजनेस कॉरिसपोण्डेंट मोडेल (बी सी) के माध्यम से नई शाखाएँ खोलकर एवं / या बायोमेट्रिक कार्ड जारी कर 800 ग्रामों में, जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है वित्तीय समावेशन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष आपका बैंक बी सी मॉडेल के माध्यम से 855 बैंक सुविधा रहित ग्रामों तक पहुँच पाया है, 17 ब्रिक एवं मोटार शाखाएँ एवं 5 वित्तीय शिक्षा ऋण कौंसिलिंग केंद्र (एफ एल सी सी) खोले गए हैं। इन 872 ग्रामों में से आपका बैंक 132 ग्रामों में 100% वित्तीय समावेशन एवं पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के 61 ग्रामों में डोर - स्टेप बैंकिंग की सुविधा सुनिश्चित कर पाया है। बैंक के राजपुर रूडसेटी को आई आई बी आई द्वारा बिजनेस कॉरिसपोण्डेंट/बिजनेस फेसिलिटेटर को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है।

पूँजी पर्याप्तता

2010-11 के दौरान आपके बैंक को अपने प्रवर्तक, भारत सरकार से अपने पूँजी आधार के संवर्धन हेतु दो बार पूँजी लगाई। जून, 2010 में आपके बैंक को 25000 बेमियादी असंचयी अधिमान शेयरों के आर्बिटन के मुकाबले 2009 के सुनियोजित 800 करोड़ पूँजी संवर्धन कार्यक्रम का अंतिम भाग ₹250 करोड़ प्राप्त हुआ एवं मार्च, 2011 में आपके बैंक ने सरकार द्वारा अधिमानी आर्बिटन के माध्यम से प्राप्त ₹308 करोड़ की कुल पूँजी में ₹100.04 के प्रिमियम पर ₹10/- प्रत्येक का 2.80 करोड़ इक्विटी शेयर आर्बिटन किया। इन निषेचनों के साथ आपके बैंक का बेसेल - II के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता 31 मार्च, 2011 को 13.05%, टायर I संघटक 8.90% एवं टायर - II संघटक 4.15% रहा। प्रवर्तकों को अधिमानी आर्बिटन के कारण बैंक में भारत सरकार का धारण 84.20% से बढ़कर 85.48% हो गया। इसके पूर्व आपके बैंक ने समुचित कानूनी राय के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) के अनुसार इक्विटी एवं अधिमानी शेयरों के द्विभाजन को हटाकर अधिकृत पूँजी का पुर्नवर्गीकरण किया।

प्रौद्योगिकी

हमारे प्रौद्योगिकीय आधार को विकसित, समुन्नत, नवोन्मेषित एवं सुदृढ़ करने के लिए विगत एक वर्ष में काफी प्रयास हुए हैं तथा समय एवं संसाधन लगाए गए हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारी सभी नई शाखाएँ अपने आरंभ के प्रथम दिन से ही सी बी एस सुविधा के साथ कार्य कर रही हैं। बाजार में उपलब्ध अत्याधुनिक विशेषताओं से युक्त इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपनाई गई है, मोबाइल बैंकिंग एवं एस एम एस बैंकिंग की शुरुआत हो

the contributions of these farmer clubs have been positive to the Bank's causes. During the year the Bank has issued 64510 new Kisan Credit Cards (credit limit ₹287 crore) and established credit linkage with 10700 Self Help Groups (SHG) (credit ₹66 crore). For providing life cum accidental insurance cover to the rural and urban women of credit-linked SHG living below or marginally above the poverty line, Bank has implemented 'Janashree Bima Yojana', a social security scheme under a tie-up arrangement with Life Insurance Corporation of India. To strengthen Bank's activities in the Priority Sector, the Bank has recruited 113 Agricultural Graduates and posted them across the Regions and Branches.

Financial Inclusion

Financial Inclusion is recognized as a major national initiative in the recent times. Of the total number of 1889 villages allocated to the Bank, this year your Bank was given the responsibility of ensuring financial inclusion in 800 villages having population of more than 2000 by opening new branches and/or issuing Biometric Smart Card through Business Correspondent model (BC). I am happy to inform that this year your Bank has reached out to 855 unbanked villages through BC model, opened 17 brick and mortar branches and 5 Financial Literacy Credit Counseling (FLCC) Centers. Out of these 872 villages, your Bank could ensure 100% financial inclusion in 132 villages and door-step banking in 61 villages in West Bengal and Tripura. Bank's RUDSETI at Rajpur has been accredited by IIBI for imparting training to Business Correspondents/ Business Facilitators.

Capital Adequacy

During 2010-11, your bank received two doses of capital infusion from its promoter, Government of India, for the purpose of augmenting its capital base. In June 2010, your Bank received the final tranche of ₹250 crore of the planned ₹800 crore capital infusion programme of 2009, against allotment of 25000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and in March 2011 your Bank allotted 2.80 crore equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹100.04 in a total capital infusion of ₹308 crore through Preferential allotment of equity shares to the Government. With these infusions your Bank's Capital Adequacy under BASEL - II as on March 31st, 2011 stood at 13.05% with the Tier - I component at 8.90% and Tier - II component at 4.15%. Due to the Preferential Allotment to the promoters, the GoI-stake in the Bank has gone up from 84.20% to 85.48%. Earlier to this, your Bank reclassified its Authorised Capital by removing the bifurcation of equity and preference shares according to the provision of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 under appropriate legal opinion.

Technology

Last one year, lots of time, efforts and resources have been deployed to develop, upgrade, innovate and leverage our technology base. Some extremely important progresses were made in the direction of technological advancement. All our new branches operate on the



चुकी है, बैंक के वेबसाइट को अधिक व्यवसायमूलक बनाने के लिए उसे नया रूप दिया गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट (आर टी जी एस)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन इ एफ टी) को इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ दिया गया है तथा ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग इंटरफेस चालू किया गया है।

मानव पूँजी प्रबंधन

हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र का एक हिस्सा होने के कारण प्रणाली एवं जन शक्ति हमारे व्यवसाय के दो अति महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन दो संसाधनों की गुणवत्ता पर हमारे व्यवसाय की गुणवत्ता निर्भर है। मानव संसाधन के मोर्चे पर हमारे समक्ष मुख्यतः तीन चुनौतियाँ हैं - सेवा निवृत्ति का प्रबंधन, नई प्रतिभाओं को आकर्षित करना एवं उन्हें अपने संस्थान में रोक रखना तथा विद्यमान प्रतिभाओं की कार्यकुशलता को अद्यतन रखना।

विगत वर्ष में 311 अधिकारी, 494 लिपिक एवं 208 अधीनस्थ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इस कमी को पूरा करने के लिए बैंक ने 250 अधिकारियों की भर्ती की है तथा अन्य 747 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 1334 लिपिकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बैंक ने देश के विभिन्न बिजनेस स्कूलों एवं व्यावसायिक संस्थानों में कैम्पस नियोजन कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम विशेषतः विशेषीकृत कार्य हेतु अधिकारियों, जैसे जोखिम प्रबंधन अधिकारियों, सनदी लेखाकार इत्यादि की भर्ती हेतु आयोजित हुए।

आपका बैंक रोजगार एवं प्रोन्नति में आरक्षण देने के विषय में सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करता रहा है। 31 मार्च, 2011 तक बैंक के 26% कर्मचारी तथा 2010-11 के दौरान 27% प्रोमोटी आरक्षित श्रेणी के थे जो विभिन्न संवर्गों में पदस्थापित थे। बैंक ने आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधीनस्थ संवर्ग से लिपिक संवर्ग में तथा लिपिक से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु पदोन्नति - पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अनुसूचित जाति / अनु. जन जाति के लोगों को ऋण प्रदान करने में उत्कृष्टता हेतु आपके बैंक ने बेगुसराय शाखा को भारत रत्न डा. बाबा साहब अंबेडकर बेस्ट ब्रांच रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया है।

आपके बैंक के पास व्यापक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है जहाँ सभी स्तर के अधिकारी विभिन्न कार्यों एवं परिचालनों के संबंध में नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बैंक के कुल 03 प्रशिक्षण केंद्र हैं जो कोलकाता, दिल्ली एवं मुंबई में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के अपने संकाय सदस्यों तथा आई आई एम, एन आई बी एम, इत्यादि जैसी अग्रणी संस्थाओं के प्रोफेसर्स द्वारा भी संचालित होते हैं। प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त, आपका बैंक कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा संबोधित सभाओं में सक्रिय प्रतिभागिता हेतु अभिप्रेरित करता है। बैंक अपने अधिकारियों को भारत में तथा प्रतिष्ठा प्राप्त विश्व स्तरीय संस्थाओं द्वारा विदेशों में भी आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु प्रतिनियुक्ति करता है।

प्रभावी उत्तरोत्तर योजना एवं सटीक दक्षता - विकास सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक सभी संवर्गों के लिए प्रत्येक वर्ष नियुक्तियों की कार्रवाई तथा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। इन अभिप्रेरणात्मक कार्यों की वजह से कर्मचारी उत्पादकता विगत वर्ष के 7.14 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 8.60 करोड़ हो गई है।

CBS-platform from day - 1, the internet banking has been revamped to include the most modern features available in the market, mobile banking is up and running, SMS-banking has been initiated, the Bank's website has been given a new look to make it more business oriented, Real Time Gross Settlement (RTGS)/National Electronic Fund Transfer (NEFT) have been linked to our internet banking and online tax accounting interface has been made operational.

Managing Human Capital

We are aware of the fact that as a part of the Services Sector the two most important investments in our business are systems and manpower. The quality of these two resources on the whole determines the quality of our business. On the human resources front, we have three major challenges - managing retirements, attracting new talents and retaining them and honing up the skills of the existing talent pool.

Last year 311 officers, 494 clerks and 208 sub-staffs retired from the services of the Bank against which the Bank has already recruited 250 officers and initiated the process for appointment of another 747 Probationary Officer and 1334 Clerks. To attract fresh talents, your Bank has also attended the Campus Placement Programmes of various Business Schools and Professional Institutions in the country, especially for recruiting officers in specialized functions like Risk Officers, Chartered Accountants etc.

Your Bank has been strictly following the government guidelines in respect of reservation in employment and promotion. As on March 31st 2011, 26% of the employee strength of the Bank and during 2010-11, 27% of the promotees at different cadres belonged to the reserved categories. The Bank has organized pre-promotion training programmes for the employees from the reserved categories moving up from sub-ordinate to clerical and from clerical to officer cadres. Like previous years, your Bank has awarded 'Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Best Branch Rolling Trophy' to Begusarai Branch for excellence in loan disbursement to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe communities.

Your Bank has an elaborate training facility where officers at all levels are imparted trainings on various functional and operational matters at regular intervals. The Bank has three staff training colleges in Kolkata, Delhi and Mumbai. The training programmes are conducted by the in-house faculty members as well as professors from premier institutions like IIM, NIBM etc. Apart from the training sessions your Bank encourages active participation in workshops, seminars, and addresses by industry stalwarts and also deputed its officers to various training programmes within India and outside organized by institutions of global repute.

To ensure effective succession planning and appropriate skill development your Bank took recruitment initiatives, conducted promotion exercises and regular training programmes across grades and scales throughout the year. All these motivating endeavours stimulated the employee-productivity from ₹7.14 crore last year to ₹8.60 crore this year.

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व आधुनिक कारपोरेट भारत का बहुर्चचित विषय है। आपका बैंक सामाजिक विकास की विभिन्न गतिविधियों में योगदान करता है। बैंक ने प. बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के एक गाँव में आर्सेनिक ट्रिटमेंट प्लांट का वित्तपोषण किया है ताकि उस गाँव में तथा आसपास के गाँवों में आर्सेनिक-मुक्त जल उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना 'आधार' के अंतर्गत अपने ग्राहकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर देने के लिए बैंक ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के साथ तालमेल किया है। आपका बैंक ओजोन को विकृत करनेवाले उद्योगों को नीतिगत तौर पर वित्तीय सहायता नहीं देता है। वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद ही औद्योगिक इकाइयों को ऋण देता है। ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से समाज के कमजोर वर्ग एवं एफ एल सी सी को प्रशिक्षित करने के लिए बैंक 7 आर - सेटी का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है।

निष्कर्ष

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों एवं समस्त हितधारकों को उनसे प्राप्त दिशानिर्देश, समर्थन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निरंतर समर्थन से हम अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

भास्कर सेन

भास्कर सेन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 18 जून, 2011

स्थान : कोलकाता

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility is an extensively discussed topic in the modern corporate India. Your Bank contributes in various social developmental activities. Your Bank has financed one Arsenic Treatment Plant in a village in North 24 Parganas in West Bengal to provide arsenic free drinking water in that village and adjoining villages. Your Bank has tied up with Unique Identification Authority of India for providing Unique Identification Number to its customers under the pilot project of the Central Government, 'Aadhar'. As a policy, your Bank does not provide any financial assistance to any ozone depleting industry and provides credit to industrial units only after obtaining copies of the 'no-objection certificate' from the Pollution Control Board. Your Bank has been successfully running 7 R-SETIs for training up the weaker section of the Society and FLCCs to create awareness among rural population.

Conclusion

Before I conclude, I would like to place on record, my sincere gratitude to Central Government, Reserve Bank of India, shareholders, customers, employees and all other stakeholders for their guidance, support, patronage and encouragement and I am confident that with their continued support we shall be able to achieve our desired goals.

Bhaskar Sen

Chairman & Managing Director

Dated: 18th June 2011,

Place: Kolkata



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA - 700001

सूचना

NOTICE

सूचना दी जाती है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 48 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की दूसरी वार्षिक आम सभा शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027 में होगी जिसमें निम्नांकित विषय शामिल होंगे :

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Second Annual General Meeting of the shareholders of UNITED BANK OF INDIA will be held on Friday, July 29th 2011, at 11.00 A.M. at **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027** to transact the following business:-

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के बैंक के तुलन पत्र, लाभहानि खाता, लेखा के जरिए प्रदर्शित बैंक के कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसका अनुमोदन करना उसे और अंगीकार करना ।
- ईक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

- To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2010-11.

निदेशक मंडल के आदेश से

बिक्रमजित शोम
बिक्रमजित शोम
कंपनी सेक्रेटरी

By order of the Board of Directors



Bikramjit Shom
Company Secretary

दिनांक : 18 जून, 2011

स्थान : कोलकाता

Date : June 18th, 2011

Place : Kolkata

टिप्पणी :

NOTES:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

1. APPOINTMENT OF PROXY

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62(II) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमंत बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता - 700001 में 23 जुलाई 2011 शनिवार को कारोबार समय की समाप्ति (अपराह्न 1.45 बजे) तक या इससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING. Proxy form in order to be effective must be deposited at the Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata - 700 001 on or before the closing business hours (1:45 P.M.) of **Saturday, July 23rd 2011**.

तथापि उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

However a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि - प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

यदि प्रतिनिधि-प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो ग्रान्टियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 (vi) के तहत प्रतिनिधि के प्रपत्र के गारंटर को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस प्रपत्र से संबंधित है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है ; मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 (II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता- 700 001 में **शनिवार, 23 जुलाई 2011** को (अपराह्न 1.45 बजे) कारोबार अर्थात् समाप्ति तक अथवा उससे पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयर धारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र संलग्न है । शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें । शेयर धारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रतिनिधि' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

PURSUANT TO REGULATION 61 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER, BEING THE CENTRAL GOVERNMENT OR A COMPANY, MAY BY A RESOLUTION, AS THE CASE MAY BE, AUTHORISE ANY OF ITS OFFICIALS OR ANY OTHER PERSON TO ACT AS ITS REPRESENTATIVE AT ANY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AND THE PERSON SO AUTHORISED SHALL BE ENTITLED TO EXERCISE THE SAME POWERS ON BEHALF OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR THE COMPANY WHICH HE REPRESENTS AS IF HE WERE AN INDIVIDUAL SHAREHOLDER OF THE BANK.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, NO PERSON SHALL ATTEND OR VOTE AT ANY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE BANK AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY UNLESS A COPY OF THE RESOLUTION APPOINTING HIM AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE CERTIFIED TO BE A TRUE COPY BY THE CHAIRMAN OF THE MEETING AT WHICH IT WAS PASSED HAS BEEN DEPOSITED TO THE BANK. The authorised representation in order to be effective should be delivered at the Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700 001 on or before the closing business hours (1:45 P.M.) of **Saturday, July 23rd 2011**.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should mention on their attendance slip-cum-entry pass, 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.



4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद होना

स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 16 एवं युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयरों एवं बैठकों) विनियम, 2010 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में शनिवार 16 जुलाई 2011 से शुक्रवार 29 जुलाई 2011 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही वार्षिक आम सभा एवं बैंक द्वारा घोषित शेयर धारकों को प्राप्त होने वाले लाभांश के निर्धारण के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

5. लाभांश का भुगतान

29 अप्रैल 2011 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने प्रति 10/- के इक्विटी शेयर पर ₹2.20 के लाभांश की अनुशंसा की है जिसकी घोषणा वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा की जानी है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹2.20/- के लाभांश की घोषणा करें।

वार्षिक आम सभा में यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो वह लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जिनके नाम

- शुक्रवार 15 जुलाई 2011 को व्यवसाय की बंदी के समय हितग्राही स्वामी के रूप में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा दी गई सूची के अनुरूप और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनके नाम रखे गए शेयरों के संबंध में होंगे और
- शुक्रवार 15 जुलाई 2011 को शेयरधारकों की बही में, मूल रूप में धारित अपने शेयरों को जब शेयरधारक वैध तरीके से शुक्रवार 15 जुलाई 2011 तारीख तक अंतरित करने का अनुरोध करें और उसके अनुरोध को प्रभावकारी कर दिया गया हो।

ऐसे शेयरधारकों को उनका लाभांश वारंट इस बैंक द्वारा पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के माध्यम से, शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश वारंट पर /नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज हेतु बैंक खाता का ब्यौरा

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने बैंकों के साथ - साथ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश का वितरण करते समय और जहाँ कहीं भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज का उपयोग किया जाए तो लाभांश वारंट में शेयरधारक के बैंक खाता संख्या का उल्लेख किया जाए। यदि कुछ केंद्रों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज नहीं हैं और यदि कुछ शेयरधारक इस सेवा का उपयोग नहीं करते तो बैंक अपने पास उपलब्ध उस संबंधित शेयरधारक का विवरण लाभांश वारंट पर छपवा देगा।

जो शेयरधारक अपना शेयर मूल रूप में रखे हुए हैं वे अपना बैंक अधिदेश (मैनडेट) बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष के पास अथवा बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज सकते हैं ताकि संबंधित अभिलेखों को अद्यतन किया जा सके। जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर अमूर्त रूप में रखा है वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट) से

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Clause 16 of the Listing Agreements with the Stock Exchanges and Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, July 16th, 2011 to Friday, July 29th, 2011 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, if declared by the Bank at the Annual General meeting.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors at its meeting held on April 29th 2011, had recommended a dividend of ₹2.20/- per equity share of ₹10/- each, which is required to be declared by the shareholders at this Annual General Meeting.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders at the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- as Beneficial Owners as at the close of business hours on **Friday, July 15th 2011**, as per lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares in electronic form, and
- in the Register of shareholders as on **Friday, July 15th 2011**, after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours on **Friday, July 15th 2011**.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through the Bank's Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Pvt. Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend to their registered address.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNTS ON DIVIDEND WARRANTS/ FOR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES - (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to mention on the dividend warrants, the bank account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Services (NECS) facility, wherever available. In the absence of NECS facility in certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the bank details, as available with them on the dividend warrants.

The shareholders who are holding shares in physical form may send their Bank mandates to the Share Department & Investors Grievances Cell of the Bank or M/s Link Intime India Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for necessary updation of records. The Shareholders holding shares in dematerialized form

संपर्क करें। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज/बैंक अधिदेश का प्रारूप इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया हुआ है।

7. अप्रदत्त / दावारहित लाभांश

लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के बाद, 15 दिनों के भीतर यदि किसी शेयरधारक ने अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया या उसका दावा नहीं किया तो बैंक के लाभांश खाते में पड़ी इस राशि को एक अलग खाते में डाल दिया जाएगा जिसका नाम "युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया - वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अप्रदत्त लाभांश खाता" है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप लाभांश की जो राशि अप्रदत्त रह जाती है या सात वर्ष तक उसका कोई दावा नहीं करता तो वह निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में डाल दी जाएगी। इस निधि की स्थापना केंद्र सरकार ने 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 205 सी के तहत की है और इस निधि में लाभांश की राशि अंतरित कर दिए जाने के बाद उस राशि का दावा इस बैंक अथवा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि से नहीं किया जा सकेगा।

जिन शेयरधारकों ने पूर्ववर्ती अवधि के अपने किसी लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया है वे शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करके उनसे लाभांश वारंट की दूसरी प्रति जारी करने का अनुरोध करें।

8. शेयरधारकों से अनुरोध :

8.1 तुलन पत्र की प्रतियाँ

चूंकि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम सभा के समय उस केंद्र पर वितरित नहीं की जाएंगी - अतः शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लेकर आएँ।

8.2 शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर मूर्त रूप में रखा है उनसे अनुरोध है कि वे उन शेयरों को अमूर्त (डिमेट) रूप में रखें।

8.3 खाते से संबंधित सूचना

जो शेयरधारक अपने इन खातों से संबंधित सूचना / स्पष्टीकरण चाहते हैं वे वार्षिक आम-सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रखे। कोई भी सूचना / स्पष्टीकरण कम्पनी सेक्रेटरी को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

शेयर विभाग एवं निवेशक शिक्षायात कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय
11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता -700001

may approach their Depository Participants for necessary action in this regard. A proforma of the NECS/ Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

7. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed or claimed the dividend, such amount lying in the Bank's Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled as "United Bank of India - Unpaid Dividend Account for the financial year 2010-11".

As per the provision of Section 10B of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under section 205C of the Companies Act 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants or received dividend pertaining to the previous period, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent for issue of duplicate warrant.

8. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

8.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to the Registered Addresses of the shareholders.

8.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

8.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to Accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

Communications may be sent to the Company Secretary at:
Share Department & Investors Grievance Cell
United Bank of India
Head Office, 4th Floor



अथवा इ मेल इस पते पर भेज सकते हैं-
investors@unitedbank.co.in

11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata 700 001
or emailed at investors@unitedbank.co.in

8.4 पत्रों (फोलियो) का समेकन :

जिन शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में, कई पत्रों (फोलियो) में एक ही नाम से या संयुक्त नाम से उसी नाम के क्रम में हों, उनसे निवेदन है कि वे अपने शेयर प्रमाण पत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज दें ताकि उन्हें एक ही पत्र में समेकित किया जा सके।

8.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names of joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

8.5 पते / बैंक ब्यौरे में परिवर्तन की सूचना :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की सूचना और अपने बैंक खाते का ब्यौरा निम्नलिखित के पास भेजें :

8.5. Notifying Change of Address/Bank Details

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

- क) यदि उनका शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो संबंधित निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिशिपेंट्स) को और
- ख) यदि उनका शेयर मूर्त रूप में है तो पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को भेजें जिसका पता है :

- a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic form;
- b. The Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. in respect of shares held in physical form at the following address

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
सी- 13 पन्ना लाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल बी एस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
मुंबई - 400 078

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
C-13 Pannalal Silk Mills Compound,
L.B.S. Marg, Bhandup(W),
Mumbai – 400078

8.6 स्थिति के परिवर्तन को दर्ज करना

अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित स्थिति में परिवर्तन की सूचना तत्काल मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को दें :

8.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –


- क) विदेश से लौटने पर स्थाई रूप से भारत में निवास करने की स्थिति में अपनी आवासीय स्थिति
- ख) भारत में स्थित बैंक खाते का विवरण जिसमें उनका पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एम आई सी आर कोड, आई एफ एस सी कोड, बैंक का पता (पिन कोड सहित) - यदि यह पहले नहीं दिया गया हो तो।

- a. their Residential Status on return to India for permanent settlement.
- b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFSC code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

9. मताधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2इ) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1% से अधिक के अपने किसी भी शेयरों के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से



बिक्रमजित सोम
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : जून 18, 2011

स्थान : कोलकाता

9. Voting Rights

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 1% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

By order of the Board of Directors



Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated : June 18th, 2011

Place: Kolkata



निदेशकों की रिपोर्ट

यह निदेशक मंडल 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की 61वाँ वार्षिक रिपोर्ट तथा इसके साथ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2010-11 का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी अपनी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1. निष्पादन की एक झलक

बैंक का कुल व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर ₹20,843 करोड़ बढ़कर कुल ₹131,779 करोड़ हुआ, जो कि पूर्व वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर ₹110,936 करोड़ था। इस तरह 18.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

31.3.2011 को बैंक का कुल जमा ₹9,665 करोड़ बढ़कर कुल ₹77,845 करोड़ हुआ जो कि 31 मार्च, 2010 को कुल ₹68,180 करोड़ था। इस तरह 14.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन पर अपनी नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ऋण आस्तियों के विस्तार में अपना यथोचित प्रयास जारी रखा है। बैंक का कुल अग्रिम 31.3.2011 को ₹11,178 करोड़ बढ़कर कुल ₹53,934 करोड़ हुआ, जो कि 31 मार्च, 2010 को ₹42,756 करोड़ था। इस तरह 26.1% की वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष के दौरान खुदरा क्षेत्र, कृषि, एम एस एम ई एवं ऋण के विस्तार हेतु मझौले कंपनी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया।

वर्ष के दौरान एन पी ए की वसूली के अंतर्गत बैंक का निष्पादन बहुत अच्छा रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने नकदी वसूली एवं एन पी ए की कमी के क्षेत्र में ₹586.11 करोड़ हासिल किया, जो पूर्व वर्ष ₹454.84 करोड़ था। परिणामस्वरूप, नये स्लीपेज के बावजूद बैंक का सकल एन पी ए कम होकर 31 मार्च, 2011 को ₹1356 करोड़ हुआ, जो कि 31 मार्च, 2010 को ₹1372 करोड़ था।

विभिन्न कार्यशील क्षेत्रों में उत्साहवर्द्धक निष्पादनों का प्रतिफल वर्ष 2010-11 के दौरान वास्तविक रूप में आय की वृद्धि के रूप में सामने आया एवं ब्याज विस्तार वृद्धि 31 मार्च 2010 को 2.44% की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 3.06% रही।

2. आय विश्लेषण

बैंक ने ब्याज आय के क्षेत्र में ₹1,092.52 करोड़ (20.8%) की वृद्धि दर्ज की, जो वर्ष 2009-10 में ₹5,248.94 करोड़ की तुलना में ₹6,341.46 करोड़ रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज व्यय के क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2009-10 के ₹3,857.72 करोड़ की तुलना में ₹4,172.11 करोड़ हो गया। इसी अवधि में कुल ब्याज आय के क्षेत्र में ₹778.13 (55.9%) की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की कुल आय (ब्याज आय एवं गैर ब्याज आय का कुल) बढ़कर ₹6,978.51 करोड़ हो गई, जो कि पूर्व वर्ष ₹5,807.68 करोड़ थी और इस तरह ₹1,170.83 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 61st Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2011 (FY – 2010-11).

1. Performance at a Glance:

The total business of the Bank increased by ₹20,843 crore to reach ₹131,779 crore at the end of the financial year 2010-11 from ₹110,936 crore at the end of previous financial year 2009-10, recording a growth rate of 18.8%.

The total deposits of the bank have grown by ₹9,665 crore from ₹68,180 crore as on 31st March 2010 to ₹77,845 crore as on 31st March, 2011 registering a growth rate of 14.2%.

The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management. The total advances of the Bank increased by ₹11,178 crore from ₹42,756 crore as on 31st March, 2010 to ₹53,934 crore as on 31st March, 2011, registering a growth rate of 26.1%. During the year, focused attention was for lending to retail sector, agriculture, MSME and midsize corporate segments for expansion of credit.

During the year, performance of the Bank under recovery of NPAs was very good. During the year, the bank effected a cash recovery and up-gradation of NPAs of ₹586.11 crore compared to ₹454.84 crore in the previous year. As a result, Gross NPA of the Bank reduced from ₹1372 crore as on March 31, 2010 to ₹1356 crore as on March 31, 2011 in spite of fresh slippages.

While the encouraging performance in different functional areas during the year 2010-11 resulted in increased earnings in absolute terms and the interest spread increased from 2.44% as on 31st March 2010 to 3.06% as on 31st March 2011.

2. Income Analysis

Interest income of the Bank recorded a growth of ₹1,092.52 crore (20.8%) from ₹5,248.94 crore in the year 2009-10 to ₹6,341.46 crore, as against the interest expenses which grew by 8.1% from ₹3,857.72 crore during the year 2009-10 to ₹4,172.11 crore during the year 2010-11. The Net interest income recorded a growth of ₹778.13 crore (55.9%) during the same period.

The total income (total of interest income and non-interest income) of the bank improved to ₹6,978.51 crore during the year 2010-11 from ₹5,807.68 crore in the previous year recording a rise of ₹1,170.83 crore.

(राशि ₹ करोड़ में)			
	2009-10	2010-11	% में परिवर्तन
ब्याज आय	5248.94	6341.46	20.8
ब्याज व्यय	3857.72	4172.11	8.1
शुद्ध ब्याज आय	1391.22	2169.35	55.9
गैर ब्याज आय या अन्य आय	558.74	637.05	14.0
शुद्ध कुल आय	1949.96	2806.40	43.9
परिचालन व्यय	1074.12	1299.41	21.0
परिचालन लाभ	875.84	1506.99	72.1
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (कर के अतिरिक्त)	465.32	838.02	80.1
कर के पूर्व लाभ	410.52	668.97	63.0
कर हेतु प्रावधान	88.16	145.00	64.5
शुद्ध लाभ	322.36	523.97	62.5
लाभांश (%)	20	22 (प्रस्तावित)	

गैर ब्याज आय में ₹78.31 करोड़ (14.0%) की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹558.74 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹637.05 करोड़ रहा, कुल आय में कुल गैर ब्याज आय की हिस्सेदारी 9.1% की रही। गैर ब्याज आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹378.27 करोड़ से बढ़कर ₹438.60 करोड़ हो गया और इस तरह 15.9% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

(Amount in ₹/crore)			
	2009-10	2010-11	Change in %
Interest Income	5248.94	6341.46	20.8
Interest Expenditure	3857.72	4172.11	8.1
Net Interest Income	1391.22	2169.35	55.9
Non-Interest Income or Other Income	558.74	637.05	14.0
Net Total Income	1949.96	2806.40	43.9
Operating Expenses	1074.12	1299.41	21.0
Operating Profit	875.84	1506.99	72.1
Provisions & Contingencies (Excl. Tax)	465.32	838.02	80.1
Profit before Tax	410.52	668.97	63.0
Provision for Tax	88.16	145.00	64.5
Net Profit	322.36	523.97	62.5
Dividend (%)	20	22 (proposed)	

Non-interest income increased by ₹78.31 crore (14.0%) from ₹558.74 crore in the financial year 2009-10 to ₹637.05 crore in the financial year 2010-11. The share of total Non-Interest Income to total Income stood at 9.1%. The Non-Interest Income (excluding Trading Profit) increased from ₹378.27 crore to ₹438.60 crore in FY 2010-11 recording a growth rate of 15.9%.

बैंक के कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री

HON'BLE UNION FINANCE MINISTER AT BANK'S PROGRAMME



माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 31 जनवरी, 2011 को मिराटी, बोरभूम, पश्चिम बंगाल में बैंक की मिराटी शाखा का उद्घाटन किया।

Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee inaugurated Bank's Mirati Branch on 31st January, 2011 at Mirati, Birbhum, WB.



माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी देबकुंडु, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद में आयोजित ऋण वितरण शिविर में एक महिला हिताधिकारी को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए।

Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee handing over loan sanction papers to a woman beneficiary in a Credit Delivery Camp organised at Debkundu, Beldanga, Murshidabad.

शुद्ध कुल आय (शुद्ध ब्याज आय जोड़ गैर ब्याज आय) वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹ 1,949.96 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 2,806.40 करोड़ हो गया और 43.9% की वृद्धि दर्ज की गई ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान परिचालन व्ययों में 21.0% की वृद्धि हुई एवं यह ₹ 1299.41 करोड़ रहा, जबकि 2009-10 के दौरान यह ₹ 1,074.12 करोड़ था ।

आय अनुपात का लागत (शुद्ध परिचालन आय का परिचालन व्यय) वित्तीय वर्ष 2009-10 के 55.08% से नीचे आकर वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु 46-30% हो गया है ।

3. विस्तार विश्लेषण

	(राशि ₹ करोड़ में)			
	2009-10	2010-11	वृद्धि	
			पूर्ण	%
कुल ब्याज आय	5248.94	6341.46	1092.52	20.81
कुल ब्याज व्यय	3857.72	4172.11	314.39	8.15
शुद्ध ब्याज आय	1391.22	2169.35	778.13	55.93
निधियों पर अर्जन	8.43%	8.87%		
निधियों की लागत	5.99%	5.81%		
ब्याज विस्तार	2.44%	3.06%		

4. परिचालन लाभ

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 875.84 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 1,506.99 करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया, कुल वृद्धि ₹ 631.15 करोड़ (72.1%)

The Net Total Income (Net Interest Income plus Non interest Income) has increased from ₹ 1,949.96 crore in the financial year 2009-10 to ₹ 2,806.40 crore in the financial year 2010-11 recording a growth of 43.9%.

The Operating Expenses have shown an increase of 21.0% during the financial year 2010-11 and stood at ₹ 1,299.41 crore as compared to ₹ 1,074.12 crore in 2009-10.

The Cost to Income ratio (Operating expenses to Net Operating Income) has come down from 55.08% for the financial year 2009-10 to 46.30% in the financial year 2010-11.

3. Spread Analysis

	(Amount in ₹/crore)			
	2009-10	2010-11	Growth	
			Absolute	%
Total Interest Income	5248.94	6341.46	1092.52	20.81
Total Interest Expended	3857.72	4172.11	314.39	8.15
Net Interest Income	1391.22	2169.35	778.13	55.93
Yield on Funds	8.43%	8.87%		
Cost of Funds	5.99%	5.81%		
Interest Spread	2.44%	3.06%		

4. Operating Profit

The Bank has registered an Operating Profit of ₹ 1,506.99 during the Financial year 2010-11 as compared to ₹ 875.84 crore in the financial

बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में डिप्टी गवर्नर, आरबीआई

DY. GOVERNOR, RBI, AT FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME OF THE BANK



डॉ सुबीर गोकर्ण, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई एवं श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक साथ में श्री एस. एल. बंसल, कार्यपालक निदेशक कुमारहाट, 24 परगना (द) में आयोजित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में एक महिला हिताधिकारी को बायोमेट्रिक कार्ड प्रदान करते हुए ।

Dr. Subir Gokarn, DG, RBI and CMD Shri Bhaskar Sen with ED Shri S. L. Bansal handing over a Bi metric Smart Card to a woman beneficiary at Bank's Financial Inclusion Programme organized at Kumarhat, 24 Pgs (S), WB.



दिनांक 07.12.2010 को कुमारहाट, 24 परगना (द) में कस्टमर सर्विस प्वाइंट का उद्घाटन करते हुए डॉ सुबीर गोकर्ण, डिप्टी गवर्नर, आर बी आई एवं श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।

Dr. Subir Gokarn, DG, RBI with CMD Shri Bhaskar Sen inaugurating Customer Service Point at Kumarhat, 24 Pgs (S), Kolkata on 07.12.2010.

की दर्ज की गई ।

आस्ति उपयोगिता अनुपात (औसत कार्यशील निधियों के परिचालन लाभ का प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु 1.89% रहा, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु 1.22% था ।

5. प्रावधान

ऋण हानियों हेतु प्रावधान, मानक आस्तियों पर प्रावधान, कराधान एवं आय वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹983.02 करोड़ रहा, जिसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु ₹553.49 करोड़ था ।

6. शुद्ध लाभ

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹322 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹523.97 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

7. शुद्ध मालियत एवं सी आर ए आर

31 मार्च, 2011 को बैंक की शुद्ध मालियत बढ़कर ₹5,021.68 करोड़ हो गयी, जो कि 31 मार्च, 2010 को ₹3,902.93 करोड़ थी ।

31 मार्च, 2011 को जोखिम समायोजन आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) की पूंजी 11.16% हुआ, जो कि 31 मार्च, 2010 को 11.02% था, यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 9% के बहुत उपर है । बेसेल-II मार्गनिदेशों के अनुसार सी आर ए आर 13.05% निर्धारित की गई है ।

31 मार्च, 2011 को बेसेल-II के अंतर्गत सी आर ए आर का टायर-I एवं टायर-II संघटक क्रमशः 8.90% एवं 4.15% रहा, जो कि 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 8.16% एवं 4.64% था । वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु इक्विटी पर प्रतिलाभ, प्रति शेयर आय एवं प्रति शेयर बही मूल्य 12.86% क्रमशः ₹14.38 एवं ₹102.89 रहा, जो कि पूर्व वर्ष में 10.64% ₹10.18 एवं ₹91.69 क्रमशः था ।

8. शाखा विस्तार

वर्ष 2010 -11 के दौरान 63 शाखाओं के खुलने के साथ 31.03.2011 को शाखाओं की कुल संख्या 1597 हो गई है, जिसका विस्तार देश के सभी राज्यों में है एवं इसमें 645

year 2009-10 registering an increase of ₹ 631.15 crore (72.1%).

The Asset Utilisation Ratio (percentage of Operating Profit to Average Working Funds) stood at 1.89% for the financial year 2010-11 compared to 1.22% for the financial year 2009-10.

5. Provisions

The Provision for Loan Losses, Provision on Standard Assets, Taxation and others aggregated to ₹983.02 crore in the financial year 2010-11 as compared to ₹553.49 crore in the financial year 2009-10.

6. Net Profit

The Bank registered a Net Profit of ₹523.97 crore for the financial year 2010-11 compared to ₹322.36 crore in the financial year 2009-10.

7. Net Worth and CRAR

The Net Worth of the Bank improved to ₹5,021.68 crore as on 31st March, 2011 from ₹3,902.93 crore as on 31st March, 2010.

The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 11.16% (Basel I) as on 31st March, 2011 as against 11.02% as on 31st March, 2010 which is much above the norm of 9% stipulated by Reserve Bank of India. The CRAR as per Basel II guidelines works out to 13.05%.

The Tier-I & Tier-II components of CRAR under Basel II are 8.90% & 4.15% respectively as on 31st March 2011 compared to 8.16% & 4.64% respectively as on 31st March, 2010. The Return on Equity, Earnings Per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2010-11 stood at 12.86%, ₹14.38 and ₹102.89 respectively, against 10.64%, ₹10.18 and ₹91.69 respectively for the previous year.

8. Branch Expansion

With the opening of 63 branches during the year 2010-11, the total number of branches stands at 1597 as on 31.03.2011 spread across

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक पश्चिम बंगाल सरकार के वित्तमंत्री डॉ. असीम दासगुप्त के साथ दिनांक 6 सितंबर 2010 को कोलकाता में आयोजित एस एल बी सी की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए ।

CMD with Dr Asim Dasgupta, Minister of Finance, Govt of WB & ED addressing at a special meeting of SLBC on Financial Inclusion on 6th September, 2010 organised at Kolkata, WB.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक साथ में कार्यपालक निदेशक बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 26 मार्च, 2011 को आधार नामांकन काउंटर का उद्घाटन करते हुए ।

CMD with ED inaugurating Aadhaar Enrolment Counter at Bank's Headquarters on 26th March, 2011.

ग्रामीण (40.4 %), 299 अर्द्ध शहरी (18.7%), 350 शहरी (21.9%) एवं 303 मेट्रो (19.0%) शाखाएँ शामिल हैं। बैंक के 7 विस्तार पटल एवं 508 ए टी एम हैं। बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। खोले गए 63 शाखाओं का राज्य वार ब्यौरा अधोलिखित है :

राज्य	शाखाओं की संख्या	राज्य	शाखाओं की संख्या
असम	2	मणिपुर	2
मेघालय	1	त्रिपुरा	2
सिक्किम	1	पश्चिम बंगाल	18
बिहार	3	ओड़िशा	8
झारखंड	5	दिल्ली	1
हरियाणा	3	पंजाब	2
राजस्थान	2	उत्तर प्रदेश	2
छत्तीसगढ़	3	महाराष्ट्र	4
गुजरात	2	कर्नाटक	1
आंध्रप्रदेश	1		

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी शाखा का उद्घाटन 18.04.2010 को और बोरभूम जिले के मिराटी शाखा का उद्घाटन 31.01.2011 को किया। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत इस बैंक की 17 शाखाएँ बैंक रहित ऐसे गाँवों में खोली गईं जिनकी आबादी 2000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त मेघालय के बैंक रहित मावथाड़ाइसान प्रखंड में नांगशिलांग और तामेंगलांग बाजार में और मणिपुर के तामेई और तासेम प्रखंड में बैंकिंग सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से शाखाएँ खोली गईं। इस वर्ष दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बैंक की एक-एक कारपोरेट वित्त शाखा भी खोली गई। कुल 1597 शाखाओं में से 757 शाखाएँ (47.4%) भारत के 68 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में खोली गई हैं और कुल शाखाओं की संख्या का 59% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं ताकि देश के दूर-दराज क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवा दी जा सके।

27.10.10 को चंडीगढ़ में और 01.01.2011 को रायपुर में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अब 31.03.2011 तक इस बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 30 हो गई है।

all the states of the country consisting of 645 rural (40,4%), 299 semi-urban (18.7%), 350 urban (21.9%) and 303 metro (19.0%) branches. The Bank has also 7 Extension Counters and 508 ATMs. The Bank is also having its representative office at Dhaka in Bangladesh. State wise opening of 63 branches are as under:

State	No. of branches	State	No. of branches
Assam	2	Manipur	2
Meghalaya	1	Tripura	2
Sikkim	1	West Bengal	18
Bihar	3	Orissa	8
Jharkhand	5	Delhi	1
Haryana	3	Punjab	2
Rajasthan	2	Uttar Pradesh	2
Chhatisgarh	3	Maharashtra	4
Gujarat	2	Karnataka	1
Andhra Pradesh	1		

Two branches at Sagardighi of Murshidabad District and Mirati of Birbhum District were inaugurated by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister on 18.04.10 and 31.01.2011 respectively. The Bank has also opened 17 branches in unbanked villages having population 2000+ under Financial Inclusion Plan. Besides the Bank has opened branches at Nongshillong and Tamenglong Bazar to extend banking facilities in unbanked Mawthadraishan Block of Meghalaya state and Tamei and Tousem Blocks of Manipur state respectively. The bank has also opened three Corporate Finance branches in Delhi, Mumbai and Kolkata during the year. Out of 1597 branches, 757 branches (47.4%) are located in 68 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country and fifty nine percent of the total branch networks are in rural and semi-urban areas to serve our country in the hinterland.

With the opening of two Regional Offices at Chandigarh and Raipur on 27.10.10 and 01.01.11 respectively, the total number of Regions

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण सुपुर्दगी शिविर

CREDIT DELIVERY CAMP UNDER FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन 26 सितम्बर, 2010 को अगरतला, त्रिपुरा में एक लाभार्थी को ऋण-मंजूरी के कागजात सौंपते हुए।

CMD Shri Bhaskar Sen handing over loan sanction papers to a beneficiary at Agartala, Tripura on 26th September, 2010



स्वामी विश्वनाथानंद महाराज, सभापति, रामकृष्ण मिशन एवं मठ, कामारपुकुर, कार्यपालक निदेशक श्री एस.एल. बंसल के साथ आरामबाग, हुगली में 30 अगस्त, 2010 को एक महिला लाभार्थी को ऋण मंजूरी के कागजात सौंपते हुए।

Swami Biswanathananda Maharaj, President, RK Mission & Math, Kamarpur with ED Shri SL Bansal handing over loan sanction papers to a woman beneficiary at Arambagh, Hooghly on 30th August, 2010.

10. 01. 2011 से छह अन्य क्षेत्रों का नाम बदला गया है जिसके अंतर्गत अब केन्द्रीय क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र के नाम से, केन्द्रीय असम, गुवाहाटी क्षेत्र के नाम से, उत्तर भारत क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र के नाम से, 24 परगना केन्द्रीय, बेहाला क्षेत्र के नाम से, ओड़िशा I, भुवनेश्वर क्षेत्र के नाम से तथा ओड़िशा II, सम्बलपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा।

9. सरकारी व्यवसाय

बैंक विभिन्न प्रकार की सरकारी व्यवसाय संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है, जैसे - सरकारी राजस्व अर्थात् प्रत्यक्ष कर (सी बी डी टी), अप्रत्यक्ष कर (सी बी ई सी) वैट/बिक्री कर, व्यावसायिक कर इत्यादि का संग्रह करना, सरकारी जमा अर्थात् पी पी एफ, एस सी एस एस, आर. बी.आई.बॉन्ड इत्यादि का संग्रह, सरकारी निधि का संचालन जैसे - ट्रेजरी संबंधी कार्य, डी एम ए खाते, स्कूल - शिक्षकों का वेतन - भुगतान, विभिन्न प्रकार का पेंशन भुगतान, मुद्रा तिजोरियों (करेंसी चेस्ट) इत्यादि का संचालन एवं रख - रखाव इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹ 7366.13 करोड़ की कर वसूली की गई।

पेंशन निधि का प्रतिपूर्ति भुगतान, एजेंसी कमीशन, पेंशनभोगियों के शिकायत निवारण इत्यादि से संबंधित सभी कार्य हमारे बैंक का केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र (सी पी पी सी) सरकारी लेनदेन विभाग, प्रधान कार्यालय के अंतर्गत परिचालित हो रहा है। सी पी पी सी के माध्यम से लगभग 20000 पेंशनभोगियों को केन्द्रीय, सिविल एवं राजनीतिक पेंशन दिए जा रहे हैं। अन्य सभी मुद्रा तिजोरियों (करेंसी चेस्ट), जैसे प्रतिरक्षा, रेलवे, टेलीकम एवं समस्त राज्य - पेंशनभोगियों को शीघ्र सी पी पी सी के अंतर्गत लाने के लिए डाटा क्लिनिंग प्रसंस्करण एवं पेंशन डाटा प्राप्ति के कार्य हो रहे हैं।

जमीनी स्तर के पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की सुविधा हेतु तथा उन्हें जानकारी देने के लिए सरकारी लेनदेन विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। विगत वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

stands at 30 as on 31.03.2011. Six regions namely Central, Central Assam, North India, 24-Parganas Central, Orissa-I and Orissa-II have also been renamed as Lucknow, Guwahati, New Delhi, Behala, Bhubaneswar and Sambalpur respectively on and from 10.01.11.

9. Government Business

The Bank undertakes different Government Business Activities including collection of Government Revenues e.g. Direct Tax (CBDT), Indirect Tax (CBEC), VAT / Sales Tax, Professional Tax etc., collection of Government Deposit e.g. PPF, SCSS, RBI Bond etc., Handling Government Fund e.g. Treasury Function, DMA accounts, Payment of School Teachers' Salary and different categories of Pension and operation and maintenance of currency chests etc. Total Tax collection during the financial year 2010-11 were to the tune of ₹7366.13 crore.

Centralised Pension Processing Centre (CPPC) of our Bank has been operationalised under Government Transaction Department, Head Office for undertaking all works related to payment of pension reimbursement of pension fund, Agency Commission, Pensioners grievance redressal etc. Payments of Central Civil & Political Pension of around 20000 pensioners are already being made through CPPC. The process of data cleaning and capturing of pension data is going on to bring all others treasuries like Defence, Railway, Telecom and all State pensioners under CPPC shortly.

To sensitize the ground level functionaries and impart knowledge amongst them, Training Programmes and Workshops are being organised regularly by the Bank. During the financial year 2010-11, following Training Programmes / Workshops were conducted.

उद्घाटन

INAUGURATION



27 अक्टूबर, 2010 को बैंक के 29 वें क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ क्षेत्र का उद्घाटन।

Inauguration of Chandigarh Region, the 29th Region of the Bank on 27th October, 2010



बिधाननगर कोलकाता में 1 जनवरी, 2011 को बैंक के प्रथम रिटेल हब का उद्घाटन।

Inauguration of Bank's 1st Retail Hub on 1st January, 2011 at Bidhannagar, Kolkata

प्रशिक्षण/कार्यशाला	संख्या	स्थान
सरकारी व्यवसाय	06	कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता
करेंसी चेस्ट परिचालन एवं नकदी प्रबंधन	06	मालदा, कोलकाता एवं कुच बिहार
सी पी पी सी	05	कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय कोलकाता

Training / Workshop	No. of Occasions	Place
Government Business Currency Chest Operation & Cash Management	6	Staff Training College, Kolkata
	6	Malda, Kolkata & Coochbehar
CPPC	5	Staff Training College, Kolkata

करेंसी चेस्ट विषयक अधिकांश कार्यशालाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता के संकाय - सहायता से महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता की उपस्थिति में संचालित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2010 -11 में सरकारी व्यवसाय से अर्जित एजेंसी कमीशन का विवरण निम्नलिखित हैं :

व्यवसाय का प्रकार	अर्जित टी ओ सी (₹ करोड़ में)
कर	2.40
पेंशन	12.99
स्कूल वेतन	31.60
ट्रेजरी	6.38
पी पी एफ , एस सी एस एस, बॉड एवं एस डी एस	0.24
डी एम ए	0.45
योग	54.06

Most of the Workshops on currency chest were conducted with the faculty support from RBI, Kolkata in presence of General Manager, Issue Department, RBI, Kolkata.

Agency commission earned from Government Business during the Financial Year 2010-11 are as follows:

BUSINESS TYPE	TOC EARNED (₹ in crore)
TAX	2.40
PENSION	12.99
SCHOOL SALARY	31.60
TREASURY	6.38
PPF,SCSS, BOND & SDS	0.24
DMA	0.45
TOTAL	54.06

10. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

कारपोरेट जगत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व का बैंकिंग क्षेत्र सहित बहुत महत्व रहा है। विगत वर्षों के दौरान युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, औद्योगिक उन्नति, आधार - रचना विकास के लिए वित्तीय, प्रोत्तमिूलक एवं विकासात्मक सहायता करते हुए सी एस आर के सिद्धांतों को एकीकृत किया है। इसके साथ ही बैंक ने अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं के माध्यम से अपनी आंतरिक कार्य प्रणाली का भी विकास किया है।

10. Corporate Social Responsibilities – CSR Activities

CSR has been assuming greater importance in the corporate world, including the banking sector. Over the years, we at United Bank of India, have integrated CSR principles with the Bank's financial, promotional and development assistance to the Priority Sector, industrial growth, infrastructure development, as well as our own internal functioning through good corporate governance practices.

कार्यक्रम EVENTS



डॉ प्रकाश बक्शी, अध्यक्ष, नाबार्ड का स्वागत करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक साथ में उपस्थित हैं कार्यपालक निदेशक।
CMD in presence of ED welcoming Dr. Prakash Bakshi, Chairman, NABARD



कार्यपालक निदेशक श्री एस. एल. बंसल प्रधान कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह के दौरान सहकर्मियों को संबोधित करते हुए।
ED Shri S.L. Bansal addressing on Hindi Day Celebration at Head Office

रक्षणीय बैंकिंग, वातावरण, सामाजिक प्रतिबद्धताओं, मानव संसाधन विकास एवं शेयरधारकों को संलिप्त रखना हमारे सी एस आर के स्तंभ हैं।

हम समझते हैं कि मध्यम, लघु एवं माइक्रो उद्यम (एम एस एम ई) क्षेत्र तथा शिक्षा ऋण समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का प्रभाव महत्वपूर्ण एवं जारी रखने योग्य हैं। आर्थिक लाभों की समझदारी के साथ दायित्वशील बैंकिंग एवं वातावरण का संरक्षण हमारे कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का आंतरिक हिस्सा है। उदाहरण के लिए हम ओजोन को विकृत करनेवाले उद्योगों को ऋण नहीं देते हैं। जहाँ आवश्यक है, उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने के बाद ही हम उनको ऋण देते हैं।

साधनहीन वर्ग, जैसे - महिला, पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण, असंगठित तथा समाज के कमजोर वर्ग को माइक्रो ऋण देकर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को व्यापक एवं गहरा बनाना हमारे सी एस आर ढाँचे का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

11. युनाइटेड बैंक ग्रामीण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (यु बी आर सेटी)

चालू वर्ष में बैंक ने 5 और ग्रामीण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले और अब ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ कर 31.03.2011 तक 10 हो गई। इस वर्ष (2010-11 में) निम्नलिखित आर-सेटी खोले गए :

- युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर लखीमपुर-असम। यह 11.05.2010 को खोला गया।
- युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रायगंज उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल। यह 29.9.2010 को खोला गया।
- युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल। यह 24.01.2011 को खोला गया।
- युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, धलाई, अम्बासा, त्रिपुरा। यह 25.01.2011 को खोला गया।

Our CSR pillars are Sustainable Banking, Environment, Social Commitments, Human Resources Development and Stakeholders Engagements.

We acknowledge that lending to MSME sector, Priority Sector including Education Loans has significant sustainability impact. Responsible banking, along with realization of economic benefits and protection of environment form an integral part of our CSR strategy. For instance, we do not provide credit to Ozone depleting industries. We give credit to industrial units after they obtain 'No Objection Certificate' from the Pollution Control Board, wherever required.

An important plank of our CSR framework has been to widen and deepen the process of financial inclusion by way of purveying micro credit to the disadvantaged sections, such as women, minorities and backward classes in rural, unorganized and weaker section of the society.

11. United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI)

Bank has set up 5 more RSETIs during the current year and the total RSETIs set up by the bank as on 31.03.2011 stands at 10. The RSETIs opened during the year 2010-11 are as follows:

- United Bank Rural Self Employment Training Institute (UBIR'SETI), North Lakhimpur, Assam - opened on 11.05.2010.
- United Bank Rural Self Employment Training Institute (UBIR'SETI), Raiganj, Uttar Dinajpur, West Bengal - opened on 20.09.2010.
- United Bank Rural Self Employment Training Institute (UBIR'SETI), Balurghat, Dakshin Dinajpur, West Bengal - opened on 24.01.2011.
- United Bank Rural Self Employment Training Institute (UBIR'SETI), Dhalai, Ambassa, Tripura- opened on 25.01.2011

कारपोरेट सामाजिक दायित्व CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES



18 मार्च 2011 को प्रधान कार्यालय में युनाइटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक।

Meeting of the United Bank Socio Economic Development Foundation Trust on 18th March 2011 at H.O.



18 दिसम्बर, 2010 को प.बंगाल के 24 परगना (उ) के गाईघाटा प्रखंड में एक आर्सेनिक प्रभावित गाँव में बैंक की ओर से एक आर्सेनिक ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया गया।

Bank set up an Arsenic Treatment Plant at arsenic effected village in Gaighata Block, 24 Pgs (N),WB on 18th December, 2010

- युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। यह 29.03.2011 को खोला गया।

बैंक ने इन संस्थानों के शीर्षस्थ नीति निर्माण निकाय के रूप में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार न्यास की स्थापना की है। यह न्यास उक्त प्रशिक्षण संस्थानों के काम की समीक्षा तिमाही आधार पर करता है। ऐसी पिछली समीक्षा 18.03.2011 को इस न्यास की हुई बैठक में की गई।

31.03.2011 तक इन संस्थानों के तहत 11188 ग्रामीण युवाओं/युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 8070 प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार में लगे हैं और 463 प्रशिक्षणार्थी मजदूरी पर नियुक्त हैं। 8070 स्वरोजगार युक्त प्रशिक्षणार्थियों में से 3902 प्रशिक्षणार्थियों को बैंकों से ऋण मिले हैं।

ये संस्थान प्रशिक्षणोत्तर सहायता (एस्कॉर्ट सर्विस) उपलब्ध कराते हैं और साथ ही ये हमारे बैंक की शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता करते हैं ताकि प्रशिक्षणार्थी स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ऐसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कुल 7 और जिले आर्बिट्रि किए हैं जो निम्नवत् हैं :

असम : हिलाकंडाई, करीमगंज, शिवसागर, मौरी गाँव एवं धेमाजी जिले में, मणिपुर : पूर्व इम्फाल जिले में और मेघालय : जयंतिया पहाड़ी जिले में।

- **वित्तीय सहायता सह ऋण परामर्श केंद्र (एफ एल सी सी)**

बैंक की ओर से दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर (सभी पश्चिम बंगाल में), असम के कछार में और त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में कुल 5 वित्तीय सहायता सह ऋण परामर्श केंद्र (एफ एल सी सी) खोले गए हैं ताकि समाज के अपेक्षाकृत गरीब लोगों को वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनाया जा सके और उनको ऋण संबंधी परामर्श दिया जा सके।

- **युनाइटेड बैंक सामाजिक- आर्थिक विकास न्यास (यु बी एस ई डी एफ)**

युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास न्यास (यु बी एस ई डी सी) की स्थापना 18 दिसम्बर 2006 को बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप, 30 मार्च 2007

- **United Bank Rural Self Employment Training Institute (UBIR'SETI), Purulia, West Bengal.- opened on 29.03.2011.**

Bank has set up Rural Development and Self Employment Trust (UBRUDSET) as apex policy making body of the institutes. The Trust reviews functioning of RUDSETIs on quarterly basis. The last such review was undertaken on 18.03.2011 at the meeting of the Board of Trustees of UBRUDSET.

Up to 31.03.2011 these institutes have imparted training to 11188 rural youths/women of which 8070 trainees are self employed and 463 trainees are wage employed. Out of 8070 self employed trainees 3902 trainees have got loans from banks.

The institutes are providing post training support (Escort service) including arrangement of loan from our bank branches to enable the trainees to set up their own venture.

The bank has been allotted 7 more Districts for opening of RSETIs by the respective SLBC Assam (Hilakandi, Karimganj, Sibsagar, Morigaon & Dhemaji Districts), Manipur(East Imphal District) and Meghalaya(Jayantia Hill District).

- **FLCC**

Bank has also set up 5 Financial Literacy cum Credit Counselling Centres (FLCCs) in the districts of South 24-Parganas, Uttar Dinajpur & Dakshin Dinajpur in West Bengal and Cachar in the state of Assam and South Tripura in Tripura to extend financial literacy and credit counselling services to the poorer section of the society.

- **United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)**

United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं वित्तीय साक्षरता केन्द्र का उद्घाटन INAUGURATION OF R-SETI & FINANCIAL LITERACY CENTRES



20 सितंबर 2010 को दुर्गापुर, उत्तर दिनाजपुर, प. ब. में युबीआई आरसेटी के उद्घाटन के समय संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

CMD addressing at the inauguration of UBI R-SETI at Durgapur, Uttar Dinajpur, WB on 20th September, 2010.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कछार जिले में बैंक के वित्तीय साक्षरता एवं सलाह केन्द्र का उद्घाटन करते हुए।

CMD inaugurates the Financial Literacy and Counselling Centre of the Bank at Cachar District

को हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों का संप्रवर्तन एवं वहन तथा समाज के कमजोर एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोगों की सहायता करना।

इस न्यास की ओर से कुल ₹ 71.15 लाख की सहायता से कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। ऐसी सहायता का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

वर्ष	इकाइयों की संख्या	सहायता राशि (लाख ₹ में)
2007-08	8	6.50
2008-09	8	7.21
2009-10	7	8.05
2010-11	16	49.39
कुल	39	71.15

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं : उत्तर 24 परगना जिले के गाइघाटा में एक आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना जिसमें इस न्यास की ओर से ₹14.26 लाख दिए गए हैं। झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग की दो बच्चियों को गोद लिया गया है और उनकी पढ़ाई-लिखाई का संपूर्ण खर्च यह न्यास वहन कर रहा है।

12. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अपेक्षानुसार बैंक ने राजभाषा हिन्दी के तीव्र प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए वर्ष के दौरान 15 (पंद्रह) राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की।

कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 04.06.2010 को बैंक के राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक की गई। दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन पर आधारित विभिन्न प्रकार के गहन कार्यक्रम चालू किए गए हैं ताकि इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को विहित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया जा सके।

rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken by the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 18th December, 2006, towards discharging corporate social responsibility of the Bank.

The Trust has undertaken a series of welfare activities involving total assistance of ₹71.15 lac. The year wise break up of the assistance are furnished below:

YEAR	NO. OF UNITS	AMOUNT OF ASSISTANCE (₹ in lac)
2007-08	8	6.50
2008-09	8	7.21
2009-10	7	8.05
2010-11	16	49.39
TOTAL	39	71.15

Some of the important projects are ,setting up of an Arsenic Treatment plant at Gaighata, North 24-Parganas district with a funding assistance of ₹14.26 lac and adoption of two girl children from the weaker section in Jharkhand Region for meeting their all educational expenses, etc.

12. Progressive use of Official Language

In pursuance to the Official Language Policy of the Government of India, the bank has recruited 15 (fifteen) Official Language Officers during the year to speed up propagation and development of official Language Hindi for official purpose.

To accelerate the progressive use of Hindi in Official business, All India Conference of Official Language Officers of the Bank and review meeting was held on 04.06.2010 at Bank's Head Office. Various Intensive Programmes were introduced for day-to-day use of Hindi based on encouragement and motivation in the Bank so that the targets set up by the Government of India may be achieved

समझौता ज्ञापन TIE - UPS



16.09.2010 को पियरलेस फंड्स मैनेजमेंट कं. लि. के साथ समझौता ज्ञापन। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन और पियरलेस फंड्स मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष श्री ए.सी.चक्रवर्ती के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हुए।

MoU with Peerless Funds Management Co. Ltd on 16.09.2010. CMD Shri Bhaskar Sen and Shri A C Chakraborti, Chairman, Peerless Funds Management Co. Ltd exchanging documents



14.12.2010 को मेटलाइफ के साथ समझौता ज्ञापन। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन की उपस्थिति में श्री आर रेलन, एम डी, मेट लाइफ एवं महाप्रबंधक श्री एस.एल.घोषाल दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हुए।

MoU with MetLife on 14.12.2010. In presence of CMD Shri Bhaskar Sen, Shri SL Ghosal, GM and Shri R. Relan MD- MetLife exchanging documents.

सितंबर - अक्टूबर, 2010 के दौरान हिन्दी दिवस/हिन्दी माह के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। हिन्दी में कामकाज का परिवेश निर्मित करने के लिए बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में तीन दिवसीय 11 हिन्दी कार्यशालाओं एवं 14 हिन्दी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान 86 अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी परीक्षाओं (प्रवीण एवं प्राज्ञ) में उत्तीर्ण हुए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता का संयोजक होने के नाते बैंक ने वर्ष में 'नराकास' (बैंक) की दो बैठकें आयोजित कीं। इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से द्वितीय पुरस्कार - स्वरूप राजभाषा शिल्ड प्राप्त हुआ। बैंक को यह पुरस्कार 24.03.2011 को सिक्किम (गंगटोक) में आयोजित पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजभाषा सम्मेलन में दिया गया।

बैंक नियमित रूप से तिमाही आधार पर हिन्दी पत्रिका 'युनाइटेड दर्पण' का प्रकाशन कर रहा है तथा कार्यपालकों के लिए एक हिन्दी नोटिंग पुस्तिका मुद्रित कराई गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक का वेबसाइट अद्यतन है एवं उसमें प्रदर्शित सूचनाएँ हिन्दी में भी उपलब्ध हैं। 31.03.2011 तक विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में 15800 हिन्दी साफ्टवेयरयुक्त कंप्यूटर संस्थापित हैं। श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, निजाम पैलेस, कोलकाता ने 13.01.2011 को बैंक के प्रधान कार्यालय का दौरा किया तथा बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक के पास चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा पश्चिम बंगाल में बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, असम में असम ग्रामीण विकास बैंक, त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एवं मणिपुर में मणिपुर ग्रामीण बैंक। सभी चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संयुक्त कुल व्यवसाय स्थिति अधोलिखित :

in the prescribed time frame. During September-October 2010, Hindi Competitions were organized on the occasion of Hindi Day/ Hindi Month. To create an atmosphere of working in Hindi, 11 nos. of Hindi Workshops and 14 nos. of Hindi Computer Training Programmes were organized at Bank's Staff Training College, Kolkata. During the year 86 Officers/Employees have passed Hindi Examination (Praveen and Pragna).

The Bank organized two meetings under the banner of the Town Official Language Implementation Committee (Banks), Kolkata in capacity of being the Convenor. For its distinguished performance, the Bank was awarded with 2nd prize (Rajbhasha Shield) by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India and bank has received the prize in the Official Language Conference of East and North Eastern Region held on 24.03.2011 at Sikkim (Gangtok).

Bank is publishing its quarterly Hindi Magazine 'United Darpan' regularly and a Hindi noting Booklet published for Executives of the Bank. Besides, Bank's Website has been updated and information in Hindi is also available. Number of Computers installed with Hindi Software in different branches/offices stands 15,800 as on 31.03.2011. Sri Rakesh Kumar, Dy. Director (Implementation), Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Nizam Palace, Kolkata, visited the Head Office of the Bank on 13.01.2011 for inspection to oversee the compliance of Official Language Policy of the Government in our Bank.

13. Performance of Sponsored Regional Rural Banks

The Bank has four sponsored RRBs viz., Bangiya Gramin Vikash Bank in West Bengal, Assam Gramin Vikash Bank in Assam, Tripura Gramin Bank in Tripura & Manipur Rural Bank in Manipur. The combined aggregate business positions of all the four-sponsored RRBs are as follows:

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर SIGNING OF MOUs



14.12.2010 को अशोक लेलैंड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन की उपस्थिति में महाप्रबंधक श्री पी. के. रॉय अशोक लेलैंड लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी श्री के श्रीधरन के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।

MoU with Ashok Leyland Ltd on 14.12.2010. In presence of CMD Shri Bhaskar Sen, Shri P. K. Roy, GM and Shri K. Sridharan, CFO, Ashok Leyland Ltd exchanging documents.



यू आई डी ए आई के साथ 13.08.2010 को समझौता ज्ञापन। कार्यपालक निदेशक श्री एस.एल बंसल की उपस्थिति में महाप्रबंधक श्री ए. नन्दा और यू आई डी ए आई के ए डी जी श्री राजेश बंसल दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।

MoU with UIDAI on 13.08.201. In presence of ED Shri S. L. Bansal, Shri A. Nanda, GM and Shri Rajesh Bansal, ADG, UIDAI exchanging documents.

(₹ करोड़ में)				
	को स्थिति		को समाप्त वर्ष के दौरान विकास (%)	
	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011
कुल व्यवसाय	15,435.56	18679.55	21.29	21.02
जमा	10751.48	12715.71	21.42	18.27
अग्रिम	4684.08	5963.84	20.93	27.32

(Amount in ₹/crore)				
	Position as on		Growth (%) during the year ended on	
	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011
Total Business	15,435.56	18,679.55	21.29	21.02
Deposit	10,751.48	12,715.71	21.42	18.27
Advance	4,684.08	5,963.84	20.93	27.32

31.03.2011 तक चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 301 शाखाएँ सी बी एस हो गई हैं एवं 2011 तक इनकी सभी शाखाओं को सी बी एस कर दिए जाने की योजना है। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 729 ग्रामों को अपने दायरे में लिया है।

The four sponsored RRBs have migrated 301 branches to CBS platform by 31.03.2011 and have planned to migrate all their branches to CBS by August 2011. Under Financial Inclusion Plan the RRBs have also covered 729 villages with population above 2000.

14. निदेशक मंडल

14. Constitution of Board of Directors

बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उद्यमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार होता है।

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

श्री एस. एल. बंसल, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्रीमती सुरेखा मरांडी, भारतीय रिजर्व बैंक की नामित निदेशक, श्री श्रेनिक सेट, गैर - शासकीय निदेशक तथा श्री सौमेन मजुमदार, शोयरधारक निदेशक ने वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण किया। निदेशक मंडल गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है।

Sri S L Bansal, Executive Director of the Bank, Smt. Surekha Marandi, Reserve Bank of India Nominee Director, Sri Srenik Sett, Non Official Director and Sri Saumen Majumder, Shareholder Director joined the Board during the year and the Board of Directors extends a warm welcome to all of them.

वर्ष के दौरान श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय, भा. रि. बैंक के नामित निदेशक तथा श्री सुप्रीत सरकार, अधिकारी कर्मचारी निदेशक बैंक के निदेशक पद से मुक्त हुए। बोर्ड के कार्यों में उनके बहुमूल्य योगदान हेतु निदेशक मंडल उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है एवं उनकी सराहना करता है।

Sri Tulsidas Bandyopadhyay, RBI Nominee Director and Sri Suprita Sarkar, Officer Employees Director vacated their respective offices during the year. The Board of Directors places on records its sincere gratitude and profound appreciation for the valuable contribution made by them to the functioning the Board.

शाखाओं का शुभारम्भ

INAUGURATION OF BRANCHES



श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिवबारी रोड शाखा, सिलचर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD addressing during the inauguration of Shibbari Road Branch, Silchar



श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उखरुल मिनी सेक्रेट्रिएट शाखा, मणिपुर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD addressing during the inauguration of Ukhrul Mini Secretariat Branch, Manipur

वर्तमान बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से है :

The present composition of category of the Board of Directors are furnished herein below :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकत्व की प्रकृति	कार्य ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.03.2010
2	श्री एस.एल.बंसल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	01.04.2010
3	श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती - भारत सरकार	गैर-कार्यपालक	12.05.2009
4	श्रीमती सुरेखा मरांडी	नामिती भा.रि.बैंक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	30.07.2010
5	डा. नयना शर्मा	गैर कार्यलयीन निदेशक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	15.07.2008
6	श्री श्रेनिक सेठ	गैर- शासकीय निदेशक	गैर- कार्यपालक स्वतंत्र	06.10.2010
7	श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार निदेशक	गैर-कार्यपालक	13.01.2010
8	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	27.11.2010

Sl. No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1	Sri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director	Executive	01.03.2010
2.	Sri S. L. Bansal	Executive Director	Executive	01.04.2010
3.	Sri Sanjeev Kumar Jindal	Nominee -GOI	Non-Execu- tive	12.05.2009
4.	Smt. Surekha Marandi	Nominee -RBI	Non-Execu- tive Independent	30.07.2010
5.	Dr. Naina Sharma	Non-Official Director	Non-Execu- tive Independ- ent	15.07.2008
6.	Sri Srenik Sett	Non-Official Director	Non-Execu- tive Independ- ent	06.10.2010
7.	Sri Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director	Non-Execu- tive	13.01.2010
8.	Sri. Saumen Majumder	Shareholder Director	Non-Execu- tive Independ- ent	27.11.2010

कार्पोरेट वित्त शाखाओं का शुभारम्भ

INAUGURATION OF CORPORATE FINANCE BRANCHES



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 17 मार्च, 2011 को दिल्ली में कार्पोरेट वित्त शाखा का उद्घाटन करते हुए।

CMD inaugurates Corporate Finance Branch at Delhi on 17th March, 2011.



कार्यपालक निदेशक 21 मार्च, 2011 को कोलकाता में कार्पोरेट वित्त शाखा का उद्घाटन करते हुए।

ED inaugurates Corporate Finance Branch at Kolkata on 21st March, 2011.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 29 मार्च, 2011 को मुंबई में कार्पोरेट वित्त शाखा का उद्घाटन करते हुए।

CMD inaugurates Corporate Finance Branch at Mumbai on 29th March, 2011.

बोर्ड एवं समिति की बैठकें

वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुईं। समिति की बैठकों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति	19 बैठकें
निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति	8 बैठकें
शेयरधारकों की समिति	5 बैठकें
निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति	4 बैठकें
अधिक राशि की धोखाधड़ी की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति	4 बैठकें
ग्राहक सेवा समिति	4 बैठक
प्रोन्नति से संबंधित निदेशकों की समिति	1 बैठक
पारिश्रमिक समिति	1 बैठक
उच्चाधिकार प्राप्त समिति	3 बैठकें
निदेशक मंडल की सू.प्रौ. उप समिति	4 बैठकें
नामन समिति	1 बैठक

15. निदेशकों का दायित्व विवरण

निदेशक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वार्षिक लेखा को तैयार करने में:

लागू होने योग्य लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और यदि कोई तथ्यात्मक व्यतिक्रम हुआ है तो उसकी समुचित व्याख्या दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देशों के अनुरूप निर्मित लेखांकन नीतियों का सतत प्रयोग किया गया है।

उचित एवं विवेक सम्मत निर्णय लिए गए हैं एवं प्राक्कलन किए गए ताकि 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक के काम और लाभ का सही और स्पष्ट चित्र दिख सके।

Board & Committee Meetings

During 2010-11 the Board of Directors met 10 times. The details of Committee Meetings are as under

Management Committee of the Board of Directors	19 meetings
Audit Committee of the Board of Directors	8 meetings
Shareholders Committee	5 meetings
Risk Management Committee of the Board of Directors	4 meetings
Special Committee to Review High Value Frauds	4 meetings
Customer Service Committee	4 meetings
Director's Promotion Committee	1 meeting
Remuneration Committee	1 meeting
High Powered Committee	3 meetings
IT Sub-Committee of Board	4 meetings
Nomination Committee	1 meeting

15. Director's Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2011:

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year ended on 31st March, 2011.

समारोह

CELEBRATIONS



श्री एस. एल. बंसल, कार्यपालक निदेशक 23 जनवरी, 2011 को मोहन बागान एथलेटिक क्लब, कोलकाता में आयोजित बैंक के वार्षिक खेलकूद 2011 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए।

Shri S. L. Bansal, ED garlanding the photo of Netaji Suhash Chandra Bose at Bank's Annual Sports Meet 2011 organized on 23rd January, 2011 at Mohan Bagan Athletic Club, Kolkata.



देश के 62वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित चित्र कला प्रतियोगिता के एक नई प्रतियोगी के पुरस्कृत चित्र के साथ श्रीमती एवं श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Smt & Shri Bhaskar Sen, CMD with the winning Art-work of a buddy participant of the Sit & Draw Competition organized for the children on 62nd Republic Day of the country.



लेखांकन अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है और यह भारत में बैंकों के अभिशासन हेतु कानून के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुरूप है। इस लेखा को प्रचलित आधार पर तैयार किया गया है।

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with applicable provisions of laws governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

16. प्रस्तावित लाभांश

निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2011 को हुई इसकी बैठक में बैंक के उन सभी शेयर धारकों को, जिनका नाम रिकार्ड तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में होगा, उन्हें 22% की दर से अर्थात् 10 रूपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर के लिए 2.20 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश देने की संस्तुति की है, बशर्ते शेयर धारकों एवं उपयुक्त नियामक प्राधिकारी का अनुमोदन हो। इसकी वजह से लाभांश एवं लाभांश कर पर 88.06 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

16. Proposed Dividend

The Board of Directors at its meeting held on April 29, 2011 have recommended, subject to the approval of the shareholders and appropriate regulatory authorities, final dividend at the rate of 22% i.e. ₹ 2.20 per equity share of face value of ₹ 10/- each, to all equity shareholders of the Bank whose names appear on the Register of Members on the record date. This will entail an outgo of ₹ 88.06 crore on account of Dividend and Dividend Tax.

17. अभिस्वीकृति :

निदेशक मंडल ने यह इच्छा जतायी कि ग्राहकों से प्राप्त संरक्षण एवं सहयोग के लिए बोर्ड द्वारा की गई सराहना को रिकार्ड में रखा जाए। बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, अन्य नियामक एजेंसियों तथा राज्य स्तरीय अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन तथा उत्कृष्ट सहयोग को भी रिकार्ड में रखने की इच्छा जतायी। निदेशक मंडल ने प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की प्रशंसनीय सेवाओं की सराहना की।

17. Acknowledgement

The Board of Directors wishes to place on record its appreciation to the patronage and cooperation received from all the stakeholders. The Board also likes to place on record the valuable guidance and excellent support extended by the Reserve Bank of India, Government of India, State Government of West Bengal, other regulatory agencies and all other State level financial institutions. The Board of Directors appreciates the commendable services of the employees at all levels.

कृते निदेशक मंडल

भास्कर सेन

(भास्कर सेन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18 जून, 2011

स्थान : कोलकाता

For and on behalf of the Board of Directors

(Bhaskar Sen)

Chairman & Managing Director

Date : June 18, 2011

Place : Kolkata

बैठक MEETING



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोलकाता में कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ हुई एक बैठक में उनसे विचार-विमर्श करते हुए।

CMD interacting with the Cold Storage Owners during a meet at Kolkata.



बैंक द्वारा कोलकाता में आयोजित असाधारण आम बैठक में श्री सोमन मजुमदार, निदेशक, भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस एल बंसल, कार्यपालक निदेशक एवं श्री श्रेनिक सेट, निदेशक।

Shri Saumen Majumder Director, Shri Bhaskar Sen, CMD, Shri S.L.Bansal, ED & Shri Srenik Sett, Director at the Bank's Extra Ordinary General Meeting organized at Kolkata

1. वर्ष 2010 - 11 के लिए आर बी आई की मौद्रिक नीति

1.1 वर्ष 2010-11 की वार्षिक मौद्रिक नीति एक जटिल आर्थिक पृष्ठभूमि में निर्मित की गई थी। जारी नीतिगत समर्थन एवं उन्नत वित्तीय बाजार अवस्था के बीच वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार जारी रहा। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (इ एम डी एस) द्वारा लागू की गई वूसली प्रक्रिया विशेषकर एशिया में विकसित अर्थव्यवस्था में वृद्धि कमजोर रही। यू एस एवं यूरो क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10% के करीब थी। यूरोप में कुछ देशों की राजकोषीय संवेदनशीलता के चलते आर्थिक वसूली का प्रभाव दूरगामी रहा। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति सुव्यवस्थित रही। उभरती बाजार व्यवस्थाओं (इ एम डी एस) विशेषकर एशिया में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही थी। अतः कुछ इ एम डी एस के केंद्रीय बैंकों द्वारा चरणबद्ध रूप में उनकी मुद्रानीति को उदार किया गया।

1.2 वर्ष 2010-11 में मुद्रानीति का समग्र उद्देश्य निम्नलिखित रूप में थे :

- मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश लगाना तथा भविष्य में मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने हेतु यथोचित, त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से तैयार रहना।
- बिना किसी बाधा के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही ऋण हेतु माँग में वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से चलनिधि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- कीमत, उत्पादन तथा वित्तीय स्थिरता के सामंजस्य के साथ ब्याजदर को बनाए रखना।

1.3 बैंक दर 6% अपरिवर्तित रहा। अनुसूचित बैंकों का नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) 25 आधार बिन्दु द्वारा वर्धित करते हुए उनके शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं (एन डी टी एल) के अनुरूप 5.7% से 6.0% किया गया। रेपोदर 25 आधार बिन्दु द्वारा 5.0% से 5.25% वर्धित किया गया। प्रारक्षित रेपो दर 25 आधार बिन्दु द्वारा वर्धित करते हुए 3.5% से 3.75% किया गया।

कुछ अन्य उपाय सम्मिलित किए गए :

- बेंचमार्क प्रमुख उधार दर पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों तथा विभिन्न हितधारकों के सुझाव पर बैंकों ने 01 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली को अपनाया।
- बैंकों से अनुरोध किया गया कि एम एस एम डी एस पर उच्चस्तरीय कार्य दल की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए एम एस डी सेक्टर में विशेषकर माइक्रो उद्यमियों को ऋण प्रवाह में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।
- आर बी आई प्रत्येक बैंक के साथ वित्तीय समावेशन पर चर्चा करके उनके अनुपालन हेतु निगरानी रखेगा।
- यह प्रस्तावित किया गया कि अपेक्षित विधायी संशोधन/ढांचा के साथ बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी संरचना लागू करने हेतु एक रूपरेखा की अनुशंसा करने के लिए सरकार, रिजर्व बैंक, सेबी, आई आर डी ए तथा आई बी ए के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए एक कार्यदल गठित किया जाए।
- मूल्यांकन समायोजन तथा चलनिधि स्थिति विवेचन हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए आर बी आई ने प्रस्तावित किया है कि रिजर्व बैंक, एफ आई एम एम डी ए, आई बी ए तथा कुछ बैंकों से सदस्यों को शामिल करते हुए

1. MONETARY POLICY OF THE RBI FOR 2010-11

1.1 The annual monetary policy for 2010-11 was set against a rather complex economic backdrop. The global economy continues to recover amidst ongoing policy support and improving financial market conditions. The recovery process was led by EMEs, especially those in Asia, as growth remained weak in advanced economies. Unemployment rate in the US and the Euro area were close to 10%. Prospects of economic recovery in Europe were clouded due to acute fiscal strains in some countries. In major advanced economies inflation expectations remained well-anchored. EMEs, especially in Asia inflation had been rising prompting central banks in some EMEs to begin phasing out their accommodative monetary policies.

1.2 The overall stance of monetary policy in 2010-11 was intended to:

- Anchor inflation expectations, while being prepared to respond appropriately, swiftly and effectively to further build-up of inflationary pressures.
- Actively manage liquidity to ensure that the growth in demand for credit by both the private and public sectors is satisfied in a non-disruptive way.
- Maintain an interest rate regime consistent with price, output and financial stability.

1.3 Bank rate was kept unchanged at 6.0%. The Cash Reverse Ratio (CRR) of scheduled banks was increased by 25 basis points from 5.7% to 6.0% of their net demand and time liabilities (NDTL). The Repo Rate was increased by 25 basis points from 5.0% to 5.25%. The Reserve Repo Rate was also increased by 25 basis points from 3.5% to 3.75%.

Some of the other measures included:

- Based on the recommendations of the Working Group on Benchmark Prime Lending Rate and the suggestions from various stake holders, banks were mandated to switch over to the system of Base Rate from July 1, 2010.
- Banks were urged to keep in view the recommendations made by the High Level Task Force on MSMEs and take effective steps to increase the flow of credit to the MSE sector, particularly to micro enterprises.
- The RBI would discuss Financial Inclusion Plans with individual banks and would closely monitor their implementation.
- It was proposed to constitute a Working Group with the representatives from the Government, the Reserve Bank, the SEBI, the IRDA and the IBA to recommend a roadmap for the introduction of a holding company structure for banks together with the required legislative amendment/ framework.
- In order to ensure that a consistent methodology is adopted by banks for Valuation Adjustment and Treatment of Illiquid Positions, RBI proposed to constitute a Working Group with



एक यथोचित रूपरेखा की अनुशंसा के लिए कार्यदल का गठन किया जाए।

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) में निर्बाध स्थानांतरण हेतु निम्नांकित प्रस्ताव किए गए :
- आई एफ आर एस की संपरिवर्तन प्रक्रिया के आशय का अध्ययन करना तथा यथोचित परिचालनगत दिशा निर्देश जारी करना।
- बैंकों एवं अन्य इकाईयों की रूपरेखा के अनुपालन की दृष्टि से अध्ययन के माध्यम से सूचना का प्रसार करना।
- मूलभूत संरचनागत ऋण के संबंध में उपलब्ध निलंब लेखा के निश्चित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया कि :
- चालू निर्धारण 20% के बदले मूलभूत ऋण लेखा जिसे उप-मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है उसके लिए 15% का प्रावधान होगा। इस प्रकार कम प्रावधान की सुविधा प्राप्त करने के लिए बैंकों के पास एक यथोचित तंत्र होना चाहिए जिससे कि नकदी प्रवाह को निलंब किया जाए एवं ऐसे नकदी प्रवाह हेतु एक स्पष्ट तथा विधिगत प्रथम दावा करने का प्रावधान हो।
- वर्तमान विनियामक मानदंडों की समीक्षा करने एवं आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) को अच्छे ढंग से संचालन की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया कि :
- बैंकों को उसी बैंक के साथ सावधि जमा, दैनिक जमा अथवा आवर्ती जमा को अन्य सावधि जमा में परिवर्तन करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य

सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी)

2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान दिखा और यह उत्थान जारी है। 2010-11 में अर्थव्यवस्था के विस्तार संबंधी 8.6% के पूर्ववर्ती प्राक्कलन की जगह इसमें 8.5% का विस्तार हुआ। यह 2009-10 के 7.3% से अधिक रहा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण 2008-09 में विकास की दर 6.7% हो गई थी जबकि इसके पहले के तीन वर्षों में यह विकास औसतन 9% से अधिक था। 2009-10 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ और 7.3% के विकास के स्तर को हासिल किया जा सका। सकल घरेलू उत्पाद में क्रमिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान को दर्शाता है। इस वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% की दमदार वृद्धि दिखी और तीसरी तिमाही में यह कम होकर 8.2% हो गयी। चौथी तिमाही में इसमें और कमी आयी और यह 7.8% रही। संपूर्ण वित्तीय वर्ष में इसमें 8.5% की वृद्धि हुई।

2010-11 में विकास के क्षेत्र में मुख्य योगदान कृषि क्षेत्र में संतोषजनक उत्पादन, निजी उपभोग में तीव्र वृद्धि और सकल मीयादी पूंजी निर्माण का रहा। विकास में मुख्य तेजी कृषि क्षेत्र से आयी जो सामान्य मौनसून के कारण अच्छी हुई। सेवा क्षेत्र के अधिकांश खंडों में अच्छी प्रगति ने इस गति को बनाए रखा - वावजूद इसके, कि सरकारी खर्च संबंधी सेवाओं में गति कुछ धीमी रही। निजी उपभोग और निवेश 2010-11 में भारत के वित्तीय बाजार में अस्थिरता और खामोशी की अवधि भी दिखी। वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू विकास का प्रभाव भारतीय वित्तीय बाजार पर पड़ा। तथापि सतत बरकरार रही मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा अधिक होने की चुनौती के बावजूद अधिकांशतः यह व्यवस्थित रही।

members from the Reserve Bank, FIMMDA, the IBA and a few banks to recommend an appropriate framework.

- In order to facilitate smooth migration to International Financial Reporting Standards (IFRS), it was proposed:
- To undertake a study of the implications of the IFRSs convergence process and also to issue operational guidelines as appropriate.
- To disseminate information through learning with a view to preparing banks and other entities to adhere to the roadmap.
- In view of certain safeguards such as escrow accounts available in respect of infrastructure lending, it was proposed that:
- Infrastructure loan accounts classified as sub-standard will attract a provisioning of 15% instead of the current prescription of 20%. To avail of this benefit of lower provisioning, banks should have in place an appropriate mechanism to escrow the cash flows and also have a clear and legal first claim on such cash flows.
- On a review of the extant regulatory norms and in order to facilitate better asset-liability management (ALM), it was proposed:
- To permit banks to formulate their own policies towards conversion of term deposits, daily deposits or recurring deposits in another term deposits with the same bank.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

Gross Domestic Product (GDP)

The Indian economy has shown resilience during 2010-11 and continues to go ahead. During 2010-11, the Indian economy expanded 8.5%, against earlier estimate of 8.6%, but up from 7.3% in 2009-10. The global economic crisis brought down growth to 6.7% in 2008-09 from an average of over 9% in the preceding three years. Indian economy improved considerably in 2009-10 and achieved a growth level of 7.3%. This gradual improvement in the GDP growth reflects the resilience of the Indian economy. In the first two quarters of the year GDP had grown by robust 8.9% and slowed down to 8.2% in the third quarter of the fiscal. In the fourth quarter growth was further slowed down to 7.8%. For the entire fiscal the economy expanded 8.5%.

Satisfactory production of the agriculture sector, sharp pick-up in private consumption and gross fixed capital formation are the major contributors to growth during 2010-11. While main impetus to the growth came from agriculture which benefited from a normal monsoon, the services sector maintained momentum in most of its segment in spite of some deceleration in the government spending related services. Private consumption and investment were the key drivers of growth in 2010-11. The year 2010-11 was marked by periods of volatility and tranquility in the Indian financial markets. Global uncertainties as well as domestic development impacted Indian financial markets. However, it remained largely orderly, despite the challenges posed by persistent inflation and high current accounts deficit.

क्षेत्रवार वृद्धि

कृषि मंत्रालय द्वारा दर्शायी गई अद्यतन स्थिति के अनुसार 2010-11 में खाद्यान्न उत्पादन 235.88 मिलियन टन होने वाला है जो एक नया रिकार्ड होगा। वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन का भविष्य बेहतर दिखने का कारण है सामान्य वर्षा और इस वर्ष (2010-11 में) खरीफ फसलों की बुवाई 7 प्रतिशत अधिक होना। 14 जनवरी 2011 तक रबी मौसम में बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई। 2010-11 में खरीफ फसल का कुल उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक होने की आशा है। कृषि मंत्रालय ने गेहूँ, दालों, तिलहन, चावल, खाद्यान्न, गन्ने और कपास जैसी रबी फसलों के उत्पादन में वृद्धि की भविष्यवाणी की है। गेहूँ और दाल जैसी दो सर्वाधिक आयातित कृषि पण्यों में पिछले वर्ष क्रमशः 80.8 और 14.66 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, उसकी जगह इस वर्ष बढ़कर यह क्रमशः 84.27 और 17.29 मिलियन टन होने की उम्मीद जताई गई है जो अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है। 2010-11 में भारतीय कृषि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यनिष्पादन हालिया गतिरोध के बावजूद समग्रतः संतोषजनक रह रहा है। अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 के बीच औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर, औद्योगिक विकास में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में इस विकास की गति का ढाँचा अस्थिर रहा और यह विकास दर दिसम्बर 2010 में 1.6 प्रतिशत से लेकर अप्रैल 2010 में 16.5 प्रतिशत तक रही। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर 2010 में औद्योगिक उत्पादन दो अंकों में रहा। नवम्बर 2010 से यह विकास पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत कम हो गया जिसका मुख्य कारण उच्च आधार (हाइ बेस) रहा। दिसम्बर 2010 में औद्योगिक विकास कम होकर पिछले 20 महीने में सबसे निचले स्तर अर्थात् 1.6 प्रतिशत पर आ गया और बाद में बढ़कर 2.5 प्रतिशत हुआ। जनवरी 2011 में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 3.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 2011 में औद्योगिक विकास 3.6 प्रतिशत पर पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष वह 15.1 प्रतिशत हुआ था। यह कमी विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र में आई कमी के कारण हुई। नवम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक - इन चार महीनों में यह विकास 4 प्रतिशत से नीचे रहा। पूंजीगत वस्तुओं और विनिर्माण क्षेत्र में दमदार वृद्धि के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन उन चार महीनों के दौरान हुए फीके कार्यनिष्पादन के बाद मार्च 2011 में 7.3% हो गया। यद्यपि मार्च में 7.3% का औद्योगिक विकास परिस्थिति के मद्देनजर उच्चतर तो कहा जा सकता है किंतु मार्च 2010 में हुए 15.5% के प्रभावकारी विकास के साथ इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति इस वर्ष चिंता का विषय बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक के पैमानों पर समग्र मुद्रास्फीति अप्रैल 2010 में 11 प्रतिशत थी जो फरवरी 2011 में कम होकर 8.31 प्रतिशत हो गई। अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 के बीच यह 9.3 प्रतिशत थी जबकि 2009-10 की उक्त अवधि में यह महज 3 प्रतिशत थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दूसरी बार अपने प्राक्कलन में संशोधन करते हुए मार्च के अंत तक इसके 8 प्रतिशत होने की संभावना व्यक्त की है। थोक मूल्य सूचकांक पैमानों पर आधारित मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2010 में कम होकर 8.58 प्रतिशत थी और इसका कारण खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में मुद्रास्फीति में हुई कमी है। फिर नवम्बर में यह ग्यारह महीने के सर्वनिम्न स्तर 7.48 प्रतिशत पर आ गई किंतु पुनः दिसम्बर 2010 में

Sectoral Growth

Food grain production is set to touch an all time record of 235.88 million tonnes in 2010-11 as per the latest projection of the agriculture ministry. The prospect of agricultural performance during the year is brightened by the normal rainfall and higher sowing during the year. The areas sown during kharif 2010-11 was 7 per cent higher than that of last year. The areas sown in rabi season till January 14, 2011 also had surpassed the levels achieved during the corresponding period of last year. Total kharif food grain production during 2010-11 is estimated to be 10.4 per cent higher than the previous year. The production forecast for rabi crop such as wheat, pulses, oil seeds, rice, cereals, sugarcane and cotton is raised by the agriculture ministry. The two most imported agricultural commodities – wheat and pulses are expected to rise from 80.8 and 14.66 million tonnes in the previous year to 84.27 and 17.29 million tonnes this year said to be highest recorded production ever. India's agriculture sector is expected to grow at 5.4 per cent in 2010-11.

The performance of the industrial sector, in spite of some recent set back, continues to be satisfactory in the overall sense. Industrial growth based on index of Industrial Production (IIP) grows by 7.8 per cent during April 2010 – February 2011. The growth pattern has been volatile through the months of the current year with growth rate ranging between 1.6 per cent (December 2010) and 16.5 per cent (April 2010). In the financial year industrial output recorded double – digit growth in April, May, July and October 2010. The year-on-year growth slipped to below 4 per cent from November 2010 mainly because of the high base. In December 2010 industrial growth slowed to a 20 month low of 1.6 per cent later revised to 2.5 per cent. In January 2011, industrial output increased by 3.95 per cent from its year-ago level. Industrial growth moderated to 3.6 per cent in February, compared to 15.1 per cent a year ago, on account of a slowdown in the manufacturing and mining sectors. Growth has remained below 4 per cent for four months in a row from November 2010 to February 2011. Robust growth in capital goods and manufacturing sectors helped India's industrial output to rebound to 7.3% in March after four months of lacklustre performance. Though sequentially the industry growth in March was higher at 7.3%, it failed to match the impressive 15.5% growth in March 2010.

Inflation

Inflation has been a matter of concern during the year. Overall inflation as measured by the wholesale price index (WPI) dropped to 8.31 per cent in February 2011, from a high of 11 per cent in April 2010. Between April 2010 and February 2011, it was recorded at 9.3 per cent, as compared to 3 per cent in the corresponding period of 2009-10. The Reserve Bank revised its estimate upwards for the second time to 8 per cent for March-end. The WPI based headline inflation has moderated to 8.58 per cent in October, 2010 due to sharp moderation in food inflation. It is further moderated



इसमें उछाल आया और यह बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गई। जनवरी 2011 में यह कम होकर 8.23 प्रतिशत हुई और फिर खाद्यान्न और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण फरवरी 2011 में यह बढ़कर 8.31 हो गई। अनुकूल आधारभूत प्रभाव के कारण नवम्बर 2010 में खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्रास्फीति सर्वाधिक कम होते हुए 8.60% हो गई। 25 दिसम्बर 2010 को यह 23 हफ्ते में सर्वोच्च स्तर पर यानी 18.32 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खाद्य मूल्यों में यह वृद्धि सीमित आपूर्ति के कारण हुई है। अतः यह आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के चलते है। फरवरी 2011 के अंतिम सप्ताह में मुद्रास्फीति कम होकर एक अंकीय होते हुए 9.52 प्रतिशत हुई। 26 मार्च 2011 को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति इसके पूर्ववर्ती सप्ताह के 9.50 प्रतिशत से कम होकर पिछले चार महीने के सर्वनिम्न स्तर 9.18 प्रतिशत पर आ गई। इसके एक वर्ष पूर्व यह 21.15 प्रतिशत थी। 26 मार्च 2011 को समाप्त सप्ताह के दौरान मूल्य वृद्धि की दर 27 नवम्बर 2010 को समाप्त सप्ताह के बाद से सबसे कम थी और यह 8.69 प्रतिशत दर्ज की गई। मुद्रास्फीति दर की इस गति पर विचार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के अंत में प्राक्कलित 5.5% की मुद्रास्फीति की दर को संशोधित करके इसे पहले 7.0% किया और उसके बाद 8% कर दिया है। मुद्रास्फीति अभी भी सहजता की सीमा से काफी उपर है। आशा की जाती है कि अनाज का रिकार्ड उत्पादन आगामी महीनों में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति को स्थिर रख सकेगा किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमत मुद्रास्फीति की समग्र स्थिति पर अपना प्रभाव डाल सकती है।

मुद्रा आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2010-11 के लिए घोषित अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति (एम 3) के संबंध में 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। 25 फरवरी 2011 को यह पूर्ववर्ती महीने की स्थिति - 16.2% से नाममात्र का बढ़कर 16.5% हुआ। यह मीयादी जमा में हुई परवर्ती वृद्धि के कारण हुआ और मीयादी जमाएं मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा संघटक हुआ करती हैं। मीयादी जमाओं में 25 फरवरी 2011 को 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसके पूर्ववर्ती महीने में यह 17.1% थी। इसके अतिरिक्त लोगों के पास करेंसी की वृद्धि दर 20% रही जिसके फलस्वरूप व्यापक मुद्रा में वृद्धि हुई।

बैंकिंग एवं ब्याज दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2010-11 की वार्षिक मौद्रिक नीति में यह पूर्वानुमान लगाया था कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के सकल जमा में 18% और गैर खाद्य ऋणों में 20% की वृद्धि होगी। 2010-11 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में सकल जमा में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 52, 07, 970 करोड़ रूपए रहा। 2009-10 में यह विकास 17.2 प्रतिशत था। अनुसूचित बैंकों के कुल ऋण में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 39,42,083 करोड़ रहा जबकि 2009-10 में यह वृद्धि 16.9% हुई थी। ऋण के उच्चतर विस्तार और सकल जमाओं में कमतर विस्तार के कारण वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात 97.5 प्रतिशत रहा। इसी तरह अनुसूचित बैंकों का ऋण जमा अनुपात 25 मार्च 2011 को 75.7% था जबकि पिछले वर्ष यह 72.2% था। अनुसूचित बैंकों के गैर-खाद्य ऋण में 2010-11 में 21.3 प्रतिशत का विस्तार हुआ और यह 38, 77, 800 करोड़ रूपए हुआ। पिछले वर्ष यह 17.1% था।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रारंभ से ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने सख्त मौद्रिक नीति अपनायी और 24 अप्रैल 2010 से सी आर आर में 25 आधार बिंदु की वृद्धि करते हुए इसे 6.00

to eleven-month low of 7.48 per cent in November. But in December 2010 inflation showed upward trend and rose to 8.43 per cent. Inflation moderated to 8.23 per cent in January 2011 and again accelerated to 8.31 per cent in February 2011 driven by high food and fuel prices. The decline in food inflation to 8.60, the lowest in November 2010 was due to the favourable base effect. Food inflation rose to 18.32 per cent for the week ended December 25, 2010 its highest level in 23-weeks. Economists attribute the spurt in food prices to limited supplies. The price is due to supply-side constraints. Inflation moderated to a single digit 9.52 per cent in the week ended February 2011. Food inflation fell to a four month low of 9.18 per cent for the week ended March 26, 2011 from 9.50 per cent in the previous week and 21.15 per cent a year ago. The rate of price rise during the week ended March 26 was the lowest since the week ending November 27, 2010 when it was recorded at 8.69 per cent. Considering the direction of the inflation rate movement RBI revised its projection of year-end inflation from 5.5 per cent to 7.0 per cent and then again to 8 per cent. Inflation is still well above the comfort zone. It is expected that record grain production will keep food inflation stable in the coming months. But spiralling prices of crude oil in the international market could cast a shadow on the overall price situation.

Money Supply

Money supply (M3) growth inched up a tad to 16.5 per cent as at 25 February from 16.2 per cent a month ago against the RBI's projection of 17% in its Annual Monetary Policy for 2010-11. This was due to a further pick-up in growth in term deposits, the largest component of money supply. Term deposits growth increased to 17.6 per cent as on 25 February 2011 from 17.1 per cent a month ago. Besides, currency with public continued to grow at around 20 per cent, contributing to the growth in broad money.

Banking and Interest Rates

Reserve Bank of India in its Annual Monetary Policy for the year 2010-11 projected 18 per cent growth in aggregate deposit and 20 per cent growth in non-food credit for Scheduled Commercial Banks. In the year 2010-11, aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a growth of 15.9 per cent to reach ₹52,07,970 crore against a growth of 17.2 per cent in 2009-10. The total credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) recorded a higher growth of 21.5 per cent to ₹39,42,083 crore compared to 16.9 per cent growth during the year 2009-10. Due to higher expansion of credit and lower expansion of aggregate deposits, incremental CD Ratio stood at 97.5 per cent. Similarly, Credit Deposit Ratio of Scheduled Commercial Banks stood at 75.7 per cent as on March 25, 2011 against 72.2 per cent a year ago. Non-food credit of Scheduled Commercial Banks expanded by 21.3 per cent to ₹ 38,77,800 crore during 2010-11 against 17.1 per cent a year ago.

From the very beginning of the financial year 2010-11, Reserve Bank of India tightened Monetary Policy by raising CRR by 25 bps

प्रतिशत, रेपो रेट में 25 आधार बिंदु की वृद्धि करते हुए इसे 5.25%, और रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार बिंदु की वृद्धि करते हुए इसे 3.75% कर दिया। इसका उद्देश्य था ₹12,500 करोड़ रूपए प्रचलन से अवशोषित कर लेना। बाद में समीक्षा के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दर में छह चरणों में 150 आधार बिंदु की वृद्धि की और प्रत्येक चरणों में 25 आधार बिंदु की वृद्धि करते हुए 17.03.2011 से रेपो रेट को 6.75% और रिवर्स रेपो रेट को 5.75% किया ताकि मुद्रास्फीति पर लगाम लग सके।

जैसा कि अप्रैल 2010 के मोडिक नीति विवरण से संकेत मिलता है - आधार दर की पद्धति की शुरुआत 1 जुलाई 2010 से हुई है। आधारभूत सर्वनिम्न उधारी दर (बी पी एल आर) से आधार दर में परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम रही।

3. वाह्य क्षेत्र

पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखी। सतत् विकास की गति को बरकरार रखते हुए भारत का पण्य निर्यात 200 बिलियन डॉलर के वार्षिक लक्ष्य को पार कर गया और 2010-11 में यह 245.86 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। प्रथम ग्यारह महीने में (अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 तक) कुल निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 258.7 बिलियन से बढ़कर 305.2 बिलियन डॉलर हुआ। प्रथम तीन तिमाहियों में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 3.1% रहा। अनुमान लगाया जाता है कि अब 2010-11 के पूरे हुए वर्ष में यह कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% रहा जबकि 2009-10 में यह 2.8% था।

पिछले तीन वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि अक्टूबर 2010 में आयात के मुकाबले निर्यात में तीव्रतर वृद्धि हुई और यह 21.3% पर पहुँच गया। दिसम्बर में पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय निर्यात में 36.4% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि पिछले 33 महीने में कभी नहीं देखी गई थी। निर्यात कम होकर 11.1% हो गया जिसके कारण व्यापार घाटा 2.6 बिलियन डॉलर हो गया जो पिछले तीन वर्षों का निम्नतम स्तर है। पिछले वर्ष फरवरी में जितना निर्यात हुआ था उसकी तुलना में इस वर्ष फरवरी में 49.8% की वृद्धि हुई और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह पूर्व ही यह 200 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया। सीमा शुल्क से प्राप्त सूचना के आधार पर अप्रैल से दिसम्बर 2010-11 में व्यापार घाटे में 2.4% की वृद्धि हुई और यह 82 बिलियन डॉलर हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 80.1 बिलियन डॉलर था।

4. 2010-11 में बैंक का कार्य निष्पादन

मुख्य बिंदु

- कुल व्यवसाय ₹1,31,779 करोड़ हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 18.8% की वृद्धि हुई।
- कुल जमा राशि ₹68,180 करोड़ से बढ़कर ₹77,845 करोड़ हुई और इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 14.2% की वृद्धि हुई।
- कुल ऋण ₹42,756 करोड़ से बढ़कर ₹53,934 करोड़ हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में उसमें 26.1% की वृद्धि हुई।
- मार्च 2011 के अंत में ऋण-जमा अनुपात 69.3% रहा।
- सकल अनर्जक आस्ति अनुपात पिछले वर्ष 3.21% था जो इस वर्ष कम होकर 2.51% हो गया।
- शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात पिछले वर्ष 1.84% था जो इस वर्ष कम होकर 1.42% हो गया।
- परिचालनगत लाभ ₹1,506.99 करोड़ हुआ और इसमें 72.1% की वृद्धि हुई।

to 6.0 per cent, Repo rate by 25 bps to 5.25 per cent and Reverse Repo rate by 25 bps to 3.75 per cent. CRR was raised w.e.f. 24th April 2010 with a view to absorb ₹12,500 crore from the system. Subsequently, on review, RBI raised Repo rate and Reverse Repo rate by another 150 bps in six phases (25 bps in each phase) to 6.75 per cent and 5.75 per cent respectively w.e.f. 17.03.2011 to tame inflation.

As indicated in the Monetary Policy Statement of April 2010, the system of Base Rate came into effect on July 1, 2010. The transition from the Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) system to the Base Rate system was smooth.

3. EXTERNAL SECTOR

Exports showed remarkable buoyancy in the last quarter of last fiscal. Maintaining a steady growth momentum, India's merchandise exports exceeded the annual target of \$200 billion and touched \$245.86 billion in 2010-11. Total imports in the first 11 months (April 2010 to February 2011) of the fiscal grew 18 per cent to \$305.2 billion from \$258.7 billion. The current account deficit (CAD) was 3.1% of GDP for the first three quarters, CAD is now estimated to have moderated to around 2.5% of GDP for the full year, 2010-11 as compared with 2.8% for the year before 2009-10.

In October, 2010 exports rose faster than imports for the first time in the last three years to 21.3 per cent. In December India's export showed a remarkable growth of 36.4 per cent from last year, highest in 33 months, while imports contracted by 11.1 per cent narrowing the trade deficit to \$ 2.6 billion, the lowest in three years. In February, exports shot up 49.8 per cent over the same month last year and surpassed the \$200 billion target for the fiscal year with a month to spare. Trade deficit (on customs basis) increased by 2.4% to \$82 billion in 2010-11 (April-December) from \$80.1 billion in the corresponding period of the previous year.

4. PERFORMANCE OF THE BANK : 2010-11

Performance Highlights

- Total business at ₹1,31,779 crore registered a y-o-y growth of 18.8%
- Total deposits increased from ₹68,180 crore to ₹77,845 crore registering a growth of 14.2% on y-o-y basis
- Total advances increased from ₹42,756 crore to ₹53,934 crore recording a growth of 26.1% on y-o-y basis
- Credit Deposit ratio stood at 69.3% at the end of March 2011
- Gross NPA ratio declined to 2.51% from 3.21% last year
- Net NPA ratio stood at 1.42% as against 1.84% a year ago
- Operating profit stood at ₹1,506.99 crore up by 72.1%



- शुद्ध लाभ में 65.5% की वृद्धि हुई और यह ₹523.97 करोड़ हुआ ।
- आस्तियों पर प्रतिफल 0.66% रहा ।
- पूंजी पर्याप्तता का अनुपात 13.05% रहा ।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹7.14 करोड़ से बढ़कर ₹8.60 करोड़ हो गया ।
- 31 मार्च 2011 को शाखाओं की कुल संख्या 1597 रही ।
- 31 मार्च 2011 को ए टी एम मशीनों की संख्या 508 रही ।

- Net profit up by 62.5% to ₹523.97 crore
- Return on Assets (RoA) stood at 0.66%
- Capital Adequacy Ratio stood at 13.05%
- Business per employee increased to ₹8.60 crore from ₹7.14 crore last year
- Total number of branches stood at 1597 as on 31st March 2011
- Total number of ATMs of the Bank stood at 508 as on 31st March 2011

4.1 जमा संग्रहण

2010-11 में बैंक की कुल जमा राशि ₹68,180 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹77,848 करोड़ रही और इस तरह इसमें 14.2% की वृद्धि हुई । जमा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से बैंक ने खुदरा जमाओं - खास कर कासा जमा पर विशेष जोर दिया । इस प्रक्रिया में थोक जमा की काफी बड़ी राशि छोड़ दी है । कुल जमा में "कासा" का अंश बढ़ाने पर जोर दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2010- 11 के प्रारंभ से ही बैंक के "कासा" जमा हेतु आक्रामक प्रचार- अभियान चलाया गया । परिणाम स्वरूप बैंक को बचत जमा में 20%, चालू जमा में 28.3% और "कासा" जमा में 22.2% की वृद्धि हुई । 31 मार्च 2010 को बैंक के कुल जमा में "कासा" का अंश 38.1% था जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर 40.8% हो गया ।

4.1 DEPOSIT MOBILISATION

During the year 2010-11, Total Deposits of the Bank increased from ₹68,180 crore as on 31st March, 2010 to ₹77,848 crore as on 31st March, 2011 registering a growth of 14.2 per cent. With a view to reduce the cost of deposits, the Bank had given thrust to mobilize retail deposits specially CASA deposits. In the process, the Bank shed a substantial amount of bulk deposits. Thrust had also been given to increase the share of CASA deposits to total deposits. From the very beginning of the financial year 2010-11, the Bank had aggressively launched CASA Deposit Campaign. As a result, Bank's Savings deposits grew by 20.1 per cent, Current Deposits grew by 28.3 per cent and CASA deposits grew by 22.2 per cent. Bank's share of CASA deposits to total deposits increased from 38.1 per cent as on March 31, 2010 to 40.8 per cent as on March 31, 2011.

4.2 ऋण विनियोजन :

बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में ₹11178 करोड़ की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2011 को ₹53934 करोड़ रहा । इस तरह इस वित्तीय वर्ष में इसमें 26.1% की वृद्धि हुई । ऋण जमा का अनुपात 31 मार्च 2011 को 69.3% रहा । ऋण में यह बढोत्तरी प्रार्थमिक तौर पर आधारभूत संरचना और वृहद स्तरीय उद्योगों जैसे लौह-इस्पात, सीमेंट, वस्त्र और पेट्रोलियम उत्पाद में अधिक ऋण दिए जाने के कारण हुई । इसके अतिरिक्त बैंक के विभिन्न खुदरा उत्पादों के जोरदार विपणन, अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म एवं मध्यम (एम एस एम ई) और कृषि ऋण पर भी इस वर्ष विशेष ध्यान दिया गया । बैंक के खाद्येतर ऋण में ₹10960 करोड़ की वृद्धि हुई और यह ₹52845 करोड़ हो गया । इस तरह इसमें 26.2% की वृद्धि दर्ज की गई । 31 मार्च 2010 के अंत में खाद्य ऋण ₹871 करोड़ था जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर ₹1089 करोड़ हो गया ।

4.2 CREDIT DEPLOYMENT

The total credit portfolio of the Bank went up by ₹11178 crore and reached ₹53934 crore as on March 31, 2011, registering a growth of 26.1 % during the fiscal. Credit deposit ratio stood at 69.3 % as on March 31, 2011. Growth in credit has been achieved primarily through high growth of credit to infrastructure sector and large scale industries like Iron and Steel, Cement, Textiles and Petroleum products. In addition, intense marketing of Bank's various retail credit products, MSME and agricultural lending also received focused attention during the year. Bank's non-food credit increased by ₹ 10960 crore to ₹52845 crore, recording a growth of 26.2 %, while food credit increased to ₹1089 crore as on March 31, 2011 from ₹871 crore at the end of March, 2010.

4.2.1 खुदरा ऋण

खुदरा ऋण इस बैंक के महत्वपूर्ण ऋण क्षेत्रों में से एक है । 31 मार्च 2010 को यह ₹5726 करोड़ था जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर ₹7753 करोड़ हो गया और इसमें 35% की दमदार वृद्धि (₹2027 करोड़) दर्ज की गई । इस ऋण में वृद्धि अन्य खुदरा ऋणों के अतिरिक्त आवास ऋण में हुई 21% की वृद्धि कार ऋण में 64% की वृद्धि, व्यक्तिगत ऋण में 34% की वृद्धि और बैंक ऋण में 35% की वृद्धि की बढौलत हुई ।

4.2.1 RETAIL CREDIT

Retail credit has been one of the major focused areas of the Bank. It increased from ₹5726 crore as on 31st March 2010 to ₹ 7753 crore as on 31st March, 2011, registering a robust growth of 35% (by ₹ 2027 crore) in the portfolio. This growth has been driven by increase in Housing Loan (21%), Car Loan (64%), Personal Loan (34%) and Mortgage Loan (35%) besides other retail loan.

खुदरा ऋण के लिए एक अलग विभाग बनाकर इस ऋण के विकास का आवश्यक संवर्द्धन किया गया है और जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप इस खंड में अनर्जक आस्तियों में कमी आई है ।

Creation of a separate department of Retail Credit has given the necessary boost in the growth of retail credit products and vigorous follow up have reduced the impaired asset in this segment.

बैंक ने अपना पहला खुदरा ऋण केंद्र (रिटेल हब) (केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र) कलकत्ता उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बिधान नगर में खोला है ताकि बैंक आधारित खुदरा ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण किया जा सके । बैंक पूरे भारत में ऐसे 26 केंद्र खोलने की तैयारी में है । इसके कारण खुदरा

Bank has set up its first Retail Hub (Central Processing Centre) at Bidhannagar under Kolkata (North) Region for processing of mortgage based retail credit proposals. The Bank is in the process of set

ऋणों के प्रस्तावों का मूल्यांकन, उसकी संस्वीकृति और संवितरण की गति तेज होगी और इस ऋण की संपूर्ण प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी लाई जा सकेगी।

इस ऋण की संस्वीकृति, उसके संवितरण और विकास के क्षेत्र में हुई उपलब्धि 2009-10 की उपलब्धि को पार कर गई। 31 मार्च 2011 को खुदरा ऋण बही का 14.4% रहा और 2010 की तुलना में 1% बढ़ा। यह अपने उत्पादों का प्रति-विक्रय (क्रॉस सेलिंग) करके संभव हुआ जिसके परिणाम स्वरूप प्रति ग्राहक लागत कम और अर्जन अधिक हुआ।

4.2.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण :

मार्च 2010 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण ₹14396 करोड़ था जो मार्च 2011 में बढ़कर ₹17751 करोड़ हो गया और इसमें ₹3355 करोड़ की वृद्धि हुई। इस तरह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें 23.31% की वृद्धि हुई। 31.03.2011 को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 41.52% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिया गया।

कृषि ऋण

कृषि क्षेत्र ऋण में तुलनात्मक दृष्टि से ₹954 करोड़ की वृद्धि हुई। मार्च 2010 में यह ₹4758 करोड़ था जो मार्च 2011 में बढ़कर ₹5712 करोड़ हो गया। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस ऋण में 20.05% की वृद्धि हुई। 31.03.2011 को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 13.10% भाग कृषि क्षेत्र में दिया गया।

मध्यम एवं लघु उद्यमों को ऋण

मध्यम एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में ऋण में ₹1599 करोड़ की वृद्धि हुई और मार्च 2010 में जहाँ यह ऋण ₹5629 करोड़ था वहीं यह मार्च 2011 में बढ़कर ₹7228 करोड़ हो गया। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 28.41% की वृद्धि हुई। 31.03.2011 को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 16.91% भाग मध्यम एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में दिया गया।

कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण :

कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण प्रदाय में ₹1393 करोड़ की वृद्धि हुई। मार्च 2010 में जहाँ इस क्षेत्र में ₹3750 करोड़ का ऋण दिया गया था वहीं मार्च 2011 में इस क्षेत्र में ₹5143 करोड़ ऋण दिया गया। इस तरह इस क्षेत्र में 37.15% की वृद्धि हुई। 31.3.2011 तक समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 12.03% भाग कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण स्वरूप दिया गया जबकि पिछले वर्ष (31.3.2010 को) यह समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 10% भाग ही था।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदाय में ₹594 करोड़ की वृद्धि हुई। मार्च 2010 में इस वर्ग में ₹2085 करोड़ का ऋण दिया गया था। मार्च 2011 में यह राशि बढ़कर ₹2679 करोड़ हुई। इस तरह इसमें 28.49% की वृद्धि हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण का 15.09% अंश अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के रूप में दिया गया जबकि इस क्षेत्र में मार्च 2013 तक का राष्ट्रीय लक्ष्य 15% है।

महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को दिए गए ऋण में ₹546 करोड़ की वृद्धि हुई। मार्च 2010 में इस वर्ग में जहाँ ₹1905 करोड़ का ऋण दिया गया था वहीं मार्च 2011 में यह राशि बढ़कर ₹2451 करोड़ हुई। इस तरह इस क्षेत्र में 28.66% की वृद्धि हुई। समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 5.73% भाग महिला हिताधिकारियों को दिया गया जबकि इसका राष्ट्रीय लक्ष्य 5% है।

ting up 26 Hubs all over the country. The Hub accelerates appraisal, sanction and disbursement of retail loans reducing thereby response time drastically.

In the areas of sanction, disbursement and growth, the achievement has surpassed that of corresponding period of the previous year (09-10). As on 31st March 2011, retail credit is 14.4% of the loan book, up by 1% from 2010. This has been made possible by cross selling of products resulting in low per customer cost and higher per customer earning.

4.2.2 PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank's lending under Priority Sector has been increased by ₹3355 crore (from ₹14396 crore in March 2010 to ₹17751 crore in March 2011) representing a growth of 23.31% on a Y-o-Y basis. The percentage share of lending to priority sector amounts to 41.52% of ANBC as on 31.03.2011.

Agriculture Lending

Lending to Agriculture has been increased by ₹954 crore from ₹4758 crore in March 2010 to ₹5712 crore in March 2011 representing a growth of 20.05% on a Y-o-Y basis. The percentage share of lending to agriculture constitutes 13.10% of ANBC as on 31.03.2011.

Lending to MSE

Lending under MSE sector has been increased by ₹1599 crore (from ₹5629 crore in March 2010 to ₹7228 crore in March 2011) representing a growth of 28.41% on a Y-o-Y basis. The percentage share of lending to MSE sector is 16.91% of ANBC as on 31.03.2011.

Lending to Weaker Section

Lending to weaker section increased by ₹1393 crore (from ₹3750 crore in March 2010 to ₹5143 crore in March 2011) representing a growth of 37.15%. The share of weaker section to ANBC stands at 12.03% as on 31.03.2011 against a year end National target of 10% of ANBC.

Lending to Minority Community

Lending to Minority community increased by ₹594 crore from ₹2085 crore in March 2010 to ₹2679 crore in March 2011 representing a growth of 28.49%. The percentage share of advances to minority community to total Priority Sector advances stood at 15.09% during the period against a national target of 15% to be achieved by March'13.

Lending to Women Beneficiaries

Lending to women beneficiaries has been increased by ₹546 crore from ₹1905 crore as on 31.03.2010 to ₹2451 crore as on 31.03.2011 representing a growth of 28.66%. The percentage share of lending to women beneficiaries to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) stands at 5.73% as against national target of 5%.



कृषि ऋण की वसूली

पिछले दो सालों में कृषि ऋण की वसूली की स्थिति निम्नवत् है :

₹ करोड़ में				
अवधि	माँग	वसूली	अतिदेय	वसूली का %
जून 2009	1690.26	979.07	711.19	57.92
जून 2010	2028.26	1179.43	848.83	58.15

किसान क्लब

मार्च 2011 तक बैंक ने 345 किसान क्लबों को प्रायोजित किया। मार्च 2010 तक यह संख्या 325 थी। 01.04.2010 से लेकर 31.03.2011 तक जमा संग्रहण, ऋणों की वसूली आदि में इन किसान क्लबों की भूमिका संतोषजनक रही।

शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया कि वे ऐसी पहल करें कि प्रत्येक ग्रामीण शाखा कम से कम दो किसान क्लबों को प्रायोजित करे ताकि अनर्जक आस्ति खातों से वसूली के अतिरिक्त जमा संग्रहण और कृषि ऋण प्रस्तावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे साझेदारी विकसित की जा सके। शाखाओं को यह भी सलाह दी गई कि वे अकार्यकर स्थिति में पड़े सभी किसान क्लबों को पुनर्जीवित करें। इन किसान क्लबों में से कुछ किसान क्लबों को व्यवसाय सुविधा प्रदाता के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड

2010-11 में बैंक की ओर से कुल 64510 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिनके अंतर्गत कुल उधार-सीमा ₹287 करोड़ रही। 2009-10 में कुल 41520 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे जिसके अंतर्गत उधार सीमा ₹115 करोड़ थी। 31.03.2011 को 242484 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना बाकी था जिसके अंतर्गत कुल उधार सीमा ₹638 करोड़ थी। 31.03.2010 को 177974 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना बाकी था जिसके अंतर्गत कुल उधार सीमा ₹402 करोड़ थी। 2010-11 में के सी सी की संख्या में 36.25% और राशि में 58.71% की वृद्धि दर्ज की गई।

स्वयं सहायता समूह

2010-11 में बैंक ने 10700 स्वयं सहायता समूहों से ऋण संपर्क स्थापित किया और ₹65.58 करोड़ का ऋण दिया। 2009-10 में 2861 स्वयं सहायता समूहों से ऋण संपर्क किया गया था और ₹24.81 करोड़ का ऋण दिया गया था।

मार्च 2010 और 2011 में स्वयं सहायता समूहों की बकाया स्थिति निम्नवत् रही :

माह एवं वर्ष	ब.खा.संपर्क		ऋण संपर्क	
	संख्या	राशि (करोड़ ₹ में)	संख्या	राशि (करोड़ ₹ में)
मार्च 2010	84995	83.27	53451	180.21
मार्च 2011	104567	108.00	64151	245.79

विभेदक ब्याज दर (डी आर आई)

31.03.2010 को इस वर्ग में ₹5.37 करोड़ का ऋण दिया गया था जो 31.03.2011 को समाप्त वर्ष में बढ़कर ₹13.26 करोड़ हुआ। इस तरह ₹75.00 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए इसमें 147.07% की वृद्धि दर्ज की गई।

Recovery of Agricultural Advance:

The position of recovery in agricultural advances for the last two years is given below.

(Amount in ₹ crore)				
Period	Demand	Recovery	Overdue	% of Recovery
June 2009	1690.26	979.07	711.19	57.92
June 2010	2028.26	1179.43	848.83	58.15

Farmers' Club

Bank has sponsored 345 Farmers' Clubs up to March 2011 against 325 Farmers' Clubs as on March 2010. The performance of Farmers' clubs in deposit mobilisation, recovery of loans, etc. during the period from 01.04.2010 to 31.03.2011 is satisfactory.

Branches and Regional Offices were instructed to initiate steps for sponsoring at least two new farmers' club by each rural branch for developing partnership with them for getting both deposit and generation of agriculture loan proposals besides recovery of loans and recovery from NPA accounts. Branches were also advised to take necessary efforts for revival of all defunct Farmers' Clubs. Some of these Farmers' Clubs are being utilized as Business Facilitators.

Kisan Credit Card

Bank has issued 64510 fresh Kisan Credit Card (KCC) during 2010-11 with credit limits of ₹287 crore against 41520 of KCC with disbursement of ₹115 crore during 2009-10. As on 31.3.2011 the outstanding number of KCC issued was 242484 with aggregate credit limit of ₹638 crore against an amount of ₹402 crore to 177974 KCC holders as on 31.03.2010. The growth of KCC in numbers and amount during the year 2010-11 were 36.25% and 58.71% respectively.

Self Help Group

During 2010-11 the Bank established credit linkages with 10700 SHGs providing credit of ₹65.58 crore and as compared to credit linkages of 2861 SHG groups with an amount of ₹24.81 crore during 2009-10.

The outstanding position of SHG as on March'10 & March'11 are as under:

As on	SB linkage		Credit linkage	
	No.	Amount in ₹crore	No.	Amount in ₹crore
March 2010	84995	83.27	53451	180.21
March 2011	104567	108.00	64151	245.79

Differential Rate of Interest (DRI)

Advance under DRI Scheme which was ₹5.37 crore as on 31.03.2010 increased to ₹13.26 crore as on 31.03.2011 registering a growth of 147.07% as against a target of ₹75.00 crore.

₹ करोड़ में			
31.03.2010 तक विभेदक ब्याज दर ऋण		31.03.2011 को विभेदक ब्याज दर पर ऋण	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
4630	5.37	10945	13.26

अन्य पहले

2010- 11 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र - खासकर कृषि एवं लघु उद्योग ऋण के क्षेत्र में विकास हेतु निम्नलिखित पहलें की गईं/रणनीति को कार्यकर किया गया :

- कृषि अधिकारियों की नियुक्ति

चालू वित्तीय वर्ष में 113 कृषि स्नातकों की नियुक्ति की गई और ऐसी शाखाओं में उनको तैनात किया गया जिनमें कृषि ऋण को बढ़ाने की संभावना थी ताकि कृषि और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में समग्र विकास हो सके ।

- जन श्री बीमा योजना (जे बी वाई)

गरीबी रेखा से नीचे अथवा इस रेखा के हाशिए से थोड़ा उपर जीवन-यापन करनेवाली स्वयं सहायता समूह से ऋण प्राप्त ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए जीवन सह दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने जन श्री बीमा योजना की शुरूआत की है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक ने तालमेल व्यवस्था की है। बैंक ने 2010- 11 में इस योजना में स्वयं सहायता समूह की 3556 महिलाओं को शामिल किया है ।

4.2.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

31.03.2011 तक इस क्षेत्र में बैंक- ऋण की मुख्य बातें निम्नवत हैं :

- 31.03.2011 तक बैंक ने इस क्षेत्र में कुल 7228 करोड़ रूपए ऋण दिया है जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 16.91% है। 31.03.2010 को यह 15.76% था।
- इस क्षेत्र में मार्च 2010 में बैंक ने 5629 करोड़ रूपए ऋण दिया था जबकि 31 मार्च 2011 को बढ़कर यह 7228 हो गया । इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 28.41% की वृद्धि हुई ।
- बैंक का माइक्रो ऋण 31.03.2010 तक 3795 करोड़ रूपए था जो 31.03.2011 को बढ़कर 4538 करोड़ रूपए हुआ और इस तरह इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19.58% की वृद्धि हुई ।
- बैंक का लघु उद्यम ऋण 31.03.2010 को 1834 करोड़ रूपए था जो 31.03.2011 को बढ़कर 2690 करोड़ रूपए हो गया और इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 46.67% की वृद्धि हुई ।
- 31.03.2011 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण का 62.78% भाग सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों को दिया गया जबकि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य 60% है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संघटक हैं और 31.03.2011 तक समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 16.91% भाग और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 40.72% भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है।
- 31.03.2011 तक बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र को कुल ₹8214 करोड़ का ऋण दिया है। इसमें वर्ष-दर-वर्ष 27.21% की वृद्धि हुई है।

(₹/crore)			
DRI Advance as on 31.03.2010		DRI Advance as on 31.03.2011	
No. of Account	Amount	No. of Account	Amount
4630	5.37	10945	13.26

Other Initiatives

The following initiatives / strategies were taken by the Bank during 2010-11 for growth in priority sector advances, specially agriculture and SSI lending.

- Recruitment of Agricultural Officers

113 Agricultural graduates have been recruited during the current financial year and posted in branches having potential for agricultural credit for over all growth of farm and rural credit.

- Janashree Bima Yojana (JBY)

For providing a life cum accidental insurance cover to the rural & urban women of credit linked SHGs, living below or marginally above poverty line, Bank has implemented the 'Janashree Bima Yojana', a social security scheme under a tie up arrangement with LIC. The Bank has covered 3556 women SHG members under 'Janashree Bima Yojana' during the year 2010-11.

4.2.3 MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

The highlights of the Bank's lending to MSE Sectors as on 31.03.2011 are as under :

- Bank's total credit to MSE sector as on 31.03.2011 stands at ₹7228 crore which accounts for 16.91% Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against 15.76% as on 31.03.2010.
- Bank's Credit to MSE sector has increased from ₹5629 crore as on March 2010 to ₹7228 crore as on 31.03.2011 representing a year-on-year growth of 28.41% .
- Bank's Credit to micro sector has increased from ₹3795 crore as on 31.03.10 to ₹4538 crore as on 31.03.11 registering year-on-year growth of 19.58 %.
- Bank's credit to small enterprise has increased from ₹1834 crore as on 31.03.2010 to ₹2690 crore as on 31.03.2011 registering year-on-year growth of 46.67%.
- The share of lending to Micro Enterprise to total of Micro & Small Enterprises as on 31.03.2011 stands at 62.78% as against target of 60% stipulated by RBI.
- Credit to Micro and Small Enterprise which are the constituents of Priority Sector constitutes 16.91% of ANBC and 40.72% of Priority Sector Lending of our Bank as on 31.03.2011.
- Bank's total credit to MSME sector as on 31.03.2011 stands at ₹8214 crore representing Year on Year growth of 27.21%.



सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सी जी टी एम एस इ)

यह बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास का सदस्य है जो बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराता है।

2009-10 की तुलना में 2010-11 में इस ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे बैंक का कार्य निष्पादन नीचे दर्शाया गया है :

राशि : ₹ करोड़ में							
मार्च 2010 तक उपलब्धि				मार्च 2011 तक उपलब्धि			
इस वर्ष		संचयी		इस वर्ष		संचयी	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
4914	156.69	7623	293.03	7237	261.80	14860	554.83

विशेष एम एस एम ई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) शाखा

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक ने अपनी 41 शाखाओं को विशेष एम एस एम ई शाखा के रूप में नामित किया है। यह क्षेत्र विशेष में इसकी संभाव्यता के मद्देनजर किया गया है। 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ऐसी शाखाओं में एम एस एम ई ऋण में 70% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

ऐसी विशेष एम एस एम ई शाखाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में ऋण संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने और समूह वित्तपोषण के लिए कुछ और शाखाओं की पहचान किए जाने की पहल की गई है।

विभिन्न ताल-मेल व्यवस्था के अंतर्गत प्रगति

2010-11 की अंतिम छमाही में बैंक ने कई ख्याति प्राप्त वाहन विनिर्माताओं/डीलरों जैसे वाल्वो आइचर, यू एस जी ऑटोमोबाइल्स (प. बंगाल के लिए फोर्स मोटर्स के डीलर), अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स आदि के साथ और कीर्ति सोलर कंपनी (ऑफ-ग्रिड-सोलर इस्ट्रुमेंट्स) के साथ ताल-मेल व्यवस्था की। इसका मुख्य उद्देश्य था वाहन क्षेत्र में ऋण प्रदान किए जाने की विशाल संभाव्यता का लाभ उठाना और यथासंभव अधिक से अधिक शाखाओं में पूरे-वर्ष ऋण-प्रवाह को उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त रणनीति के मद्देनजर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस क्षेत्र में 108.44 करोड़ रूपए का नया ऋण संवितरित किया।

4.3 आस्ति गुणवत्ता

बैंक आय-निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता रहा है। इस वर्ष अनर्जक आस्तियों में 1000 करोड़ रूपए की कमी लायी गई जबकि पिछले वर्ष 628 करोड़ रूपए थी। प्रतिशत आधार पर देखें तो बैंक की सकल अनर्जक आस्ति 31 मार्च 2011 को 2.51% रही जबकि पिछले वर्ष यह 3.21% थी। पूर्ण रूप में देखें तो सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2011 को 1356 करोड़ रूपए रही जबकि पिछले वर्ष यह 1372 करोड़ रूपए थी। बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 31 मार्च 2011 को 1.42% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 1.84% था। पूर्ण रूप अंकों में देखें तो 31 मार्च 2011 को शुद्ध अनर्जक आस्ति 758 करोड़ रूपए रही जबकि

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Bank is one of the Member Lending Institutions (MLI) of Credit Guarantee Fund Trust of Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to make available credit to Micro and Small Enterprises without collateral security and or third party guarantee.

The performance of our bank under Credit Guarantee Scheme for the year ended on March, 2011 vis-s-vis corresponding period of 2009-10 FY is furnished below :

(Amount. in ₹ Crore)							
Achievement up to March 2010				Achievement up to March 2011			
During the year		Cumulative		During the year		Cumulative	
No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount
4914	156.69	7623	293.03	7237	261.80	14860	554.83

Special MSME Branches

As per RBI instruction, Bank has designated 41 Branches as Specialized MSME Branches keeping in view the potentiality of the areas. During the financial year ended 31.03.2011 these branches have registered significant growth of 70% in MSME advances.

Steps have been initiated to identify some more potential branches for cluster financing and giving focussed attention to augment MSME advances in order to increase the No. of Specialized MSME Branches.

Progress under various Tie-ups

Bank has entered into tie-up arrangement during the last half year of 2010-11 with different renowned Vehicle Manufacturers/Dealers like Volvo Eicher, USG Automobiles (Dealer of Force Motors for West Bengal), Ashok Leyland, Tata Motors, etc. and also with Kirti Solar, a company dealing with off-grid Solar Instruments. The tie-up arrangements were made to tap the huge potential lying in the Transport Sector and to provide sustained credit flow throughout the year to as many number of branches as possible.

In view of the above strategy the Bank has disbursed fresh advances of ₹108.44 crore during the financial year 2010-11.

4.3 ASSET QUALITY

The Bank has been complying with RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Reduction in NPA achieved during the year was for ₹1000 crore as against ₹628 crore during the previous year. In percentage term, Gross NPA Ratio of the Bank stood at 2.51% as on 31st March 2011 as against 3.21% during the previous year. In absolute term Gross NPA stood at ₹1356 crore as on 31st March 2011 as against ₹1372 crore during the previous year. Net NPA Ratio of the Bank stood at 1.42% as on 31st March 2011 as against 1.84% during the previous year. In absolute term Net NPA stood at ₹758 crore as on 31st March 2011

पिछले वर्ष यह 779 करोड़ रूपए थी। इस वर्ष 20352 वसूली शिवांगों का आयोजन किया गया जिसमें 103.09 करोड़ रूपए की वसूली हुई जबकि पिछले वर्ष 92.02 करोड़ रूपए की वसूली हो सकी थी। बैंक की वसूली नीति में संशोधन किया गया है ताकि मौजूदा अनर्जक आस्ति खातों में तत्काल निपटान किया जा सके। छोटी-छोटी अनर्जक आस्तियों और बट्टा खाते में पड़ी राशियों की वसूली तेज करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है।

आय निर्धारण एवं व्यय

अर्जक आस्तियों से आय की पहचान उपचय के आधार पर की गई है और अनर्जक आस्तियों से आय वसूली के बाद हिसाब में शामिल किया गया है। इस वर्ष वसूली गई राशि का विनियोजन पहले अवमानक आस्तियों से आय में किया गया है और जो संदिग्ध आस्तियाँ विशेष पुनर्संरचना या पुनर्वास या पोषण कार्यक्रम के तहत रखी गई है उन्हें भी इस वर्ग में रखा गया है। अन्य संदिग्ध आस्तियों, हानिकर आस्तियों, वाद के अधीन या डिक्ली हो चुके खातों से वसूल की गई राशि पहले बकाया शेष में विनियोजित की गई है।

चालू वर्ष में एन पी ए (अनर्जक आस्ति) के रूप में वर्गीकृत ऋणों से प्राप्त आय और वसूली के लिए बाकी की राशि को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

4.4 कोष परिचालन

वित्तीय वर्ष 2010-11 में बैंक का सकल निवेश 26409 करोड़ रूपए रहा जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 26602 करोड़ रूपए था। एस एल आर निवेश में कमी आयी और यह 20123 करोड़ रूपए से घटकर 19175 करोड़ रूपए हो गया। ब्याज आय में 99.73 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष के 1616.52 करोड़ रूपए की जगह इस वर्ष यह 1716.25 करोड़ रूपए रहा। शेयरों के क्रय-विक्रय से बैंक को पिछले वर्ष 180.45 करोड़ रूपए का मुनाफा हुआ था जो इस वर्ष 198.45 करोड़ रूपए रहा। 31.03.2010 को निवेश पर प्रतिफल 7.68% हुआ जो इस वर्ष 31.03.2011 को बढ़कर 7.73% हुआ। अनर्जक निवेश पिछले वर्ष (31.03.2010) 17.17 करोड़ रूपए हुआ था जो इस वर्ष घटकर 10.28 करोड़ रूपए रहा।

4.5 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, कोलकाता ही इस बैंक का एक मात्र 'ए' वर्ग का कार्यालय है। कोलकाता स्थित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग में बैंक केन्द्रीकृत कारोबार कक्ष (डीलिंग रूम) मुंबई स्थित संपर्क कारोबार केंद्र से जुड़ा है। इस बैंक की 45 शाखाएं ('बी' वर्ग की) पूर्णतया विदेशी विनिमय कारोबार करने के लिए पदनामित की गई हैं और 193 शाखाएं बैंक के एफ सी एन आर व्यवसाय के लिए पदनामित की हुई हैं। एन आर इ/एन आर ओ जमा इस बैंक की हर शाखा में स्वीकार किया जाता है।

अमरीका डॉलर में अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय के निपटान हेतु यह बैंक क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सदस्य है। विदेशी मुद्रा विनिमय फारवर्ड खंड में अंतर बैंक अमरीका डालर/आई एन आर के निपटान हेतु भी हमारा बैंक उक्त संस्थान का सदस्य है। इस पहल से निपटान जोखिम मुद्दे की सुनवाई होती है और निपटान प्रक्रिया की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

यह बैंक मुद्रा-वायदा (करेंसी फ्यूचर) कारोबार करने के लिए मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज - स्टॉक एक्सचेंज (एम सी एक्स - एस एक्स) का कारोबारी सह समाशोधन सदस्य बन गया है।

31 मार्च 2011 को बैंक का कुल मर्चेन्ट विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार (पण्यावर्त)

as against ₹779 crore during the previous year. During the year 20352 recovery camps were organized and cash recovery made in those camps during the year was ₹103.09 crore as against ₹92.02 crore during the previous year. Bank's Recovery Policy has been revised to facilitate quick settlement in existing NPA accounts. Further, to boost recovery from small NPAs and written off accounts, an incentive scheme has been introduced.

Recognition of Income and Expenditure:

Income from performing assets is recognized on accrual basis and income from non-performing assets (NPAs) is accounted for on realization. The amount realized during the year is appropriated first to income on substandard assets and those doubtful assets which are under specific reconstruction or rehabilitation or nursing programme. Amounts realized /recovered in other doubtful and loss assets and suit filed and decreed accounts are first appropriated against outstanding balances.

Income on advances classified as NPA in the current year and remaining unrealized is reversed.

4.4 TREASURY OPERATIONS

During the FY 2010-11, Bank's Gross Investment stood at ₹26409 crore compared to ₹26602 crore at the end of previous year. The SLR investment has decreased from ₹20123 crore to ₹19175 crore during the same period. The Interest Income increased by ₹99.73 crore to ₹1716.25 crore as against ₹1616.52 crore for the previous year. The Bank achieved Trading Profit of ₹198.45 crore as against ₹180.47 crore in the previous year. The yield on investment increased from 7.68% as on 31.03.2010 to 7.73% as on 31.03.2011. The non-Performing Investment came down to ₹10.28 crore from ₹17.17 crore as on 31.03.2010 during the same period.

4.5 INTERNATIONAL BANKING

International Banking Division, Kolkata is the only category 'A' office of the Bank. Banks centralized dealing room at International Banking Division, Kolkata is supported by link dealing centre at Mumbai. Bank is having 45 designated branches (B-Category) to handle full fledged FOREX transaction and 193 nominated branches to handle FCNR business of the bank. NRE/NRO deposits are accepted at all branches of the bank.

The Bank is a member of Clearing Corporation of India Limited (CCIL) for settlement of Interbank FOREX deals in USD. Bank has also become member of CCIL for settlement of interbank USD/INR deals in the FOREX forward segment. The initiatives address the issue of settlement risk and improve the efficiency of settlement process.

The Bank has become trading cum clearing member of MCX-SX for undertaking trading in currency future.

The merchant FOREX turnover of the bank as at 31st March, 2011 stood at ₹12,760 crore as compared to ₹8,730 crore in the previous



12,760 करोड़ रूपए रहा जबकि पिछले वर्ष यह 8,730 करोड़ रूपए ही था। इस तरह इस वर्ष इसमें 46.05% की वृद्धि हुई। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय कुल कारोबार (पण्यावर्त) 67,212 करोड़ रूपए से बढ़कर 1,09,675 करोड़ रूपए हो गया। विदेशी मुद्रा विनिमय से (कमीशन और एक्सचेंज) पूर्ववर्ती वर्ष में 32.36 करोड़ रूपए की कमाई हुई थी जो इस वर्ष बढ़कर 45.12 करोड़ रूपए हो गई - और इस तरह इसमें 39.86% की वृद्धि हुई।

बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय ढाका (बांग्ला देश) में है। वहाँ के आठ बैंकों का भवदीय खाता (वोस्ट्रो एकाउंट्स) हमारे बैंक में है। इंडो-म्यांमार बोर्ड ट्रेड के लिए हमारे बैंक को पदनामित किया गया है और म्यांमार के तीन बैंकों के भवदीय खाते (वोस्ट्रो एकाउंट्स) भी हमारे बैंक में है।

4.6 मर्चेंट बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2010-11 में हमारे बैंक के मर्चेंट बैंकिंग प्रभागो डिबेंचर/बांड धारकों के न्यासी के रूप में नौ निर्गमों के लिए काम किया। कई कम्पनियों के लाभांश/ब्याज के भुगतान के लिए भी इस बैंक ने 'भुगतान प्रदाता बैंक' के रूप में काम किया।

मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कारपोरेट्स द्वारा जारी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के निलंब संग्रहण बैंकर के रूप में भी काम किया। इस वित्तीय वर्ष में बैंक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के रूप में इस बैंक का पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में कराया गया है ताकि यह अपने ग्राहकों को आस्वा (अवरूद्ध राशि समर्थित आवेदन) की सुविधा उपलब्ध करा सके। एक कम्पनी की ओर से इस प्रभाग ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के सह व्यवस्थाकारक (को-एरेंजर) का काम भी किया है।

4.7 जोखिम प्रबंधन

इस बैंक की अपनी पुख्ता और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि जिस जोखिम की आशंका है वह परिभाषित जोखिम सीमा के भीतर है और उसकी क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूप से कर दी गई है। इस बैंक के जोखिम प्रबंधन के ढाँचे में जोखिम प्रबंधन संरचना, जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और अनुवर्तन प्रणाली शामिल है।

बैंक के लिए जोखिम की सीमा के निर्धारण की समग्रतः जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है। बैंक में एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति है। यह समिति अन्य समितियों की तरह ही है जैसे जोखिम प्रबंधन आंतरिक समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति। ये समितियाँ संबंधित जोखिम प्रबंधन का काम देखती हैं।

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है ताकि यह अपने सभी जोखिमों को माप सके, उसका प्रबंधन कर सके और उसे कम कर सके। बैंक ने जिन महत्वपूर्ण नीतियों को विकसित किया है वे नीतियाँ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी), परिचालनगत जोखिम, आस्ति देयता प्रबंधन, प्रकटीकरण, ऋण लेखा-परीक्षा, व्यवसाय पथ-निरूपण, तनाव जाँच, ऋण जोखिम कम करने की तकनीक और संपार्थ्विक प्रबंधन नीति से संबंधित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस बैंक ने 31 मार्च 2009 से स्वयं को

year registering a growth of 46.05%. Interbank FOREX turnover has gone up from ₹67,212 crore to ₹1,09,675 crore. The earning from FOREX business (commission and exchange) has been ₹45.12 crore against ₹32.36 crore in the previous year registering a growth of 39.86%.

Bank has a representative office in Dhaka, Bangladesh. Eight banks of Bangladesh are maintaining their vostro account with us. We are the designated banker for Indo-Myanmar border trade and three banks of Myanmar are maintaining their vostro accounts with us.

4.6 MERCHANT BANKING

During the year 2010-11, Merchant Banking Division of the Bank has acted as trustees to debenture/bond holders in respect of nine Issues. Bank has also acted as 'Paying Banker' for distribution of dividend of several companies.

Merchant Banking Division also undertook the assignment of Escrow Collection Banker in certain Initial Public Offerings floated by PSU/Corporates. During financial year, the Bank has been registered with Securities and Exchange Board of India as a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) to provide the facility of Application Supported by Blocked Amount (ASBA) to its clientele. Merchant Banking Division also acted as Co-Arranger to a QIP (Qualified Institutional Placement) Issue of equity shares on behalf of a company.

4.7 RISK MANAGEMENT

The Bank has a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. The Risk Management Architecture in the Bank comprises Risk Management Structure, Risk Management Polices and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board level committee named as Risk Management Committee of Board of Directors along with other committees like In-House Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee to supervise respective risk management functions.

The Bank has formulated various Board approved policies to measure, manage and mitigate various risks that the Bank is exposed to. The major policies developed by Bank are Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, Business Line Mapping Policy, Stress Testing Policy, Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management.

In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009

सफलतापूर्वक बेसेल II के ढाँचे में ढाल लिया है। यह परिवर्तन ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर, परिचालनगत जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाकर, विपणन जोखिम के लिए मानकीकृत अर्वाधि दृष्टिकोण अपनाकर किया गया है ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना हो सके। इस बैंक ने पूंजी के जोखिम भारित आस्ति अनुपात की गणना तिमाही अंतराल पर बेसेल I और बेसेल II के तहत समानांतर आधार पर की है। बैंक की पूंजी के जोखिम - भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) का सारांश नीचे दिया गया है :

31.03.2011 को	बेसेल I	बेसेल II
टायर 1%	7.61	8.90
टायर 2%	3.55	4.15
सी आर ए आर %	11.16	13.05

बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार की है ताकि यह अपने जोखिमों का मूल्यांकन कर सके और उन जोखिमों का प्रबंधन करने और जोखिमों को कम करने तथा जोखिमों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु तैयार की गई जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा कर सके।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए तैयार आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिलर II से संबंधित मार्ग-निर्देशों के अनुरूप निर्मित की गई थी और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूंजी का तिमाही पूर्वानुमान (दुहरी जाँच और उपलब्धियों सहित) किया गया है।

बैंक ने उन बड़े उद्योगों/क्षेत्रों का पोर्टफोलियो विश्लेषण भी किया है जिनमें इसका निवेश अधिक है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उस उद्योग विशेष:क्षेत्र विशेष के प्रभाव और मौजूदा बाजार के परिदृश्य का भी अध्ययन किया जा सके। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों/उद्योगों का सघन पोर्टफोलियो विश्लेषण किया गया - जिनमें बैंक ने अधिक परिमाण में निवेश किया है, ताकि इन क्षेत्रों की समग्र स्थिति को प्रबंधन/निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

बैंक के समस्त ऋण पोर्टफोलियो का तिमाही आधार पर मैक्रो स्तर पर विश्लेषण किया गया जिनमें ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता और उसके समक्ष प्रतिलाभ, समस्त जोखिम प्रतिलाभ परिदृश्य, विवेकपूर्ण एवं पर्याप्त निवेश मानदंड, शुद्ध ब्याज आय एवं शुद्ध ब्याज मार्जिन आदि शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आधार दर की शुरुआत किए जाने के साथ ही बैंक ने इसका आकलन भा.रि.बैंक द्वारा सुझाए तरीके से किया और भा.रि.बैंक की जरूरत के अनुरूप प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा भी की है।

बैंक के विभिन्न निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर हैं - यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवेश प्रमापों का विश्लेषण और बड़े उधारकर्ता खातों के जोखिम श्रेणी निर्धारण के बदलाव का विश्लेषण छमाही आधार पर किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों और भारतीय बैंक संघ की मानक तनाव जाँच नीति के अनुरूप बैंक ने अपने नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर ऋण जोखिम प्रभाव की तनाव जाँच छमाही आधार पर की है।

ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने और संबंधित नीतियों, पद्धतियों और अन्य सांविधिक जरूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक ऋण समीक्षा क्रियाविधि तैयार की है। ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बैंक ने ऐसे खातों की

by adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing the capital adequacy ratio. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II norms at quarterly interval. The CRAR of the Bank is summarized as under:

As on 31.03.2011	Basel-I	Basel-II
Tier 1 %	7.61	8.90
Tier 2 %	3.55	4.15
CRAR %	11.16	13.05

The Bank has put in place its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess both risks to which it is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy relative to its risks.

ICAAP Document of the Bank for FY 2010-11 was formulated in the line of RBI guidelines on Pillar-II & submitted to RBI. Quarterly projections of capital (with back-testing with achievement) have been undertaken during FY 2010-11.

Bank conducted portfolio analysis of major industries / sectors, where Bank's exposure is substantial, to study the impact of that particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and the prevalent market scenario. Compact Portfolio analyses of certain select sectors/industries where Bank is having substantial exposure was undertaken in order to present overview of these sectors to the Management/Board.

Macro-level Analysis of the entire credit portfolio of the Bank covering the quality of the credit portfolio vis-à-vis return, overall risk return scenario, prudential and substantial exposure norms, NII & NIM etc. was carried out on quarterly basis.

With the introduction of Base Rate by RBI, the Bank calculated Base Rate as per methodology suggested by RBI and reviewed the same in every quarter as required by RBI.

Analysis of various exposure norms, to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board and analysis on migration of risk rating for large borrowal accounts had been undertaken on half-yearly basis.

In line with RBI guidelines and model Stress Testing policy of IBA, the Bank conducted Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk-impact on capital adequacy and profitability on half yearly basis.

The Bank has put in place a Loan Review Mechanism to improve the quality of loan assets and to ensure adherence to the policies, procedures and other statutory requirements. The Bank also



लेखा-परीक्षा का काम शाखा विशेष में ही शुरू कर दिया है जिसकी उधार सीमा 40.00 लाख रूपए से अधिक है।

परिचालनगत जोखिम के तहत पूंजी प्रभार की गणना हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए व्यवसाय पथ निरूपण जैसे विभिन्न कार्यकलापों की तरह के अधुनतन दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में बैंक ने कई कदम उठाए हैं। बैंक ने अपने ऋण समीक्षा कार्य को जोखिम श्रेणी निर्धारण कार्य से अलग कर लिया है। ऋण खातों का आंतरिक जोखिम श्रेणी निर्धारण आईमेक्स रिस्क स्कोरर मॉडल का उपयोग करते हुए किया गया है जो ऋण जोखिम के तहत पूंजी प्रभार का हिसाब करने के लिए बुनियादी आंतरिक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए आदर्श आधार है।

अपने कोष संबंधी कामों के नियंत्रण एवं अनुवर्तन हेतु बैंक की स्पष्ट नीतियाँ हैं। बैंक ने नकदी जोखिम की देखरेख के लिए आस्ति देयता प्रबंधन नीति तैयार की है। इसके तहत प्रबंधन संव्यवहार, पद्धतियाँ, विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ, समीक्षा क्रिया-विधि और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं। समय समय पर इन नीतियों में संशोधन भी किया जाता है और यह संशोधन वित्तीय और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

बाजार जोखिम के तहत पूंजी की जरूरत का हिसाब करने और उसका प्रबंधन सतत आधार पर करने के लिए बैंक एक एकीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में है। इससे आंतरिक मानक दृष्टिकोण (आई एम ए) का प्रयोग करते हुए बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का हिसाब स्वचालित तरीके से करने की सुविधा भी मिलेगी। एकीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली (आई टी एम एस) में उपयोग किए गए मानक से बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी मजबूत होगी।

जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण के एक भाग स्वरूप यह बैंक आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) प्रणाली का उपयोग ब्याज दर संवेदनशीलता (गैप एनालिसिस) के विश्लेषण और परिपक्वता और नकदी विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए कर रहा है। जोखिम पर अर्जन और संशोधित अवधि जैसे उपकरणों का उपयोग ब्याज दर जोखिम प्रबंधन और शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार के लिए किया जाता है।

बैंक ने एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसकी बैठक नियमित आधार पर होती है और इस बैठक में ब्याज दर परिदृश्य, जमा और ऋणों के उत्पाद मूल्यन, बढ़ती आस्ति एवं देयता की वांछित परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधि की माँग, बैंक की आधार दर का निर्धारण बैंक में नकदी प्रवाह, मुनाफा योजना और समग्रतः तुलन-पत्र प्रबंधन की समीक्षा की जाती है।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति का दायित्व यह है कि वह बैंक के परिचालनगत जोखिमों का अनुवर्तन करे। बैंक तिमाही आधार पर परिचालनगत जोखिम पर हानि के आँकड़े जुटाता है और उसका विश्लेषण विभिन्न प्रमापों पर करता है तथा जहाँ जरूरत होती है वहाँ उसमें सुधार के उपाय करता है।

ज्ञान वर्धन हेतु बैंक अपने अधिकारियों को एन आई बी एम, आई बी ए, आई डी आर बी टी, निब्स कॉम, एस बी आई आदि जैसे ख्यातिलब्ध संस्थानों में, जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/समीनारों में भी नामित करता है।

बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली (आई एफ आर एस) एवं जोखिम प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जोखिम प्रबंधन पर विशेषज्ञता प्राप्त भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा उद्योगों के कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया गया था।

undertakes on-site credit audit for accounts having credit limit over ₹ 40.00 lacs to improve the quality of credit portfolio.

Bank initiated various steps for successful migration to Advanced Approaches, like Business Line mapping of various activities of the Bank for The Standardized Approach (TSA) for computation of Capital Charge under Operational Risk. Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts using IMA CS Risk Scorer Model is being undertaken which will serve as the ideal platform for migration to FIRB (Foundation Internal Risk Based) approach for calculation of capital charge under Credit Risk.

The Bank has articulated policies to control and monitor its treasury functions. The Bank also has put in place an Asset Liability Management Policy to address the liquidity risk. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised periodically in line with changes in financial and market conditions.

In order to compute and manage capital requirement under Market Risk on an ongoing basis, Bank is in the process of procuring an Integrated Treasury Management System (ITMS) which will also facilitate automated computation of capital charge for Market Risk using the IMA (Internal Models Approach). The model/s used in ITMS will further strengthen the internal control system of investment portfolio of the Bank.

As a part of risk management & control the Bank is using the ALM system for studying and analyzing the Interest Rate Sensitivity (GAP Analysis), Maturity & Liquidity Analysis. Tools like Earning at Risk and Modified Duration are used for interest rate risk management and improving the Net Interest Margin.

The Bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) which meets at regular intervals to review the interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for bank funds, fixation of Bank's Base-Rate, cash flows of the Bank, Profit Planning and overall balance sheet management. The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. The Bank collects and analyses loss data on operational risk based on different parameters on a quarterly basis and, wherever necessary, corrective steps are taken.

Bank nominated its officers for various trainings/seminars on Risk Management at reputed institutions like NIBM, IBA, IDRBT, NIBSCOM, SBI etc for skill development.

For senior executives of the Bank, workshop was conducted on IFRS (International Financial Reporting System) & Risk Management by inviting executives from RBI, IBA & industry experts on Risk Management.

4.8 परिसर

बैंक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने एवं परिचालन दक्षता उन्नत करने के लिए शाखाओं/कार्यालयों के बेहतर साज-सज्जा पर अधिक ध्यान दे रहा है तथा उन्हें बेहतर ग्राहक सुविधाएँ देकर प्रभावी सहायता कर रहा है। बैंक के विभिन्न स्थानों पर निर्माण और साज - सज्जा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2010 -11 में 52 विद्यमान शाखाओं को सजाया - संवारा गया है। प्रधान कार्यालय भवन के चौथे तल को सम्पूर्ण रूप से आधुनिक साज-सज्जायुक्त किया गया है। कारपोरेट वित्त शाखा, कोलकाता की स्थापना हेतु हमारी ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट शाखा के सम्पूर्ण दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह से सजाया-संवारा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय एवं करेंसी चेस्ट के साथ शाखा इत्यादि के लिए भुवनेश्वर (ओड़िशा) एवं कल्यानी (प. बंगाल) में बैंक का अपना भवन तैयार हो रहा है। डाटा सेंटर के लिए 600 के वी ए की एकांतिक विद्युत लाइन हेतु सी डी एस सी का एच टी ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान बैंक की उन्नासी संपदाओं (प्रोपर्टी) का पुनर्मूल्यांकन किया गया।

4.9 सुरक्षा

बैंक की स्थायी सुरक्षा समिति ने शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा की। समीक्षा के अंतर्गत बैंक ने 81 करेंसी चेस्ट शाखाओं के परिसर के भीतर की गतिविधियों की रातो दिन निगरानी एवं रिकार्ड हेतु क्लोज सर्किट टी वी (सी सी टी वी) द्वारा निरंतर सतर्कता रखने की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली से 90 दिनों तक की सभी घटनाओं/गतिविधियों को देखा जा सकता है। बैंक ने 557 महत्वपूर्ण शाखाओं में टाइम लॉक यंत्र लगाकर रोकड़ तिजोरियों की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत किया है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार कोलकाता स्थित 04 करेंसी चेस्ट शाखाओं में इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी सोल्यूशन (आई एस एस) सफलतापूर्वक चालू किया है जिसके माध्यम से किसी अनहोनी की स्थिति में पुलिस द्वारा सीधे हस्तक्षेप की सुविधा दी गई है। बैंक ने देशभर में जोखिमपूर्ण क्षेत्र की 30 शाखाओं में सी सी टी वी लगाई है।

बैंक ने रोकड़-प्रेषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं संवेदनशील शाखाओं में तैनाती हेतु 125 आर्मगार्ड की भर्ती की।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार सभी शाखाओं को दोनों तरफ द्रष्टव्य नोट काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं तथा 50 लाख एवं उसके अधिक के दैनिक औसत रोकड़ का कारबार करनेवाली शाखाओं को नोट छंटाई मशीन दी गई है।

4.10 सूचना प्रौद्योगिकी

2009 -10 में सभी शाखाओं में 100% सी बी एस पूरा हो जाने के बाद 2010 -11 में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से ग्राहक सेवा उन्नत करने एवं बैंक ऑफिस के कार्यों को केंद्रीकृत स्थान पर स्थानांतरित करने पर विशेष बल दिया गया है ताकि शाखाएँ व्यवसाय विकास और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। महत्वपूर्ण गतिविधियों का केन्द्रीकरण इस क्षेत्र का मुख्य कार्य है, जैसे एम आइ एस संबंधित रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण इत्यादि तैयार करना। इनके साथ ही अंतरण मूल्य व्यवस्था (ट्रांसफर

4.8 PREMISES

For providing better customer services and with a view to improve operational efficiency, the Bank is providing effective functional support by ensuring a better ambience of the Branches/Offices, providing better customer facilities and undertaking various constructional and refurbishing works at different locations of the Bank. During the year 2010-11, 52 existing Branches have been refurbished. Entire 4th floor of Head Office building has been refurbished with modern ambience. For establishment of Corporate Finance Branch, Kolkata, entire southern side of our Old Court House Street Branch has been fully refurbished. The construction of Bank's own buildings for housing Regional Office, Branch with currency chest etc. have been started at Bhubaneswar (Orissa) and Kalyani (West Bengal). Installation of HT Transformer of CESC for supply of dedicated 600 KVA electrical line for the Data Centre is in progress. Seventy nine properties of the Bank have been revalued during the year.

4.9 SECURITY

The Standing Security Committee of the Bank has periodically reviewed implementation of security arrangements at the Branches. Under the review, the Bank has brought 81 currency chest Branches under the constant surveillance by installation of close circuit TV (CCTV) to monitor and record the movement of any kind inside the Branch premises round the clock. The system facilitate retrieval of Video recording of all incidence/ movements during 90 days. The Bank has further strengthened security and safety arrangement of the cash kept in cash safes by installing time lock device in 557 important branches.

In accordance of the instruction of Reserve Bank of India, Bank has successfully introduced the integrated security solution (ISS) in four currency chest Branches in Kolkata, which facilitate direct intervention of police in case of any eventuality. Bank has also installed CCTV in 30 branches located in risk prone area across the country.

Bank has recruited 125 armed guards for CCRCs for ensuring safety and security for remittance duty and posting at vulnerable branches of the Bank.

As per the Clean Note Policy of Reserve Bank of India, all the Branches have been provided with dual display Note Counting machines. All the currency chest branches and the Branches having daily average cash handling of ₹50 lac and above have been provided with Note Sorting Machines.

4.10 INFORMATION TECHNOLOGY

After achieving 100% CBS for all Branches of the Bank in 2009-10, focus was shifted during the year 2010-11 on improving customer service through available technology platform and shifting of back office functions to centralized locations so that Branches can concentrate on business development and customer service. Key initiatives in this area are centralization of important activities like generation of MIS related reports, Audit Reports, Balance Sheets,



प्राइस मेकानिज्म) तथा स्थायी आस्ति प्रबंधन पद्धति के कार्यान्वयन के कारण शाखा के कर्मचारियों का भार कम हुआ है तथा प्रणाली द्वारा त्रुटिरहित रिपोर्ट समय पर तैयार हो रहे हैं। यह प्रभावी व्यवसाय निर्णय एवं विनियामक अनुपालन के लिए किए गये हैं। व्यवसाय प्रक्रिया इंजिनियरींग के हिस्से के रूप में मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, एवं चेन्नई स्थित शाखाओं में इनवार्ड इ सी एस लेनेदेन के लिए तथा देशभर में 48 केंद्रों पर इनवार्ड चेकों के लिए केंद्रीकृत समाशोधन व्यवस्था चालू की गई है। मुंबई स्थित शाखाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्र (आर पी सी), मुंबई में केंद्रीकृत रूप से चालू एवं बचत खाता (कासा) खोलने की व्यवस्था की गई है। बैंक की शाखाओं के मध्य मांग ड्राफ्ट एवं भुगतान आदेशों का केंद्रीकृत लेखांकन कार्यान्वित किया गया है तथा लेखा समाधान प्रक्रिया का भी समेकन किया गया है।

ग्राहकों को कुशलतापूर्वक किसी भी समय, कहीं भी बैंकिंग सुविधा देने के लिए बैंक ने वैकल्पिक सुदुर्गम माध्यम, जैसे :- ए टी एम, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग इत्यादि आरंभ किया है। इस वर्ष 225 ए टी एम लगाए गए। इस प्रकार ए टी एम की कुल संख्या 508 हुई। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एन एफ एस, केशट्री एवं वीसा के साथ ए टी एम साझेदारी व्यवस्था की है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को शामिल करते हुए एक न्यू फिचर रीच इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है। ए एस एम एस एलर्ट सेवाएँ तथा टॉल फ्री नम्बर के माध्यम से सभी ग्राहकों के लिए टेली बैंकिंग सुविधा शुरू की गई है।

सभी शाखाओं में आर टी जी एस एवं इ एफ टी द्वारा निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध है। नकदी प्रबंधन प्रणाली (सी एम एस) सुविधाएँ भी सभी शाखाओं में उपलब्ध है। बैंक एन सी आर दिल्ली में भारतीय रिज़र्व बैंक की सी टी एस परियोजना में भाग लेता रहा है तथा सी टी एस चेन्नई परियोजना के लिए भी तैयार है। वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच आर एम एस) भी कार्यान्वित की गई है। इससे मानव संसाधन प्रशासन में अधिक नियंत्रण एवं दक्षता आई है।

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रणालियों में स्थिरता एवं दक्षता लाने के लिए आई. टी. संबंधी आधारभूत ढाँचे को उन्नत करने पर अधिक ध्यान दिया है। इस दिशा में एम पी एल एस कार्यान्वयन के द्वारा वेन (डब्लू ए एन) उन्नयन, नेटवर्क एग्रीगेशन केंद्रों पर वैकल्पिक सेवा प्रदाता की व्यवस्था, क्रोनिक लिंक - स्टार्व शाखाओं में रेडियो एवं सी डी एम ए लिंक का कार्यान्वयन जैसे प्रयास किए गए हैं। बैंक ने वेन (डब्लू ए एन) आप्टीमाइजेशन साल्यूशन के कार्यान्वयन द्वारा एक नए ढंग की अद्वितीय परियोजना चालू की है जिससे लेनेदेन में तीव्रता आएगी एवं शाखा के प्रयोक्ताओं की उत्पादकता बढ़ेगी।

बैंक ने वी ओ आई पी, मेल मेसेजिंग सिस्टम भी लगाया है। इससे कम खर्च में कारपोरेट संप्रेषण हो सकेगा। वेन (डब्लू ए एन) संरचना पर निर्मित विडियो कॉन्फरेंसिंग एवं टेली कॉन्फरेंसिंग प्रणाली कारपोरेट एवं क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के बीच संप्रेषण का प्रभावी माध्यम हो गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने आई टी परिसंपत्तियों की प्राप्ति हेतु ई - प्रोक्योरमेंट की भी शुरुआत की है एवं नया वेब साइट चालू किया है।

बैंक ने सितंबर 2011 तक अपने सभी प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सी बी एस युक्त करने की योजना बनाई है जो अपने आप में एक नया मिल का पत्थर है। वर्ष के दौरान वैसी 301

Profit & Loss statement etc. These, along with implementation of Transfer Price Mechanism and Fixed Assets Management System, have resulted in reduction of load on branch officials as well as ensuring availability of system generated error free reports in time for effective business decisions and regulatory compliance. As part of Business process reengineering, Centralized Clearing has been implemented for all Inward ECS Transactions for branches located at Mumbai, Bhubaneswar, Hyderabad, Guwahati and Chennai whereas Centralized Clearing of Inward Cheques has been implemented in 48 Centers located across the country. Centralized Opening of Current & Savings Deposit Accounts (CASA) has been made operational at Regional Processing Centre (RPC), Mumbai on pilot basis for branches located at Mumbai. Centralized accounting of Demand Drafts and Pay Orders has been implemented across the branches of the Bank which has further consolidated the reconciliation process.

With a view to provide Anytime, Anywhere Banking facility to customers in an efficient way Bank has introduced alternate delivery channels like ATMs, Internet Banking, TeleBanking etc. 225 ATMs have been installed during the year taking the total number of ATMs to 508. Besides, Bank is having ATM sharing arrangements with NFS, CashTree and VISA for its customers. During the year Bank has launched a new Feature Rich Internet Banking facility covering all Branches of the Bank. SMS alert services have since been launched and Telebanking facility is operational for all customers through toll free number.

Fund transfer facility through RTGS & NEFT is available at all the branches. Cash Management System (CMS) facilities are also being extended to all our branches. Bank has been participating in CTS project of RBI at NCR Delhi and also ready for CTS Chennai project. Human Resource Management System (HRMS) has also been implemented during the year facilitating a greater control & efficiency in Human Resource Administration.

During the year Bank has also focussed on improving IT infrastructure for brining stability and efficiency in the systems. WAN upgradation through MPLS implementation, providing alternate service providers at network aggregation centers, implementation of Radio and CDMA links at chronic link-starved branches are efforts in this direction. Bank has also initiated a path breaking project and first of its kind through implementation of WAN optimization solution which will increase transaction speed and thereby improve productivity of branch users.

Bank also has in place VOIP, Mail Messaging systems for corporate communications at a lower cost. Video Conferencing & Teleconferencing systems, built up on WAN infrastructure, have already become effective interface between corporate and field level functionaries. During the year Bank has also started E-Procurement for procuring IT assets and launched new website.

Bank has set a new milestone by planning to bring all its sponsored RRBs to CBS fold by September 2011. During the year 301 of such

ग्रामीण शाखाएँ सी बी एस युक्त हो गई हैं।

अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (बी सी पी) के एक हिस्से के रूप में बैंक नियमित अंतराल पर आपदा - बचाव (डिसेस्टर रिकवरी) अभ्यास करता रहा है। आंकड़ों एवं सूचनाओं की संरक्षा हेतु केंद्रीकृत एन्टीवायरस प्रणाली स्थापित की गई है तथा बैंक सूचना प्रणाली की सुरक्षा एवं आई टी संबंधी कार्यों का सुसंचालन सुनिश्चित करने के लिए सर्ट - इन नामक पैनलकृत एजेंसी के माध्यम से अपने आई टी संबंधी समस्त आधारभूत ढाँचे को शामिल करते हुए आई एस सुरक्षा संपरीक्षा परीक्षा करता रहा है।

4.11 वित्तीय समावेशन :

प. बंगाल एवं त्रिपुरा राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस एल बी सी) का संयोजक होने के नाते बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 -11 के दौरान प. बंगाल एवं त्रिपुरा राज्यों में क्रमशः 7486 एवं 149 गाँव विभिन्न बैंकों के बीच आर्बिट्रि किए थे।

संबंधित एस एल बी सी द्वारा बैंक के लिए 11 राज्यों एवं 01 केंद्र शासित क्षेत्र (अंडमान एवं निकोबार) के 1825 गाँवों (जिनकी जन संख्या 2000 से अधिक थी) का आरंभिक आर्बिटन किया गया था। बोर्ड के अनुमोदन से हमने भारतीय रिज़र्व बैंक को एफ आई पी प्रस्तुत किए। तत्पश्चात, मणिपुर, मेघालाय, प. बंगाल एवं उड़ीशा राज्यों में गाँवों के पुनः आर्बिटन के कारण गाँवों की संख्या 1889 हो गई। उनमें से 46 गाँवों में हमने पक्का भवन स्थित (ब्रिक एंड मार्टर) शाखाएँ खोलने की योजना बनाई है तथा बाकी 1843 गाँवों में आई सी टी (सूचना एवं संप्रेषण तकनीक) आधारित सॉल्यूशनयुक्त बी सी मॉडेल के माध्यम से सेवा प्रदान करने की योजना बनाई है।

सुविचारित रूपरेखा के अनुसार बैंक को वित्तीय वर्ष 2010 -11 के अंत तक 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 800 बैंकरहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलना अपेक्षित था। बैंक ने उपर्युक्त लक्ष्य के संदर्भ में 17 ब्रिक एंड मार्टर शाखाएँ खोली तथा 855 गाँवों के लिए बी सी मॉडेल अपनाया गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से आगे रहे। उपर्युक्त गाँवों में कुल 2.00 लाख नामांकन हुए।

नामांकन की शुरुआत के पूर्व बी सी एजेंटों को तकनीकी एवं परिचालन प्रशिक्षण सभी दिया जा रहा है। 31.03.11 तक 900 सी एस पी को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे आर सेटी राजपुर को आई आई बी एफ द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसमें आई आई बी एफ के 5 दिनों के प्रशिक्षण पाठक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010 -11 के दौरान किसान क्लब के 80 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने आई आई बी एफ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली है।

वर्ष के दौरान बैंक ने वित्तीय समावेशन पर आधारित 09 कार्यशालाएँ आयोजित की हैं जिनमें संबंधित क्षेत्रों के 207 आधार शाखा प्रबंधकों एवं नोडल अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान अधोलिखित कदम उठाए गए :

- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं तकनीकी रूप से दक्ष पुरुष उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में लाने हेतु बी सी एजेंट/सी एस पी के चयन मापदंड में छूट की मंजूरी दी गई।
- खाता खोलने, अच्छे ऋण प्रस्ताव लाने एवं एन पी ए तथा हानि/बट्टे खातों से वसूली हेतु बी सी एजेंटों के लिए आकर्षण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है,

Rural Branches have been migrated to CBS.

As part of its Business Continuity Plan (BCP), Bank has been conducting DR (Disaster Recovery) Drills at regular interval. For safeguarding data & Information, Centralized Antivirus system is in place and Bank has also been conducting IS Security Audit covering its entire IT infrastructure through a Cert-in empanelled agency for ensuring Information System Security and sound IT operations.

4.11 FINANCIAL INCLUSION

Being the SLBC Convener for West Bengal and Tripura states the Bank had allocated 7486 and 419 villages in West Bengal and Tripura states during the FY 2010-11, respectively amongst different banks.

For the Bank initial allocation was 1825 villages(having population of more than 2000) covering 11 states and one union territory(Andaman & Nicobar) by the respective SLBC banks. We, on approval of our Board, submitted the FIP to the RBI. Subsequently, due to relocation of villages in Manipur, Meghalaya, West Bengal and Orissa states, total allocation of villages stood revised at 1889. Out of the above, we have planned to open brick & mortar branch in 46 villages and remaining 1843 will be serviced through BC model using ICT(Information and Communication Technology) based solution.

As per the roadmap envisaged, the Bank was required to open banking outlets in 800 un-banked villages having population of more than 2000 by the end of FY 2010-11. As against the above target, the Bank has opened 17 brick & mortar branches and 855 villages were covered through BC model, thereby surpassing the target set. Total enrolment in the above villages stood at 2.00 lakh.

All the BC Agents are being given Technical and operational training before start of the enrolment. Till 31.03.11, 900 CSPs have been given training. Our R-SETI Rajpur has been accredited by the IIBF wherein 5-day training course of BFs are being organized. During the FY 2010-11, 80 members of Farmers' Club were trained and have cleared the IIBF exams.

During the year, the Bank has conducted 9 Workshops exclusively on Financial Inclusion wherein 207 Base Branch Managers and Nodal Officers of the implementing Regions have been imparted necessary training.

Apart from the above, the following initiatives were taken during the year:

- Allowed relaxation in the selection criteria of the BC Agents CSPs to accommodate maximum no. of SHG women and young techno savvy male candidates;
- Introduced Incentive scheme for the viability of the BC Agents for Account Opening, scouting of quality loan proposals and also for recovery from NPA and Loss/Written Off accounts;



- बैंक विभिन्न चरणों में 300 सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को कार्य में लगाने जा रहा है, जो बी सी एजेंटों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं आधार शाखाओं को सहायता प्रदान करेंगे। 10 सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को वित्तीय समावेशन वाले ग्रामों में वित्तीय शिक्षा बढ़ाने ऋण संबंधी परामर्श देने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- बैंक ने 5 वित्तीय शिक्षा एवं ऋण परामर्श केंद्रों (3 पश्चिम बंगाल में एवं एक - एक त्रिपुरा तथा असम में) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ लोगों विशेष रूप से ग्रामीण जनता को बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं, सांस्थानिक बैंकिंग के लाभों के बारे में बताना तथा बचत की आदत को उनके मन में बैठाने एवं ऋण प्रबंधन के संबंध में शिक्षित करना है।
- क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु बैंक ने वार्षिक निष्पादन समीक्षा रिपोर्टों में वित्तीय समावेशन संबंधी मानदण्डों को शामिल किया है।

4.12 कार्मिक प्रशासन

बैंक के कुल कार्मिकों की संख्या 31 मार्च, 2011 को 15062 रही जबकि पिछले वर्ष यह 15285 थी। कर्मचारियों की उत्पादकता 31.03.2011 को 8.60 करोड़ रूपए रही जबकि 31.03.2010 को यह 7.14 करोड़ रूपए थी।

प्रभावी उत्तराधिकार योजना के अंश स्वरूप 747 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 1334 लिपिकों और 280 विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की बहाली की पहल की गई और सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को पूरा किया गया।

अंतर वेतनमान पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की गई जिसके अंतर्गत सभी स्तरों पर पदोन्नति का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस क्रम में कुल 934 अधिकारियों को परवर्ती वेतनमान में पदोन्नति मिली। एक और पहल के तहत इस वर्ष 198 लिपिकों को कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग स्केल I में पदोन्नति दी गई।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण

यह बैंक निर्दिष्ट संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में सरकारी मार्गनिर्देशों का अक्षरशः पालन करता रहा है। 31.03.2011 को इस बैंक की कुल कार्मिक संख्या में से 3865 कार्मिक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हैं और यह कुल कार्मिक संख्या का 25.66% है। इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के 94 कर्मचारियों को परवर्ती उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया गया जो वर्ष के दौरान प्रभावी कुल पदोन्नतियों की संख्या का 27.24% है। बैंक ने इस वर्ग के 317 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु परीक्षा से पहले प्रशिक्षण दिया। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के 3 मृत कर्मचारियों को आश्रितों को एक मुश्त ₹20,00,000/- की अनुग्रह राशि दी गई।

सर्वोच्च प्रबंधन के साथ बैंक के अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद की तिमाही बैठकें नियमित आधार पर इस वर्ष भी हुईं। इस वर्ग के संबंध में व्यक्ति या संगठनों से प्राप्त सभी शिकायतों को बैंक ने दूर किया। समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु बैंक ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत रत्न डॉ. बाबा

- The Bank shall be engaging 300 retired Bank officers in phases who will supervise the functioning of BC Agents and assist the base branches. 10 retired Bank officers are also being engaged as Counsellors for increasing the financial literacy/credit counselling in the FI villages;
- Bank has set up 5 Financial Literacy and credit counselling centres (3 in West Bengal and 1 each in Tripura and Assam) to educate the people specially the rural masses about the banking products and services, benefits of institutional banking, to inculcate savings habit, to manage the debt with an ultimate object to boost financial inclusion;
- In order to evaluate the performance of the field staff the Bank has modified Annual Performance Appraisal Reports by incorporating FI parameters.

4.12 PERSONNEL ADMINISTRATION

The total staff strength of the Bank stood at 15062 as on March 31, 2011 as against 15285 last year. The staff productivity of the Bank has increased to ₹ 8.60 crore as on 31.03.2011 from ₹ 7.14 crore as on 31.03.2010.

As a part of effective succession planning, process for recruitment of 747 Probationary Officers and 1334 Clerks apart from 280 Specialist Officers have been initiated and successfully completed.

Inter scale promotion process covering officers of all grades was successfully completed during this year through which a total of 934 have been promoted to their respective higher scale.

In another initiative, 198 clerks have been promoted to officer-JMG Scale-I during the year.

Welfare of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees:

The Bank has been scrupulously following the Government guidelines for reservation in employment/promotion in respect of specific categories. The representation of SC/ST employees in total staff stood at 3865 as on 31.03.2011 constituting 25.66% of the total employees. During the year 94 employees belonging to SC/ST category were promoted to next higher cadre. They constituted 27.24% of total number of promotions effected during the year. The bank also conducted pre-promotional training for 317 SC and ST employees for promotion from sub-ordinate to clerical cadre and clerical to officers' cadre. Dependents of 3 deceased employees belonging to SC/ST category were paid a total ex-gratia lump sum amount to the tune of ₹20,00,000/- during the financial year.

Quarterly meetings between the Top Management and the SC/ST Employees Welfare Council of the bank were held on regular basis during the year. Complaints received from individuals/organizations on SC/ST matters were redressed/steps were taken to redress by the Bank. For economic development of SC/ST community of the

साहेब भीमराव अम्बेदकर बेस्ट ब्रांच रॉलिंग ट्रॉफी का पुरस्कार डॉ. बाबा साहेब अम्बेदकर के जन्मदिन पर उस शाखा को दिया जिसने अ.जाति/अ.जनजाति समुदाय के लोगों को ऋण संवितरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया ।

प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास

आधुनिक बैंकिंग काफी जटिल होती जा रही है और इसमें पर्याप्त दक्षता की जरूरत बढ़ती जा रही है । बुनियादी तौर पर यह उस कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण हो रहा है जिसका सामना हर बैंक कर रहा है । परम्परागत बैंकिंग दक्षता को परिचालन स्तर पर फिर से सशक्त बनाने की जरूरत है । नयी दक्षता हासिल करने और नई क्षमता विकसित करने की भी जरूरत है ।

मौजूदा प्रशिक्षण ढाँचे में बड़े बदलाव की जरूरत के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि गुवाहाटी, पटना और भुवनेश्वर के पुराने बंद प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खोला जाए । प्रयास किया जा रहा है कि उपर्युक्त तीनों केंद्रों में यथाशीघ्र कार्यारम्भ हो ।

मुंबई और दिल्ली के सी बी एस प्रशिक्षण केंद्रों को अब पूरी तरह प्रशिक्षण सुविधा संपन्न बना दिया गया है ।

ऋण प्रबंधन और विदेशी मुद्रा विनिमय जैसे विशेष विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आई आई एम, कोलकाता और आई एफ बी आई आदि जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानों के तहत आयोजित किए गए ।

कार्यपालकों के कार्यनिष्ठादन और उनकी संभाव्यता पर विचार करते हुए उनमें से कुछ को विदेश स्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नामित किया गया ।

एक ऐसी प्रशिक्षण पद्धति को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कारपोरेट ऋण, विदेशी मुद्रा विनिमय, खुदरा बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन विपणन, वित्तीय समावेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिभाशाली अधिकारियों का वर्ग तैयार करने पर केंद्रित हो ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण की जरूरत का विश्लेषण और प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण और परिचालन में परस्पर संबंध स्थापित किए जाने का काम चल रहा है ।

इस वर्ष 4111 अधिकारियों, 917 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और 78 अधीनस्थ कर्मचारियों को कोलकाता स्थित बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया और इस तरह कुल 5106 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

बैंक ने वर्ष में 20 अंतः - कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 618 अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिए ।

बैंक ने विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में 123 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 216 अधिकारी शामिल हुए ।

बैंक ने इस वर्ष आठ विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 13 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की ।

औद्योगिक संबंध

बैंक ने वर्ष 2010-11 में सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा जिससे बैंक के

society, the Bank like previous years had awarded “Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Best Branch Rolling Trophy” for excellent performance in disbursement of loan to SC/ST community to the best performing branch on the birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar.

Training & Skill Development

Modern banking is increasingly becoming complex and skill intensive. This is primarily due to stiff competition each bank is facing. Traditional banking skills are to be reinforced at different operating level. There is also an evolving need for acquiring new skills and developing new competencies.

In a major bid to revamp the existing training infrastructure, decision has been taken to reopen the hitherto closed three training centres at Guwahati, Patna & Bhubaneswar. Effort is on to make the three centres operational at the earliest.

The CBS training centres at Mumbai and New Delhi have already been converted into full-fledged training facilities.

Special Training courses on specialized subjects like Credit Management, Forex have been arranged under the auspices of reputed institutes like IIM-Calcutta, IFBI etc.

Considering the performance and potential of the executives, quite a few of them have been nominated to participate in some overseas training programmes.

Effort is on for training systems to focus on creation of talent pool of officers in critical areas like Corporate Credit, Forex, Retail Banking, Risk Management, Marketing, Financial Inclusion etc.

Work is on to establish linkage between training and operations by proper training need analysis and evaluation of effectiveness of training.

During the year 5106 employees including 4111 Officers, 917 Clerical Staff and 78 Subordinate Staff of the Bank attended in-house training programme conducted at the Bank's Staff Training College, Kolkata.

Bank had arranged 20 in-company Training Programmes during the year wherein 618 number of officer employees had participated.

123 external training programmes were conducted by the Bank at various reputed training institutes in which 216 officers participated.

During the year Bank had arranged Overseas Training for 13 number of Senior Executives under eight different programmes.

Industrial Relations

The Bank has maintained harmonious industrial relations during the year 2010-2011 culminating in creation of a positive atmosphere



चतुर्दिक विकास और व्यवसाय विकास के लिए सकारात्मक परिवेश बना। बैंक के व्यावसायिक प्राथमिकताओं के विषय में सूचनाओं के आदान - प्रदान हेतु बना यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें हुईं। साथ ही, कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण पर बल दिया गया।

एक कल्याणकारी कदम के रूप में कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति/पत्नी के स्वास्थ्य पर विचार करते हुए बैंक ने मौजूदा मेडीक्लेम बीमा योजना का नवीकरण कराया है। इनके अतिरिक्त बैंक ने इस वर्ष 02 (दो) और अस्पतालों के साथ ताल-मेल की व्यवस्था की है। ये जी डी डायबेटिक्स इन्सिट्यूट एंड स्पेशिएलिटी क्लिनिक्स प्रा. लि. (जी डी आई) तथा रूबी जेनरल हॉस्पिटल लि.। इस तरह अब मौजूदा कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती/प्रतियोगी दर पर अस्पताल में भर्ती होने/स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराने/इलाज कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे अस्पतालों की संख्या 68 हो गई - जिसके साथ ताल - मेल व्यवस्था (टाई - आप) की गई है।

खेल - कूद को बढ़ावा

बैंक खेल-कूद को बढ़ावा देना बड़ा ही महत्वपूर्ण समझता है। 2010-11 के वार्षिक खेल-कूद कार्यक्रम का आयोजन बैंक की ओर से 23 जनवरी, 2011 को, कोलकाता स्थित मोहनबागान एथलेटिक क्लब के मैदान में कार्यपालक निदेशक एवं अन्य शीर्ष कार्यपालकों की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों / भूतपूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यपालक निदेशक ने सफल प्रतिभागियों को स्मृति-चिह्न एवं पुरस्कार प्रदान किए।

4.13 निरीक्षण एवं संपरीक्षा

आंतरिक निरीक्षण एक अंतःस्थापित सतत प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करता है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा हेतु बैंक की परिचालनात्मक इकाइयों ठीक से कार्य कर रही हैं। बैंक के आंतरिक निरीक्षण विभाग के पास आंतरिक निरीक्षकों की एक समर्पित टीम है जो विहित पद्धतियों, प्रविधियों एवं मानकों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार, सतत निरीक्षण से बैंक की परिचालन - दक्षता बढ़ती है तथा इससे बैंकिंग कार्यों के विभिन्न खंडों में सन्निकित जोखिमों को रोका जा सकता है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा स्वतःस्पष्ट संपरीक्षा एवं निरीक्षण नीति पर आधारित तथा बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ ताल-मेल रखते हुए समय-समय पर परिचालन -इकाइयों में सालों भर जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा (आर बी आई ए), समवर्ती संपरीक्षा, राजस्व संपरीक्षा एवं आई. एस. संपरीक्षाएँ की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 1029 शाखाओं में आर बी आई ए, 475 शाखाओं में समवर्ती, 732 शाखाओं में राजस्व संपरीक्षा तथा 150 शाखाओं में आई एस संपरीक्षा की गई। उक्त अवधि में 31.03.2010 तक क्रमशः 78.44% एवं 60.77% बैंक व्यवसाय की समवर्ती संपरीक्षा एवं आई एस संपरीक्षा की गई। उस अवधि में 14 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के 8 विभाग के निरीक्षण

for all round growth and business development of the Bank. Periodical meetings at different tiers of management were held with the representatives of the Unions/Associations for sharing of the information/percolation of business priorities of the Bank. At the same time emphasis had been given on the redressal of the genuine grievances of the employees.

As a welfare measure, considering the aspects of Health Care for working employees along with dependent members of their families as also the retired employees of the Bank along with their spouse, the Bank has renewed the existing Medi-claim Insurance Schemes. Besides, the Bank has entered into tie-up arrangements with 2 (two) more hospitals viz., G.D. Diabetics Institute and Speciality Clinics Pvt. Ltd. (GDDI) and Ruby General Hospital Ltd. during the year taking the total number of such arrangements to 68 Hospitals and Diagnostic Centres located all over India to meet hospitalization/ health check-up/diagnostic requirements of employees/retired employees at a concessional/ competitive rate.

Promotion of Sports

The Bank attaches great importance to the promotion of sports. The Annual Sports Meet of the Bank for the year 2010-11 was organized on 23rd January, 2011 at Mohun Bagan Athletic Club Ground, Kolkata in presence of the Executive Director and other top executives of the Bank. Over 3000 employees, ex-employees and their family members participated in the Meet with great enthusiasm. The Executive Director presented mementos and prizes to the successful participants.

4.13 INSPECTION & AUDIT

Internal Inspection is a well embedded continuous process ensuring sound functioning of the operating units of the Bank for the safety and security of the Bank's assets. Bank's Internal Inspection Department has a dedicated team of internal inspectors engaged in evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed systems, procedures and norms. Thus, the continuous process of inspection ensures enhancing the operating efficiency of the bank as also combats the risks involved in different segment of functioning of the Bank.

Based on a well defined Audit & Inspection Policy approved by Bank's Board and fine tuned from time to time keeping pace with the changing scenario of the Banking Business, Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit, Revenue Audit and IS Audit are conducted at the operating Units through out the year. During the year 2010-11, Bank conducted RBIA at 1029 branches, Concurrent Audit at 475 branches, Revenue Audit at 732 branches and IS Audit at 150 branches. Concurrent Audit and IS Audit so conducted during the said period covered 78.44% and 60.77% of bank's business respectively as on 31.03.2010. Inspection of 14 Region Offices and

किए गए। विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित निरीक्षण/संपरीक्षा से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई) का भी समय पर अनुपालन सुनिश्चित होता है।

4.14 कारपोरेट अभिशासन

बैंक कारपोरेट अभिशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करने एवं अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डर) - जिनमें ग्राहक, शेयरधारक, कर्मचारी, सामान्य जनता, समाज, संरक्षक, सरकार एवं नियामक शामिल है - से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों से प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रयत्नशील है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय - नैतिकता के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है जिसका उद्देश्य है संस्था के हितधारकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना।

बैंक कारपोरेट अभिशासन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक संस्था को मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए सुपरिभाषित नैतिक मानदंड प्राप्त होते हैं तथा उसकी लाभार्जन क्षमता बढ़ती है। बैंक एक तरफ अपने शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत जागरूक है तथा दूसरी तरफ जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं कारपोरेट अभिवृद्धि की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। वह प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उच्चस्तरीय नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और निष्ठा में विश्वास करता है। वह निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कारपोरेट उत्कृष्टता प्राप्त करने का इच्छुक है :-

- राष्ट्र के सिद्धांतों एवं कानूनी ढाँचों के अंतर्गत शेयरधारकों के मूल्यों को बनाए रखना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना।
- कर्मचारियों, ग्राहकों एवं पूरे समाज के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना।
- सकारात्मक, सक्रिय एवं पूर्वाग्रहमुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करना।

इस प्रकार बैंक अपने को शेयरधारकों एवं हितधारकों का न्यासी (ट्रस्टी) समझता है तथा उनके धनार्जन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करने के प्रति अपनी न्यासपरक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। बैंक दक्ष एवं पारदर्शी कारपोरेट कार्यनीतियों, सक्रिय एवं सकारात्मक व्यवसाय योजना, प्रभावी नीतियों, कुशल एवं आसान प्रविधियों, दृढ़ नैतिक मानकों, कड़ी कानूनी जिम्मेदारियों तथा प्रबंधन मामलों में सर्वोपरि व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाकर चलता है।

8 departments at Head Office was also conducted during the period.

Inspection/Audit Function also ensure timely compliance of Annual Financial Inspection (AFI) conducted at different branches and Region Offices of the Bank as well as Head Office by Reserve Bank of India.

4.14 CORPORATE GOVERNANCE

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders viz. the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of their great Institution.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Bank on one hand is extremely mindful about shareholder's value while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

- Upholding shareholder's value within the principles and legal framework of the Nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Thus the Bank considers itself a Trustee to the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The Bank adopts this through nimble & transparent corporate strategies, proactive business plans, effective policies, efficient and simplified procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and overall professional approach in managing its affairs.



4.15 अदावी शेयर :

अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नवत् है :

01 अप्रैल 2010 तक बकाया/अदावी शेयरों की संख्या	68042
31 मार्च 2011 तक हिताधिकारियों को हस्तांतरित शेयर	60627
31 मार्च 2011 तक बकाया/अदावी शेयरों की संख्या	7415

अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार तब तक अवरूद्ध रहेंगे जब तक उसके सही मालिक उसका दावा नहीं कर लेता ।

कृते निदेशक मंडल

भास्कर सेन
(भास्कर सेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18 जून, 2011

स्थान : कोलकाता

4.15 UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

Shares outstanding/unclaimed as on April 01, 2010	68042
Shares transferred to Beneficiaries till March 31, 2011	60627
Shares outstanding/unclaimed as on March 31, 2011	7415

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owner.

For and on behalf of the
Board of Directors


(Bhaskar Sen)
Chairman & Managing Director

Date : June 18, 2011

Place : Kolkata

कंपनी अभिशासन 2010-11 पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीति परायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान की श्रीवृद्धि करना।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया :

बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक के अपने दायित्वों के निर्वहन से निर्देशित है और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्य-सृजन करना है। बैंक की नीतियाँ और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरूरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है।

बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसकी बदौलत कोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन-उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है। एक ओर यह शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कारपोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। यह हर क्षेत्र के कार्यकलापों में उत्कृष्ट स्तर हासिल करने के लिए उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और सत्यनिष्ठा को मान्यता देता है। बैंक निम्नलिखित कारपोरेट उत्कृष्टता की उद्घोषणा करना चाहता है :-

- निर्धारित सिद्धांतों की सीमा में भारत के कानूनी ढाँचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर ;
- ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और सेवाएं देकर ;
- कर्मचारियों, ग्राहकों और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उद्घोषणा करके ;
- वस्तुतः सक्रिय और पूर्वग्रहमुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके।

इस तरह बैंक स्वयं को शेयरधारकों और पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसकी अभिरक्षा करते हुए देता है। यह बैंक इसे दक्ष और पारदर्शी कारपोरेट रणनीति, सक्रिय व्यवसाय योजना, प्रभावी नीतियों, सक्षम एवं सरल पद्धतियों, सख्त नैतिक मानदंडों, कड़ी कानूनी जिम्मेदारियों और समग्रतः पूरे काम का प्रबंधन व्यावसायिक दृष्टिकोण की बदौलत करता है।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार किया गया है जो कंपनी अभिशासन की जरूरतों को पूरा करता है।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE 2010-11

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance is guided by the Bank's obligations to its responsibilities and value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Bank on one hand is extremely mindful about shareholder's values while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

- Upholding shareholder's values within the principles and legal framework of the Nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Thus the Bank considers itself a Trustee to the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The Bank adopts this through nimble & transparent corporate strategies, proactive business plans, effective policies, efficient and simplified procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and overall professional approach in managing its affairs.

3. Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, which satisfies the requirements of Corporate Governance.



3.1 31 मार्च 2011 को निदेशक मंडल की संरचना :

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2011

कार्यपालक EXECUTIVE	दो Two	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक Chairman & Managing Director, Executive Director
गैर कार्यपालक	छह	भारत सरकार द्वारा नामजद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामजद, कामगार कर्मचारी, गैर कार्यालयीन गैर कार्यपालक निदेशक (2) और शेयर धारक निदेशक
NON-EXECUTIVE	Six	Govt. of India Nominee, Reserve Bank of India Nominee, Workmen Employee, Non Official Non Executive Directors (2) & Shareholder Director
कुल TOTAL	आठ Eight	

सभी निदेशक अपने क्षेत्र के विस्तृत और बहुविध ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग बैंक के विकास हेतु करते हैं।

The Directors have been contributing by sharing their diversified knowledge, vast experience and proven expertise in their respective areas of specialization for the development of the Bank.

3.2 31 मार्च 2011 को निदेशक मंडल का विवरण :

3.2 Particulars of Board of Directors as on March 31, 2011:

Sl.No. क्र.सं.	Name of Director निदेशकों के नाम	Designation पदनाम	Nature of Directorship निदेशकत्व की प्रकृति	Date of Assuming कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री भास्कर सेन Sri. Bhaskar Sen	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	कार्यपालक Executive	01.03.2010
2.	श्री एस.एल. बंसल Sri. S. L. Bansal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	01.04.2010
3.	श्री संजीव कुमार जिंदल Sri. Sanjeev Kumar Jindal	नामिती- भारत सरकार Nominee -GOI	गैर कार्यपालक Non-Executive	12.05.2009
4.	श्रीमती सुरेखा मरांडी Smt. Surekha Marandi	नामिती- भारतीय रिज़र्व बैंक* Nominee -RBI*	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	30.07.2010
5.	डॉ. नयना शर्मा Dr. Naina Sharma	गैर कार्यालयीन निदेशक Non-Official Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	15.07.2008
6.	श्री श्रेनिक सेठ Sri. Srenik Sett	गैर कार्यालयीन निदेशक Non-Official Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	06.10.2010
7.	श्री सौमित्र तलापात्र Sri. Soumitra Talapatra	कामगार निदेशक Workmen Employee Director	गैर कार्यपालक Non-Executive	13.01.2010
8.	श्री सोमेन मजुमदार Sri. Saumen Majumder	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	27.11.2010

* भा.रि. बैंक के नामिती निदेशक को स्वतंत्र निदेशक माना गया है।

GOI – Government of India, RBI - Reserve Bank of India

* RBI -Nominee Director is considered as an Independent Director.

- कोई भी निदेशक परस्पर संबद्ध नहीं हैं।
- गैर कार्यालयीन निदेशकों में श्री सौमेन मजुमदार के पास इस बैंक के 100 शेयर हैं और ये प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) के क्रम में ही इनको आर्बाटित किए गए थे। अन्य गैर कार्यालयीन निदेशकों में से किसी के पास भी इस बैंक का शेयर नहीं है।
- बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आई आई बी आई के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा उपर उल्लिखित कम्पनियों के निदेशक मंडल की निम्नांकित समिति के भी अंग हैं :

आई आई बी आई लिमिटेड IIBI Ltd.		नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड National Insurance Company Ltd.	
शेयरधारक प्रतिभूति अंतरण समिति Shareholders' Securities Transfer Committee	अध्यक्ष Chairman	लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	अध्यक्ष Chairman
आई आई बी आई भविष्य निधि प्रशासक समिति IIBI Provident Fund Committee of Administrator	अध्यक्ष पदेन Chairman Ex-officio	निवेश समिति Investment Committee	सदस्य Member
पर्यवेक्षण समिति Oversight Committee	सदस्य Member	पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	सदस्य Member
		मानव संसाधन समिति HR Committee	सदस्य Member
		जोखिम प्रबंधन Risk Management	सदस्य Member

- बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक आई एफ सी आई लिमिटेड के बोर्ड के भी सदस्य हैं, भारत के पर्यटन वित्त कंपनी और सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के भी सदस्य हैं। वे आई एफ सी आई लिमिटेड की लेखा-परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं।

3.3 इस वर्ष नियुक्त/नामित/चयनित निदेशकों के विवरण

- None of the Directors is related inter-se.
- Among the non-executive directors, Sri. Saumen Majumder holds 100 shares of the Bank allotted to him in the IPO of the Bank. None of the other Non-Executive Directors is holding any share of the Bank.
- Chairman & Managing Director of the Bank is also on the Board of IIBI Ltd. as Chairman & Managing Director and National Insurance Company Ltd. Chairman & Managing Directors is also a part of the following committees of Board of Directors of the Companies as mentioned above –

- The GoI-Nominee Director on the Board of the Bank is also a member on the Boards of IFCI Ltd., Tourism Finance Company of India Ltd. and Irrigation & Water Resources Finance Corporation Ltd. He is also the member of the Audit Committee of IFCI Ltd.

3.3. Particulars of Directors Appointed / Nominated / Elected during the year:

क्र.सं. Sl. No.	निदेशकों के नाम Name of Director	पदनाम Designation	निदेशकत्व की प्रकृति Nature of Directorship	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख Date of Assumption of Office
01	श्री एस. एल. बंसल Sri. S. L. Bansal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	01.04.2010
02	श्रीमती सुरेखा मरांडी Smt. Surekha Marandi	भारतीय रिज़र्व बैंक की नामजद निदेशक Reserve Bank of India Nominee Director	गैर कार्यपालक Non – Executive	30.07.2010
03	श्री श्रेनिक सेठ Sri. Srenik Sett	गैर कार्यालयीन निदेशक Non Official Director	गैर कार्यपालक Non – Executive	06.10.2010
04	श्री सौमेन मजुमदार Sri. Saumen Majumder	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	27.11.2010



3.4 इस वर्ष सेवा निवृत्त/पदमुक्त निदेशकों का ब्योरा :

3.4. Particulars of Directors Retired/ Vacated office during the Year

क्र.सं. Sl. No.	निदेशकों के नाम Name of Director	पदनाम Designation	निदेशकत्व की प्रकृति Nature of Directorship	सेवानिवृत्ति/पदमुक्ति की तारीख Date of Retirement/ Vacation of office
1	श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामजद निदेशक RBI – Nominee Director	गैर कार्यपालक Non-Executive	30.07.2010
2	श्री सुप्रित सरकार Sri. Suprita Sarkar	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	गैर कार्यपालक Non-Executive	22.11.2010

3.5 31.03.2011 को निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों से संबंधित जानकारी (प्रोफाइल)

3.5. Profile of Directors on the Board of the Bank as on 31.03.2011

नाम NAME	श्री भास्कर सेन SRI. BHASKAR SEN
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	09.12.1952
उम्र AGE	59 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी.कॉम (प्रतिष्ठा, प्रथम श्रेणी) सीएआईआईबी B.Com. (Hons. 1 st Class), CAIIB.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 2010 को जारी अधिसूचना सं.एफ सं.9/12/2009-बीओआई के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 उपधारा 3(क) के तहत इस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए । CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR Appointed as Chairman and Managing Director of the Bank by Government of India, under sub-section 3(a) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification No. F.No.9/12/2009- BO.I dated 25 th January 2010.
अनुभव EXPERIENCE	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने का अनुभव Employed in Nationalised Banks for more than 35 years.

नाम NAME	श्री एस. एल. बंसल SRI. S. L. Bansal
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	29.09.1954
उम्र AGE	57 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	एम.कॉम (सीइआरटी), सीएआईआईबी M.Com (Cert.), CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा 19.02.2010 को जारी अधिसूचना सं.एफ सं.9/12/2009-बीओआई के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 उपधारा 3(क) के तहत इस बैंक के कार्यपालक निदेशक नियुक्त किए गए । EXECUTIVE DIRECTOR Appointed as Executive Director of the Bank by Government of India, under sub-section 3(a) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification F.No.9/12/2009-BO.I dated 19.02.2010.
अनुभव EXPERIENCE	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने का अनुभव Employed in Nationalised Banks for more than 35 years.

नाम NAME	श्री संजीव कुमार जिंदल SRI. SANJEEV KUMAR JINDAL
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	12.10.1965
उम्र AGE	45 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी.कॉम, एम बी ए (वित्त विशेषज्ञ) अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम B.Com., Master of Business Administration (MBA- Specialization in Finance), Master in Programme on International Dev. Policy .
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारत सरकार द्वारा नामजद निदेशक । बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9, उपधारा 3 के उप वाक्य (ख) के अंतर्गत 12.05.2009 को अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक नामांकित किए गए । 12.05.2009 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ सं.9/7/2007 बी ओ आई देखें । GOVT. OF INDIA NOMINEE DIRECTOR Nominated as Part time Non-official Director under sub clause (b) of Sub-Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 with effect from 12 th May 2009 vide Government of India Notification No.F.No.9/7/2007-BO.I dated 12 th May 2009.
अनुभव EXPERIENCE	1991 में केंद्रीय सचिवालय सेवा में कार्यग्रहण । 20 वर्षों से केंद्रीय सरकार की सेवा में । Joined in Central Secretariat Service in 1991. In service with the Government of India for last 20 years.



नाम NAME	श्रीमती सुरेखा मरांडी SMT. SUREKHA MARANDI
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	27.07.1959
उम्र AGE	52 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	स्नातकोत्तर (एम.ए.) M.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामजद निदेशक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9, उपधारा 3 के वाक्यांश (ग) के अनुसरण में और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के अनुरूप नामित। सरकार द्वारा 30.07.2010 को जारी अधिसूचना देखें। सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। RESERVE BANK OF INDIA NOMINEE DIRECTOR Nominated as Non-Official Director in terms of Clause (c) of subsection 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006 vide Govt. Notification No. F.No.9/2/2007-BO.I dated 30.07.2010. She is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	28 वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत, संप्रति गुवाहाटी में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तेनात Employed with RBI for last 28 years, presently posted in Guwahati as Regional Director.

नाम NAME	डॉ. नयना शर्मा DR. NAINA SHARMA
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	21.05.1953
उम्र AGE	57 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	समाजशास्त्र में पी.एच.डी. PhD in Sociology
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	गैर कार्यालयीन निदेशक डॉ. नयना शर्मा बैंक के अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक हैं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ वे स्वतंत्र निदेशक समझी जाएंगी। NON OFFICIAL DIRECTOR Dr. Naina Sharma is the part-time non-official director of the Bank. She is working as a Professor in the University of Rajasthan. She is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	16 वर्ष से भी अधिक का पढ़ाने का अनुभव Teaching experience of more than 16 years.

नाम NAME	श्री श्रेनिक सेठ SRI. SRENIK SETT
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	21.08.1949
उम्र AGE	62 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी. कॉम, एल. एल. बी. B.Com., L.L.B
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	गैर कार्यालयीन निदेशक श्री श्रेनिक सेठ अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक के रूप में 6 अक्टूबर 2010 को अधिसूचना सं.एफ 9/1/2006 बी ओ आई के जरिए नामित किए गए हैं। सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। NON OFFICIAL DIRECTOR Sri. Srenik Sett is the part-time non-official director of the Bank nominated vide Notification F.No.9/1/2006 – BO.I dated 06.10.2010. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	ख्यातिलब्ध पत्रकार एवं विज्ञापन विशेषज्ञ Renowned journalist and advertising professional.

नाम NAME	श्री सौमित्र तलापात्र SRI. SOUMITRA TALAPATRA
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	01.04.1955
उम्र AGE	56 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	स्नातक (बी.ए.) B.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9, उपधारा 3 के वाक्यांश (इ) के तहत और 13 जनवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ सं.9/38/2009-बी ओ आई के जरिए 13.01.2010 से इस पद पर नियुक्त। WORKMEN EMPLOYEE DIRECTOR Nominated as Workmen Employee Director under sub-clause(e) of Sub-Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with effect from 13.01.2010 vide Government of India notification No.F.No.9/38/2009- BO-I dated 13.01.2010.
अनुभव EXPERIENCE	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 30 वर्षों से कार्यरत हैं। Employed in United Bank Of India for last 30 years.



नाम NAME	श्री सौमेन मजुमदार SRI. SAUMEN MAJUMDER
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	26.12.1950
उम्र AGE	61 वर्ष / years.
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	एफ.सी.ए., एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए, ए.सी.एस. F.C.A., F.I.C.W.A, A.C.S.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	शेयरधारक निदेशक श्री मजुमदार इस बैंक के शेयरधारक निदेशक हैं। इनका चयन 26 नवम्बर 2010 को आयोजित असाधारण आम सभा में शेयरधारकों ने किया था और यह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(i) के तहत उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप किया गया है। सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। SHAREHOLDER DIRECTOR Sri. Majumder is the Shareholder Director of the Bank elected by the shareholders at the Extra-ordinary General Meeting of the Bank held on November 26, 2010 pursuant to the provision of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	वित्तीय प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, लेखा, लेखा- परीक्षा, निर्णय लेने एवं कारपोरेट समझौता वार्ता के क्षेत्र में पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी लेखा- परीक्षा फर्म में और उसके बाद एक विशालकाय बहुराष्ट्रीय एफ एम जी सी में 32 वर्षों से भी अधिक का अनुभव। संप्रति श्री मजुमदार व्यवसाय सलाहकार का काम करते हैं। More than 32 years of corporate experience in the fields of financial management, general management, accounts, audit, decision making and corporate negotiations, first in a multi-national audit firm followed by a multi-national FMCG giant. Sri. Majumder is presently into business consultancy.

3.6 बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड की दस बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के वाक्य खंड 12 के तहत कम से कम 6 बैठकों का प्रावधान है।

3.6 Board Meetings

During the year under review, 10 Board Meetings were held on following dates as against a minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

03.05.10	29.05.10	18.06.10	24.07.10	28.08.10	25.09.10
25.10.10	15.12.10	20.01.11	19.02.11		

संबंधित निदेशकों के कार्यकाल में हुई बोर्ड की उपर्युक्त बैठकों में उपस्थिति का ब्योरा निम्नवत् है । बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की अनुसूची:

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenure are as under:

क्रम सं No.	निदेशक का नाम Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	कितनी बैठकों में भाग लिया Meetings Attended	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी Leave of Absence
1	श्री भास्कर सेन Sri. Bhaskar Sen	10	10	-
2	श्री एस. एल. बंसल Sri. S. L. Bansal	10	10	-
3	श्री संजीव कुमार जिंदल Sri. Sanjeev Kumar Jindal	10	8	2
4	श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	4	4	-
5	श्रीमती सुरेखा मरांडी Smt. Surekha Marandi	6	5	1
6	डॉ. नयना शर्मा Dr. Naina Sharma	10	8	2
7	श्री श्रेनिक सेठ Sri. Srenik Sett	4	4	-
8	श्री सुप्रित सरकार Sri. Suprita Sarkar	7	7	-
9	श्री सोमित्र तलापात्र Sri. Soumitra Talapatra	10	10	-
10	श्री सौमेन मजुमदार Sri. Saumen Majumder	3	3	-

4. बोर्ड की समितियां

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुरूप बोर्ड ने निदेशकों की निम्नांकित समितियां गठित की हैं । ये समितियां अपने कार्य-क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करती हैं । ये समितियां निम्नांकित हैं ।

4. Committees of the Board

In line with the requirements of SEBI and RBI, the Board has constituted the undermentioned Committees of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines of SEBI and RBI.

1. प्रबंधन समिति Management Committee	7. निदेशक पदोन्नति समिति Director's Promotion Committee
2. लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	8. पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee
3. शेयर धारकों की समिति Shareholders' Committee	9. उच्चाधिकार समिति High Powered Committee
4. जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	10. बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति IT Sub Committee of Board
5. अधिक मूल्य की जालसाजियों की समीक्षा करनेवाली समिति Committee to Review High Value Frauds	11. नामांकन समिति Nomination Committee
6. ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	12. 55 वर्ष के ऊपर आयु के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee to monitor officers above 55 yrs.



4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

4.1.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है।

प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में निम्नांकित निदेशक होते हैं।

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय*	निदेशक (भा.रि.बैंक के नामिती)
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी ^	नामिती निदेशक (भा.रि.बैंक)
5. डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यालयीन निदेशक
6. श्री सौमित्र तलापात्र ~	कामगार कर्मचारी निदेशक
7. श्री सुप्रित सरकार #	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

(* 14.07.2010 तक, ^ 28.08.2010 से, ~ 03.05.2010 से # 23.04.2010 तक)

4.1.2 आलोच्य अवधि के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एम सी बी) की 19 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की बैठकों एवं निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नांकित है :-

23.04.2010	03.05.2010	17.05.2010	29.05.2010	12.06.2010	29.06.2010	14.07.2010	21.08.2010	28.08.2010	17.09.2010
25.09.2010	21.10.2010	26.11.2010	14.12.2010	03.01.2011	19.01.2011	28.02.2011	16.03.2011	26.03.2011	

4.1.3. बोर्ड की प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

Sl. No. क्रम सं.	Name of Director निदेशक का नाम	Meetings held during the period of their tenure उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	Meetings Attended बैठकों में उपस्थिति	Leave of Absence अनुपस्थिति की छुट्टी
01	श्री भास्कर सेन / Sri. Bhaskar Sen	19	19	-
02	श्री एस. एल. बंसल / Sri. S. L. Bansal	19	19	-
03	श्री तुलसीदास बंद्योपाध्याय / Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	7	7	-
04	श्रीमती सुरेखा मरांडी / Smt. Surekha Marandi	10	8	2
05	डॉ. नयना शर्मा / Dr. Naina Sharma	19	14	5
06	श्री सुप्रित सरकार / Sri. Suprita Sarkar	1	1	-
07	श्री सौमित्र तलापात्र / Sri. Soumitra Talapatra	18	18	-

4.1 Management Committee of the Board

4.1.1. The Management Committee of the Board is constituted pursuant to the Clause-13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India.

The Management Committee comprised of the following Directors as members.

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay*	Nominee Director (RBI)
4. Smt. Surekha Marandi^	Nominee Director (RBI)
5. Dr. Naina Sharma	Non – Official Director
6. Sri. Soumitra Talapatra~	Workmen Employee Director
7. Sri. Suprita Sarkar #	Officer Employee Director

(*Up to 14.07.10; ^from 28.08.10; ~from 03.05.10; #Up to 23.04.10)

4.1.2. During the year under review, the Management Committee of the Board (MCB) met nineteen times on the following dates:

4.1.3. The details of attendance of the Director Members are as below:

4.1.4. प्रबंधन समिति के कार्य

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्यों पर विचार करने के लिए किया गया है जैसे - अधिक मूल्य के प्रस्तावों का अनुमोदन, नई जमा योजनाएं चालू करना, निधि-आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सीमाओं की मंजूरी, समझौता/बट्टा खाता करना, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों, परिसर, निवेश, दान इत्यादि की मंजूरी। समिति अनर्जक अस्तियों का संचलन, ट्रेजरी परिचालन तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करती है। समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है।

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

4.2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप तथा कंपनी अभिशासन की मूल बातों के संबंध में बैंक ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन किया जिसमें 6 निदेशकों के साथ एक गैर - कार्यपालक वित्तीय अनुभवों से युक्त स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं। बैंक ने मूलतः 26 जून, 1995 को अपने एसीबी का गठन किया था जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति निर्देश देती है तथा बैंक के वित्त एवं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है। इसके कार्यों में संगठन की निगरानी, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बैंक के अंतर्गत निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा-परीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों में संपर्क - कार्य शामिल हैं। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय ज्ञान प्राप्त है।

लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

1. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय ~	नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक - अध्यक्ष
2. श्रीमती सुरेखा मरांडी *	नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक - अध्यक्ष
3. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती निदेशक (भारत सरकार)
5. डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक
6. श्री श्रेनिक सेठ ^	गैर कार्यपालक निदेशक
7. श्री सौमेन मजुमदार ^	शेयरधारक निदेशक

(~ 24.07.2010 तक, * 13.08.2010 को कार्यग्रहण, ^ 15.12.2010 को कार्यग्रहण)

श्री बिक्रमजीत सोम, कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

4.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार प्रत्येक तिमाही में लेखा परीक्षा समिति की कम से कम एक बैठक की जानी चाहिए तथा वर्ष में छः बैठकों से कम नहीं होनी चाहिए। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को एबीसी की आठ बैठकें हुईं।

03.05.2010	28.05.2010	24.07.2010	13.08.2010	25.10.2010	15.12.2010	20.01.2011	18.02.2011
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.1.4. Functions of Management Committee

Management Committee of the Board considers various business matters of material significance like large business proposals, new deposit schemes, sanction of limits – fund based & non-fund based, compromise/write-off, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The committee also reviews the performances in key areas like NPA movement, Treasury operations and such other important matters as are referred to it by the Board. The committee exercises such powers as may be delegated by the Board within the framework of different policies approved by it in consonance with RBI guidelines.

4.2 Audit Committee of the Board

4.2.1. As per the Reserve Bank of India directives and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank has constituted an Audit Committee of the Board (ACB) comprising 6 Directors with a non – executive independent Director having financial expertise as the Chairperson of the Committee. The Bank originally formed its ACB on June 26, 1995 which was reconstituted from time to time.

The ACB provides directions on accounts, audit & inspection and reviews the financial and internal controls of the Bank. Its roles encompass monitoring the organisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and liaising with the auditors of the Bank and officers of Reserve Bank of India performing annual inspection. All the members of the Committee are financially literate.

The Audit Committee consists of the following Directors as members.

1. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay~	Nominee Director (RBI) – Chairman
2. Smt. Surekha Marandi*	Nominee Director (RBI) – Chairperson
3. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
4. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (Govt. of India)
5. Dr. Naina Sharma	Non – Official Director
6. Sri. Srenik Sett^	Non – Official Director
7. Sri. Saumen Majumder^	Shareholder Director

(~Upto 24.07.10; * Joined on 13.08.10; ^ Joined on 15.12.10)

Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

4.2.2. As per RBI requirement the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times in a year. During the year the ACB met eight times on the following dates –



4.2.3. निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नलिखित है :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	बैंकों में उपस्थिति	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री तुलसी दास बंधोपाध्याय	3	3	-
2. श्रीमती सुरेखा मरांडी	5	5	-
3. श्री एस. एल. बंसल	8	8	-
4. श्री संजीव कुमार जिंदल	8	6	2
5. डॉ. नयना शर्मा	8	6	2
6. श्री श्रेनिक सेठ	2	3	-
7. श्री सौमेन मजुमदार	2	3	-

4.2.3. The details of attendance of Director Members are as below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	3	3	-
2. Smt. Surekha Marandi	5	5	-
3. Sri. S. L. Bansal	8	8	-
4. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	8	6	2
5. Dr. Naina Sharma	8	6	2
6. Sri. Srenik Sett	3	3	-
7. Sri. Saumen Majumder	3	3	-

4.2.4 लेखा परीक्षा समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :-

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना ।
- लेखा नीतियों एवं व्यवहारों, लेखा मानकों, वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की योग्यता, शेयर बाजार अनुपालन तथा वित्तीय संस्था विषयक पार्टी लेनदेन संबंधी कानूनी अपेक्षाओं इत्यादि के अनुपालन पर विशेष बल देते हुए प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता लक्षित होने पर नियंत्रण-तंत्र को मजबूत करने हेतु सुझाव देना ।
- वार्षिक/अर्धवार्षिक एवं तिमाही लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने के पहले लेखा नीतियों एवं व्यवहारों में परिवर्तन, मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के गुणों को केंद्र में रखकर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करना ।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों की देखभाल करना ।
- सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर उनसे चर्चा तथा अनुवर्तन करना ।
- समिति मुख्यतः निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है :-
 - क) अंतर शाखा समायोजन लेखा
 - ख) अंतर शाखा खाता एवं नोस्ट्रो खाता की असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
 - ग) विभिन्न शाखाओं में बही-संतुलन संबंधी बकाया कार्य
 - घ) जालसाजी एवं
 - ड) मुख्य क्षेत्र एवं आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था

4.2.4. The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly, Half-Yearly and Annual Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualification in the audit report if any, compliance with Stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions, etc.
- Reviewing the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting strengthening of control mechanism.
- Interacting with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual/half-yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report if any, etc;
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of Statutory Auditors and Internal Auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors significant findings and follow up thereon.
- Giving special focus on the follow up on:
 - a) Inter Branch Adjustment Accounts
 - b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
 - c) Arrears in balancing of books at various branches.
 - d) Frauds and
 - e) Major areas of housekeeping.

4.3 शेयर धारक समिति

4.3.1 लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ जैसा निर्धारित है और जिस पर बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया जाता है, कंपनी अभिशासन के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक के सभी शेयरधारकों के हित की सुरक्षा विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावना की दृष्टि से शेयरधारकों की समिति का गठन किया गया।

शेयर धारकों की समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. डॉ. नयना शर्मा *	गैर कार्यपालक निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री सौमेन मजुमदार #	शेयर धारक निदेशक - (अध्यक्ष)
3. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
4. श्री सुप्रित सरकार ~	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

(* 20 जनवरी 2011 तक अध्यक्ष, # जनवरी 20, 2011 से समिति के अध्यक्ष के रूप कार्यग्रहण ~ सितंबर 25, 2010 को सेवानिवृत्त)

श्री बिक्रमजीत सोम, कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

4.3.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड के शेयर धारकों की समिति की बैठकें आयोजित की गईं:

23.04.2010	17.05.2010	12.06.2010	25.09.2010	20.01.2011
------------	------------	------------	------------	------------

अप्रैल 04, 2011 को समिति ने मार्च 31, 2011 तक के व्यवसाय पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।

4.3.3 निदेशक सदस्यों की बैठक में उपस्थिति का विवरण :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	अनुपस्थिति की छुट्टी
1 डॉ. नयना शर्मा	05	04	01
2 श्री सौमेन मजुमदार	01	01	-
3 श्री एस. एल. बंसल	05	05	-
4 श्री सुप्रित सरकार	04	03	01

4.3.4 समिति के निम्नलिखित कार्य हैं :

- क) यह सुनिश्चित करना कि स्थानांतरण, उप-विभाजन, पुनर्क्रियान्वयन, समेकन एवं नवीकरण को त्वरित गति से निपटाया जाए।
ख) निवेशक शिकायततंत्र की निगरानी करना तथा समय पर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।

4.4 जोखिम प्रबंधन समिति : (आर एम सी बी ओ डी)

4.4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 04 सितंबर 2004 को हुआ तथा बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति एवं एकीकृत

4.3 Shareholders' Committee

4.3.1. The Shareholders' Committee was formed, as prescribed under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, with a view to uphold the principles of Corporate Governance and to safeguard the interest of all shareholders of the Bank, particularly the minority shareholders post the Initial Public Offer.

The Shareholders' Committee consists of the following Director Members –

1. Dr. Naina Sharma*	Non-Official Director (Chairperson)
2. Sri. Saumen Majumder#	Shareholder Director (Chairman)
3. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
4. Sri. Suprita Sarkar~	Officer Employee Director

(*Chairperson up to January 20, 2011, #Joined the Committee as Chairman from January 20, 2011; ~Retired on September 25, 2010)

Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

4.3.2. During the year under review, the Shareholders' Committee of the Board met five times on the following dates:

On April 4th 2011 the Committee met to consider and approved the business up to March 31, 2011.

4.3.3. The attendance of Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1 Dr. Naina Sharma	05	04	01
2 Sri. Saumen Majumder	01	01	-
3 Sri. S. L. Bansal	05	05	-
4 Sri. Suprita Sarkar	04	03	01

4.3.4. The functions of the Committee are as follows:

- a) Speedy disposal of transfers, sub-divisions, rematerialisations, consolidations and renewals.
b) Monitoring investor grievance mechanism and ensuring redressal in a time-bound manner.

4.4 Risk Management Committee (RMCBOD):

4.4.1. The RMCBOD was formed in September 2004 pursuant to a RBI directive with the objective of devising a robust Risk



जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यनीति तैयार करने के लिए समय समय पर उसका पुनर्गठन किया गया।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय*	आर बी आई नामिती निदेशक
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी#	आर बी आई नामिती निदेशक
5. श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती निदेशक(भारत सरकार)

(*19.06.2010 तक; #25.09.2010 से)

4.4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी ओ डी) की बैठकों का ब्यौरा :

19.06.2010	25.09.2010	15.12.2010	26.03.2011
------------	------------	------------	------------

4.4.3 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री भास्कर सेन	4	4	-
2. श्री एस.एल. बंसल	4	4	-
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	1	1	-
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी	3	2	1
5. श्री संजीव कुमार जिंदल	4	3	1

4.4.4 समिति के कार्य

- क) जोखिम प्रबंधन नीति एवं एकीकृत प्रबंधन की कार्यनीति तैयार करना तथा बैंक कार्यपालकों की विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों का संयोजन करना
ख) जोखिम मापन की नीति एवं दिशा निर्देश तैयार करना
ग) जोखिम के सभी क्षेत्रों का प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग करना
घ) यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (जन, पद्धति, परिचालन, सीमा एवं नियंत्रण समेत) बैंक की नीति के अनुरूप है।
ड) जोखिम परिकलन हेतु प्रयोग किए जा रहे वित्तीय प्रतिमानों की मजबूती एवं सभी पद्धतियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

4.5 उच्च मूल्य की जालसाजी की समीक्षा हेतु विशेष समिति

4.5.1 रूपये एक करोड़ एवं इससे अधिक की जालसाजी की निगरानी पर केंद्रीभूत रूप से ध्यान देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड की समिति बनाई गई है।

Management Policy and gradually advancing to the Integrated Risk Management environment.

The Committee of the Board consists of the following members:

1. Sri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay*	Nominee Director (RBI)
4. Smt. Surekha Marandi#	Nominee Director (RBI)
5. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GoI)

(*Up to 19.06.10; #From 25.09.10)

4.4.2. During the year under review, the RMCBOD met four times on the following dates:

4.4.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. Bhaskar Sen	4	4	-
2. Sri. S. L. Bansal	4	4	-
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	1	1	-
4. Smt. Surekha Marandi	3	2	1
5. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	4	3	1

4.4.4. Functions of the Committee are as follows –

- a) Devising a robust Risk Management Policy and develop a comprehensive strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees of Executives in the Bank.
b) Framing guidelines for risk measurement.
c) Managing and reporting on all the areas of risk.
d) Ensuring that risk management process encompassing people, systems, operations, limits and controls is consistent with the Bank's overall policy.
e) Ensuring implementation of strong financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

4.5. Special Committee to Review High Value Frauds

4.5.1. With a view to providing focused attention on monitoring of frauds involving amounts of ₹1 Crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

बोर्ड की समिति का गठन इस प्रकार है :

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती निदेशक (भारत सरकार)
4. श्री सुप्रित सरकार ~	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
5. श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक
6. श्री सौमेन मजुमदार*	शेयर धारक निदेशक

(~ 25.09.2010 तक ; * 28.02.2011 तक)

4.5.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं:

19.06.2010	24.07.2010	25.09.2010	28.02.2011
------------	------------	------------	------------

4.5.3 समिति के निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री भास्कर सेन	4	4	-
2. श्री एस.एल.बंसल	4	4	-
3. श्री संजीव कुमार जिंदल	4	3	1
4. श्री सुप्रित सरकार	3	3	-
5. श्री सौमित्र तलापात्र	4	4	-
6. श्री सौमेन मजुमदार	1	1	-

4.5.4 समिति के कार्य:-

- प्रणाली में यदि कोई कमी हो जिससे जालसाजी की संभावना होती हो तो उसे दूर करने के उपाय करना ।
- पुलिस/सी बी आई की जाँच एवं वसूली स्थिति की प्रगति की निगरानी ।
- समस्त प्रकार की धोखाधड़ी के मामले में कर्मचारियों की जवाबदेही की सर्वस्तरीय जाँच सुनिश्चित करना तथा स्टाफ के लिए यदि कोई कार्रवाई, अपेक्षित हो तो उसे शीघ्र पूरा करना ।

4.6 ग्राहक सेवा समिति:

4.6.1 आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा में सुधार हेतु बैंक द्वारा ग्राहक सेवा समिति गठित की गई है ।

बोर्ड की समिति में निम्नलिखित सदस्य है :

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय ~	नामिती निदेशक (आर बी आई)
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी*	नामिती निदेशक (आर बी आई)
5. श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक
6. डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक (ग्राहक प्रतिनिधि)

(~ 19.06.2010 तक, * 21.10.2010 से)

The Committee of the Board consists of the following members:

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GOI)
4. Sri. Suprita Sarkar~	Officer Employee Director
5. Sri. Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director
6. Sri. Saumen Majumder*	Shareholder Director

(~Upto 25.09.10; *From 28.02.11)

4.5.2. The Committee met four times during the year under review on the following dates:

4.5.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. Bhaskar Sen	4	4	-
2. Sri. S L Bansal	4	4	-
3. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	4	3	1
4. Sri. Suprita Sarkar	3	3	-
5. Sri. Soumitra Talapatra	4	4	-
6. Sri. Saumen Majumder	1	1	-

4.5.4 Functions of the Committee –

- Identifying systemic lacunae if any, that facilitated perpetration of frauds and putting in place the measures to plug the same.
- Monitoring progress of police/CBI investigations and recovery positions.
- Ensuring that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds, and staff-side actions if required, are completed quickly.
- Reviewing the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.

4.6 Customer Service Committee:

4.6.1. Customer Service Committee has been formed pursuant to directives of RBI, with a focus to improve the standards of customer service in the Bank and to maintain the high standards.

The Committee of the Board consists of the following Directors –

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay~	Nominee Director (RBI)
4. Smt. Surekha Marandi*	Nominee Director (RBI)
5. Sri. Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director
6. Dr. Naina Sharma	Non-Official Director (Representative of the Customers)

(~Upto 19.06.10; *From 21.10.10)



4.6.2 समीक्षाधीन वर्ष में समिति की निम्नांकित 4 बैठकें हुईं :

19.06.2010	21.10.2010	19.01.2011	26.03.2011
------------	------------	------------	------------

4.6.2. The Committee met four times during the year under review on the following dates:

4.6.3 ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री भास्कर सेन	4	4	-
2. श्री एस.एल. बंसल	4	4	-
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	1	1	-
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी	3	3	-
5. श्री सौमित्र तलापात्र	4	4	-
6. डॉ. नयना शर्मा	4	2	2

4.6.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. Bhaskar Sen	4	4	-
2. Sri. S L Bansal	4	4	-
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	1	1	-
4. Smt. Surekha Marandi	3	3	-
5. Sri. Soumitra Talapatra	4	4	-
6. Dr. Naina Sharma	4	2	2

4.6.4 ग्राहक सेवा समिति के कार्य :

- ग्राहक संबंधी प्रक्रिया एवं निष्पादन लेखा परीक्षा विषयक बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण ।
- किसी दिवंगत जमाकर्ता के खाते के परिचालन के संबंध में की जानेवाली कार्रवाई, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण एवं वैसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा जैसी मदों को शामिल करते हुए व्यापक जमा नीति के निरूपण की देखरेख ।
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु समय-समय पर नवोन्मेषी उपाय लागू करना ।
- सभी समय सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक संतुष्टि स्तर को उन्नत करना ।

4.6.4. The Functions of the Customer Service Committee:

- Overseeing the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer.
- Addressing the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of operations of a depositor's account after his death, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
- Introducing from time to time innovative measures for enhancing the quality of customer service; and
- Endeavouring to improve upon the level of customer satisfaction across all categories.

4.7 निदेशकों की विभागीय पदोन्नति समिति

4.7.1 वरीय प्रबंधन संवर्ग स्केल - VI एवं ऊपर के कार्यपालकों की स्थिति की समीक्षा हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1982 के विनियम 19(2) के अनुसार एक विशेष समिति बनाई गई । यह समिति बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों (स्केल VII) के अनुशासनात्मक मामलों एवं उनकी पदोन्नति का पर्यवेक्षण करती है ।

4.7. Director's Promotion Committee

4.7.1. A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-VI and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं -

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय ~	नामिती निदेशक (आर बी आई)

(~ 24.07.2010 तक)

The Committee of the Board consists of the following Directors -

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay~	Nominee Director (RBI)

(~Up to 24.07.10)

4.7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की बैठक 24.07.2010 को हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे ।

4.7.2 The Committee met once during the year under review on 24.07.2010 at which all the members were present.

4.7.3 समिति के कार्य

- "उच्च कार्यपालक ग्रेड" VI से VII के कर्मचारियों की पदोन्नति उनके निष्पादन के समस्त मानदंडों के विधिवत मूल्यांकन एवं संबंधित उम्मीदवार की संभाव्यता के निर्धारण के आधार पर की जाती है ।

4.7.3 Functions of the Committee

- Promoting employees from 'Top Executive Grade - VI' to 'VII' after due assessment of all parameters of performance and potential of concerned candidates.

4.8 पारिश्रमिक समिति

4.8.1 वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ सं. 20/01/2005 - बी ओ आई दिनांक 09-03-2007 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन युक्त-प्रोत्साहन के हकदार हैं। यह लक्ष्यों के उद्देश्य के विवरण एवं गुणात्मक प्रतिमानों तथा पिछले वर्ष की विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में बेंचमार्क आधारित निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु निर्धारित व्यापक मात्रात्मक प्रतिमानों की प्राप्ति के अधधीन है।

समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :

1. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय ~	नामिती निदेशक (आर बी आई)
2. श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती निदेशक (भारत सरकार)
3. डॉ. नयना शर्मा *	

(~ 18.06.2010 तक; *29.05.2010 से)

4.8.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 18.06.2010 को समिति की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

4.8.3 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को वर्ष 2010-11 के दौरान प्रदत्त निष्पादनयुक्त प्रोत्साहन समेत पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नांकित है :

नाम	अवधि	वेतन एवं भत्ते (₹)	प्रोत्साहन (09-10 (₹))
श्री भास्कर सेन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2010 - 2011	13, 14, 568.25	58,334.00
श्री एस. एल. बंसल कार्यपालक निदेशक	2010-2011	11, 31, 747.50	शून्य
श्री एस. सी. गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक xx	2009-2010	12,800.00	6,41,666.00
श्री टी. एम. भसीन कार्यपालक निदेशक xxx	2009-2010	2,36,550.00	5,50,000.00

(xx 28.02.2010 को सेवा निवृत्त, xxx 31.03.2010 को सेवा निवृत्त)

4.8.4 समिति के कार्य:

बैंक के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन युक्त प्रोत्साहन के हकदार हैं जो व्यापक गुणात्मक मानदंडों तथा पिछले वर्ष की विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में बेंचमार्क आधारित निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु निर्धारित व्यापक मात्रात्मक प्रतिमानों की प्राप्ति के अधधीन है।

4.9 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

4.9.1 बैंक के कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों-सतर्कता एवं गैर-सतर्कता संबंधी मामलों की समीक्षा हेतु समिति गठित की गई है।

4.8. Remuneration Committee

4.8.1. The Remuneration Committee has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F. No. 20/1/2005 – BO-I dated March 9th 2007, to deliberate on the Performance Linked incentives of whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year.

The Committee consists of the following members:

1. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay~	Nominee Director (RBI)
2. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GoI)
3. Dr. Naina Sharma*	Non-Official Director

(~Up to 18.06.2010; *From 29.05.2010)

4.8.2 The Committee met once during the year under review on 18.06.2010 at which all the members were present.

4.8.3 The details of remuneration, including performance linked incentive paid to CMD and ED during the year 2010-2011, are given below:

Name	Period	Salary & Allowances (₹)	Incentive (09-10) (₹)
Sri. Bhaskar Sen, C.M.D	2010-11	13,14,568.25	58,334.00
Sri. S L Bansal, E.D	2010-11	11,31,747.50	Nil
Sri. S. C. Gupta, C.M.D (Retired on 28.02.10)	2009-10	12,800.00	6,41,666.00
Sri. T. M. Bhasin, E.D (Retired on 31.03.10)	2009-10	2,36,550.40	5,50,000.00

4.8.4. Functions of the Committee

Evaluating performance of the wholetime directors of the Bank in respect of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on Statement of Intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports for determining eligibility of the wholetime directors to Performance Linked Incentive in respect of concerned Previous Year.

4.9. High Powered Committee:

4.9.1. This committee has been constituted to review disciplinary cases against the employees of the Bank involving both vigilance and non-vigilance cases.



समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय ~	आर बी आई नामिती निदेशक
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी *	आर बी आई नामिती निदेशक
5. श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार का नामिती निदेशक

(~ 19.06.2010 तक, *25.09.2010 से)

4.9.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की तीन बैठकें आयोजित हुईं ।

19.06.2010	25.09.2010	15.12.2010
------------	------------	------------

4.9.3 निदेशकों की समिति की बैठकों का ब्यौरा:

निदेशक का नाम	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री भास्कर सेन	3	3	-
2. श्री एस. एल. बंसल	3	3	-
3. श्री तुलसी दास बंद्योपाध्याय	1	1	-
4. श्रीमती सुरेखा मरांडी	2	2	1
5. श्री संजीव कुमार जिंदल	3	3	-

4.9.4 समिति के कार्य:

- अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रत्येक चरण को त्वरित रूप में पूरा करने में हुई प्रगति की निगरानी करना ।
- विभागीय जाँच प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जारी करना ।
- निवारक सतर्कता जाँच की दृष्टि से उठाए गए कदम की समीक्षा करना ।

4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति:

4.10.1 कार्यपालकों की आंतरिक सू. प्रौ. (आई. टी) समिति के कार्यो आई. टी. संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा करने तथा तकनीकी उन्नयन के लिए दिशा निर्देश जारी करने एवं आई. टी. विषयक नए उत्पादों को लागू करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है ।

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री एस. एल. बंसल	कार्यपालक निदेशक
श्री सुप्रित सरकार *	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यालयीन निदेशक

(* 24.07.2010 तक)

4.10.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की चार बैठकें हुईं :

4.10.3 निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

19.06.2010	24.07.2010	15.12.2010	26.03.2011
------------	------------	------------	------------

The Committee consists of the following members –

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. S. L. Bansal	Executive Director
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay~	Nominee Director (RBI)
4. Smt. Surekha Marandi*	Nominee Director (RBI)
5. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GoI)

(~Up to 19.06.10, *From 25.09.10)

4.9.2. The Committee met three times during the year under review on the following dates:

4.9.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. Bhaskar Sen	3	3	-
2. Sri. S. L. Bansal	3	3	-
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay	1	1	-
4. Smt. Surekha Marandi	2	1	1
5. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	3	3	-

4.9.4. Functions of the Committee –

- Monitoring the progress being made for expeditious completion of each stage of the disciplinary proceedings.
- Issuing directions for ensuring timely completion of departmental enquiries.
- Reviewing actions taken towards preventive vigilance checks.

4.10. IT Sub Committee of Board:

4.10.1. This committee has been constituted to review functioning of in-house IT-Committee of Executives, IT related activities and to issue guidelines for technical up-gradation and introduction of new IT related products.

The Committee consists of the following members

1 Sri. S. L. Bansal	Executive Director
2 Sri. Suprita Sarkar*	Officer Employee Director
3 Dr. Naina Sharma	Non – Official Director

(*Up to 24.07.2010)

4.10.2. The Committee met four times during the year under review on the following dates:

4.10.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

निदेशक का नाम	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. श्री एस. एल. बंसल	4	4	-
2. श्री सुप्रित सरकार	2	2	-
3. डॉ. नयना शर्मा	4	4	-

4.10.4 समिति के कार्य:

- कार्यपालकों की आंतरिक आई. टी. समिति के कार्यों की समीक्षा करना ।
- कार्यपालकों की सी बी एस -स्टीयरिंग समिति के कार्यों की समीक्षा करना ।
- बैंक के आई. टी. कार्यकलापों का निरीक्षण करना तथा आवश्यक दिशानिर्देश देना ।

4.11 नामांकन समिति:

4.11.1 आर. बी. आई. के निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार इस संबंध में शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में अपेक्षित संख्या में शेयरधारकों द्वारा निदेशकत्व के लिए उम्मीदवार के नामांकन संबंधी "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया ।

समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यालयीन निदेशक
2. श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार का नामित निदेशक
3. श्री श्रेनिक सेठ	गैर कार्यालयीन निदेशक

4.11.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 15.11.2010 को समिति की बैठक हुई ।

4.11.3 निदेशक सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	अनुपस्थिति की छुट्टी
1. डॉ. नयना शर्मा	1	-	1
2. श्री संजीव कुमार जिंदल	1	1	-
3. श्री श्रेनिक सेठ	1	1	-

4.11.4 समिति के कार्य:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की सदस्यता के रूप में नामित उम्मीदवारों के लिए "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति का निर्णय करना ।

4.12 55 वर्ष की आयु से ऊपर के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति ।

4.12.1 जिन कर्मचारियों की आयु 55 वर्ष हो गयी हो अथवा जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो, जो भी पहले हो, की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया है ।

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Sri. S. L. Bansal	4	4	-
2. Sri. Suprita Sarkar	2	2	-
3. Dr. Naina Sharma	4	4	-

4.10.4. Functions of the Committee –

- Reviewing functioning of in-house IT Committees of Executives.
- Reviewing functioning of CBS – Steering Committee of Executives.
- Overseeing IT – activities of the Bank and giving necessary guidance.

4.11 Nomination Committee

4.11.1 The Committee was constituted for the purpose of determination of the 'Fit & Proper' status, as per the prescribed RBI guidelines in this regard, of the candidates nominated by the requisite number of shareholders for the Directorship of the Bank as representative of the shareholders.

The Committee consists of the following members:

1 . Dr. Naina Sharma	Non - Official Director
2 . Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GoI)
3 . Sri. Srenik Sett	Non-Official Director

4.11.2 During the year under review, the Committee met once on 15.11.2010.

4.11.3 The attendance of the Director Members is detailed below:

Name of the Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1. Dr. Naina Sharma	1	-	1
2. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	1	1	-
3. Sri. Srenik Sett	1	1	-

4.11.4 Functions of the Committee

- Deciding 'Fit & Proper' status of the candidates nominated to be contenders for the membership on the Board of Directors of the Bank as per prescribed criteria of Reserve Bank of India.

4.12 Special Committee to Monitor Officers above 55 Years

4.12.1 The Committee has been formed to review the employees who have attained the age of 55 years or completed a continuous period of 30 years in service, whichever is earlier.



समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री संजीव कुमार जिंदल	नामिती निदेशक (भारत सरकार)
3. श्री तुलसी दास बंधोपाध्याय *	नामिती निदेशक (आर बी आई)

(* 30-07-2010 को सेवा निवृत्त)

4.12.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 29.05.2010 को समिति की बैठक हुई जिसमें सभी निदेशक सदस्य उपस्थित थे ।

4.12.3 समिति के कार्य:

- जिन कर्मचारियों की आयु 55 वर्ष हो गई हो अथवा जिन्होंने बैंक में कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, जो भी पहले हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना ।

5. अधिमानी आबंटन से निर्गम की प्राप्ति का उपयोग:

ईक्यूटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक की टियर-I पूँजी में ₹308.00 करोड़ प्रदान करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण के क्रम में बैंक ने ₹100.04 प्रीमियम प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- के 279,89,821 सामान्य शेयर जारी किए हैं । बैंक ने दिनांक 21 फरवरी, 2011 को अपने शेयर धारकों को जारी नोटिस के माध्यम से सूचित किया था कि निर्गमों के माध्यम से उगाही गई निधि का उपयोग सामान्य ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा तथा पर्याप्त टियर-I पूँजी के अनुरक्षण में भी समर्थ होगा । तदनुसार बैंक ने उल्लिखित अधिदेश के अनुपालनार्थ यथोचित कदम उठाए हैं ।

6. लेखा पद्धति में परिवर्तन

बैंक के वित्तीय विवरण परंपरागत लागत करार के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं । वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधानों, विनियामक/आर बी आई दिशानिर्देशों के अनुरूप लेखा मानकों (लेखामानक नियम 2006)/भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा को अपनाया गया है । आर बी आई दिशानिर्देशों आई सी ए आई के लेखा मानकों एवं लेखा पद्धति का विस्तृत प्रकटीकरण 31 मार्च 2011 के तुलनपत्र की अनुसूची 17 एवं 18 में किया गया है ।

7. जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन करने एवं जोखिम कम करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग बनाया है तथा बैंक के कार्यों के विविध पक्षों को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन नीतियाँ बनायी गई हैं । जोखिम प्रबंधन विषयक सभी नीतियाँ एवं पहले बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाती हैं । जोखिम प्रबंधन नीतियाँ समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद संपुष्टि हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ।

8. आचरण संहिता

8.1 बैंक के सभी निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आचरण संहिता तथा करार सूची में निर्धारित आचरण संहिता के अनुरूप बैंक द्वारा निर्मित नियमों के तहत अभिशासित हुए हैं । बैंक के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी भी करार सूची में उल्लिखित आचरण संहिता के

The Committee consists of the following members:

1. Sri. Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director
2. Sri. Sanjeev Kumar Jindal	Nominee Director (GoI)
3. Sri. Tulsidas Bandyopadhyay*	Nominee Director (RBI)

(* Retired on 30.07.10)

4.12.2. During the year under review the Committee met once on 29.05.10 at which all the Director Members were present.

4.12.3. Function of the Committee –

- Reviewing the suitability of employees in service of those who have attained the age of 55 or have completed 30 years of total service in the Bank, whichever is earlier.

5. Usage of Issue Proceeds from the Preferential Allotment

The Bank has issued 279,89,821 Equity Shares of Face Value of ₹10/- each at a premium of ₹100.04 per share to its Promoter, Government of India pursuant to the decision of the Government of India to infuse ₹308 crore in the Tier – I Capital of the Bank through Preferential Allotment of Equity Shares. The Bank in its Notice to shareholders dated February 21, 2011 had communicated that the funds raised through the issue shall be utilized for general lending purposes and will also enable to maintain adequate Tier – I Capital. Accordingly the Bank has taken appropriate steps to comply with the stated mandates.

6. Changes in Accounting Treatment

The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention. They conform to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise statutory provisions, regulatory/RBI guidelines, accounting standards notified under Companies (Accounting Standard Rules 2006), guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the Banking Industry in India. Detailed disclosure as per RBI guidelines/ applicable Accounting Standards and accounting treatments are given in Schedules 17 & 18 of the Balance Sheet drawn as on March 31, 2011.

7. Risk Management Policy

The Bank has an Integrated Risk Management Department to assess and mitigate risks and lay down risk management policies touching upon various aspects of Bank's functioning. All risk management policies and initiatives are placed before the Risk Management Committee of the Board. If the Risk Management policies are approved by the said Committee, the same are then placed before the Board of Directors for confirmation.

8. Code of Conduct

8.1. All the Directors of the Bank are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India, and also the Code of Conduct framed by the Bank as prescribed in the Listing Agreement. All the officers in the rank of General Manager of the Bank

अनुरूप अभिशासित हुए हैं। इसकी विषयवस्तु हमारे बैंक के वेबसाइट - www.united-bankofindia.com. पर उपलब्ध है।

8.2 लेखा वर्ष के दौरान सभी निदेशकों एवं महाप्रबंधकों ने प्रचलित आचरण संहिता का अनुपालन स्वीकार किया है।

9. बैठक शुल्क

भारत सरकार के नामिती निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक को छोड़कर गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में सहभागिता करने के लिए प्रत्येक को ₹5,000/- बैठक शुल्क तथा बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹2,500/- का बैठक शुल्क दिया जाता है।

10. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध शेयर करार, कंपनी रजिस्ट्रार, जैसा प्रयोज्य हो, के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया इत्यादि की निगरानी हेतु श्री बिक्रमजीत सोम, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

11. शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों का शिकायत - निवारण

शेयर अंतरण, डिविडेंट भुगतान एवं निवेशक संबंधी सभी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है तथा हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रेडिंग एजेंट के कार्यालय में उसका प्रसंस्करण किया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयर-अंतरण उनके दर्ज किए जाने की तिथि से एक माह के अंदर प्रभावी हो जाएं। शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण, शेयरों के अंतरण पर विचार, प्रेषण, समेकन, उप-विभाजन, विखंडन, पुनर्क्रियान्वयन इत्यादि तथा अन्य संबंधित मदों के लिए बैंक ने शेयरधारकों की समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समितियों की बैठकें होती हैं तथा शेयर-अंतरण की संपुष्टि के साथ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

बैंक ने मे. लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है जिनके कार्यों में अन्य मदों के साथ शेयर अंतरण का प्रसंस्करण, डिविडेंट भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों का अभिलेख, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयरों के निर्गम संबंधी अन्य कार्य शामिल हैं। निवेशक रजिस्ट्रार के यहां निम्नलिखित पते पर अंतरण/अनुरोध/शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा लि.

सी-13, पन्नालाल सिल्क कंपाउंड, एल बी एस मार्ग, भंडुप (प.),

मुंबई-400078

टेलीफोन : 022-25960320

फैक्स : 022-25960329

ई-मेल : ubi.ipo@linkintime.co.in

निवेशकों की सुविधा हेतु शेयरधारकों से शेयर अंतरण तथा शिकायतों के संबंध में अनुरोध भी कोलकाता स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित पते पर किए जा सकते हैं :

are also governed by the Bank's Code of Conduct framed by the Bank as prescribed in the Listing Agreement. The text of the same is available on the website of the Bank – www.unitedbankofindia.com.

8.2. During the year under Audit, all the Directors and General Managers have affirmed their compliance with the applicable Code of Conduct.

9. Sitting Fees

The Non-Executive Directors, other than the Government of India Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director, are given sitting fees of ₹5000/- each for attending every Board Meeting and ₹2500/- each for attending every Committee Meeting of the Board.

10. Compliance Officer

Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary is functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreement with Stock Exchanges, Registrar of Companies as may be applicable and for monitoring the share transfer process etc.

11. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period of 1 month from the date of lodgement. The Board has constituted Shareholders' Committee to take care of all issues pertaining to shareholders including grievances. The Committee is required to meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides routine deliberations pertaining to transaction in shares.

The Bank has appointed M/s. LINK INTIME INDIA PVT. Ltd. as its Registrar & Transfer Agent whose duty includes inter-alia processing of Share transfers, dividend payments, recording of Shareholders requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Share. The Investors may lodge transfers/requests /complaints with the Registrar at the following address:

M/s. LINK INTIME INDIA PVT. LTD.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S Marg, Bhandup (W)

Mumbai - 400078.

Tel.: 022-25960320.

Fax: 022-25960329

E-mail:ubi.ipo@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances/complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Kolkata at the following address:



शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, चतुर्थ तल
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता -700001
टेलीफोन: 033 - 22483857
फैक्स : 033 - 22489391
ई मेल : investors@unitedbank.co.in
वेबसाइट : www.unitedbankofindia.com

शेयर धारकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई एवं शिकायतों का तत्काल निवारण बैंक की परम चिंता है तथा इसे पूर्णतः सुनिश्चित किया जाता है ।

11.1 शेयर अंतरण प्रणाली:

बैंक के सामान्य शेयरों के अंतरण के मामलों की देखरेख शेयर अंतरण एजेंट - मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. द्वारा किया जाता है। वस्तुपरक रूप में शेयर अंतरण मामले में उनके द्वारा इसे प्राप्त होते ही इसकी छानबीन की जाती है तथा उपयुक्त होने पर प्रक्रिया करते हुए प्रधान कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेज दिया जाता है।

शेयर अंतरण/डिमेटेरियलाइजेशन/रिमेटेरियलाइजेशन/विभाजन/पुनःस्थापन/समेकन के संबंध में अनुरोध की सूची जैसा भी मामला हो बोर्ड के शेयर धारक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। शेयर धारक समिति की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही के आरंभ में होती है। समिति द्वारा महाप्रबंधक स्तर तथा कंपनी सचिव को अपेक्षित प्राधिकार प्रदान किया गया है जिसके आधार पर ट्रांसफर/ट्रांसमिशन/सब-डिवीजन/स्प्लिट/रिमेटेरियलाइजेशन इत्यादि को समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसकी पुष्टि अनुवर्ती बैठक में की जाती है। बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड ट्रांसफर, डिमेट इत्यादि प्रभावी करता है।

आर एंड टी एजेंट द्वारा किए गए शेयर ट्रांसफर की रिपोर्ट तथा शेयर ट्रांसफर समिति द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 47 तथा सेबी (डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट) रेगुलेशन, 2003 के विनियम 55ए के अनुसार बैंक के कंपनी सचिव द्वारा रजिस्ट्रार से प्राप्त क्रमशः समस्त शेयर प्रमाण पत्रों की विधिवत सुपुर्दगी से संबंधित रिपोर्ट एवं बैंक की शेयर पूंजी के समाधान संबंधी एक तिमाही विवरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाता है ।

11.2 प्राप्त , निवारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से सभी शिकायतें सीधे मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा बैंक द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को उन्हें अग्रेषित कर दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त अनुरोध/शिकायतें तथा निवारण किए गए एवं लंबित मदों की संख्या निम्नलिखित है :-

Share Department & Investor Grievance Cell
United Bank of India, Head Office, 4th Floor
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata-700 001
Tel.: 033 - 22483857
Fax: 033 - 22489391
E-mail: investors@unitedbank.co.in
Website: www.unitedbankofindia.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is ensured in totality.

11.1 Share Transfer System:

Transfers of Bank's Equity Shares are taken care of by the Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. In the cases of share transfer requests in physical form, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialisation/ rematerialisation / split/ replacement/ consolidation, as the case may be, are placed before the Shareholders' Committee of the Board for approval. The meetings of the Shareholder's Committee are generally held at the beginning of each quarter. The requisite authority has been delegated by the Committee to the officers in the ranks of General Managers and Company Secretary to issue necessary approvals to the requests for transfer/ transmission/ sub-division/ split/ rematerialisation etc. received in between two Committee Meetings and to have those cases ratified at the subsequent Committee Meeting. On receipt of the necessary approval from the Bank, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., effects the transfers, remat etc.

A report on share transfers effected by the R&T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and Regulation 55A of the SEBI (Depositories & Participants) Regulations 2003, the Bank submits to the Stock Exchanges the Certificate by the Practicing Company Secretary received from the Registrar confirming that all the share certificates have been duly delivered and a Quarterly Statement on Reconciliation of Share Capital of the Bank respectively.

11.2. Number of complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. and those received by the Bank are forwarded to them. The details of requests/complaints received and resolved during Financial Year 2010-11 are as follows:

	01.04.2010 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण किया गया	31.03.11 तक लंबित
क) शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	45	435	480	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से कोई भी एक महीना से अधिक लंबित नहीं थी। 31 मार्च, 2011 को हमारे पास कोई शेयर अंतरण अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च 2011 को तकनीकी कारणों से संग्रही खाता में अंतरित नहीं किए जा सके जिन्हें शेयर रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, ऐसे 7415 शेयर उचित खाता में पड़े हुए थे।

01.04.2010 को उचित खाता में पड़े शेयर	68042
01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान शेयरधारकों को अंतरित शेयर	60627
31.03.2011 को उचित खाता में शेष शेयर	7415

बैंक ने शेयर बचे शेयरों को शीघ्रातिशीघ्र शेयर धारकों को भेजने के लिए सभी यथोचित कदम उठाए हैं।

12. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संपर्क एवं संबंध :

बैंक के साथ इसके प्रायोजकों/निदेशकों, प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनी और/अथवा संबंधितों के बीच वस्तुगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है जिससे बैंक के हित के साथ संभाव्य रूप से विवाद हो। 31 मार्च, 2011 को तुलनपत्र (अनुसूची 18) की लेखा पर टिप्पण में ए एस 18 के अनुसार बैंक से संबंधित पार्टी के लेनदेन को प्रकट किया गया है।

बैंक ने पूँजी बाजार संबंधी सभी विषयों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का दंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया। बैंक सुसंगत विधि के अनुरूप वार्षिक सामान्य बैठक करेगा तथा यदि बोर्ड के द्वारा अनुशंसित किया गया तथा शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने पर सांविधिक समय सीमा के भीतर योग्य शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करेगा।

बैंक से संबंधित सूचना मुख्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है जिसमें अध्यक्ष का वक्तव्य, निदेशक रिपोर्ट, कंपनी अभिशासन रिपोर्ट, लेखा परीक्षा खाता, नकदी प्रवाह विवरणी तथा पूँजी पर्याप्तता आदि पर प्रकटीकरण शामिल है। शेयर धारकों को तिमाही, छमाही एवं वार्षिक निष्पादनों की सूचना समाचार पत्र, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करके एवं प्रेस विज्ञप्ति तथा बैंक के वेब-साइट www.unitedbankofindia.com के माध्यम से दी जाती है।

	Pending as on 01.04.10	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.11
a) No. of complaints / requests	45	435	480	Nil

None of the above complaints was pending for more than one month. As on March 31, 2011, no share transfer requests were pending at our end.

As on March 31, 2010, 7415 shares were lying in the Suspense Account, created for the purpose of keeping the shares that could not be transferred to the allottees' accounts due to technical reasons.

Shares lying in the Suspense Account as on 01.04.10	68042
Shares transferred to shareholders during the year 01.04.10 to 31.03.11	60627
Balance shares lying in the Suspense Account as on 31.03.2011	7415

The Bank is taking all reasonable steps to ensure that the balance shares are transferred to the shareholders at the earliest.

12. Disclosure, communication and relationship with shareholders

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/Directors, Management, their Subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large. The Related Party Transactions of the Bank as per AS18 are disclosed in the Notes on Accounts (Schedule 18) to the Balance Sheet as on March 31, 2011.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI during the financial year 2010-11. The Bank will conduct the Annual General Meeting in accordance with relevant requirements of law and pay dividend to the eligible shareholders, if recommended by the Board and approved by the shareholders, within the statutory time frame.

Information relating to the Bank is sent to the shareholders mainly through the Annual Report which includes the Chairman's address, the Directors' Report, Report on Corporate Governance, Audited Accounts, Cash Flow Statement, disclosure on Capital Adequacy etc. The shareholders are also informed about the quarterly, half-yearly and annual performances of the Bank through publication in newspapers, reporting to the stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.unitedbankofindia.com.



वर्ष के दौरान बैंक का वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ :

During the year the financial results of the Bank, were published in the following newspapers:

अवधि Period	दैनिक का नाम Name of the Daily		प्रकाशन की तारीख Date of Publication
	अंग्रेजी English	बंगला Bengali	
जून, 2010 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2010	फाइनेन्सियल एक्सप्रेस Financial Express	आजकल Aajkaal	26.07.2010
सितंबर, 2010 को समाप्त तिमाही/छमाही Quarter/ Half Year ended September 2010	डी एन ए मनी DNA Money	आनंदबाजार पत्रिका Anandabazar Patrika	27.10.2010
दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2010	बिजनेस लाइन Business Line	आजकल Aajkaal	22.01.2011
दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही/वर्ष Quarter/ Year ended March 2011	इकोनॉमिक टाइम्स Economic Times	आनंदबाजार पत्रिका Anandabazar Patrika	30.04.2011*

* प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि ।

*proposed date of publication

13. आदेशात्मक तथा गैर-आदेशात्मक अपेक्षाएं

13.1 स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 में जैसा कि प्रावधान है, समस्त लागू आदेशात्मक अपेक्षाओं का बैंक ने अनुपालन किया है एवं जहाँ भी आवश्यक था छूट की अनुमति प्रदान की है।

13.2 गैर-आदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यावयन संबंधी सूचना निम्नवत है :

गैर-आदेशात्मक अपेक्षाएँ

अनुपालन

- 13.2.1 एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय की देख-रेख का हकदार होगा तथा उसे अपने कर्तव्यों के निष्पादन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।
भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक अध्यक्ष बैंक का प्रमुख होता है। इसलिए यह अपेक्षा लागू नहीं है।
- 13.2.2 प्रत्येक शेयर धारक के घर पर अर्द्धवार्षिक वित्तीय निष्पादन की घोषणा सहित पिछले छः महीने के महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश भेजे जाने चाहिए।
बैंक की तिमाही वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों, स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक के वेबसाइट के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाता है।
- 13.2.3 सतर्कता (विसेल ब्लोअर) नीति : बैंक कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है ताकि किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी अथवा बैंक के आचरण संहिता या नीति का उल्लंघन होने पर प्रबंधन को रिपोर्ट करें तथा कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।
बैंक ने एक विसेल ब्लोअर नीति लागू की है

13. Mandatory and Non-Mandatory requirements

13.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

13.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

Non-Mandatory REQUIREMENT

COMPLIANCE

- 13.2.1 A non-executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.
The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.
- 13.2.2 The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, should be sent to each shareholders.
Bank's Financial Results are published in Newspapers, intimated to Stock Exchanges and also uploaded on the Bank's Website.
- 13.2.3 Whistle Blower Policy: The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management, concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's Code of Conduct or ethics and provide for adequate safeguards against victimization of employees.
The Bank has in place a Whistle Blower Policy.

14. शेयर धारकों की सूचना

14.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने वार्षिक आम सभा 09 जुलाई, 2010 शुक्रवार को 10.30 बजे पूर्वाह्न बिड़ला सभागार, 29 आशुतोष चौधुरी एवेन्यू, कोलकाता -700019 में संपन्न किया।

14.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 27 नवंबर, 2010 तथा 23 मार्च, 2011 को बिड़ला सभागार, 29 आशुतोष चौधुरी एवेन्यू, कोलकाता -700 019 में क्रमशः शेयरधारकों के बीच से निदेशक मंडल में निदेशक के नामांकन एवं भारत सरकार का सामान्य शेयरों के अधिमन्य आबंटन को अनुमोदन की दृष्टि से दो असाधारण आम बैठकें संपन्न किया। दोनों ही अवसर पर शेयर धारकों ने ध्वनिमत से संकल्प पारित किया।

बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष में किसी पोस्टल बलेट की शुरुआत नहीं की है।

14.3 बैंक का वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 है।

14.4 वित्तीय वर्ष 2011-12 का सम्भावित वित्तीय कैलेंडर

तिमाही/छमाही/वार्षिक	प्रकाशन
जून 30, 2011	जुलाई 2011 का अंत
सितंबर 30, 2011	अक्तूबर 2011 का अंत
दिसंबर 31, 2011	जनवरी 2012 का अंत
मार्च 31, 2012	मई 2012 का अंत

14.5 खाताबंदी एवं अभिलेख तिथि

उद्देश्य Purpose	खाताबंदी अवधि Book Closure (Period)	अभिलेख तिथि Record Date
वार्षिक सामान्य बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा Annual General Meeting & Declaration of Final Dividend.	25.06.10 to 09.07.10 (दोनों दिनों सहित / both days inclusive)	अप्रयोज्य Not Applicable

14.6 18 मार्च, 2010 को निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हुए :

- बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभोय टॉवर
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट
मुंबई - 400001.
बी एस ई स्क्रिप कोड : 533171; स्क्रिप आई डी - UNITEDBNK
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1 ब्लॉक
बांद्रा - कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400051
एन एस ई स्क्रिप कोड : UNITEDBNK

14. Shareholders' Information

14.1. During the year under review the Bank held its Annual General Meeting on Friday, July 9th 2010 at 10.30 a.m. at Birla Shab-haghar, 29 Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata – 700019.

14.2 During the year under review the Bank has held 2 Extra-Ordinary General Meetings of its Shareholders, both at Birla Shab-haghar, 29 Ashutosh Choudhury Avenue, Kolkata – 700019 on November 27th 2010 and March 23rd 2011 to consider nomination of a director to the Bank's Board from among the shareholders and to approve the Preferential Allotment of Equity Shares to the Government of India respectively. The shareholders passed both the Resolutions with thumping majority on both occasions.

The Bank has not initiated any Postal Ballot during the year under review.

14.3 Financial Year of the Bank is from 01.04.10 to 31.03.11.

14.4 Tentative Financial Calendar for FY 2011-12

Quarter/ Half Year/ Annual	Publication by
June 30, 2011	End of July, 2011
Sept 30, 2011	End of October, 2011
Dec 31, 2011	End of January, 2012
March 31, 2012	End of May, 2012

14.5 Book Closure & Record Date

14.6 The Bank's shares got listed on March 18, 2010 on the following Stock Exchanges:

- Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai -400 001
BSE Scrip Code: 533171; Scrip Id - UNITEDBNK
- National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051
NSE Scrip Code: UNITEDBNK



15. शेयर संबंधी सूचना :

15.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से आई पी ओ में आवंटित किए गए तथा अमूर्तरूप में नेशनल एक्सचेंज के साथ व्यापार किया गया जिसे नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ़ सेक्युरिटीज लि. के साथ अमूर्त किया जा सकता है। बैंक को सामान्य शेयरों के अमूर्तकरण हेतु आई एस आई एन कोड संख्या : आई एन ई 695ए01019 आवंटित किया गया। तथापि बैंक के शेयरों का अमूर्तकरण अनिवार्य नहीं होता तथा शेयर धारक पुनःमूर्तकरण के माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग का रूपांतरण करवा कर अपने शेयरों को वस्तुरूप में भी रख सकते हैं। बैंक के शेयरों का लेनदेन दो स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई तथा एन एस ई के साथ होता है, अतः चलनिधि सामान्य होती है।

बैंक ने दोनो निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल एवं सी डी एस एल के साथ कुल स्वीकृत पूंजी के समाधान के उद्देश्य से सेक्रेटोरियल लेखा परीक्षा से संबंधित सेबी की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा बैंक की कुल निर्गम एवं सूचीबद्ध पूंजी तथा सेबी के निर्देशों के अंतर्गत अन्यविषयों की देख-रेख एक व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है।

31.03.2011 को ईक्विटी शेयर धारकों द्वारा डिमैट रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नप्रकार है :

डिमैट DEMAT	शेयर धारकों की संख्या No. of Holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयर धारित का प्रतिशत %-age Holding
सी डी एस एल में अन्य Others in CDSL	20913	270874897	78.64
एन एस डी एल में अन्य Others in NSDL	39797	45554263	13.23
वस्तु रूप में एवं अन्य Physical & Others	23	27991461	8.13
कुल Total	60733	344420621	100.00

15.2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएँ (एनईसीएस) & इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएँ (ईसीएस)

एनईसीएस/ईसीएस लाभांश ब्याज आदि के भुगतान की एक अभिनव पद्धति है जहाँ निवेशकों को देय राशि सीधे उनके/उनकी बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक ने शेयर धारकों को एनईसीएस/ईसीएस सुविधा प्राप्त करने की सेवाएँ प्रदान की है।

एनईसीएस/ ईसीएस अधिपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे पंजीकार एवं अंतरण एजेंट को भेजा जा सकता है। शेयर धारकों के निर्देश पर किसी भी समय एनईसीएस/ईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने को बंद किया जा सकता है।

15.3 वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए लाभांश:

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹2/- की दर से लाभांश का भुगतान किया है जो 2009-10 का लाभांश है। यह बैंक के विगत वार्षिक सामान्य सभा

15. Share Related Information

15.1 Dematerialisation of Securities

The Bank's shares were compulsorily allotted in the IPO and are traded on the Exchanges in dematerialised mode and can be dematerialised with National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. The Bank has been allotted ISIN Code No.INE 695A01019 for the Dematerialised Equity Shares. However, the dematerialisation of Bank's shares are not mandatory and the shareholders can keep their shares in physical form also by conversion of their electronic holding through rematerialisation. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with on the two premier Stock Exchanges of the country i.e. BSE and NSE.

The Bank has ensured compliance of SEBI requirements, with regard to secretarial audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practicing Company Secretary.

Particulars of shares in Demat form held by the Equity shareholders as on 31.03.11 are as under:

15.2 National Electronic Clearing Services (NECS) & Electronic Clearing Services (ECS)

NECS/ECS is a novel method of payment of dividend/interest, etc., whereby the amount due to an investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders to avail the NECS/ECS facility.

The NECS/ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent. The option to receive dividend through NECS/ECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholder.

15.3. Dividend paid by the Bank during the year 2010-11

The Bank has paid dividend at the rate of ₹2/- per equity share of ₹10/- each during 2010-11 being the Final Dividend for 2009-10

में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित है।

बैंक ने भारत सरकार को उक्त अधिमानी शेयरों के निर्गम के अनुसार 31.03.2011 को 25000 बकाया स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयरों पर 6% अधिमानी लाभांश दर पर वर्तमान रेपो दर से 1% अधिक का भुगतान किया।

15.4 बैंक की शेयर पूँजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ होगी जिसे ₹ 300 करोड़ पूर्णतः प्रदत्त ₹10/- प्रत्येक के सामान्य शेयर में विभाजित किया जाएगा।

बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी ₹344.42 करोड़ है जो ₹10 के प्रत्येक सामान्य शेयर 34.44 करोड़ में विभाजित है जिसमें भारत सरकार बैंक के 29.44 करोड़ सामान्य शेयर पूँजी धारित करती है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक (85.48%) है।

भारत सरकार ने जून 2010 को ₹1,00,000/- प्रत्येक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के 25000 निर्गमों के लिए ₹250.00 करोड़ की पूँजी प्रदान किया, जो 100 आधार बिंदु सह रेपो कूपन दर पर देय (अधिमानी लाभांश) है। यह बैंक की टियर I पूँजी का हिस्सा होगा जिसमें 100 आधार बिंदु के विस्तार के साथ रेपो दर के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर होगा। इसे संबंधित तिथि को वर्तमान रेपो वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाएगा।

भारत सरकार ने मार्च 2011 में ₹308.00 करोड़ की अधिमानी आबंटन के माध्यम से सामान्य पूँजी प्रदान की जो बैंक की स्थायी पूँजी है।

तदनुसार बैंक की वर्तमान पूँजी संरचना निम्नलिखित है :

approved by the shareholders at the Bank's last AGM.

The Bank has also paid to the Government of India Preference Dividend at the rate of 6% being 1% above the prevailing Repo Rate on 25000 outstanding Perpetual Non-Cumulative Preference Shares as on 31st March 2011 as per the terms of issue of the said preference shares.

15.4. Share Capital of the Bank

As per section 3(2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act) 1970, as amended, the Authorised Capital of the Nationalised Bank shall be ₹3000 crore divided into 300 crore fully paid equity shares of ₹10/- each.

The issued, subscribed and paid-up capital of the Bank is ₹344.42 crore divided into 34.44 crore equity shares of ₹10/- each in which the Government of India holds 29.44 Crore Equity Shares and is the major shareholder (85.48%) of the Bank.

The Government of India infused capital of ₹250 crore in June 2010 against the issue of 25000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares of ₹100,000/- each. This will be a part of Tier I Capital of the Bank and carry an annual floating coupon to be benchmarked to Repo Rate with a spread of 100 basis points to be readjusted annually based on the prevailing Repo Rate on the relevant date.

The Government of India infused equity capital through Preferential Allotment to the tune of ₹308 crore in March 2011, which is a part of the core capital of the Bank.

Accordingly the present Capital Structure of the Bank is as follows:

	(₹ करोड़) / ₹ crore
प्राधिकृत शेयर पूँजी Authorised Share Capital	3000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी Issued, Subscribed and Paid-up Capital:	
प्रत्येक ₹.10/- की दर के सामान्य शेयर 344420621 344420621 Equity Shares of ₹10/- each	344.42
80000 स्थायी गैर संचयी अधिमानी शेयर 80000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	800.00
कुल प्रदत्त पूँजी Total Paid up Capital :	1144.42



सारणी 1: 31.03.2011 को श्रेणीवार सामान्य शेयरों का वितरण

श्रेणी	रखे गए शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत (%)
क) प्रायोजक जमापूँजी	-	-
1. प्रायोजक		
भारतीय प्रायोजक (जी ओ आई)	294420621	85.48
विदेशी प्रायोजक	-	-
2. मिल कर कार्य करते हुए व्यक्ति	-	-
उप-योग	294420621	85.48
ख) गैर प्रायोजक जमापूँजी		
3. संस्थानिक निवेशक		
क) म्युचुअल फंड एवं युटीआई	5952243	1.73
ख) बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों (केंद्रीय) राज्य संस्थाएँ/गैर-सरकारी संस्थान	959657	0.28
ग) एफ आईआईएस/एफएमएएस/विदेशी बैंक	10536049	3.06
उप-योग	17447949	5.07
ग) अन्य		
क) निजी कंपनी निकाय	19812854	5.75
ख) भारतीय जनता	11714779	3.40
ग) एन आर आई(एस)/ओ बी सी (एस)	359265	0.10
घ) कोई अन्य	665153	0.19
उप - योग	32552051	9.44
कुल योग	34420621	100.00

(बैंक के पास आंशिक रूप से प्रदत्त कोई शेयर नहीं है)

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2011

Category	No. of shares held	Percentage of shareholding (%)
A. Promoters' Holding		
1. Promoters		
Indian Promoters (GOI)	294420621	85.48
Foreign Promoters	-	-
2. Persons Acting in Concert	-	-
Sub-Total	294420621	85.48
B. Non-Promoters' Holding		
3. Institutional Investors		
a) Mutual Funds & UTI	5952243	1.73
b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central / State Institutions/ Non-Government Institutions)	959657	0.28
c) FIIs/FMEs/ Foreign Banks	10536049	3.06
Sub-Total	17447949	5.07
C. Others		
a) Private Corporate Bodies	19812854	5.75
b) Indian Public	11714779	3.40
c) NRIs/OCBs	359265	0.10
d) Others	665153	0.19
Sub-Total	32552051	9.44
Grand Total	344420621	100.00

(The bank does not have any partly paid shares)

सारणी 2: 31.03.2011 को कुल विदेशी जमा पूँजी

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर जमा पूँजी का प्रतिशत
01	जी डी आर एवं ए डी आर जमा पूँजी	-	-
02	विदेशी प्रायोजक	-	-
03	विदेशी सांस्थानिक निवेशक	10536049	3.06%
04	विदेशी म्युचुअल फंड	-	-
05	एन आर आई एस	359165	0.10%
06	विदेशी बैंक	-	-
07	विदेशी नागरिक/ओसीबी	100	0.00%
	कुल	10895314	3.16%

Table 2: Total Foreign Shareholding as on 31.03.2011

Sl. No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholdings
1	GDR & ADR holding	-	-
2	Foreign Promoters	-	-
3	Foreign Institutional Investors	10536049	3.06%
4	Foreign Mutual Funds	-	-
5	NRIs	359165	0.10%
6	Foreign Banks	-	-
7	Foreign National/OCB	100	0.00%
	Total	10895314	3.16%

सारणी 3: 31.03.2011 को बैंक के सामान्य शेयरों का 1% से अधिक शेयर धारकों के जमा पूँजी की सूची

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the Bank as on 31.03.11.

क्रम सं. Sl.No	शेयर धारकों का नाम Name of share holders	रखे गए शेयरों की संख्या Number of Shares held	शेयर जमा पूँजी का प्रतिशत Percentage of Shareholdings (%)	श्रेणी Category
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	294420621	85.48	भारतीय प्रायोजक Indian Promoter
2.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस क. लि. HDFC Standard LIC Ltd.	5744831	1.67	इंश्योरेंस कंपनी Insurance Company
3.	बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस क.लि. Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	4475000	1.30	इंश्योरेंस कंपनी Insurance Company
4.	कनारा एचएसबीसी ओ बी सी एल आई सी लि. Canara HSBC OBC LIC Ltd.	3721885	1.08	इंश्योरेंस कंपनी Insurance Company

15.5 स्टॉक मार्केट आँकड़ा

बी एस ई तथा एन एस ई पर बैंक शेयर व्यापार आँकड़ा निम्नप्रकार से है :

15.5. Market Price Data

The monthly high and low market prices of Bank's equity shares on BSE and NSE for 2010-11:

माह Month	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज		नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	
	मासिक उच्चमूल्य	मासिक निम्नमूल्य	मासिक उच्चमूल्य	मासिक निम्नमूल्य
	Bombay Stock Exchange		National Stock Exchange	
	Monthly High (₹)	Monthly Low (₹)	Monthly High (₹)	Monthly Low (₹)
अप्रैल, 2010 / April 2010	90.40	69.60	90.80	69.50
मई, 2010 / May 2010	85.50	73.20	84.65	74.60
जून, 2010 / June 2010	86.25	76.30	86.25	76.55
जुलाई, 2010 / July 2010	92.00	72.10	92.25	80.00
अगस्त, 2010 / August 2010	107.85	86.40	107.80	86.20
सितंबर, 2010 / September 2010	120.70	94.70	120.75	94.80
अक्टूबर, 2010 / October 2010	148.00	118.60	150.00	118.00
नवंबर, 2010 / November 2010	152.20	108.00	136.50	107.00
दिसंबर, 2010 / December 2010	125.75	93.50	125.60	90.20
जनवरी, 2011 / January 2011	102.85	88.50	102.65	88.50
फरवरी, 2011 / February 2011	99.00	83.30	100.00	83.50
मार्च, 2011 / March 2011	113.45	91.20	113.40	91.40




बैंक के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव के साथ - साथ सूचकांक:

Movements of Bank's Share vis-à-vis Index:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
Bombay Stock Exchange


युनाइटेडबीएनके — सेंसेक्स — पीएसयु
UNITEDBNK — SENSEX — PSU



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

National Stock Exchange

युनाइटेड बैंक - एस & पी सीएनएक्स निफ्टी
UNITEDBANK-S&P CNX NIFTY



15.6 31.03.2011 को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयर जमा पूँजी का मूल्य वितरण

15.6. Value wise Distribution of Share holding of United Bank of India as on 31.03.2011.

श्रेणी Category	धारकों की संख्या No. of Holders	धारकों का % %-age of Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों का % %-age of Shares
1 — 500	57429	94.5598	7271038	2.1111
501 — 1000	1844	3.0362	1513480	0.4394
1001 — 2000	886	1.4588	1308405	0.3799
2001 — 3000	194	0.3194	491587	0.1427
3001 — 4000	76	0.1251	262699	0.0763
4001 — 5000	76	0.1251	356969	0.1036
5001 — 10000	104	0.1712	768648	0.2232
10001 and above	124	0.2042	332447795	96.5238
Total:	60733	100.0000	344420621	100.0000

15.7 31 मार्च, 2011 को बकाया एडीआर/जीडीआर/वारंट/परिवर्तनीय लिखत नहीं है।

15.7. There is no outstanding ADR/ GDR/ Warrant/ Convertible Instrument as on March 31, 2011.

15.8 पत्राचार का पता


15.8. Address for Correspondence


युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA
SHARE DEPARTMENT & INVESTOR GRIEVANCE CELL
HEAD OFFICE,
11, HEMANTA BASU SARANI, KOLKATA – 700001.

कृते निदेशक मंडल

For & on behalf of the Board of Directors


भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक


Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

दिनांक: अप्रैल 29, 2011
स्थान: कोलकाता

Date: April 29, 2011
Place: Kolkata



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11 हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001.

घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कि बैंक के निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (यथा महाप्रबंधक) के लिए बैंक ने आचार संहिता का निर्धारण किया है और उक्त संहिता को बैंक की वेबसाइट पर दर्ज किया गया है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

भास्कर सेन

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

दिनांक: 29 अप्रैल, 2011

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank (i.e. General Managers) and the said code is posted on the Bank's website. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

Date: April 29, 2011

निदेशक मंडल
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata - 700001.

**लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49V के अनुसार सी इ
ओ/सी एफ ओ प्रमाण पत्र ।**

**CEO/CFO Certification under Clause 49 (V)
of the Listing Agreement**

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि


We hereby certify that -


- क) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए नकदी प्रवाह विवरणों एवं वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की है।
- i. इन विवरणियों में किसी तरह की गलतबयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिया गया है, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।
- ii. इन विवरणों में बैंक के मामलों को सही एवं समीचीन ढंग से रखा गया है तथा इसमें लेखा मानकों, लागू कानूनों विनियमों तथा मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के मुताबिक वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जिसमें कपट, गैरकानूनी या बैंक के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।
- ग) हम एतद्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं लागू रखने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं।

- a. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2010-11 and that to the best of our knowledge and belief:
- i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- ii. These statements together present a true & fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws, regulations and guidelines.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violating Bank's Code of Conduct.
- c. We hereby accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have found the same to be in order. Whatever minor routine deficiencies were found have been brought to the notice of the Auditors and the Audit Committee and duly addressed.
- d. We further confirm that -
- i. there has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year.
- ii. there has not been any significant change in accounting policies during the year.
- iii. 8 cases of frauds involving the employees of the various Branches of the Bank involving an amount of ₹ 128.13 lacs were detected during the year and reported to the appropriate authority. ₹ 25.64 lacs was recovered out of the said amount.

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है एवं उसे सही पाया है। जो कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, उसे लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाया गया है एवं उसका समाधान किया गया है।

- घ) हम आगे पुष्टि करते हैं कि
- i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
- iii. वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के 8 मामले, जिसमें ₹ 128.13 लाख की राशि के साथ बैंक के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी शामिल थे, उसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को दी गई। उक्त राशि में से ₹ 25.64 लाख की वसूली हो पाई।


डि बसु
महाप्रबंधक
(राजकोष, लेखा एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)


भास्कर सेन
भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक


D. Basu
General Manager - Treasury,
Accounts & International Banking


Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

Dated : April 29, 2011
Place: Kolkata



कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण,

हमने बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ उक्त बैंक के लिस्टिंग के खंड 49 में यथानिर्धारित 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रिया विधि एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो बैंक की वित्तीय विवरणियों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है और न ही लेखा परीक्षा।

बैंक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं आलेखों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचनाओं के आधार पर :

- क) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि उपर दिए हुए लिस्टिंग करार में उल्लिखित है।
- ख) हम उल्लेख करते हैं कि बैंक के निवेशकों की एक महीने से ज्यादा की कोई शिकायत लंबित नहीं है। यह शेयर धारकों तथा बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रमाण के आधार पर है।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन है न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसकी बदौलत प्रबंधन ने बैंक के कामकाज का संचालन किया है।

कृते मेसर्स. एच. एस. रूस्तगी एंड कं.
M/s. H.S. Rustagi & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 00189 एन
FRN 001890N

(सीए एन. के. रूस्तगी)
(CA N.K. Rustagi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 085676
Membership No. 085676

कृते मेसर्स. जार्ज रीड एंड कं.
M/s. George Read & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 302208 ई
FRN 302208E

(सीए राजीव पांजा)
(CA Rajiv Panja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 057393
Membership No. 057393

कृते मेसर्स. डी. के. छाजर एंड कं.
M/s. D. K. Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 304138 ई
FRN 304138E

(सीए नीरज ज़ुनझुनवाला)
(CA Niraj Jhunjhunwala)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 057170
Membership No. 057170

कृते मेसर्स. एम.चौधुरी एंड कं.
M/s. M. Choudhury & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 302186 ई
FRN 302186E

(सीए एम. चौधुरी)
(CA M. Choudhury)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 003800
Membership No. 003800

कृते मेसर्स. एम.सी.भंडारी एंड कं.
M/s. M.C. Bhandari & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 303002 ई
FRN 303002E

(सीए नीलिमा जैन)
(CA Neelima Jain)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 065286
Membership No. 065286

कृते मेसर्स. रमेश सी.अग्रवाल
M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 001770 सी
FRN 001770C

(सीए रमेश सी. अग्रवाल)
(CA Ramesh C. Agrawal)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 070229
Membership No.070229

AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by United Bank of India for the year ended 31st March, 2011 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements of the Bank with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of an opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements.
- b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders' Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

दिनांक: अप्रैल 29, 2011
स्थान: कोलकाता

Dated : April 29, 2011
Place: Kolkata

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के 31 मार्च 2011 के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा कर ली है। इस लेखा-परीक्षा में 31 मार्च 2011 का तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता एवं समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट लेखा नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण योग्य सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों में 20 ऐसी शाखाओं के विवरण हैं जिनकी लेखा-परीक्षा हमने की है और 1196 शाखाएं वैसी हैं जिनकी लेखा-परीक्षा शाखा लेखा- परीक्षकों ने की है। हमारे द्वारा लेखा- परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशा- निर्देश के अनुसार किया गया है। इस तुलन- पत्र में, उन 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 382 शाखाओं और 1 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के लाभ- हानि खाते और नकदी प्रवाह को भी शामिल किया गया है जो लेखा- परीक्षा के अधीन नहीं हैं। जिन शाखाओं की लेखा- परीक्षा नहीं की गई है, उनमें कुल अग्रिमों का 1.58 प्रतिशत, जमा का 5.83 प्रतिशत, ब्याज आय का 1.30 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 5.29 प्रतिशत शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इस वित्तीय विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुरूप तैयार करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में उन आंतरिक नियंत्रणों का निर्माण करना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनको बनाए रखना शामिल है जो इस वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करने के लिए प्रासंगिक है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त हो - चाहे वह गलत विवरण किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण।

लेखा- परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि हम लेखा- परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने जो लेखा- परीक्षा की है वह इन्संटीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा- परीक्षा के मानकों के अनुरूप है। उन मानकों के लिए यह जरूरी है कि हम आचार- नीति का पालन करें और लेखा- परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका निष्पादन इस तरह करें ताकि यह वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं - इसके बारे में एक युक्तियुक्त आश्वासन हासिल हो सके।

4. लेखा- परीक्षा में इस कार्य को निष्पादित करने की पद्धति शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों की राशि और प्रकटीकरण संबंधी लेखा - परीक्षा साक्ष्य हासिल हो सके। चयनित पद्धति लेखा- परीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणों से संबंधित तथ्यपरक गलत विवरण के जोखिमों की समीक्षा भी शामिल

**To
The President of India**

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying Financial Statements of United Bank of India as at 31st March, 2011 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2011, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1196 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 30 Regional Offices, 381 Branches and 1 Staff Training College which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 1.58 per cent of gross advances, 5.83 per cent of deposits, 1.30 per cent of interest income and 5.29 per cent of interest expense.

Management's Responsibility For The Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. The responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud



होती है - चाहे वह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी भूल के कारण। उन जोखिमों की समीक्षा करते हुए लेखा- परीक्षक उस आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जो वित्तीय विवरणों के लिए उस बैंक की तैयारियों और साफ- सुथरी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होते हैं ताकि संबंधित परिस्थितियों में लेखा- परीक्षा की पद्धतियों की समुचित रूपरेखा बनाई जा सके। लेखा- परीक्षा के अंतर्गत उपयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल रहता है और प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन प्राक्कलन की युक्तियुक्तता भी। इसी के साथ वित्तीय विवरणों की समग्रतः प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा- परीक्षा साक्ष्य, लेखा- परीक्षा संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते हैं।
6. लेखा परीक्षा संबंधी मानक 706 “इम्प्रेसिस ऑफ़ मैटर पैराग्राफ” के अनुसार अपने विचारों के अर्हकर (क्वालिफाइंग) न होते हुए, हम निम्नलिखित पर ध्यान दिलाना चाहेंगे :
 - i. अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.5.3 (क) जो कर्मचारियों के लाभ के संबंध में इस वर्ष संक्रमणकालीन दायों के बकाया अंश को प्रभार- मुक्त करने के संबंध में है और
 - ii. अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.5.3 (ख)-जो लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट के लिए दी गई अनुमति के फलस्वरूप इस बैंक द्वारा 357.85 करोड़ रूपए की पेंशन और उपदान देयता को आस्थगित रखे जाने से संबंधित है।

विचार

7. हमारे विचार से - जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है, हमारी पूरी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप :
 - i. यह तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों के साथ पठित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्ण और सुस्पष्ट है, इसमें सभी विवरण समाहित किए गए हैं और यह समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि यह इस बैंक के 31 मार्च 2011 तक के काम- काज का सही - सही और साफ सुथरा चित्र प्रदर्शित करे ;
 - ii. विशिष्ट नीतियों और उससे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित यह लाभ - हानि लेखा बैंक के उस लाभ को सही- सही दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है ; और
 - iii. नकदी प्रवाह विवरण इस वर्ष की नियत तिथि को नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र क्रमशः ‘क’ और ‘ख’ में तैयार किए गए हैं।

or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
6. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 “Emphasis of Matter Paragraph”, without qualifying our opinion, we draw attention to:
 - i. Note No. 5.3 (a) in Schedule 18 regarding charging off the residual portion of transitional obligations during the year in respect of employee benefits and
 - ii. Note No. 5.3 (b) in Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹357.85 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15.

Opinion

7. In our opinion, as shown by the books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Balance Sheet, read with the significant policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - ii. The Profit and Loss Account, read with the significant policies and the notes thereon, shows a true balance of the profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report On Other Legal And Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in Forms ‘A’ and ‘B’ respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. ऊपर के पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा- परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की जरूरतों के अनुरूप तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की जरूरत के मद्देनजर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :
- लेखा - परीक्षा के लिए प्रयोजनीय सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमें मिले हैं और हमारी जानकारी में और हमारे विश्वास के अनुसार वे संतोषजनक पाए गए हैं ।
 - बैंक के जितने भी लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं ।
 - बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा- परीक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त पाई गयीं ।
10. हमारे विचार से तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है ।

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the limitations of disclosure required therein we report that:
- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते मेसर्स. एच. एस. रूस्तागी एंड कं. M/s. H.S. Rustagi & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 00189 एन FRN 001890N	कृते मेसर्स. जार्ज रीड एंड कं. M/s. George Read & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302208 ई FRN 302208E	कृते मेसर्स. डी. के. छाजर एंड कं. M/s. D. K. Chhajer & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 304138 ई FRN 304138E	कृते मेसर्स. एम. चौधुरी एंड कं. M/s. M. Choudhury & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302186 ई FRN 302186E	कृते मेसर्स. एम.सी.भंडारी एंड कं. M/s. M.C. Bhandari & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 303002 ई FRN 303002E	कृते मेसर्स. रमेश सी. अग्रवाल M/s. Ramesh C. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 001770 सी FRN 001770C
(सीए एन. के. रूस्तागी) (CA N.K. Rustagi) भागीदार Partner सदस्यता सं. 085676 Membership No. 085676	(सीए राजीव पांजा) (CA Rajiv Panja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 057393 Membership No. 057393	(सीए नीरज झुनझुनवाला) (CA Niraj Jhunjhunwala) भागीदार Partner सदस्यता सं. 057170 Membership No. 057170	(सीए एम. चौधुरी) (CA M. Choudhury) भागीदार Partner सदस्यता सं. 003800 Membership No. 003800	(सीए नीलिमा जैन) (CA Neelima Jain) भागीदार Partner सदस्यता सं. 065286 Membership No. 065286	(सीए रमेश सी. अग्रवाल) (CA Ramesh C. Agrawal) भागीदार Partner सदस्यता सं. 070229 Membership No. 070229

दिनांक: 29.04.2011
स्थान : कोलकाता

Date : 29.04.2011
Place : Kolkata



**31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र
एवं
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा**

**Balance Sheet as on 31st March, 2011
and
Profit and Loss Account for the year ended
31st March, 2011**

31 मार्च 2011 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

पूंजी एवं देयताएं

CAPITAL & LIABILITIES

₹ हजार में
(₹ in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
पूंजी Capital	1	1144, 42, 06	866, 43, 08
प्रारक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus	2	3877, 25, 66	3036, 49, 59
जमाराशियां Deposits	3	77844, 80, 04	68180, 32, 19
उधार राशियां Borrowings	4	2886, 53, 59	915, 33, 81
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	4287, 51, 21	4006, 40, 29
कुल / Total		90040, 52, 56	77004, 98, 96



31 मार्च 2011 का तुलन- पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

आस्तियां
ASSETS

₹ हजार में
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां Cash and balances with Reserve Bank of India	6	5943, 15, 24	4707, 01, 82
बैंकों में जमा राशियां और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1384, 58, 74	1670, 78, 00
निवेश Investments	8	26258, 94, 63	26067, 73, 60
अग्रिम Advances	9	53502, 43, 71	42330, 03, 99
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	818, 87, 05	650, 99, 70
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2132, 53, 19	1578, 41, 85
कुल /Total :		90040, 52, 56	77004, 98, 96
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	8157, 37, 03	9812, 19, 20
उगाही हेतु बिल Bills for collection		2275, 42, 42	1781, 26, 15
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 / SCHEDULE 1

पूंजी
CAPITAL

₹ हजार में
(₹ in thousand)

		31.03.2011 को As on 31.03.2011		31.03.2010 को As on 31.03.2010
प्राधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		3000, 00, 00		
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital शून्य [विगत वर्ष ₹10/- (प्रत्येक) शेयर के 2, 20, 00, 00, 000 ईक्विटी शेयर] NIL (Previous year 2, 20, 00, 00, 000 Equity shares of ₹10/- each)	—		2200, 00, 00	
बेमौयामी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) Perpetual Non Cumulative Preference Shares(PNCPS) शून्य (विगत वर्ष ₹1, 00, 000 (प्रत्येक) के 80, 000 बेमौयामी संचयी अधिमानी शेयर) (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.1(क)(iii) देखें) NIL (Previous Year 80, 000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 1, 00, 000/- each) (Refer Note 1 (a)(iii) of Schedule 18)	—		800, 00, 00	3000, 00, 00
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी 344420621 [पूर्ववर्ती वर्ष 316430800] ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- का [294420621 सहित (पूर्ववर्ती वर्ष में 266430800) प्रत्येक ईक्विटी शेयर ₹10/- का । (भारत सरकार के पास)] ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL 344420621 (Previous Year 316430800) Equity Shares of ₹10/- each[(including 294420621 (Previous Year 266430800) held by GOI) (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.1(क) देखें) (Refer Note 1(a) of Schedule 18)		344, 42, 06		316, 43, 08
80000 (पूर्ववर्ती वर्ष में 55000) बेमौयामी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) प्रत्येक शेयर ₹1,00,000/- का भारत सरकार के पास 80000 (Previous Year 55000) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹1,00,000/- each held by GOI		800, 00, 00		550, 00, 00
कुल / Total		1144, 42, 06		866, 43, 08



अनुसूची 2 / SCHEDULE 2

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष
RESERVES & SURPLUS

₹ हजार में
(₹ in thousands)

	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I सांविधिक प्रारक्षित निधि / Statutory Reserves		
अथ शेष / Opening Balance	326, 41, 15	245, 82, 25
घटाव : पिछले वर्ष के संबंध में समायोजन / Less : Adjustment in respect of earlier year	—	—
जोड़ : लाभ हानि लेखा से / Add: Transfer from Profit & Loss Account	130, 99, 30	80, 58, 90
उप योग / SUB-TOTAL :	457, 40, 45	326, 41, 15
II पूंजी प्रारक्षित निधि / Capital Reserves		
क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि /		
a) Revaluation Reserve		
अथ शेष / Opening Balance	451, 64, 05	468, 95, 09
जोड़ : वर्ष के दौरान / Addition during the year	219, 74, 28	—
घटाव : लाभ-हानि लेखा में अंतरण / Less : Transfer to profit & Loss Account	(12, 95, 08)	(17, 31, 04)
ख) अन्य	658, 43, 25	451, 64, 05
b) Others		
अथ शेष / Opening Balance	1471, 84, 63	183, 67, 72
जोड़ : पूंजी पुनर्गठन से संबंधित समायोजन (देखें अनुसूची 18 नोट 1(क)(i) Adjustment in respect of capital restructuring	—	1266, 00, 00
जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण Add:Transfer from Profit & Loss Account	18, 72, 97	22, 16, 91
उप योग [(क) + (ख)] / SUB-TOTAL [(a) + (b)]	2149, 00, 85	1923, 48, 68
III शेयर प्रीमियम / Share Premium		
अथ शेष / Opening Balance	261, 71, 00	—
जोड़ : इस वर्ष का योग / Addition during the year	280, 01, 02	275, 15, 16
घटाव : सार्वजनिक निर्गम व्यय / Less: Public Issue Expenses	—	(13, 44, 16)
उप योग / SUB TOTAL	541, 72, 02	261, 71, 00
IV क) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित		
a) Revenue and Other Reserves		
राजस्व प्रारक्षित / Revenue Reserve		
अथ शेष / Opening Balance	511, 23, 76	396, 88, 06
घटाव : पूर्ववर्ती वर्ष में संबंधित समायोजन Less: Adjustment in respect of earlier year	(12, 73)	—
जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण Add:Transfer from Profit & Loss Account	218, 01, 31	114, 35, 70
उप योग / SUB TOTAL (a)	729, 12, 34	511, 23, 76
ख) निवेश प्रारक्षित लेखा		
b) Investment Reserve Account		
अथ शेष / Opening Balance	13, 65, 00	—
घटाव - पिछले वर्ष के संबंध में समायोजन / Less: Adjustment during the year	(13, 65, 00)	—
जोड़ - लाभ-हानि लेखा से अंतरण / Add:Transfer from Profit & Loss Account	—	13, 65, 00
उप योग / SUB TOTAL (b)	0	13, 65, 00
उप योग [(क) + (ख)] / SUB-TOTAL [(a) + (b)]	729, 12, 34	524, 88, 76
V लाभ-हानि लेखा में शेष / Balance in Profit & Loss Account	—	—
कुल (I + II + III+IV+V) / TOTAL (I + II + III+IV+V)	3877, 25, 66	3036, 49, 59

अनुसूची 3 / SCHEDULE 3

जमा			₹ हज़ार में (₹ in thousand)	
DEPOSITS			31.3.2011 को As on 31.03.2011	31.3.2010 को As on 31.03.2010
क I	माँग जमा			
A I	Demand Deposits			
	i) बैंकों से i) From Banks		542, 33, 75	264, 52, 44
	ii) अन्य से ii) From Others		7986, 18, 53	6383, 22, 43
II	बचत बैंक जमा		23217, 48, 42	19335, 53, 78
II	Savings Bank Deposits			
III	मीयादी जमा			
III	Term Deposits			
	i) बैंकों से i) From Banks		1644, 45, 07	1499, 41, 26
	ii) अन्य से ii) From Others		44454, 34, 27	40697, 62, 28
		कुल / Total :	77844, 80, 04	68180, 32, 19
B	i) भारत की शाखाओं में जमा		77844, 80, 04	68180, 32, 19
	i) Deposits of branches in India			
	ii) भारत के बाहर शाखाओं में जमा		—	—
	ii) Deposits of branches outside India			
		कुल / Total	77844, 80, 04	68180, 32, 19



अनुसूची 4 / SCHEDULE 4

उधार BORROWINGS		₹ हजार में (₹ in thousands)	
		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	भारत में उधार Borrowings in India		
i)	भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	500, 00, 00	—
ii)	अन्य बैंक Other Banks	—	—
iii)	अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ Other Institutions & Agencies	1982, 33, 59	891, 82, 14
II	भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	404, 20, 00	23, 51, 67
	कुल / Total:	2886, 53, 59	915, 33, 81
	उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार राशियाँ Secured borrowings included in I&II above	500, 00, 00	—

अनुसूची 5 / SCHEDULE 5

अन्य देयताएं एवं प्रावधान

OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

₹ हजार में

(₹ in thousands)

	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I देय बिल Bills Payable	399, 90, 63	452, 96, 21
II अंतर कार्यालय समायोजन Inter-Office Adjustments (net)	62, 55, 74	19, 02, 01
III उपचित ब्याज Interest accrued	337, 55, 57	384, 43, 55
IV बेजमानती प्रतिदेय बांड से (टीयर II पूंजी हेतु गोण ऋण) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debts for Tier II Capital)	1525, 00, 00	1525, 00, 00
V मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions against Standard Assets	265, 25, 00	216, 90, 00
VI आस्थगित कर देयता (शुद्ध) Deferred Tax Liability (net)	—	—
VII प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including Dividend Tax)	156, 23, 60	91, 59, 09
VIII अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)	1541, 00, 67	1316, 49, 43
कुल / Total:	4287, 51, 21	4006, 40, 29



अनुसूची 6 / SCHEDULE 6

भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

₹ हजार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	283, 72, 74	298, 81, 39
II	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India		
i)	चालू खातों में i) In Current Account	5659, 42, 50	4408, 20, 43
ii)	अन्य खातों में ii) In Other Accounts	—	—
	कुल / Total:	5943, 15, 24	4707, 01, 82

अनुसूची 7 / SCHEDULE 7

बैंकों में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर राशि

BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

₹ हजार में
(₹ in thousands)

		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	भारत में In India -		
	i) बैंकों में जमा i) Balances with Banks		
	a) चालू खातों में a) In Current Accounts	117, 96, 23	137, 00, 01
	b) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	—	—
	ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय ii) Money at Call and Short Notice		
	a) बैंकों में a) With Banks	—	1500, 00, 00
	b) अन्य संस्थाओं में b) With other Institutions	—	—
	उप - योग /SUB-TOTAL :	117, 96, 23	1637, 00, 01
II	भारत के बाहर - Outside India -		
	i) चालू खातों में i) in Current Accounts	1266, 62, 51	33, 77, 99
	ii) अन्य जमा खातों में ii) in Other Deposit Accounts	—	—
	iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि iii) Money at Call and Short Notice	—	—
	उप - योग / SUB-TOTAL :	1266, 62, 51	33, 77, 99
	कुल / Total:	1384, 58, 74	1670, 78, 00



अनुसूची 8 / SCHEDULE 8

निवेश INVESTMENTS		₹ हजार में (₹ in thousands)	
		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	भारत में निवेश (सकल) Investments in India (Gross)	26408, 86, 01	26602, 23, 26
	घटाव : एनपीआई, मूल्य हास/परिशोधन हेतु प्रावधान Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation	(149, 91, 38)	(534, 49, 66)
	शुद्ध / NET	26258, 94, 63	26067, 73, 60
	विश्लेषण Break-up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	19123, 42, 12	19567, 19, 04
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	40, 60, 92	54, 09, 99
	iii) शेयर / Shares	308, 18, 10	247, 74, 56
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स / Debentures and Bonds	2156, 32, 65	2060, 65, 87
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or Joint Ventures	—	—
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड आदि) / Others (Mutual Fund etc.)	4630, 40, 84	4138, 04, 14
	उप-योग / SUB-TOTAL :	26258, 94, 63	26067, 73, 60
II	भारत के बाहर निवेश (सकल) Investments outside India (Gross)	71	1, 58
	घटाव : मूल्य हास हेतु प्रावधान Less : Provision for depreciation	(71)	(1, 58)
	शुद्ध / NET	—	—
	विश्लेषण Break-up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) i) Government Securities (including local authorities)	—	—
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	—	—
	iii) अन्य निवेश (ईक्विटी शेयर्स एवं पूंजी प्रतिदान बांड) iii) Other investments (Equity Shares & Capital Redemption Bonds)	—	—
	उप-योग / SUB-TOTAL :	—	—
	TOTAL (I & II)	26258, 94, 63	26067, 73, 60

अनुसूची 9 / SCHEDULE 9

अग्रिम
ADVANCES

₹ हज़ार में
(₹ in thousands)

	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
A i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased and Discounted	2492, 80, 43	1656, 84, 76
ii) नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	12877, 49, 32	9405, 13, 97
iii) मीयादी ऋण iii) Term Loans	38132, 13, 96	31268, 05, 26
कुल / TOTAL :	53502, 43, 71	42330, 03, 99
B i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋण संबंधी अग्रिम सम्मिलित) i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	41112, 07, 99	33236, 10, 29
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1661, 26, 03	1099, 73, 85
iii) बेजमानती iii) Unsecured	10729, 09, 69	7994, 19, 85
कुल / TOTAL :	53502, 43, 71	42330, 03, 99
C I भारत में अग्रिम / Advances in India		
i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	17087, 90, 62	13409, 31, 12
ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	3582, 02, 77	9394, 44, 26
iii) बैंक / Banks	8, 57, 56	301, 65, 48
iv) अन्य / Others	32823, 92, 76	19224, 63, 13
उप-योग / SUB-TOTAL :	53502, 43, 71	42330, 03, 99
II भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
i) बैंकों से प्राप्य i) Due from Banks	—	—
ii) अन्य से प्राप्य ii) Due from Others	—	—
a) खरीदे एवं भुनाए गए बिल a) Bills Purchased and Discounted	—	—
b) समूहित ऋण b) Syndicated Loans	—	—
c) अन्य c) Others	—	—
उप-योग / SUB-TOTAL :	—	—
कुल (I और II) / TOTAL (I & II)	53502, 43, 71	42330, 03, 99



अनुसूची 10 / SCHEDULE 10

अचल आस्तियाँ
FIXED ASSETS

₹ हजार में
(₹ in thousands)

	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I परिसर Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	566, 33, 33	565, 39, 38
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन Revaluation during the year	219, 74, 28	—
वर्ष के दौरान योग Additions during the year	34, 91	94, 37
	786, 42, 52	566, 33, 75
घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less:Deductions during the year	(5, 89)	(42)
तिथि तक मूल्य ह्रास Depreciation to date	(118, 42, 46)	(105, 06, 58)
	उप-योग / SUB-TOTAL :	461, 26, 75
II पूंजीगत कार्य प्रगति पर Capital Work-in-Progress	1, 83, 86	57, 27
III अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	554, 19, 87	415, 30, 88
वर्ष के दौरान योग Additions during the year	58, 98, 11	141, 79, 76
	613, 17, 98	557, 10, 64
घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less:Deductions during the year	(7, 51, 91)	(1, 51, 75)
तिथि तक मूल्य ह्रास Depreciation to date	(456, 57, 05)	(366, 43, 21)
	उप-योग / SUB-TOTAL :	189, 15, 68
	कुल / TOTAL : (I+II+III)	650, 99, 70

अनुसूची 11 / SCHEDULE 11

अन्य आस्तियाँ
OTHER ASSETS

₹ हजार में
(₹ in thousands)

		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-Office Adjustments (net)	—	—
II	उपचित ब्याज Interest accrued	524, 85, 57	507, 38, 29
III	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध) Tax Paid in advance/Tax deducted at source (Net)	446, 94, 97	427, 13, 32
IV	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and Stamps	3, 41, 92	4, 27, 29
V	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	14, 53	14, 53
VI	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध) Deferred Tax Assets (net)	17, 20, 00	24, 23, 00
VII	अन्य Others	1139, 96, 20	615, 25, 42
	कुल / Total:	2132, 53, 19	1578, 41, 85



अनुसूची 12 / SCHEDULE 12

आकस्मिक देयताएं

CONTINGENT LIABILITIES

₹ हजार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
I	बैंक पर दावे, जिन्हें यह कर्ज नहीं मानता Claims against the bank not acknowledged as debts	4, 25, 61	7, 35, 48
II	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता Liability for partly paid investments	24, 19, 17	22, 39, 88
III	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3588, 14, 04	5545, 66, 40
IV	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :		
	क) भारत में a) In India	2581, 23, 63	2381, 32, 23
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	280, 25, 21	311, 38, 10
	ग) बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त c) BG invoked but not paid	4, 61, 01	13, 09, 00
V	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध) Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	1583, 71, 91	1472, 08, 07
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	90, 96, 45	58, 90, 04
	कुल / Total:	8157, 37, 03	9812, 19, 20

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2011

₹ हज़ार में
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
I आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest Earned	13	6341, 45, 70	5248, 93, 96
अन्य आय Other Income	14	637, 05, 33	558, 74, 17
	कुल / TOTAL :	6978, 51, 03	5807, 68, 13
II व्यय EXPENDITURE			
खर्च हुआ ब्याज Interest Expended	15	4172, 11, 28	3857, 71, 62
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	16	1299, 40, 54	1074, 11, 93
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and Contingencies		983, 02, 03	553, 48, 98
	कुल / TOTAL :	6454, 53, 85	5485, 32, 53
III लाभ PROFIT			
इस वर्ष शुद्ध लाभ Net Profit for the year		523, 97, 18	322, 35, 60
	कुल / TOTAL :	523, 97, 18	322, 35, 60



31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2011

₹ हजार में
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
IV	विनियोजन		
	APPROPRIATIONS :		
	सांविधिक आरक्षित में अंतरण Transfer to Statutory Reserve	130, 99, 30	80, 58, 90
	आरक्षित पूंजी में अंतरण Transfer to Capital Reserve	18, 72, 97	22, 16, 91
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend :		
	ईक्विटी Equity	75, 77, 25	63, 28, 62
	पी एन सी पी एस PNCPS	58, 65, 58	15, 00, 00
	लाभांश पर कर Tax on Dividend	21, 80, 77	13, 30, 47
	राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Revenue Reserve	218, 01, 31	128, 00, 70
	तुलन-पत्र में जमाराशि अग्रेषित Balance carried forward to Balance Sheet		
	कुल / TOTAL :	523, 97, 18	322, 35, 60
	प्रति शेयर मूल एवं मिश्रित आय (₹.) Basic & Diluted Earning per Share (Rs.)	14.38	2.51

अनुसूची 13 / SCHEDULE 13

अर्जित ब्याज

INTEREST EARNED

₹ हजार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा		
I	Interest / Discount on Advances/Bills	4633, 91, 03	3680, 23, 80
II	निवेश पर आय		
II	Income on Investments	1672, 93, 87	1545, 68, 23
III	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	9, 94, 02	6, 17, 21
IV	अन्य		
IV	Others	24, 66, 78	16, 84, 72
	कुल / Total:	6341, 45, 70	5248, 93, 96



अनुसूची 14 / SCHEDULE 14

अन्य आय

OTHER INCOME

₹ हजार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange and Brokerage	174, 05, 89	158, 84, 72
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि Profit on sale of Investments Less : Loss on sale of Investments	198, 44, 65 —	180, 47, 44 —
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाव : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Profit on revaluation of Investments Less : Loss on revaluation of Investments	— —	— —
IV	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि Profit on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	51, 15 (4, 30)	29, 78 (7, 01)
V	विनिमय लेन-देन पर लाभ घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि Profit on exchange transactions Less : Loss on exchange transactions	23, 88, 12 —	20, 75, 32 (3, 29)
VI	भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/ in India	—	—
VII	विविध आय Miscellaneous Income	240, 19, 82	198, 47, 21
	कुल / Total:	637, 05, 33	558, 74, 17

अनुसूची 15 / SCHEDULE 15

व्यय किए गए ब्याज

INTEREST EXPENDED

₹ हजार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
I	जमा राशियों पर ब्याज Interest on Deposits	3849, 55, 11	3672, 27, 65
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings	66, 20, 59	10, 89
III	अन्य Others	256, 35, 58	185, 33, 08
	कुल / Total:	4172, 11, 28	3857, 71, 62



अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

परिचालनगत व्यय

OPERATING EXPENSES

₹ हज़ार में

(₹ in thousands)

		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	814, 35, 85	662, 48, 53
II	किराया, कर एवं बिजली Rent, Taxes and Lighting	88, 95, 14	68, 36, 68
III	मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing and Stationery	19, 33, 18	16, 88, 59
IV	विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	9, 02, 51	9, 07, 42
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास Depreciation on Bank's property	113, 27, 62	115, 85, 84
	घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण Less : Transfer from Revaluation Reserve	(12, 95, 08)	(17, 31, 04)
		100, 32, 54	98, 54, 80
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय Directors' fees, allowances and expenses	89, 38	1, 23, 95
VII	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	10, 78, 11	9, 04, 74
VIII	विधि प्रभार Law Charges	2, 24, 30	1, 98, 15
IX	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	18, 28, 27	15, 82, 48
X	मरम्मत और रख-रखाव Repairs and Maintenance	8, 58, 89	7, 17, 16
XI	बीमा Insurance	68, 11, 27	57, 73, 09
XII	अन्य व्यय Other Expenditure	158, 51, 10	125, 76, 34
	कुल / Total:	1299, 40, 54	1074, 11, 93

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियाँ परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परिपाटी, लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के तहत अधिसूचित और लागू होने योग्य अनिवार्य लेखा-मानकों, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा उद्घोषित और बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है।

2. आय और व्यय निर्धारण

- 2.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।
- 2.2 अर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष वसूल हुई राशि प्रथमतः अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है। संदिग्ध, हानि आस्तियों और वाद के अधीन तथा डिक्री हो चुके खातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमतः बकाया शेष स्वरूप विनियोजित किया गया है।
- 2.3 चालूवर्ष में जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।
- 2.4 कमीशन (सरकारी लेन-देन को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है।
- 2.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 3.1 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित बंद हुई दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित फारवार्ड दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है।
- 3.2 आय एवं व्यय की मदों को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।
- 3.3 गारंटी के साथ-साथ स्वीकृतियों, पृष्ठानकों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है।

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS:

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the 'Going Concern' concept and conform to the generally accepted accounting practices in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) and applicable mandatory Accounting Standards (AS) notified under the Companies (Accounting Standards) Rules 2006 and Pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in banking industry.

2. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE:

- 2.1. The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 2.2. Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is accounted for on realization. The amount realized during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized /recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.
- 2.3. Unrealized income on advances classified as NPA in the current year is reversed.
- 2.4. Income from Commission (except on Govt. transactions), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.
- 2.5. Performance linked incentive to whole time directors is accounted on cash basis.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

- 3.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rate announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.
- 3.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- 3.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rate announced by FEDAI.



- 3.4 बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण अभिन्न वैदेशिक परिचालन स्वरूप किया गया है - जैसा कि लेखांकन पद्धति II में निर्धारित किया हुआ है ।
- 3.5 आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और यह लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है ।
- 3.6 परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है ।

4. निवेश

4.1 निवेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :

- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड (v) सहायक और/या संयुक्त उपक्रम और (vi) जैसा कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' में निर्धारित है ।

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेशों को (i) परिपक्वता तक धारित, (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध और (iii) व्यापार हेतु धारित -इन तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है । 'परिपक्वता तक रखे रहने' के उद्देश्य से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूति को 'परिपक्वता तक धारित' वर्ग में रखा गया है। व्यापार के उद्देश्य से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूति को व्यापार हेतु धारित वर्ग में रखा गया है । जो प्रतिभूतियाँ इन दो वर्गों में नहीं है, उन्हें 'विक्रय हेतु उपलब्ध' वर्ग में रखा गया है । बैंक ने यह वर्गीकरण प्रतिभूतियों का अभिग्रहण करते समय किया है ।

4.3 विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप उपर्युक्त तीनों वर्गों में से जिसमें भी प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है उस पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है ।

4.4 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार किया गया है :

4.4.1 परिपक्वता तक धारित वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है और किस्तों का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता में बाकी बची अवधि में किया गया है । शेयर्स के रूप में वर्गीकृत जो निवेश प्रयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए हैं या शेयर्स के रूप में वर्गीकृत जो निवेश आर आई डी एफ, एस सी टी आर एस (पुनर्वित्त निधि), एम एस एम ई (पुनर्वित्त) सीडबी, एम एस एम ई (जोखिम पूंजी) सिडबी, ग्रामीण आवास विकास निधि - एन एच बी, अतिलघु वित्त विकास एवं ईक्विटी फंड-नाबार्ड में किए गए हैं उनका मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है ।

4.4.2 क) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' वर्ग की हर स्क्रिप तिमाही आधार पर या इससे भी कम अंतराल के आधार पर बाजार के नाम चिह्नित की हुई है । इस श्रेणी का अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है और अर्धालिखित प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यहास/अधिमूल्यन को समग्रित किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
iii) शेयर्स

- 3.4. Representative Office of the Bank has been classified as Integral Foreign Operation, as prescribed by AS-11.
- 3.5. Foreign currency transactions relating to Integral Foreign Operation are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- 3.6. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

4. INVESTMENTS:

4.1. The investments are classified as (i) Government Securities (ii) Other Approved Securities (iii) Shares (iv) Debentures and Bonds (v) Subsidiaries and/or Joint Ventures and (vi) Others, as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.2. In accordance with RBI guidelines, investments are categorized into (i) 'Held to Maturity', (ii) 'Available for Sale' and (iii) 'Held for Trading'. The securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified as "Held to Maturity". "Held for Trading" category comprises securities acquired by the Bank with the intention of trading. The securities, which do not fall within the above two categories are classified under "Available for Sale". The above categorization is done by the Bank at the time of acquisition of the securities.

4.3. As per prudential norms, in respect of securities included in any of the above three categories where interest/principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized.

4.4. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.4.1. Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost and premium is amortised over the remaining period of maturity of the security. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRBs) classified as shares, RIDE, STCRS(Refinance Fund), MSME (Refinance) SIDBI, MSME (Risk Capital) SIDBI, Rural Hosing Development Fund-NHB, Micro Finance Development and Equity Fund-NABARD classified as shares are valued at carrying cost.

4.4.2 a) The individual scrips in 'Available for Sale' category are marked to market at quarterly or at more frequent intervals. Securities under this category are valued scrip-wise & depreciation/appreciation is aggregated for each classification referred hereunder:

- i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares

- iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड
v) सहायक/संयुक्त उपक्रम
vi) अन्य (कॉर्पोरेट पेपर्स, संचयी जमा, म्यूचुअल फंड आदि) प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध मूल्य हास को दर्शाया गया है और मूल्यवृद्धि (यदि हुई है) को नजरअंदाज कर दिया गया है।
- ख) मूल्यांकन की पद्धति:
- i) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ
क) जो एस एल आर के लिए योग्य हैं - सभी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट ऐंड डेराइवेटिव्स एसोशिएशन) यानी फिमडा द्वारा उद्घोषित बाजार भाव पर/परिपक्वता प्रतिफल पर।
- ख) जो एस एल आर के योग्य नहीं हैं - केंद्रीय सरकार की समान परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के आधारभूत प्रतिफल रेखा में 25 आधारविंदु जोड़ कर मूल्यांकित किया हुआ है।
- ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
इनका मूल्यांकन समान परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता प्रतिफल पद्धति द्वारा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ द्वारा घोषित दर / प्रतिफल से 25 आधार विंदु उपर चिह्नित करके किया गया है।
- iii) ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र
इनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया गया है।
- iv) बांड्स एवं डिबेंचर्स (जो अग्रिम की प्रकृति का नहीं है) असूचीबद्ध (जिसका कोटेशन नहीं है।)
i) निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ के/वार्षिकीकृत /अर्धवार्षिकीकृत दर के आधार पर परिपक्वता तथा ऋण वर्गीकरण पर आधारभूत प्रतिफल वक्र और ऋण विस्तृति के मैट्रिक्स पर किया गया है।
ii) आनुक्रमिक अन्तर्वेशन (लाइनियर इन्टरपोलेशन) के माध्यम से प्रत्येक वक्र (कर्व) के लिए अन्तर्वर्ती अवधि हेतु प्रतिफल एवं ऋण विस्तृति,
iii) अवशिष्ट परिपक्वता के अनुरूप विस्तृति को आधारभूत प्रतिफल से जोड़कर,
iv) शेष परिपक्वताओं वाले बॉन्ड जिसकी परिपक्वता
क) छह महीने से कम है - छह मास आधारभूत प्रतिफल कर्व + संबंधित ऋण विस्तृति।
ख) 15 वर्ष से अधिक : 15 वर्ष की विस्तृति को लागू होने योग्य परिपक्वता प्रतिफल से जोड़कर।
ग) स्थायी बॉन्ड : निम्नतम आधार के प्रतिफल पर - जहाँ बॉन्ड की अंतिम परिपक्वता, आधार प्रतिफल कर्व पर सर्वाधिक लम्बे विंदु पर ली जानी है और लागू होने योग्य विस्तृति वह होगी जो तदनुसूची रेटिंग के सर्वाधिक लम्बी अवधि के लिए लागू होगी।
- क. श्रेणीकृत बॉन्ड एवं डिबेंचर
श्रेणीकृत बॉन्ड का मूल्यांकन आधार के प्रतिफल कर्व में ऋण विस्तृति को जोड़कर (तदनुसूची कूपन फ्रिक्वेंसी) किया गया है। जहाँ रेटिंग दो या दो से अधिक रेटिंग एजेन्सी द्वारा की गई है (12 महीने से अधिक पुरानी नहीं) वहाँ सबसे कम रेटिंग को लागू किया

- iv) Debentures & Bonds
v) Subsidiaries/Joint Ventures
vi) Others (Commercial Papers, Cumulative Deposits, Mutual Funds etc.)
Net Depreciation under each category is provided for and appreciation, if any, is ignored.
- b) Method of Valuation:
- i) Central Govt. Securities:
a) Which qualify for SLR - At Market Prices/Yield to Maturity (YTM) as declared by FIMMDA in respect of all Central Government Securities
b) Which do not qualify for SLR - Are valued after adding 25 basis points (bps) to Base Yield Curve of the Central Government Securities of equivalent maturity.
- ii) State Govt. Securities & Other Approved Securities:
Are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.
- iii) Treasury Bills, Commercial Paper & Certificate of Deposits
At carrying cost
- iv) Bonds & Debentures (not in the nature of advance) – Unquoted
i) Based on FIMMDA annualized/semi annualized, Base Yield Curve and a matrix of credit spread across maturities & credit ratings.
ii) Yield & Credit Spreads for intermediate tenors for each curve arrived by linear interpolation.
iii) The spreads added to the base yield corresponding to residual maturity.
iv) Bonds with remaining maturity of :
a) Less than six months : On six months base yield curve plus relative credit spread.
b) More than 15 Years : Spread of 15 Years is to be added to the yield of applicable maturity.
c) Perpetual Bonds : At yield to worst basis where the final maturity of the bonds will be taken to be the longest point on the base yield curve & the applicable spread would be that which is applicable for the longest tenor of corresponding rating.
- A. Rated Bonds & Debentures
The rated bonds are valued by adding the credit spread to the



गया है।

- ख. अश्रेणीकृत बॉन्ड/इस अवधि में अश्रेणीकृत वर्ग में परिवर्तित बॉन्ड अश्रेणीकृत बॉन्ड का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन विस्तृतियों में से सर्वाधिक विस्तृति को लेकर किया गया है :
- क) जारी करते समय, सर्वोत्तम आय वक्र (सोवरेन इल्ड कर्व) की विस्तृति पर, 25% बढ़ाकर चिह्नित।
- ख) बॉन्ड की चालू विस्तृति मातृका (मेट्रिक्स) से पिछली ज्ञात रेटिंग की विस्तृति पर।
- ग) इतनी ही अवधि के 'ट्रिपल ए' हेतु चालू विस्तृति पर।
- ग. जीरो कूपन बॉन्ड
- जीरो कूपन बांड्स का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत + उपचित बट्टे पर किया गया है और यह उस दर पर किया गया है जो बॉन्ड के अभिग्रहण के समय थी और जो बॉन्ड की मौजूद कीमत के संदर्भ में बाजार में चिह्नित की हुई है। उसका परिकलन शून्य प्रतिफल वक्र (जीरो यील्ड कर्व) का प्रयोग करते हुए, उसके अंकित मूल्य को बढ़ा करते हुए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिममडा) द्वारा दिए गए जीरो कूपन स्प्रेड के अनुसार उपयुक्त तरीके से चिह्नित करके किया गया है।
- घ कोटेड बॉन्ड एवं डिबेंचर
- यदि ऐसे किसी बॉन्ड या डिबेंचर का लेन-देन मूल्यांकन तिथि के 15 दिनों के भीतर किया गया है तो उसका स्वीकृत मूल्य शेयर बाजार में दर्ज उसके लेन-देन मूल्य से अधिक नहीं है।
- v) शेयर्स
- i) ईक्विटी शेयर
- कोटेड : पिछले कोटेशन के अनुसार बाजार कीमत पर (15 दिनों से अधिक पुरानी नहीं) और यदि यह कीमत उपलब्ध नहीं तो कम्पनी के तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के बही-मूल्य पर।
- अनकोटेड : कम्पनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के विद्यमान मूल्य पर। बाजार के कोटेशन या तुलन-पत्र दोनों में से कोई भी हो तो प्रति कम्पनी ₹1/-
- ii) अधिमानी शेयर
- कोटेड : बाजार मूल्य पर, मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर यदि शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया गया है तो इसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं है जिस पर इसकी खरीद-फरोख्त हुई।
- अनकोटेड : समय-समय पर केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों हेतु फिममडा द्वारा घोषित परिपक्वता तक प्रतिफल दर पर समुचित मूल्य वृद्धि करके। इस वृद्धि का श्रेणी-निर्धारण उस रेटिंग के अनुसार किया गया है जिसे रेटिंग एजेंसी ने अधिमानी शेयर के लिए निम्नलिखित तथ्यों के अधीन दिया है :
- क) परिपक्वता प्रतिफल की दर, कारपोरेट दर/समान परिपक्वता वाले भारत सरकार के ऋण हेतु परिपक्वता प्रतिफल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ख) अश्रेणीकृत अधिमानी शेयरों के लिए परिपक्वता प्रतिफल हेतु उपयोग में लाई गई दर, समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत अधिमानी शेयर पर लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए।
- ग) जहाँ अधिमानी लाभांश बकाया है वहाँ उपचित लाभांश से कोई ऋण नहीं लिया जाना चाहिए और यदि यह बकाया 1 वर्ष से है तो परिपक्वता प्रतिफल पर कीमत का निर्धारण इस कीमत को 15% बढ़ा करके और यदि 1 वर्ष से अधिक समय से है तो इससे भी अधिक बढ़ा करके किया जाना चाहिए।

Base Yield Curve (corresponding to the coupon frequency). Where rating from two or more rating Agencies (not more than 12 months old) are available then the lowest rating is applied for.

- B. Unrated Bonds/Bonds Migrated to unrated category during its tenor
- Unrated Bonds are valued by taking the highest among the following three spreads:
- a) Spread over the sovereign yield curve, at the time of issue, marked up by 25%.
- b) Spread for the last known rating of the bond from the current spread matrix.
- c) The current spread for AAA bond of similar tenor.
- C. Zero Coupon Bonds
- Zero Coupon Bonds are valued at acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition which is marked to market with reference to the present value of the bond which is calculated by discounting the face value using the "Zero Coupon Yield Curve" with appropriate mark up as per the zero coupon spreads put out by FIMMDA.
- D. Quoted Bonds & Debentures
- If such Bonds/Debentures are transacted within 15 days prior to valuation date, then the value adopted is not higher than the rate at which the transaction is recorded in stock exchange.
- v) Shares
- i) Equity Shares:
- Quoted : At market price as per last traded quotation (not older than 15 days) & in the absence of quotation, on book value as per Balance Sheet (not older than 1 year)
- Unquoted : At break up value based on Company's latest Balance Sheet (not older than 1 year). In the absence of market quotation/ Balance Sheet, both at Re.1/- per company.
- ii) Preference Shares:
- Quoted : At market price, if traded on Stock Exchange within 15 days prior to valuation date, the value is not higher than the price at which traded.
- Unquoted : By appropriate markup over YTM rates for Central Government Securities put out by FIMMDA periodically. The markup is graded according to the ratings assigned to the preference shares by rating agencies subject to -
- a) The YTM rate should not be lower than the corporate rate/YTM for a GOI loan of equivalent maturity.
- b) The rate used for the YTM for unrated preference shares should not be less than the rate applicable to rated preference share of equivalent maturity.
- c) Where preference dividend is in arrears, no credit should be taken of accrued dividends and the value determined on YTM should be discounted by 15% if arrears are for one year & more if it is for more than one year.

घ) अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक पर नहीं होना चाहिए।

4.4.3 'व्यापार हेतु धारित' के तहत निवेश

'व्यापार हेतु धारित' वर्ग में प्रत्येक स्क्रिप को यथा उपलब्ध मासिक या इससे भी कम अंतराल पर 'विक्रय हेतु उपलब्ध' वर्ग के मामले की तरह ही बाजार के नाम चिह्नित की गई है।

4.5 लागत और अंकित मूल्य का अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया गया है।

4.6 एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्क्रिप का अंतरण सभी स्थितियों में अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो सबसे कम था - उसी पर किया गया है।

4.7 किसी भी वर्ग में निवेश के विक्रय पर उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है किंतु "परिपक्वता तक धारित" वर्ग में निवेश के विक्रय पर लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन "प्रारक्षित पूंजी खाता" में कर दिया गया है। प्रतिभूतियों के विक्रय पर अधिशेष/घाटा का हिसाब करने के लिए धारित औसत (वेटेड एवरेज) की पद्धति अपनाई गई है।

4.8 'विक्रय हेतु धारित' वर्ग में धारण अवधि (होल्टिंग पीरिएड) का हिसाब करने के लिए क्रय-क्रम-मूल्यन पद्धति या प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति (फिफो विधि) अपनाई गई है।

4.9 प्रतिभूति शुल्क पर प्राप्त दलाली, कमीशन, और प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से घटा लिया गया है। खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को लाभ एवं हानि लेखा में जमा कर दिया गया है।

4.10 प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन और स्टाम्प ड्यूटी को राजस्व व्यय के रूप में लिया गया है।

4.11 खंडित अवधि के ब्याज को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

4.12 हर निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिफल हीन निवेश हेतु निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप आय के उपयुक्त प्रावधान (डिरिगनीशन) करके किए गए हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।

5. **आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी/प्रतिभूतीकरण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ**
यदि वित्तीय आस्तियाँ शुद्ध बही-मूल्य से कम कीमत पर बेची गई हैं तो उस कमी को लाभ हानि खाते में नामे कर दिया गया है। यदि इन्हें शुद्ध बही मूल्य से ऊँची कीमत पर बेचा गया है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर या ऐसी वित्तीय आस्ति के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है। बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को नॉन एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड गैर एसएलआर प्रतिभूतियों पर

d) The preference share should not be valued above its redemption value.

4.4.3. Investments held under HFT

The individual scrips in the 'Held for Trading' category were marked to market at the monthly or at more frequent intervals as provided for, as in the case of 'Available for Sale' category.

4.5 Income from Zero Coupon Bonds being the difference between cost and face value is recognized on a time proportion basis.

4.6 Transfer of scrip from one category to another, under all circumstances is done at acquisition cost /book value / market value on the date of transfer, whichever is the least.

4.7 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

4.8 For the purpose of calculating holding period in case of 'Held for Trading' category, FIFO method is applied.

4.9 Brokerage, Commission & Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities. Interest received for broken period is credited to Profit & Loss Account.

4.10 Brokerage, Commission and Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.11 Broken-period interest paid is charged to Profit & Loss Account.

4.12 Investments are subject to appropriate provisioning/ derecognition of income, in line with the prudential norms of RBI for NPI Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

5. **ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC):**

In case of financial assets sold to ARC / SC, if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall is debited to the Profit & Loss Account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/ SC. The sale of financial assets to ARC/ SC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/SC for such sale or the net value of such financial assets. The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the



भी लागू है। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी/प्रतिभूतीकरण कम्पनी को बेची गई बड़ा खाता आस्तियों के संबंध में विक्रय-आगम को आय माना गया है।

6. अग्रिम

- 6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक एवं अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है।
- 6.2 अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और प्राप्त इसीजोसी दावे के रूप में किया गया है। अर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान को 'अन्य देयताएं प्रावधान' के अंतर्गत दिखलाया गया है।
- 6.3 अग्रिमों का पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देश के अनुरूप किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्य हास

- 7.1 परिसर (इसमें पट्टे पर लिए गए परिसर भी शामिल है) और अन्य अचल आस्तियाँ तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को परम्परागत लागत पर लिया गया है। पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित में जमा किया गया है।
- 7.2 साफ्टवेयर को कम्प्यूटरों के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।
- 7.3 कम्प्यूटर, स्वचालित टेलर मशीन, और साफ्टवेयर और अन्य आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दर पर और निर्दिष्ट तरीके से अवलिखित या हासित मूल्य पद्धति (रिटेन डाऊन वैल्यू मेथड) से किया गया है। उस दर को परवर्ती पूर्ण अंक में लिया गया है। आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग का मूल्य हास पुनर्मूल्यांकित निधि से समायोजित किया गया है।
- 7.4 पट्टे पर ली हुई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया जाता है।
- 7.5 कम्प्यूटरों, स्वचालित मशीनों एवं साफ्टवेयरों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर, सीधी रेखा पद्धति से 33.33 की दर से किया गया है।
- 7.6 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित अचल आस्तियों पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है उसे लेखांकन मानक - 28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है।

8. कर्मचारियों को सुविधाएं

- 8.1 कर्मचारियों को दी जानेवाली अल्पावधिक सुविधाओं (ऐसी सुविधाएं जो कर्मचारी के सेवाकाल की समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर देनी होती हैं) की माप लागत पर की गई है।
- 8.2 कर्मचारियों को दी जानेवाली दीर्घावधिक सुविधाएं (ऐसी सुविधाएं जो कर्मचारी के सेवाकाल की समाप्ति के 12 महीने बाद देनी हैं - जैसे कि बीमारी के कारण छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा रियायत) तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाई गई यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बड़ा आधार पर की गई है।
- 8.3 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है। जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनका अंशदान वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।

valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable. In case of written off Assets sold to ARC/ SC the cash proceeds are recognized as income.

6. ADVANCES:

- 6.1. Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.
- 6.2. Non-performing assets are stated net of provisions and ECGC claims received. Provisions held for performing assets are shown under the head 'Other Liabilities & Provisions'.
- 6.3. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

7. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

- 7.1. Premises, including leasehold and other fixed assets and Capital work in progress, are stated at historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to Revaluation Reserve.
- 7.2. Softwares are capitalized with computers.
- 7.3. Depreciation on assets other than computers, Automated Teller Machines (ATMs) and software is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule XIV to the Companies Act, 1956. The rate is rounded off to next absolute number. Depreciation on the revalued portion of the assets is adjusted from Revaluation Reserve.
- 7.4. Leasehold assets are amortised over the period of lease.
- 7.5. Depreciation on computers, ATM and software are provided on straight-line method @ 33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.
- 7.6. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS -28.

8. EMPLOYEE BENEFITS:

- 8.1 Short term employee benefits (benefits which are payable within twelve months after the end of the period in which the employees render service) are measured at cost.
- 8.2 Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which the employees render service namely sick leave, casual leave, medical benefit and leave fare concession) and post retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.
- 8.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

- 8.4 तुलन-पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहाँ भी लागू होने योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ/हानि के रूप में दर्शाया गया है।
- 8.5 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित अतर्कालीन देयता को पाँच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है।
- 8.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुरूप “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपदान सीमा बढोत्तरी - विवेकपूर्ण नियामक आचरण” में पाँच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है।

9. कराधान

- 9.1. कराधान का प्रावधान आकलित कर - देयता के आधार पर किया गया है।
- 9.2. आस्थगित कर देयता/आस्ति की पहचान आई सी ए आई द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 की शर्तों के अनुरूप दी गई है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

लेखांकन मानक 29 के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी चिह्नित करते हैं जब पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व को चुकाने के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके। इस वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

- 8.4 Long Term employee benefits recognized in the balance sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit & Loss Account.
- 8.5 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.
- 8.6 In terms of RBI circular, expenditure on “Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment” is being amortized over a period of five years.

9. TAXATION:

- 9.1. Provision for taxation is made on the basis of estimated tax liability.
- 9.2. Deferred Tax Liability/ Asset is recognized in terms of AS-22.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS-29, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.



अनुसूची - 18

टिप्पणियां - जो 31 मार्च 2011 को समाप्त
वर्ष के लेखा का अंश हैं।

- 1 क) i) भारत सरकार के पत्रांक एफ सं.11/7/2008 - बी ओ ए दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार बैंक ने भारत सरकार को 2,79,89,821 इक्विटी शेयर का अधिमानी आबंटन किया है जिसका अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर है। इसकी कुल राशि ₹27, 98, 98, 210 है। यह ₹100.04 प्रति शेयर के प्रिमियम पर दिया गया है जिसकी कुल राशि ₹280, 01, 01, 693 है।
- ii) भारत सरकार के पत्रांक एफ सं.11/1/2009- बी ओ ए दिनांक 02 जून 2010 के अनुसार बैंक ने भारत सरकार को कुल 250, 00, 00, 000 बेमीयादी गैर- संचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) आबंटित किया है। इसका लाभांश 31 मार्च तक रेपो रेट से 1% अधिक है।
- iii) निदेशक मंडल ने 19.02.2011 को आयोजित अपनी बैंक में इक्विटी शेयरों एवं बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में वर्गीकरण द्वारा बैंक की प्राधिकृत पूंजी में परिवर्तन किया। फलतः प्राधिकृत पूंजी बिना किसी वर्गीकरण के अब ₹3000 करोड़ हो गई है।
- ख) मार्च 2011 तक सभी नास्ट्रो खातों का लेखा- समाधान हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा- निर्देशानुसार (i) दो वर्षों से अधिक बकायावाली कोई नामे प्रविष्टि नहीं थी जिसके लिए प्रावधान अपेक्षित हो। (ii) तीन वर्षों से अधिक बकायावाली सभी जमा प्रविष्टियां अवरूद्ध खाते में अंतरित कर दी गई हैं। तीन वर्षों तक की बकाया जमा प्रविष्टियां, जो दावाकर्ताओं की पहचान न होने के कारण असमायोजित हैं, उनका कोई प्रभाव बैंक पर नहीं है।
- 2 क) 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी के तहत बैंक का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) निवेश ₹16126.68 करोड़ था (विगत वर्ष ₹13310.06 करोड़) था जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग एवं समय देयता (डीटीएल) की निर्धारित सीमा 25% (विगत वर्ष 25%) के मुकाबले 21.03% (विगत वर्ष 19.11%) है।
- ख) 31.03.2010 को समाप्त वर्ष में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार ए एफ एस श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में बही मूल्य (बी वी) पर निवेश का ₹3536.08 करोड़ (विगत वर्ष ₹1171.17 करोड़) अंतरित किया है तथा ₹130.29 करोड़ (विगत वर्ष ₹6.45 करोड़) के मूल्यहास का प्रावधान किया है।
- 3 क) परिसरों में ₹1.31 करोड़ (विगत वर्ष ₹1.38 करोड़ थी) की संपत्ति शामिल है जो मूल्यहास का शुद्ध लागत है। इससे संबंधित पंजीकरण की औपचारिकताएं बहुत दिनों से लंबित हैं।
- ख) परिसरों में ₹17.43 करोड़ की पट्टे पर ली गई संपत्ति शामिल है जो मूल्यहास का शुद्ध लागत है। (विगत वर्ष ₹18.22 करोड़)
- ग) वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी ओ डी.बी पी.बी सी सं.50/21.04.018/2006-07 दिनांक 04 जनवरी 2007 के अनुपालन में निर्मित नीति के अनुसार अपनी पूर्णस्वामित्ववाली संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया है। इसके फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि होकर 219.74 करोड़ हो गया है।

SCHEDULE - 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2011

- 1 a) i) In terms of Government of India letter F.No.11/7/2008 – BOA dated March 25, 2011, the Bank has made a preferential allotment to the Government of India of 2,79,89,821 equity shares of Face Value of ₹10/- each aggregating to ₹27, 98, 98, 210/- at a premium of ₹100.04 per share aggregating to ₹280, 01,01, 693/-.
- ii) In terms of Government of India letter F. No. 11/1/2009 – BOA dated June 2, 2010 the Bank has allotted to the Government of India, Perpetual Non- cumulative Preference Shares (PNCPS) aggregating to ₹ 250,00,00,000/- carrying dividend at 1 % above the Repo rate as on 31st March.
- iii) The Board of Directors in its meeting held on 19.02.2011 altered the Authorised Capital of the Bank by dispensing with the classification into equity shares and perpetual non cumulative preference shares. Consequently the Authorised Capital now stand at ₹3000 crore flat without any classification.
- b) All NOSTRO accounts have been reconciled up to 31st March 2011. In accordance with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines: (i) there were no debit entries outstanding for more than two years which require a provision and (ii) all credit entries outstanding for more than three years have been transferred to a blocked account. Credit entries outstanding upto three years, which are unadjusted on account of non-identification of claimants, have no effect on the Bank.
- 2 a) Bank's SLR investments under 'Held to Maturity' (HTM) category was ₹ 16126.68 crore (Previous Year : ₹ 13310.06 crore) representing 21.03% (Previous Year :19.11%) of Demand and Time Liability (DTL) as against ceiling of 25% (Previous Year : 25%) prescribed by RBI.
- b) During the Year ended 31.03.2011 the Bank has shifted ₹ 3536.08 crore (Previous Year: ₹1171.17 crore) of investments at Book Value (BV) from AFS to HTM category in terms of RBI guidelines and has provided depreciation of ₹130.29 crore (Previous Year: ₹6.45 crore).
- 3 a) Premises include properties of ₹ 1.31 crore (Previous Year: ₹1.38 crore) net of depreciation, in respect of which registration formalities are pending since long.
- b) Premises include leased properties amounting to ₹17.43 crore (net of amortisation) (Previous Year: ₹18.22 crore).
- c) During the year, the Bank has revalued its freehold properties in accordance with the Policy formulated in compliance of RBI Circular DBOD.BP.BC No. 50/21.04.018/2006-07 dated January 4, 2007. The said revaluation has resulted in increase in the value to the extent of ₹ 219.74 crore.

घ) पुनर्मूल्यांकित परिसरों पर सामान्य मूल्यहास से अधिक मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकित रिजर्व के पक्ष में समंजित कर लिया गया है ।

d) Depreciation over and above the normal depreciation attributable to revalued premises is set off against Revaluation Reserve.

4.1 पूंजी पर्याप्तता

4.1 Capital Adequacy

		बेसल - I Basel - I		बेसल - II Basel - II	
मद Items		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
i)	सी आर ए आर (%) CRAR (%)	11.16%	11.02%	13.05%	12.80%
ii)	सी आर ए आर - टीयर I पूंजी (%) CRAR-Tier I capital (%)	7.61%	7.02%	8.90%	8.16%
iii)	सी आर ए आर - टीयर II पूंजी (%) CRAR-Tier II Capital (%)	3.55%	4.00%	4.15%	4.64%
iv)	बैंक में भारत सरकार के शेयर धारण का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government Of India in the Bank	85.48%	84.20%	85.48%	84.20%
v)	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जारी करके उगाही गई राशि Amount raised by issue of Innovative Perpetual Debt Instrument	NIL	NIL	NIL	NIL
vi)	टीयर-II पूंजी के रूप में उगाही गई गौड़ ऋण की राशि Amount of subordinated debt raised as Tier-II Capital	NIL	NIL	NIL	NIL

(₹ करोड़ में)
₹ in crore

बैंक ने निम्नलिखित टीयर II बॉन्डों की उगाही की है :

₹ करोड़ में		
वर्ष के दौरान उगाही	राशि	दर (%)
2008-09	250	9.30
2009-10	शून्य	-
2010-11	शून्य	-

The Bank has raised the following Tier-II Bonds :

₹ in crore		
Raised during the year	Amount	Rate (%)
2008-09	250	9.30
2009-10	NIL	-
2010-11	NIL	-



4.2 निवेश

₹ करोड़ में

मदें	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
1 निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य	26408.87	26602.25
क) भारत में	26408.86	26602.23
ख) भारत से बाहर	0.01	0.02
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान*	149.92	535.51
क) भारत में	149.91	535.49
ख) भारत से बाहर	0.01	0.02
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	26258.95	26067.74
क) भारत में	26258.95	26067.74
ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
2 निवेशों पर मूल्यहास विषयक प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) आरंभिक शेष	517.35	647.16
ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	151.50	86.49
iii) घटाव : एचटीएम श्रेणी पर मूल्यहास का समायोजन	380.03	—
iv) घटाव : वर्ष के दौरान किए गए अतिशय प्रावधान का प्रतिलेखन	149.18	216.30
v) अंतिम शेष	139.64	517.35

4.2 Investments

₹ in crore

Items	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2010
1 Value of Investments		
i) Gross Value of Investments	26408.87	26602.25
(a) In India	26408.86	26602.23
(b) Outside India	0.01	0.02
ii) Provision for Depreciation*	149.92	535.51
(a) In India	149.91	535.49
(b) Outside India	0.01	0.02
iii) Net Value of Investments	26258.95	26067.74
(a) In India	26258.95	26067.74
(b) Outside India	0.00	0.00
2 Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i) Opening balance	517.35	647.16
ii) Add: Provisions made during the Year	151.50	86.49
iii) Less: Adjustment of Depreciation on HTM Category	380.03	—
iv) Less :Write-back of excess provision during the Year	149.18	216.30
v) Closing balance	139.64	517.35

*मूल्यहास के प्रावधान में एन पी आई प्रावधान शामिल है।

*Provision for Depreciation includes NPI provision.

4.2.1 रेपो/प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन

4.2.1 Repo/Reverse Repo transactions :

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत बकाया Maximum out- standing during the year	वर्ष के दौरान दैनिक तक बकाया Daily Average out- standing during the year	31 मार्च, 2011 Outstanding as on 31.03.2011
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under Repo	50.00	1800.00	438.63	500.00
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	(300)	(600)	(36.99)	(NIL)
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under Reverse Repo	50.00	1500.00	29.18	0.00
i) सरकारी प्रतिभूतियां	(100)	(1800)	(269.64)	(1500)
ii) Government securities				
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii) Corporate Debt Securities	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं / Figures in bracket represent Previous Year's figures.

4.2.2 गैर- एस एल आर निवेश संविभाग

(i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन

4.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

क्र. सं. S No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश क्षेत्रों से "निम्न स्तर" की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	370.41 (446.56)	370.41 (142.93)	NIL (NIL)	0.16 (3.61)	0.16 (3.60)
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	253.07 (513.45)	238.82 (424.98)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
3	बैंक Banks	1902.99 (1640.44)	1902.99 (1495.60)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
4	निजी कंपनियां Private Corporate	791.43 (614.53)	791.43 (501.53)	NIL (NIL)	5.30 (10.05)	5.30 (11.05)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint ventures	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी) Others (MF/CP/CD)	3915.52 (3264.60)	3915.50 (2673.85)	NIL (NIL)	0.36 (NIL)	0.36 (NIL)
7	मूल्यहास/एनपीआई के लिए प्रावधान Provision held towards Depreciation / NPI	10.18 (17.02)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
	कुल (1 से 6) - (7) Total (1 to 6) - (7)	7223.24 (6462.56)	7219.15 (5238.89)	NIL (NIL)	5.82 (13.66)	5.82 (14.65)

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं / Figures in bracket represent Previous Year's figures.

ii) अनर्जक गैर- एस एल आर निवेश:

ii) Non-performing Non-SLR Investments :

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
आरंभिक शेष / Opening balance	17.02	30.34
01 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि/योग / Additions during the Year since 1st April	0.00	3.39
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी/हास / Reductions during the above period	6.84	16.71
अंतिम शेष / Closing balance	10.18	17.02
कुल प्रावधान / Total provisions held	10.18	17.02



4.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

4.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

4.3 Derivatives

4.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	मदें Items	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
i)	विनिमय व्यवस्था का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	करार के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियाँ बाध्यतायें पूरी करने में चूक जाती हैं तो उससे होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	विनिमय करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक (जमानत) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	विनिमय से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	NIL	NIL

4.3.2 विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्न

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
(ii)	31 मार्च 2011 को बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2011 (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	बकाया "अल्प प्रभावी" विनिमय व्यापारकृत व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	बकाया एवं "अल्प प्रभावी" विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नो में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण :

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की आस्ति/देयताओं के बचाव हेतु व्युत्पत्तिक लिखतों के प्रयोग के लिए निर्मित निवेश नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। रूप व्युत्पत्तिकों में लेनदेन के लिए निवेश नीति में स्पष्ट प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लेख है। तदनुसार, निवेश हेतु आंतरिक समिति/निदेशक मंडल को अपेक्षित सूचना दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है। बैंक ने केवल बचाव के उद्देश्य से "ब्याज दर विनिमय" (आई आर एस) कार्य शुरू किया।

विदेशी मुद्रा में कोई व्युत्पन्नी लेनदेन नहीं किया गया।

ख. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने तुलनपत्र आस्तियों के बचाव में ब्याज दर बदली (आई आर एस) जैसे व्युत्पत्तिक संविदाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया है। 31.03.2011 तक विनिमय (स्वाप) बकाया का आनुमानिक प्रधान मूल्य शून्य (विगत वर्ष भी शून्य) था। "स्वैप्स" का उचित मूल्य 31.03.2011 तक शून्य (विगत वर्ष भी शून्य) था।

4.3.3 Disclosure on risk exposures in derivatives:

a. Qualitative Disclosure

The Investment Policy for using Derivative Instruments to hedge Bank's Assets/ Liabilities has been approved by the Board of Directors. For transactions in Rupee Derivatives, there are defined delegated powers in the Investment Policy and accordingly required reporting is done to Internal Committee for Investment/ Board of Directors. A well defined Risk Management Policy (RMP) approved by the Board of Directors is in place. The Bank entered into Interest Rate Swap (IRS) deals only for the purpose of hedging.

No derivative transaction was undertaken in Foreign Exchange.

b. Quantitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts, such as IRS, to hedge Balance Sheet Assets. The notional principal value of Swaps outstanding as on 31.03.2011 was ₹ NIL (Previous Year- ₹ NIL). The fair value of Swaps as on 31.03.2011 was ₹ NIL (Previous Year- ₹ NIL).

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011		31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	
		मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन) / Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
a	बचाव हेतु / For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b	व्यापार हेतु / For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित (1) / Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
a	आस्ति (+) / Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
b	देयता (-) / Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	ऋण निवेश (2) / Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
a	बचाव व्युत्पन्नो पर / on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
b	व्यापार व्युत्पन्नो पर / on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
a	बचाव पर / on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b	व्यापार पर / on trading	NIL	NIL	NIL	NIL



4.4 आस्ति गुणवत्ता

4.4 Asset Quality

4.4.1 Non-Performing Assets अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	Items मदें	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
i	शुद्ध अग्रिम का कितना (%) शुद्ध अनर्जक आस्ति है Net NPAs to Net Advances (%)	1.42	1.84
ii	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार- चढ़ाव Movement of NPAs (Gross)		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	1372.30	1020.35
ख) b)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग Additions during the Year	984.15	980.34
ग) c)	वर्ष के दौरान कमी/हास Reductions during the Year	1000.67	628.39
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	1355.78	1372.30
iii)	शुद्ध अनर्जक आस्तियों में उतार- चढ़ाव Movement of Net NPAs		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	778.55	524.97
ख) b)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग Additions during the Year	564.97	708.42
ग) c)	वर्ष के दौरान कमी/हास Reductions during the Year	586.11	454.84
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	757.41	778.55
iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में उतार- चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	593.75	495.38
ख) b)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the Year	419.18	272.71
ग) c)	अतिशय प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन Write off/write back of excess provision	414.56	174.34
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	598.37	593.75

4.4.2 पुनर्गठित खातों के विवरण

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

		सीडीआर मेकानिज्म CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्गठन SME Debt Restructuring	अन्य Others	योग Total
पुनर्गठित मानक ऋण Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	8 (6)	2240 (422)	9448 (26541)	11696 (26969)
	बकाया राशि Amount outstanding	569.91 (167.02)	125.43 (140.45)	1165.84 (1885.53)	1861.18 (2193.00)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	40.33 (10.07)	2.27 (1.54)	14.14 (29.08)	56.74 (40.69)
पुनर्गठित अवमानक ऋण Sub-standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0 (0)	1193 (54)	3164 (1760)	4357 (1814)
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00 (0.00)	32.14 (13.03)	130.86 (202.91)	163.00 (215.94)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 (0.00)	1.23 (0.46)	3.36 (7.16)	4.59 (7.62)
पुनर्गठित संदिग्ध ऋण Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0 (0)	2186 (22)	8784 (790)	10970 (812)
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00 (0.00)	60.55 (5.68)	82.64 (61.90)	143.19 (67.58)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 (0.00)	1.77 (0.20)	3.22 (2.18)	4.99 (2.38)
योग TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	8 (6)	5619 (498)	21396 (29091)	27023 (29595)
	बकाया राशि Amount outstanding	569.91 (167.02)	218.12 (159.16)	1379.34 (2150.34)	2167.37 (2476.52)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	40.33 (10.07)	5.27 (2.20)	20.72 (38.42)	66.32 (50.69)

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं।

2. वर्ष के दौरान पुनर्गठित आस्तियों पर 10 लाख एवं अधिक के मानक आस्तियों तथा 1 करोड़ एवं अधिक की अर्नजक आस्तियों हेतु 31.03.2011 तक आर्थिक त्याग के परिमाण का संगणन एन पी वी पद्धति द्वारा किया गया है। शेष आस्तियों के संबंध में 5% की दर से आर्थिक त्याग किया गया है।

1. Figures in bracket represent Previous Year's figures.

2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV Method as on 31.03.2011 for Standard Assets of ₹ 10 lacs and above and for NPA of ₹ 1 crore and above. For the remaining assets economic sacrifice has been provided @ 5%.

4.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

मदें / Item	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	NIL	84
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	48.17
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	NIL	70.24
(iv) विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier Years	NIL	NIL
(v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/(हानि) / Aggregate gain/(loss) over net book value	NIL	22.07



4.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

4.4.4 Details of Non-performing financial assets purchased / sold :

a) Details of Non-performing financial assets purchased:

	विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
1. (क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.		
(a)	No. of accounts purchased during the Year	NIL	NIL
(ख)	कुल बकाया		
b)	Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की सं.		
(a)	Of these , number of accounts restructured during the Year	NIL	NIL
(ख)	कुल बकाया		
(b)	Aggregate Outstanding	NIL	NIL

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

b) Details of Non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
1.	वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की सं. / No. of accounts sold during the Year	NIL	44
2.	कुल बकाया / Aggregate Outstanding	NIL	76.87
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	NIL	41.55

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

4.4.5 Provision on Standard Assets:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
	मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets	265.25	216.90

4.5 व्यवसाय अनुपात

4.5 Business Ratios:

	मद / Item	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
i	कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत / Interest Income as a percentage to Working Funds	7.96%	7.29%
ii	कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर-ब्याज आय का प्रतिशत / Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.80%	0.78%
iii	कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचललागत लाभ का प्रतिशत / Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.89%	1.22%
iv	आस्तियों पर प्रतिलाभ / Return on Assets	0.66%	0.45%
v	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)*(फूट नोट 3 देखें) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores).* (Refer footnote 3)	8.60	7.14
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) / Profit per employee (₹ in Lacs)	3.48	2.11

नोट :

- 1) अनुपात संगणन हेतु कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है - कुल आस्ति का औसत जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 27 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म 10 में सूचित किया गया है ।
- 2) आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों के संदर्भ में है ।
- *3) प्रति व्यक्ति व्यवसाय (जमा + अग्रिम) के संगणन हेतु अंतर- बैंक जमा को शामिल नहीं किया गया है ।

Note:

1. For the purpose of computing the ratios, working funds represent the average of total assets as reported in Form X to RBI under Section 27 of the Banking Regulation Act,1949.
2. Return on Assets is with reference to average working funds.
- *3. For the purpose of computing the business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits are excluded.

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन

4.6 Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता - ढांचा
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

आस्तियां / देयताएं Assets / Liabilities	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & up to 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 Year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 Year & up to 3 Years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 Years & up to 5 Years	5 वर्ष से अधिक Over 5 Years	कुल Total
जमा / Deposits	398.66 (373.11)	2061.94 (1627.33)	2140.66 (4367.74)	2375.31 (2107.41)	6791.73 (6968.37)	4672.10 (7678.87)	11397.10 (5323.05)	12518.52 (9788.84)	6456.15 (5444.59)	29032.63 (24501.01)	77844.80 (68180.32)
अग्रिम Advances	368.12 (210.23)	3338.29 (1969.00)	244.57 (2025.10)	1189.51 (376.65)	4430.36 (2105.27)	2037.49 (3493.69)	4274.52 (3820.23)	20803.55 (13703.90)	7814.96 (6651.90)	9001.07 (7974.07)	53502.44 (42330.04)
निवेश Invest- ments	49.46 (80.34)	266.34 (96.95)	49.58 (0.00)	160.79 (23.26)	994.29 (624.81)	469.42 (1632.26)	883.14 (1617.43)	2149.43 (1090.19)	3724.93 (3076.63)	17511.57 (17825.87)	26258.95 (26067.74)
उधार Borrowings	500.00 (23.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	404.20 (696.00)	1083.75 (32.16)	189.01 (26.70)	332.33 (47.44)	327.09 (26.82)	50.16 (62.70)	2886.54 (915.34)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	1475.10 (386.43)	336.98 (408.70)	123.58 (81.55)	79.20 (49.40)	1333.59 (721.43)	419.35 (538.61)	399.00 (781.43)	0.45 (14.48)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	4167.25 (2982.03)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	149.07 (507.16)	1549.00 (214.40)	126.05 (94.10)	54.84 (69.07)	1479.39 (765.85)	451.49 (623.03)	355.20 (704.46)	6.07 (4.74)	0.76 (0.61)	0.00 (0.00)	4171.87 (2983.42)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं ।

Figures in bracket represent Previous Year's figures.



4.7 निवेश

4.7 Exposure

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector :-

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	श्रेणी / Category	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
क)	प्रत्यक्ष निवेश		
a)	Direct Exposure		
i)	आवासीय बंधक Residential Mortgages –		
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है तो उस पर व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है । Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	2546.53 2005.47	2187.18 1911.89
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा Commercial Real Estate – वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण । Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	1076.59	962.06
iii)	बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a.	आवासीय, Residential,	NIL	NIL
b.	वाणिज्यिक स्थावर संपदा Commercial Real Estate.	NIL	NIL
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश		
b)	Indirect Exposure	3199.66	3175.51
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश Total Exposure to Real Estate Sector	6822.78	6324.75

4.7.2 पूंजी बाजार में निवेश

4.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	मदें / Items	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
i	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नहीं हैं, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश । Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.	249.82	368.61
ii	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर- जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु । Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	—	—
iii	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती हैं । Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary securities	2.61	2.80
iv	शेयरों की संपादिक प्रतिभूतियां या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है । Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	15.61	—
v	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां । Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	33.27	37.79
vi	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष के प्रोमोटर्स के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण । Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	—	—
vii	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण । Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	—	—
viii	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं । Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	—	—
ix	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण । Financing to stock brokers for margin trading	—	—
x	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत - दोनों) हेतु सभी निवेश इक्विटी के समतुल्य समझी जाएंगी एवं इसलिए पूंजी बाजार निवेश सिलिंग (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष - दोनों) के अनुपालन के रूप में गिने जाएंगे । All exposures to venture capital funds (both registered and un registered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings(both direct and indirect)	64.56	51.12
	पूंजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	365.87	460.32



4.7.3 जोखिम श्रेणी के अनुसार देशी निवेश

बैंक ने विभिन्न देशों में 31 मार्च 2011 तक के अपने जोखिम निवेश का विश्लेषण किया है तथा वैसा निवेश यू.एस.ए. में किए गए 1.45% को छोड़कर बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेसहोल्ड सीमा से कम होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार यू.एस.ए. में किए गए निवेश को छोड़कर इस निवेश के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। यू.एस.ए. के लिए वर्ष के दौरान 8616154/- (विगत वर्ष- शून्य) का प्रावधान किया गया है।

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure :

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2011 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank except in the case of U.S.A. where it is 1.45%. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure except in respect of U.S.A. for which an amount of ₹ 86,16,154/- (Previous Year- ₹ NIL) has been provided for during the year.

जोखिम श्रेणी के हिसाब से देशी निवेश की स्थिति निम्नांकित है :-

The position of risk category-wise country exposure is given below:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2011 को निवेश (शुद्ध) Exposure (net) as at 31.03.2011	31.03.2011 को किए गए प्रावधान Provision held as at 31.03.2011	31.03.2010 को निवेश (शुद्ध) Exposure (net) as at 31.03.2010	31.03.2010 को किए गए प्रावधान Provision held as at 31.03.2010
नगण्य / Insignificant	2419.60	0.86	8.92	NIL
निम्नस्तरीय / Low	713.55	NIL	3.73	NIL
सामान्य / Moderate	47.76	NIL	0.17	NIL
उच्च / High	1.41	NIL	0.01	NIL
बहुत अधिक / Very High	0.00	NIL	NIL	NIL
नियंत्रित / Restricted	0.00	NIL	NIL	NIL
समग्र / Off Credit	0.00	NIL	NIL	NIL
कुल / Total	3182.32	0.86	12.83	NIL

4.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण :

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एस बी एल SBL		जी बी एल GBL	
	निवेश की सीमा Limit of Exposure	स्वीकृत सीमा/बकाया-जो भी अधिक हो Sanctioned Limit/Outstanding whichever is higher	निवेश की सीमा Limit of Exposure	स्वीकृत सीमा/बकाया-जो भी अधिक हो Sanctioned Limit/Outstanding whichever is higher
	NIL	NIL	NIL	NIL
	NIL	NIL	NIL	NIL

4.7.5 अमूर्त समर्थन के अंतर्गत अप्रतिभूत अग्रिम :

4.7.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि जैसे प्रभारों के अमूर्त प्रतिभूतियों के अंतर्गत कुल अग्रिम Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	NIL	36.36
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि जैसे प्रभारों के अमूर्त समर्थक का अनुमानित मूल्य Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	NIL	28.85

4.8 Miscellaneous

4.8 विविध

वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान की गई राशि / Amount of Provisions made for Income Tax during the Year:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2011	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010
आयकर के लिए प्रावधान / Provision for Income Tax	145.00	88.16

5. कंपनी (लेखा मानक नियम, 2006) के तहत अनिसूचित लेखा मानकों (ए एस) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण

5.1. नकदी प्रवाह विवरण (ए एस- 3)

नकदी तथा नकदी समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष एवं मांग पर मुद्रा और अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है।

5.2. राजस्व पहचान (ए एस- 9)

राजस्व की पहचान अनुसूची 17 में प्रकटित लेखा नीति के अनुसार की जाती है।

5.3 कर्मचारी लाभ (ए एस 15)

(क) बैंक ने लेखा मानक 15 (संशोधित) "इम्प्लाईज बेनिफिट" अपनाया है जो 01 अप्रैल 2007 से लागू है।

अंतर्वर्ती बाध्यताओं का अंगीकरण करने के अनुसार ₹413.79 करोड़ की पहचान की गई है। उक्त राशि 01 अप्रैल, 2007 तक ए एस -15 (संशोधन) के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न कर्मचारी हितों संबंधी देयता एवं संशोधन पूर्व ए एस 15 के अनुसार उस तिथि तक देयता के बीच का अंतर दर्शाती है। उक्त राशि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बट्टे खाते डाली गई। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹164.93 करोड़ की अवशिष्ट राशि लाभ हानि खाते में प्रभारित की गई।

यदि बैंक ने यह विकल्प नहीं अपनाया होता तो बैंक का लाभ 82.47 करोड़ अधिक होता।

(ख) वर्ष के दौरान बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प दिया जिन्होंने पहले पेंशन योजना नहीं अपनाई थी। फलतः, 7797 कर्मचारियों द्वारा इस योजना में शामिल होने के कारण बैंक ने 268.16 करोड़ की राशि खर्च की। वर्ष के दौरान बैंक के कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान (ग्रैट्यूटी) की सीमा में उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के कारण वृद्धि हुई। फलस्वरूप, बैंक की उपदान देयता 179.15 करोड़ तक बढ़ गई।

लेखा मानक (ए एस-15) के अपेक्षानुसार, कर्मचारी लाभ की कुल 447.31 करोड़ की राशि (अर्थात् 268.16 करोड़ + 179.15 करोड़) को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोलने के संबंध में परिपत्र (सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी:80/21.04.018/20 10-11) जारी किया है तथा उपदान सीमा में वृद्धि हेतु प्रूडेंशियल रेगुलेटरी ट्रिटमेंट दिनांक 09 फरवरी 2011 जारी हुआ है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने पांच वर्ष की अवधि में 447.31 करोड़ का ऋण परिशोधन विकल्प अपनाया। तदनुसार, 89.46 करोड़ (447.31 करोड़ का पांचवा भाग) लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के अपेक्षानुसार अग्रेनित शेष राशि अर्थात् 357.85 करोड़ (447.31 करोड़ - 89.46 करोड़) में अलग की गई/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि नहीं है।

यदि बैंक द्वारा यह विकल्प नहीं अपनाया गया होता तो ए एस-15 का लाभ 357.85 करोड़ कम होता।

लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व लाभों और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक लाभों की संक्षिप्त स्थिति जो लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसार अपेक्षित है, नीचे दी गई है।

5. Disclosure as per Accounting Standards (AS) notified under the Companies (Accounting Standards Rules, 2006) and in terms of RBI guidelines.

5.1 Cash Flow Statement (AS-3)

Cash and Cash Equivalents include Cash in hand, balances with Reserve Bank of India, balances with other Banks and money at call and short notice.

5.2 Revenue Recognition (AS-9)

Revenue is recognized as per the Accounting Policy disclosed in Schedule 17.

5.3 Employees Benefits (AS-15)

a) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits", with effect from 1st April 2007.

Pursuant to the adoption of transitional obligations, ₹ 413.79 crore have been recognized. The said amount represents the difference between the liability in respect of various employees benefits determined under AS-15 (Revised) as on 1st April, 2007 and the liability as on that date as per AS-15 prior to the revision. The above amount is being written off over a period of 5 Years. However, during the Year ended 31st March, 2011, the entire residual amount of ₹164.93 crore has been charged off to Profit and Loss Account.

Had this option not been exercised by the Bank, the profit of the Bank would have been higher by ₹82.47 crore.

b) During the year, the Bank reopened the pension option for those employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of this option by 7797 employees, the bank has incurred a liability of ₹ 268.16 crores. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 179.15 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS-15), Employee Benefits, the entire amount of ₹ 447.31 crore (i.e. ₹ 268.16 crore + ₹ 179.15 crore) is required to be charged to the Profit & Loss Account. However, RBI has issued Circular no.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks & Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank exercised the option of amortising the amount of ₹ 447.31 crore over a period of five years. Accordingly, ₹ 89.46 crore (representing one-fifth of ₹ 447.31 crore) has been charged to the Profit & Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e. ₹ 357.85 crore (₹447.31 crore - ₹ 89.46 crore) does not include any amount relating to separated/retired employees.

Had this option not been exercised by the Bank, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 357.85 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under :



(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

क) a)	बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन Change in the present value of the obligations	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	अन्य लाभ Other Benefits *
	वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of obligation as at the beginning of the Year	1083.94	296.68	137.44
	ब्याज लागत / Interest cost	84.08	20.53	9.86
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	85.91	22.08	12.15
	प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	65.95	80.17	28.59
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि/लाभ / Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	(129.58)	299.14	33.97
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य / Present value of Obligations at the end of the Year	1058.40	-	-
	द्वितीय विकल्प के कारण बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य / Present value of Obligations due to 2nd option	803.59	-	-
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य / Total present value of obligations at the end of the year	1861.99	558.26	164.45
ख) b)	योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन / Change in Fair Value of Plan Asset			
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य / Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	929.59	296.68	96.01
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected Return on Plan Asset	88.31	27.59	9.12
	नियोजक का अंशदान / Employer's contribution	584.69	60.93	2.00
	प्रदत्त लाभ / Benefit Paid	65.95	80.17	28.59
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि/(लाभ) / Actuarial Loss/(Gain) on Obligations	(21.01)	2.23	30.90
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का उचित मूल्य / Fair Value of Obligations at the end of the Year	1515.63	307.26	109.44
ग) c)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आकलित मूल्य । Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year	1861.99	558.26	164.83
	वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य / Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	1515.63	307.26	167.62
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता / Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	346.36	251.00	(2.79)
घ) d)	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognised in Profit & Loss			
	चालू सेवा लागत / Current Service Cost	85.91	22.08	12.15
	ब्याज लागत / Interest Cost	84.08	20.53	66.27
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल / Expected return on Plan Asset	88.32	27.58	9.12
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि / Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	(108.56)	296.90	(1.65)
	लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय / Total Expenses recognized in Profit & Loss Account	26.89	311.93	67.65
ड) e)	तुलन पत्र की तिथि को मुख्य बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)			
	बझादर / Discount Rate	8.00%	8.00%	8.00%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर / Expected rate of return on Plan Assets	9.50%	9.30%	9.50%

प्रयोग की गई पद्धति / Method Used

परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति / Projected Unit Credit Method

● अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है ।
नोट : उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एकचुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है ।

● Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC .
Note: The above statement is based on the report of the Actuary .

5.4 खंड रिपोर्टिंग (ए एस-17)

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है: "ट्रेजरी परिचालन" और "बैंकिंग परिचालन" प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है।

भाग क : व्यवसाय खंड

5.4 Segment Reporting (AS-17)

The Bank's operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी परिचालन Treasury Operations		बैंकिंग परिचालन Banking Operations						कुल Total	
			कार्पोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations			
विवरण Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
राजस्व Revenue	1871	1732	3290	2422	1735	1637	82	17	6978	5808
परिणाम Result	324	197	1143	659	888	406	47	-	2402	1262
अनावंटित व्यय Unallocated ex- penses									895	386
परिचालन लाभ Operating Profit									1507	876
आयकर Income Taxes									145	88
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss									-	-
शुद्ध लाभ Net Profit									524	322
अन्य सूचना Other Information										
खंड आस्तियाँ Segment Assets	27644	26068	38364	29791	15139	12539	-	-	81145	68398
अनावंटित आस्तियाँ Unallocated Assets									8895	8486
कुल आस्तियाँ Total Assets									90040	76884
खंड देयताएँ Segment Liabilities	27643	24710	38364	33896	15138	14265	-	-	81145	72871
अनावंटित देयताएँ Unallocated Li- abilities									8895	4013
कुल देयताएँ Total Liabilities									90040	76884

भाग ख : भौगोलिक खंड - चूंकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.



5.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस -18)

5.5.1 संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध सहायक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

- (i) असम ग्रामीण बैंक
- (ii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक
- (III) मणिपुर ग्रामीण बैंक
- (IV) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

5.5.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- (i) श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 - (ii) श्री एस. एल. बंसल, कार्यपालक निदेशक
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक:

5.5 Related Party Disclosures (AS-18)

5.5.1 Names of the Related parties and their relationship with the Bank:

- Associates(Regional Rural Bank)
- (i) Assam Gramin Vikash Bank
 - (ii) Bangiya Gramin Vikash Bank
 - (iii) Manipur Gramin Bank
 - (iv) Tripura Gramin Bank

5.5.2 Key Management Personnel

- (i) Mr. Bhaskar Sen - Chairman and Managing Director
- (ii) Mr. S. L. Bansal - Executive Director

Remuneration Paid to Key Management Personnel:

क्रम सं. Sl. No	नाम Name	पदनाम Designation	मदें * Item *	31.03.2011 को समाप्त वर्ष /Year ended 31.03.2011 (in ₹)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 (in ₹)
1.	श्री भास्कर सेन (01.03.2010 को कार्यभार ग्रहण) Mr.Bhaskar Sen (Joined on 01/03/10)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Mg. Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	*13,14,568.25	95,885
2.	श्री एस. सी. गुप्ता (28.02.2010 को सेवा निवृत्त) Mr. S. C. Gupta (retired on 28/02/2010)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Mg. Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	*6,54,466.00	14,95,914
3.	श्री एस.एल. बंसल (01.04.2010 को कार्यभार ग्रहण) Mr. S. L. Bansal (joined on 01/04/2010)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	11,36,747.50	-
4.	श्री टी. एम. भसीन (31.3.2010 को सेवानिवृत्त) Mr. T.M. Bhasin (retired on 31/03/2010)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियाँ Salary and emoluments	*7,86,550.40	17,82,642

* निष्पादन युक्त प्रोत्साहन राशि सहित नकदी के आधार पर / * Including performance linked incentive on cash basis.

नोट : (क) ए एस - 18 के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए सहायकों के साथ लेन-देन को प्रकट नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन के बारे में किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है ।

Note: (a) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are State Controlled Enterprises.

(ख) प्रमुख प्रबंधन को देय/प्राप्य शेष निम्नलिखित है :

(b) The balance payable to/receivable from Key Management Personnel is given below:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010
देय / Payable	शून्य / NIL	शून्य / NIL
प्राप्य / Receivable	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(ग) संबंधित पार्टियों की / से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता/प्रतिलेखन नहीं किया गया ।

(c) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.

(घ) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

(d) No provision is required in respect of dues to related parties.

5.6 प्रति शेयर आय (ए एस -20) :

5.6 Earning per Share (AS-20) :

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ (₹ करोड़ में) Net Profit after tax available for Equity Share Holders (₹ in Crores)	455.79	304.81
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या / Weighted Average number of Equity Shares	31,69,67,591	1,21,62,06,142
प्रतिशेयर (रूपये) मूल एवं हल्की आय / Basic and Diluted Earning per Share(₹)	14.38	2.51
प्रतिशेयर (रूपये) सामान्य मूल्य / Nominal Value per Share(₹)	10.00	10.00

5.7 समेकित वित्तीय विवरण (ए एस 21) /समेकित वित्तीय विवरणों (ए एस -23) में निवेश के लिए लेखा ।

5.7 Consolidated Financial Statement (AS-21)/ Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements (AS-23)

बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस - 21 और एस - 23 लागू नहीं होता ।

The Bank does not have any subsidiary and as such AS-21 and AS-23 are not applicable.

5.8 आय पर करों हेतु लेखा (ए एस -22)

5.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताओं के मुख्य संघटक

Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax Assets	19.35	30.46
वेतन संशोधन एवं कर्मचारियों के लिए लाभ / Wage revision and employees benefits	14.85	10.90
अन्य मदें / Other items	4.50	19.56
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	2.15	6.23
स्थायी आस्तियों पर मूल्य हास / Depreciation on fixed assets	2.15	6.23

5.9 अमूर्त आस्तियाँ (ए एस - 26)

5.9 Intangible Assets (AS-26)

कंप्यूटरों में साफ्टवेयर समेत अमूर्त आस्तियाँ शामिल हैं जिनके ब्यौरे निम्नप्रकार से है :

Computers include intangible assets comprising of software, the details of which are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मूल लागत Original cost		वर्ष के दौरान किए गए परिशोधन Amortised during the Year		वर्ष के अंत तक किए गए परिशोधन Amortised up to the end of the Year		शुद्ध बही मूल्य Net Book Value	
31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
44.35	27.99	12.83	9.53	26.96	14.13	17.39	13.86

5.10 आस्तियों की हानि (ए एस -28)

5.10 Impairment of Assets (AS-28)

स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है । अतः प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ।

There is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.



5.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ (ए एस -29)

5.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

लेखा के अंश वाले नोट के उपयुक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है।

Movements in significant Provisions have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6. Additional Disclosures

6.1 प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

6.1 Break-up of Provisions & Contingencies:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

लाभ एवं हानि लेखा में व्यव शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण Break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditure" in Profit & Loss Account	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for depreciation on Investment	132.60	(75.47)
अनर्जक आस्तियाँ (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान Provision towards NPA(Loans &Advances)	419.18	272.71
मानक आस्ति हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Asset	48.35	30.95
आयकर हेतु प्रावधान / Provision made towards Income Tax	145.00	88.16
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ Other Provisions and Contingencies		
- कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान (ए एस -15) -Provision for Employee Benefit(AS-15)	9.64	9.64
- वेतन संशोधन हेतु प्रावधान - Provision for Wage Revision	0.00	194.00
- परिपक्व मीयादी जमाओं पर ब्याज हेतु प्रावधान Provision for Interest on Matured Term Deposit	0.00	25.00
- डी टी एस पर आयकर हेतु प्रावधान Provision against Income on DTA	11.11	40.52
- अन्य प्रावधान Provision for Others	217.14	(32.02)
कुल / Total	983.02	553.49

6.2 अस्थिर प्रावधान

6.2 Floating Provisions:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
(क) आरंभिक शेष / (a) Opening Balance	157.48	157.48
(ख) वर्ष के दौरान किए गए / (b) Made during the Year	NIL	NIL
(ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी / (c) Draw down during the Year - आहरण द्वारा कमी का उद्देश्य / - Purpose for which drawn down	NIL	NIL
(घ) अंतशेष (क+ख-ग) / (d) Closing balance (a+b-c)	157.48	157.48

6.3 रिज़र्व से आहरण

6.3 Draw Down from Reserves:

01	सामान्य रिज़र्व General Reserves	₹ 12,73,000	दो मांग ड्राफ्टों का भुगतान जो भार.बैंक के पत्र सं.डीबीएस.सीओ.एसएमसी.सं.11194/22.09.001/2006-07 दिनांक 22.02.2007 के अनुसार मार्च 2007 में लाभ/हानि खाते में अप्रदत्त मद के रूप में जमा किए गए थे तथा अंतर-शाखा खाते में 31.03.1999 तक की प्रविष्टियों के शुद्ध जमा शेष में शामिल थे । Payment of two Demand Drafts which were credited to P/L A/c in March 2007 in terms of RBI Letter DBS.CO.SMC. No. 11194/22.09.001/2006-07 dated 22/02/2007 as unpaid items and were included in net credit balance of entries originated up to 31/03/1999 in inter-branch account
----	-------------------------------------	-------------	--

6.4 शिकायतों एवं बैंकिंग लोकपाल के अकार्यान्वित अधिनिर्णयों का प्रकटीकरण ।

6.4 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman:

क) ग्राहक शिकायतें

a) Customer Complaints

(क) (a)	(1.4.2010) वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the Year (1.4.2010)	104
(ख) (b)	(1.4.2010 से 31.3.2011) वर्ष के दौरान प्राप्त लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the Year (1.4.2010 to 31.3.2011)	2611
(ग) (c)	(1.4.2010 से 31.3.2011) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the Year (1.4.2010 to 31.3.2011)	2571
(घ) (d)	(31.3.2011) वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the Year (31.3.2011)	144

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

(क) (a)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या (01.04.2010) No. of unimplemented Awards at the beginning of the Year (01.04.2010)	NIL
(ख) (b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. (01.04.2010 से 31.03.2011) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year (01.04.2010 to 31.3.2011)	5
(ग) (c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. (01.04.2010 से 31.03.2011) No. of Awards implemented during the Year (01.04.2010 to 31.03.2011)	4
(घ) (d)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. (31.03.2011) No. of unimplemented Awards at the end of the Year (31.03.2011)	1

6.5 बैंक द्वारा जारी सांत्वना पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेता को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने ₹ 517.64 करोड़ की राशि के 178 एल ओ सी जारी किए ।

ख) 31.03.2011 तक ₹ 269.10 करोड़ की राशि के 79 बकाया एल ओ सी है ।

6.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.03.2011 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 72.13% है जिसका संगणन बैंक द्वारा किए गए कुल तकनीकी बट्टाखाताकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

6.5 Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank

a) During the current financial year the Bank has issued 178 nos LoCs amounting to ₹ 517.64 crore for providing Buyer's Credit facility.

b) There are 79 nos. of outstanding LoCs as on 31.03.2011 amounting to ₹ 269.10 crore.

6.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31.03.2011 is 72.13 %, which is calculated taking into account the total technical write offs made by the Bank.



31 मार्च 2011 तक का प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण सुरक्षा संगणन
Computing Countercyclical Provisioning Buffer as on March 31, 2011.

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

1	2	3	4	5	6	7	8
		सकल एन पी ए [®] प्लस तकनीकी/ विवेकपूर्ण बढ़ाखाताकरण Gross NPA @ Plus Technical/Prudential Write-off	धारित/ अपेक्षित एन पी ए हेतु विशिष्ट प्रावधान Specific Provisions for NPAs held/required	एन पी ए के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान Provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs	तकनीकी बढ़ाखाताकरण Technical Write off	योग (4+5+6) Total (4+5+6)	(7) से (3) का अनुपात Ratio of (7) to (3)
1	अवमानक / Sub-standard	572.13	62.17	9.58	—	71.75	12.54%
2	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग) Doubtful Advances (a+b+c)	759.34	345.39	—	—	345.39	45.49%
	क) < 1 वर्ष a) <1 year	342.61	140.14	—	—	140.14	40.90%
	ख) 1 - 3 वर्ष b) 1-3 years	321.29	109.81	—	—	109.81	34.18%
	ग) > 3 वर्ष c) >3 years	95.44	95.44	—	—	95.44	100.00%
3	हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत अग्रिम Advance classified as loss assets	1386.55	23.74	—	1362.24	1385.98	99.96%
4	योग Total	2718.02	431.31	9.58	1362.24	1803.13	66.34%
5	अग्रिमों के लिए अस्थिर प्रावधान (केवल उस सीमा तक जहां वे टियर II पूंजी के रूप में प्रयुक्त नहीं होते) Floating Provision for Advances (only to the extent they are not used as Tier II Capital)			157.48			
6	प्राप्त डी आई सी आई जी सी/ई सी जी सी दावे एवं धारित लंबित समायोजन DICIGC/ECGC claims received and held pending adjustment			0			
7	अंश-भुगतान प्राप्त एवं उचंत खाते अथवा किसी अन्य समान खाते में धारित Part Payment received and kept in Suspense Account or any other similar account			0			
8	योग (कतार 4 के स्तम्भ 7 का योग + कतार 5 + कतार 6 + कतार 7) Total (sum of column 7 of Row 4 + Row 5+ Row 6 + Row7)			1960.61			
9	प्रावधान कवरेज अनुपात {(कतार 8/ कतार 4 के स्तम्भ 3 का योग)* 100} Provision Coverage Ratio {(Row8/Total of Column 3 of Row4)*100}			72.13%			

10	यदि पी सी आर < 70%, तो उसके 70% होने के लिए प्रावधानीकरण में कमी if PCR <70%, shortfall in provisioning to achieve PCR of 70% (70% of column 3 of Row 4 - Row8)	अप्रयोज्य Not Applicable
11.a	यदि बैंक ने 70% का पी सी आर प्राप्त कर लिया है तो प्रतिचक्र्रीय प्रावधान सुरक्षा-उन अग्रिमों के लिए अस्थिर प्रावधान जिस सीमा तक टीयर II पूंजी के रूप में उसका उपयोग नहीं हुआ है। (कतार 5) Countercyclical Provisioning Buffer, if bank has achieved PCR of 70% - Floating Provisions for advances to the extent not used as Tier II Capital (Row 5)	157.48
11.b	यदि बैंक ने 70% का पी सी आर प्राप्त कर लिया है तो प्रतिचक्र्रीय प्रावधान सुरक्षा - उन अग्रिमों के लिए अस्थिर प्रावधान जिस सीमा तक टीयर III पूंजी के रूप में उसका उपयोग हुआ है। (कतार 5) + 70% पीसीआर प्राप्त करने के लिए प्रावधानीकरण में कमी, यदि हो (कतार 10), इसे यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। Countercyclical Provisioning Buffer, if bank has not achieved PCR of 70%- Floating Provisions for advances to the extent used as Tier II capital (Row5) + shortfall in provisioning to achieve PCR of 70% , if any (Row 10) which needs to be built up at the earliest.	अप्रयोज्य Not Applicable

6.7 बैंकएश्योरेंस व्यवसाय :-

6.7 Bancassurance Business :-

विवरण /Particulars	(₹ करोड़ में) / ₹ in crore	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03. 2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03. 2010
जीवन बीमा व्यवसाय / Life Insurance Business	19.68	25.14
गैर- जीवन बीमा व्यवसाय / Non Life Insurance Business	5.87	4.74
म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	0.04	0.22
अन्य / Others	NIL	NIL

6.8 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों एवं एन पी ए का केंद्रीकरण

6.8 Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs:

6.8.1 जमाओं का केंद्रीकरण

6.8.1 Concentration of Deposits

विवरण / Particulars	(₹ करोड़ में) / ₹ in crore	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा Total Deposits of twenty largest depositors	6174	4008.46
बैंक के कुल जमाओं की तुलना में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.9%	5.88%



6.8.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

6.8.2 Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं का कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	11928.49	10700.27
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस बड़े ऋणकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	22.11%	25.03%

6.8.3 निवेशों का केंद्रीकरण

6.8.3 Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों का कुल निवेश Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	14654.62	13683.95
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	15.25%	19.73%

6.8.4 एन पी ए का केंद्रीकरण :

6.8.4 Concentration of NPAs :

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03. 2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03. 2010
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश Total Exposure to top four NPA accounts	154.96	261.13

6.8.5 क्षेत्रवार एन पी ए

6.8.5 Sector – wise NPAs:

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के मुकाबले एन पी ए का प्रतिशत- 31.03.2011 Percentage of NPAs to Total Advance in that sector – 31.03.2011	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के मुकाबले एन पी ए का प्रतिशत- 31.03.2010 Percentage of NPAs to Total Advance in that sector – 31.03.2010
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture & Allied activities	5.60%	4.93%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मझौले एवं बड़े) Industry(Micro &Small, Medium and Large)	2.32%	2.35%
3	सेवाएँ Services	1.74%	3.28%
4	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	2.81%	4.65%

6.8.6 एन पी ए संचरण

6.8.6 Movement of NPAs:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
1 अप्रैल को सकल एन पी ए Gross NPAs as on 1st April	1372.30	1020.35
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए) Additions (Fresh NPAs) during the Year	984.15	980.34
उप योग (क) Sub-total (A)	2356.45	2000.69
घटाव : Less:		
(i) उन्नयन (i) Upgradations	286.17	192.00
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त) (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	299.94	263.00
(iii) बड़े खाते (iii) Write offs	414.56	173.00
उप योग (ख) Sub-total (B)	1000.67	628.39
31 मार्च को सकल एन पी ए (क - ख) Gross NPAs as on 31st March (A-B)	1355.78	1372.30

6.8.7 विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व

6.8.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue:

(₹ करोड़ में) / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010
कुल आस्तियाँ / Total Assets	NIL	0.18
कुल एन पी ए / Total NPAs	NIL	NIL
कुल राजस्व / Total Revenue	NIL	NIL

6.8.8 तुलन पत्र बाह्य एस पी वी प्रायोजित (जिनको लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है)

6.8.8 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011		31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	
एस पी वी प्रायोजित का नाम Name of the SPV sponsored		एस पी वी प्रायोजित का नाम Name of the SPV sponsored	
देशी Domestic	विदेशी Overseas	देशी Domestic	विदेशी Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL



6.9 निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में 2.20 (22%) प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की अनुशांसा की है। यह प्रयोज्य विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्वधीन है।

6.10 भारत सरकार ने "कृषि ऋण अधित्याग एवं ऋण राहत योजना 2008" के नाम से राहत योजना अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य सीमांत एवं लघु किसानों का ऋण अधित्याग करना एवं प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेनेवाले किसानों को राहत प्रदान करना है। बैंक ने अप्राह्य ब्याज, व्ययों एवं उपयुक्त दावा की विभेदक राशि का पूरा प्रावधान किया है। भारत सरकार की कृषि ऋण राहत योजना के अंतर्गत बैंक ने ₹ 211.19 करोड़ का दावा किया (गत वर्ष ₹ 211.19 करोड़) एवं बैंक को दावा की गई उपर्युक्त पूरी राशि प्राप्त हो गई है। हालांकि अभी ₹7.38 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त होनी है।

7. जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें तुलनीय करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

6.9 The Board of Directors have recommended dividend of ₹ 2.20 (22%) per equity share for the year ended 31st March 2011 subject to approval from the applicable regulatory authorities.

6.10 Government of India has notified Relief Scheme namely "Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008" for giving debt waiver to marginal and small farmers and relief to other farmers who have availed direct agricultural loans. Bank has made full provision of inadmissible interest, expenses and differential amount of eligible claim. Under Agricultural Debt Waiver Scheme of the Government of India, the Bank made a claim for ₹ 211.19 crore (Previous Year ₹ 211.19 crore) and the Bank has received the aforesaid claim amount in full. However, an amount of ₹ 7.38 crore as interest thereon is yet to be received.

7. Previous Year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable.

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण				(₹ in '000)	
	को समाप्त वर्ष				
	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010		
क	परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	कर के परचात शुद्ध लाभ	52,39,718		32,23,560	
	योग : आयकर	14,50,000		8,81,600	
	कर के पूर्व लाभ	66,89,718		4,105,160	
	समायोजन के लिए				
	स्थायी अस्तियों पर मूल्यहास	11,32,762		11,58,584	
	घटाव : पुनर्मूल्यन आरक्षित से निकाली गई राशि	(1,29,508)		(1,73,104)	
	स्थायी अस्तियों को बिक्री पर लाभ / हानि (शुद्ध)	(4,685)		(2,277)	
	निवेश हेतु मूल्यहास/प्रावधान (शुद्ध)	12,57,147		(8,16,092)	
	मानक अस्तियों के लिए प्रावधान	4,83,500		3,09,500	
	एन पी ए अग्रिमों के लिए प्रावधान	43,62,100		27,27,100	
	अन्य प्रावधान (शुद्ध)	22,77,456		24,32,790	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	14,32,875		14,32,895	
	परिचालनगत अस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप परिचालनगत लाभ	1,75,01,365		1,11,74,556	
	परिचालनगत अस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन				
	निवेश में हास/(वृद्धि)	(32,38,149)		(8,06,80,502)	
	अग्रिमों में हास/(वृद्धि)	(11,60,86,072)		(7,20,92,044)	
	जमाओं में वृद्धि/(हास)	9,66,44,785		13,64,44,212	
	ऋणों में वृद्धि/(हास)	1,97,11,978		45,85,724	
	अन्य अस्तियों में हास/(वृद्धि)	(52,48,834)		14,07,187	
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(हास)	(589,716)		(32,12,407)	
	राजस्व आरक्षित में वृद्धि (हास)	(1,37,773)		-	
	परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी	85,57,584		(2,373,274)	
	कर (चुकाया गया)/वापसी	(16,80,000)		(12,50,000)	
	परिचालनगत क्रिया कलापों (क) से शुद्ध नकदी		68,77,584		(36,23,274)
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	अचल अस्तियां (शुद्ध)	(6,09,384)		(14,24,126)	
	निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी		(6,09,384)		(14,24,126)
ग	वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	शेयर पूंजी जारी करके	279,898		5,00,000	
	शेयर प्रिमियम	28,00,102		26,17,100	
	प्रक्रियागत आई पी ओ वापसी पर अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	-		39,065	
	सरकार (पी एन सी पी एस) से पूंजी	25,00,000		30,00,000	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	(14,32,875)		(14,32,895)	
	उनपर संदेय लाभांश एवं कर	(9,15,909)		-	
	वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी		3,231,216		47,23,270
घ	नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग)	94,99,416		(3,24,130)	
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	नकदी शेष	29,88,139		22,83,049	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	4,40,82,043		4,30,39,649	
	बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	1,67,07,800	6,37,77,982	1,87,79,414	6,41,02,112
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	नकदी शेष	28,37,274		29,88,139	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	5,65,94,250		4,40,82,043	
	बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्रतिदेय राशि	1,38,45,874	7,32,77,398	1,67,07,800	6,37,77,982

टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है ।

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011				(₹ in '000)	
	For the year ended				
	31 st March 2011		31 st March 2010		
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
	Net Profit after Tax	52,39,718		32,23,560	
	Add: Income Tax	14,50,000		8,81,600	
	Profit before Tax	66,89,718		4,105,160	
	Adjustment for				
	Depreciation on Fixed Assets	11,32,762		11,58,584	
	Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(1,29,508)		(1,73,104)	
	Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	(4,685)		(2,277)	
	Depreciation/Provision for Investments (Net)	12,57,147		(8,16,092)	
	Provision for Standard Assets	4,83,500		3,09,500	
	Provision for NPA Advances	43,62,100		27,27,100	
	Other Provisions (Net)	22,77,456		24,32,790	
	Interest on Subordinated Bonds	14,32,875		14,32,895	
	Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	1,75,01,365		1,11,74,556	
	Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities				
	Decrease/(Increase) in Investment	(32,38,149)		(8,06,80,502)	
	Decrease/(Increase) in Investment	(11,60,86,072)		(7,20,92,044)	
	Increase/(Decrease) in Deposits	9,66,44,785		13,64,44,212	
	Increase/(Decrease) in Borrowings	1,97,11,978		45,85,724	
	Decrease/(Increase) in Other Assets	(52,48,834)		14,07,187	
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(589,716)		(32,12,407)	
	Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	(1,37,773)		-	
	Cash Generated from Operating Activities	85,57,584		(2,373,274)	
	Tax (Paid)/ Refund	(16,80,000)		(12,50,000)	
	Net Cash from Operating Activities (A)		68,77,584		(36,23,274)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
	Fixed Assets (Net)	(6,09,384)		(14,24,126)	
	Net Cash from Investing Activities (B)		(6,09,384)		(14,24,126)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
	Issue of Share Capital	279,898		5,00,000	
	Share Premium	28,00,102		26,17,100	
	Surplus Share Application money on account of IPO refund in process	-		39,065	
	Capital from Government(PNCPS)	25,00,000		30,00,000	
	Interest on Subordinated Bonds	(14,32,875)		(14,32,895)	
	Dividend and tax thereon paid	(9,15,909)		-	
	Net Cash from Financing Activities (C)		3,231,216		47,23,270
D	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)				
	Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
	Cash in hand	29,88,139		22,83,049	
	Balances with Reserve Bank of India	4,40,82,043		4,30,39,649	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1,67,07,800	6,37,77,982	1,87,79,414	6,41,02,112
	Cash and Cash equivalents at the end of the year				
	Cash in hand	28,37,274		29,88,139	
	Balances with Reserve Bank of India	5,65,94,250		4,40,82,043	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1,38,45,874	7,32,77,398	1,67,07,800	6,37,77,982

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.



पूँजी पर्याप्तता का नया ढाँचा
स्तम्भ-3 के तहत प्रकटीकरण
**NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK
DISCLOSURES UNDER PILLAR-3**

(31 मार्च, 2011 को)
As on 31st March 2011

सारणी डीएफ - 1
TABLE DF-1
आवेदन का विषय क्षेत्र
SCOPE OF APPLICATION

गुणात्मक प्रकटीकरण

Qualitative Disclosures

- क) समूह में सर्वोच्च बैंक का नाम, जिस पर ढाँचा लागू होता है : युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
- a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies : **UNITED BANK OF INDIA**
- ख) समूह के अंतर्गत संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा एवं नियामक प्रावधानों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा
- b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group
- i) वे पूरी तरह समेकित हैं : लागू नहीं, बैंक का कोई अनुषंगी नहीं है । अतः समेकन की आवश्यकता नहीं है ।
- i) that are fully consolidated: Not Applicable, the Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.
- ii) वे समानुपातिक समेकित हैं : शून्य, बैंक का कोई संयुक्त उद्यम नहीं है । ऐसे में समेकन की आवश्यकता नहीं है ।
- ii) that are pro-rata consolidated: NIL, the Bank does not have any joint ventures and as such no consolidation is required.
- iii) उन्हें कटौती सुविधा दी जाती है : चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकित किया जाता है ।
- iii) that are given a deduction treatment: Four Regional Rural Banks are consolidated as equity method.
- iv) संस्था जो न समेकित की जाती है और न जिसमें कटौती की जाती है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिमभारित हैं) : शून्य
- iv) Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted). NIL

मात्रात्मक प्रकटीकरण

Quantitative Disclosures

- | | |
|--|------------|
| ग) सभी अनुषंगियों में पूँजी कमियों की कुल जमा राशियां जो समेकन में शामिल नहीं हैं ; अर्थात् जिनकी कटौती की जाती है एवं उन अनुषंगियों के नाम | शून्य |
| c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries. | NIL |
| घ) बीमा के क्षेत्र में बैंक के कुल ब्याजों (यथा, चालू बही मूल्य) की जमाराराशियां जो जोखिम भारित हैं, उसके साथ-साथ उनका नाम, उनके समावेशन का देश या आवास, मिलिक्यत ब्याज का अनुपात एवं यदि अलग हो तो उन संस्थाओं में वोट करने की शक्तियों का अनुपात । इसके अलावा, इस पद्धति के प्रयोग बनाम कटौती के प्रयोग के नियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव दर्शाना । | शून्य |
| d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction. | NIL |

सारणी डीएफ -2
पूंजी संरचना

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) विशेषकर टीयर-I अथवा अपर टीयर-II में शामिल करने हेतु योग्य पूंजी लिखतों के मामले में सभी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों पर संक्षिप्त सूचना।

बैंक के टीयर-I पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) उप निर्बंध प्रकटन आरक्षित निधियाँ शामिल हैं तथा टीयर-II पूंजी में पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित एवं स्टैंडर्ड पर प्रावधान अपर टीयर-II बॉन्डों यथा, हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखत एवं लोअर टीयर-II बॉन्डों यथा, गौण ऋण शामिल है। इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्डों की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों से निर्धारित होती हैं।

बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)

भारत सरकार ने ₹800 करोड़ की राशि टीयर-I पूंजी में बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) रेपो + 100 आधार दरों के रूप में उपलब्ध कराई है

अपर टीयर-II बॉन्ड यथा : हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखत

लिखत का प्रकार : प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय।

मुख्य विशेषताएं :

- निवेशक द्वारा नो पुट ऑप्शन
- भा. रि. बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ 10 वर्षों के पश्चात् बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन
- यदि बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 10 वर्षों के पश्चात् स्टेप-आप ऑप्शन
- यदि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित सीएआर न्यूनतम नियामक सीएआर से कम है एवं आवधिक ब्याज के भुगतान पर लॉक-इन का प्रावधान यहाँ तक कि परिपक्वता पर मूल की व्यवस्था भी है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।

स्टेप-आप ऑप्शन : यदि बैंक 10 वर्षों के पश्चात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, वैसे में शेष 05 वर्षों की अवधि के दौरान बॉन्ड्स 50 बीपीएस का स्टेप-आप ऑप्शन का लाभ ले सकता है।

अवरोद्धता शर्त : परिपक्वता पर भी बैंक न तो ब्याज या न ही मूलधन अदा करने के लिए बाध्य है, यदि बैंक का सीएआर भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे है या इस तरह के भुगतान के प्रभाव से बैंक का सीएआर नीचे चला जाता है या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे रहता है। हालांकि, यह बैंक को आवधिक ब्याज लगाने के लिए निर्धारित नहीं करता है, जबतक बैंक निर्धारित अवधि पर न्यूनतम नियामक सीएआर लगाता है।

TABLE DF-2
Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

Bank's Tier 1 capital comprises of Paid up-equity Share capital, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS), Share premium reserve, Revenue reserve, Capital reserve & other disclosed free reserves and Tier 2 capital comprises of Revaluation reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments and Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debt. The terms and conditions of Tier 2 bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)

The Govt. of India has provided a sum of ₹800 crore in Tier 1 capital in the form of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) @ Repo + 100 basis points.

Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

- No Put Option by the Investors.
- Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.
- Step-up Option after 10 years, if the Bank does not exercise Call Option.
- Lock-in-clause on payment of periodic interest and even Principal at maturity, if CRAR is below the minimum regulatory CRAR, prescribed by RBI.
- Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

Step-up Option : If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during the remaining period of 5 years.

Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either interest or principal, even at maturity, if CRAR of the Bank is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or the impact of such payment results in Bank's CRAR falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI. However, this will not proscribe the Bank from making periodical interest payment, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CRAR, at the material time.



व्योरा Particulars	स्थान Place	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in cr)	कूपन दर Coupon Rate	दर निर्धारण Rating
श्रृंखला-I Series - I	भारत India	18.06.2007	18.06.2022	575.00	10.65% (वार्षिक / Annual)	एए (-)सीएआरई / एए (-) (सकारात्मक) आईसीआरए AA (-) CARE/ AA(-)(Positive) ICRA
कुल Total				575.00		

लोअर टीयर-II बॉन्ड यथा : गौण ऋण

लिखत का प्रकार : प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय

मुख्य विशेषताएं :

- I) बिना किसी मुख्य विशेषताएं यथा, पुट या कॉल ऑप्शन इत्यादि के नाम प्लेन वनिला बॉन्ड ।
- II) भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।

Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debts

Type of Instrument : Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

- I) Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc.
- II) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

व्योरा Particulars	स्थान Place	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in cr)	कूपन दर Coupon Rate	दर निर्धारण Rating
श्रृंखला-II Series - II	भारत India	15.02.2005	15.05.2015	300.00	7.40% (वार्षिक / Annual)	एए सीएआरई/आईसीआरए AA CARE /ICRA
श्रृंखला-III Series - III	भारत India	29.03.2006	29.04.2016	100.00	8.00% (अर्धवार्षिक / Semi-annual)	
श्रृंखला-IV Series - IV	भारत India	16.08.2006	16.08.2016	200.00	9.25% (अर्धवार्षिक / Semi-annual)	
श्रृंखला-V Series - V	भारत India	27.03.2007	27.04.2017	100.00	10.10% (वार्षिक / Annual)	
श्रृंखला-VI Series - VI	भारत India	25.03.2009	25.03.2019	250.00	9.30% (वार्षिक / Annual)	
कुल Total				950.00		

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
		(₹. करोड़ में)
1	टीयर-1 पूंजी का ब्योरा	
क)	प्रदत्त शेयर पूंजी	344.42
ख)	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	3218.82
ग)	नव बेमियादी बॉन्ड	0.00
घ)	बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	800.00
ङ)	अन्य पूंजी लिखत	0.00
च)	टीयर-I पूंजी से कम की गई राशि अनुषंगियों में इक्विटी निवेश	0.00
	साख	0.00
	अनुषंगियों में इक्विटी निवेश	0.00
	अमूर्त आस्तियां (शुद्ध आस्थगित कर आस्ति)	17.20
	कुल (शेयर-1 पूंजी) (क+ख+ग+घ+ङ-च)	4346.04
2	टीयर-II पूंजी की कुल राशि (कम की गई राशियों का शुद्ध)	2026.54
3	पूंजी से की गई अन्य कमियां, यदि कोई हो	0.00
4	कुल योग्य पूंजी (टीयर-I + टीयर-II)	6372.59
5	अपर टीयर-II पूंजी में शामिल करने योग्य पूंजी लिखत ऋण	
	कुल बकाया राशि	575.00
	उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00
	पूंजी फंड के रूप में संगणित होने वाली योग्य राशि	575.00
6	लोअर टीयर-II पूंजी में शामिल करने के लिए योग्य अनुषंगी ऋण	0.00
	कुल बकाया राशि	890.00
	उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00
	पूंजी फंड के रूप में संगणित होने वाली योग्य राशि	890.00

Quantitative Disclosures		
		(₹ in crore)
1	Details of Tier 1 Capital	
a)	Paid-up share capital	344.42
b)	Reserves (excluding revaluation reserves)	3218.82
c)	Innovative Perpetual Bonds	0.00
d)	Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	800.00
e)	Other capital instruments	0.00
f)	Amounts deducted from Tier 1 Capital	0.00
	Goodwill	0.00
	Equity Investment in Subsidiaries	0.00
	Intangible Assets Net of DTL (Net Deferred Tax Asset)	17.20
	Total (Tier 1 Capital) (a+b+c+d+e-f)	4346.04
2	Total amount of Tier 2 Capital (net of deductions)	2026.54
3	Other Deductions from Capital, if any.	0.00
4	Total eligible capital (Tier 1 + Tier 2)	6372.59
5	The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
	Total amount outstanding	575.00
	Of which amount raised during the year	0.00
	Amount eligible to be reckoned as capital funds	575.00
6	The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	0.00
	Total amount outstanding	890.00
	Of which amount raised during the year	0.00
	Amount eligible to be reckoned as capital funds	890.00



सारणी डीएफ-3
पूंजी पर्याप्तता

TABLE DF-3
Capital Adequacy

मात्रात्मक प्रकटीकरण

चालू एवं भविष्य के क्रियाकलापों के लिए पूंजी की पर्याप्तता निर्धारण से संबंधित बैंक के दृष्टिकोण का सक्षिप्त विचार-विमर्श

बैंक एकल एवं समेकित स्तर दोनों सीआरएआर 9% एवं टियर-I सीआरएआर 6% से अधिक पर बनाए रखता है।

बैंक संशोधित ढांचे के अनुसार प्रुडेंसियल फ्लोर के उपर अर्थात निम्नांकित से अधिक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बनाए रखता है।

क) संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

ख) बेसेल 1 ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का 80%

बैंक निवेश के मूल्य, व्यवसाय आदि में जोखिम की हानि की गुंजाइश को ध्यान में रखकर पूंजी बनाए रखता है ताकि हानियों के विरुद्ध सामान्य ऋणकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं की रक्षा की जा सके। बैंक के पास व्यापक मूल्यांकन एवं विभिन्न जोखिमों तथा समुचित पूंजी आबंटन को प्रमाणित करने के लिए पूर्ण पारिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण नीति (आईसीएससी) मौजूद है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत सूचकांक दृष्टिकोण एवं बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण की सीआरएआर गणना का सहारा लिया है।

पूंजी आवश्यकता, आर्थिक वातावरण, नियामक आवश्यकता एवं बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम द्वारा प्रभावित होता है। बैंक की पूंजी योजना का अभिप्राय बदलती आर्थिक परिस्थितियों के समय एवं यहां तक कि आर्थिक मंदी के समय भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक समीक्षा करता है:

- बैंक की चालू पूंजी आवश्यकता
- व्यवसाय नीति एवं जोखिम अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य आधारित एवं धारणीय पूंजी
- भविष्य पूंजी योजना तीन वर्षों की संभावनाओं पर की जाती है।

वार्षिक आधार पर पूंजी योजना संशोधित की जाती है। बैंक ने अनवरत आधार पर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता व्यवसाय के भविष्य वृद्धि को ध्यान में रखकर पूंजी की व्यवस्था हेतु एक नीति बनाई है। अनुमानित आधार पर बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात टियर-I एवं टियर-II में पूंजी का प्रावधान करता है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा बैंक के बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

Qualitative disclosures

A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

Bank maintains at both solo and consolidated level CRAR of more than 9% and Tier 1 CRAR of more than 6%.

The Bank maintains the minimum capital required as per Revised Framework above the Prudential floor viz higher of

- Minimum capital required as per the Revised Framework;
- 80% of the minimum capital required as per Basel 1 framework.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well-defined Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document different risks and substantiate appropriate capital allocation. In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimated requirement, Bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में)
(₹ in crore)

1)	आर डब्लू ए 9% के दर पर ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirements for credit risk @ 9% of RWA.	
	* संविभाग मानक दृष्टिकोण के अधधीन ● Portfolios subject to standardised approach:	3908.89
	* प्रतिभूतीकरण निवेश ● Securitisation exposures:	0.00
2)	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता Capital requirements for market risk :	
	* मानक अवधि दृष्टिकोण: ● Standardised duration approach;	
	- ब्याज दर जोखिम - Interest rate risk:	182.82
	- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) - Foreign exchange risk (including gold):	0.45
	- इक्विटी जोखिम - Equity risk:	62.81
3)	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता Capital requirements for operational risk:·	
	* आधार सूचकांक दृष्टिकोण ● Basic indicator approach:	239.49
4)	कुल पूंजी अनुपात (%) Total capital ratio (%):	13.05
	कुल टीयर-I पूंजी अनुपात (%) Total Tier 1 capital ratio (%):	8.90
	* उच्च समेकित समूह के लिए; एवं ● For the top consolidated group; and	
	* उल्लेखनीय बैंक अनुषंगियों के लिए (स्वयं या उप-समेकित, इस बात पर निर्भर कि ढांचा कैसे प्रयुक्त किया जाता है): ● For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied).	



सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता और इसके साथ

- पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य आस्तियों की परिभाषा (लेखा के उद्देश्य से)

बैंक ने पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य आस्तियों की वही परिभाषा (लेखा उद्देश्य हेतु) अपनाई है जो आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण के नियामक ने दी है।

भा.रि.बैंक विनियमों का बैंक द्वारा अनुसरण किया जाता है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

अनर्जक आस्तियाँ

बैंक की किसी आस्ति से जब आय का अर्जन बंद हो जाता है तो वह आस्ति अनर्जक हो जाती है। यह एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें -

- यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं,
- यदि कोई ओवरड्राफ्ट/केश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) हो जाए,
- बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए,
- दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज फसल के दो मौसम से अधिक के लिए अतिदेय हो जाए,
- दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण के लिए या उसका ब्याज फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए।

बैंक द्वारा किसी आधारभूत परियोजना के वित्त पोषण के मामले में यदि उसके व्यावसायिक उत्पादन की तारीख परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख (6 महीना परियोजना वित्तपोषण तथा 2 वर्ष संरचनाभूत परियोजना के लिए) से बढ़ जाए तो उस खाते को निम्न स्तरीय (सब-स्टैंडर्ड) माना जाता है।

“अनियमित” की स्थिति

यदि बकाया शेष, लगातार मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहे तो उस खाते को अनियमित समझा जाता है। यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष, मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से कम हो किंतु तुलन पत्र की तारीख से लगातार 90 दिनों तक उसमें कोई जमा न दिया गया हो या उसमें इतने रूपए जमा नहीं पड़े हो जिससे उसी अवधि में ब्याज नामे किया जा सके-तो ऐसे खातों को अनियमित समझा जाता है।

“अतिदेय”

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत यदि बैंक का बकाया निर्धारित देय तारीख को नहीं चुकाया जाता तो उसे अतिदेय समझा जाता है।

TABLE DF-4

Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- **Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);**

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired assets (for accounting purposes) as defined by the regulator for Income Recognition and Asset Classification norms.

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

Non-performing Assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

In case of Project Financing & Infrastructure Projects, financed by bank, if the date of commencement of commercial production extends beyond stipulated period after the date of completion of the project (6 months for Project Financing & 2 years for Infrastructure Projects) as originally envisaged at the time of financial closure, the account is treated as sub-standard.

‘Out of Order’ status

An account is treated as ‘out of order’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as ‘out of order’.

‘Overdue’

Any amount due to the bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the bank.

अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में-जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया पड़ा होता है वहाँ बैंक उन प्रतिभूतियों पर आय नहीं जोड़ता और निवेश के मूल्य में ह्रास का समुचित प्रावधान करता है।

अनर्जक ऋण की तरह अनर्जक निवेश ऐसा निवेश होता है जहाँ :

- i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता के पश्चात प्राप्त राशि) बकाया रहती है और 90 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं चुकाया जाता/चुकाई जाती।
- ii) यथोचित परिवर्तन सहित यही बात अधिमानी शेयरों पर भी लागू होती है जहाँ निश्चित लाभांश नहीं दिया जाता।
- iii) जारीकर्ता द्वारा लिया गया कोई भी ऋण यदि बैंक के खाते में अनर्जक हो जाता है तो उस जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को अनर्जक निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को अनर्जक आस्ति समझा जाता है।
- iv) ऐसे डिबेंचर्स/बॉन्ड्स में निवेश-जो ऋण की प्रकृति के हैं वे निवेश पर लागू होने योग्य एन.पी.आई मान की शर्तों के अधीन होते हैं।

● बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

अपनी ऋण नीति के रूप में बैंक ने अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढाँचा बना रखा है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में इसे भेजा भी जाता है। इन वर्षों में नई अवधारणाओं और वास्तविक अनुभवों के परिणाम स्वरूप संबंधित नीति और पद्धतियाँ परिमार्जित हुई हैं। यह नीति और ये पद्धतियाँ बेसेल-II के निर्धारित दिशा-निर्देशों से जुड़ी हैं।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित नीति का परिचालन प्रबंधन की आशा के अनुरूप हो रहा है और सर्वोच्च प्रबंधन की रणनीतियाँ परिचालन के स्तर पर सार्थक साबित हो रही हैं। इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उस पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवत्ता में कोई अनुचित गिरावट न आए। साथ ही समग्रतः उस आस्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो। यह सुधार, ऋण दिए जाने के आधारभूत मानक, समीक्षा दक्षता, प्रलेखीकरण के स्तर और संस्थान के हित के प्रति चेतना और रणनीति की दिशा में एक सामूहिक नजरिया स्थापित करते हुए करना है और लोच तथा नवोन्मेष के लिए पर्याप्त गुंजाइश भी छोड़नी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण निवेश की पहचान, उसकी समीक्षा, उसकी माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उनके परिशोधन पर प्रचार बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा हो सके और यह विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिमों - जैसे वित्तीय, व्यवसाय, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है जिसमें प्रत्येक के लिए अलग-अलग अंक रखे गए हैं।

ऋण जोखिम की माप के तहत निवेश की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो

Non-performing Investments

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- iii) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- iv) The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

● Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system, as a part of its Lending Policy, which is reviewed from time to time and circulated to all branches / Regional Offices / departments at HO. Over the years, the policy & procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II Guidelines.

The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy aims at ensuring that there is no undue deterioration in quality of individual assets within the portfolio. Simultaneously, it also aims at continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level, by establishing a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies, while leaving enough room for flexibility and innovation.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure



को बेहतरीन ढंग से जैसे कम्पनियों, कम्पनी समूहों, उद्योगों, संपार्श्विक प्रकार और भूगोल के बीच विविध आयामी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और जोखिम को केंद्रीकृत होने से बचाने के लिए इस बैंक में व्यक्तिगत समूह उधारकर्ता, उद्योगवार निवेश सीमा और पूंजी बाजार, स्थावर संपदा आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। यह बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह परिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार ढाँचो का अनुपालन करता है।

यह बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं - जैसे समीक्षा कीमत- निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग, ऋण सुविधा की समीक्षा और उनका नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋण का प्रबंधन, ऋण की मॉनिटरिंग, ऋण समीक्षा मैकेनिज्म आदि के प्रसंस्करण और नियंत्रण का काम करता है।

इसके अतिरिक्त तिमाही अंतराल पर पूरे ऋण पोर्टफोलियो का मैक्रो स्तरीय विश्लेषण किया जाता है ताकि ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की समीक्षा हो सके और उसके समक्ष सब- बीपीएलआर, बीपीएलआर और बीपीएलआर ब्याज वर्ग से परे खातों से अर्जन की स्थिति की समीक्षा हो सके और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं-जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के प्रादर्श का अनुपालन; जोखिम का स्तर जैसे-अल्प, मध्यम, अधिक और तदनुरूपी अर्जन एवं एनपीए स्तर आदि।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति को भी लागू किया गया है। नीति के अनुरूप तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ऋण जोखिम-पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही अंतराल पर किया जाता है। समय- समय पर किए जा रहे ऐसे तनाव परीक्षणों पर इस बैंक की पूंजी पर्याप्त पाई गई है।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक रिस्क रेटिंग माइग्रेशन पर विश्लेषण करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित निवेश प्रादर्श की छमाही समीक्षा भी करता है। इससे इक्रा मैनेजमेंट एंड कसलटॉसी सर्विसेस के तकनीकी सहयोग से उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए एक साफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडेल भी तैयार किया गया।

इसके अतिरिक्त इस बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित की संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय के बतौर काम करती हैं।

limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Apart from this, the Macro level analysis of the whole credit portfolio is done at quarterly intervals to assess the quality of the credit portfolio vis-à-vis yield on position of accounts in sub-BPLR, BPLR and above BPLR interest segments and placed before Board. An analysis on Base Rate based accounts has been introduced in the quarterly Macro level analysis. Portfolio analysis of major industries / sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank, and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

Stress testing policy duly approved by the Board of Directors has been put into place. Stress Testing, as per the policy, on Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk – impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on half-yearly basis. The capital maintained by the Bank found to be adequate under such stress conditions conducted from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI / Bank's Board on half-yearly basis through the notes on review of exposures management norms which is placed before the board of directors. The Bank is has developed a software based credit risk-rating model with the technical assistance of ICRA Management and Consultancy Services (IMaCS) for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board, which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the Interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

ग) परिमाणात्मक प्रकटीकरण
c) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में) / ₹ in Crore

	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
ख) कुल सकल ऋण निवेश (ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक सहित) b) Total gross credit exposures (including credit risk mitigation techniques.)	53933.74	5215.80	59149.54
ग) निवेश का भौगोलिक वितरण c) Geographic distribution of exposure			
विदेश में / Overseas	NIL	NIL	NIL
अपने देश में / Domestic	53933.74	5215.80	59149.54

(घ) निवेश का औद्योगिक प्रकार
(d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ करोड़ में)

₹ in Crore

कोड Code	उद्योग का नाम Name of the Industry	निधि आधारित बकाया Fund Based Outstanding	गैर निधि आधारित बकाया Non-Fund Based Outstanding
1	कोयला /Coal	0.00	0.00
2	कोयला सहित खनन /Mining including Coal	63.50	0.48
3	लोह एवं इस्पात /Iron & Steel	4707.11	282.11
4	धातु उत्पाद /Metal Products	285.04	8.87
5	सभी इंजीनियरिंग /All Engineering	1281.12	94.07
5.1	इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स /Of which Electronics	544.55	7.00
6	विद्युत /Electricity	0.00	0.00
7	सूती वस्त्र /Cotton Textiles	422.09	0.72
8	जूट वस्त्र /Jute Textiles	16.60	1.91
9	अन्य वस्त्र /Other Textiles	528.45	5.88
10	चीनी /Sugar	42.58	0.07
11	चाय /Tea	38.86	0.00
12	खाद्य प्रसंस्करण /Food Processing	521.87	17.94
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति /Vegetable Oil & Vanaspati	56.53	0.02
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद /Tobacco & Tobacco Products	421.25	2.42
15	कागज एवं कागज उत्पाद /Paper & Paper Products	92.25	1.26
16	रबड़ एवं इसके उत्पाद /Rubber & Rubber Products	153.37	13.92
17	आधारभूत संरचना /Infrastructure	10931.66	966.98
17.1	इसमें से ऊर्जा /Of which Power	6213.32	298.93
17.2	इसमें से टेलीकम्यूनिकेशंस /Of which Telecommunications	1507.60	0.05
17.3	इसमें से सड़क एवं पोत /Of which Roads & Ports	2278.58	477.14
18	सीमेंट /Cement	758.91	29.57
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद /Leather & Leather Products	196.37	0.66
20	रत्न एवं जवाहरात /Gems & Jewellery	321.95	16.99
21	निर्माण /Construction	881.03	123.51
22	पेट्रोलियम /Petroleum	238.40	22.13
23	परिवहन सहित आटोमोबाइल /Automobiles including transport	2227.31	171.50
24	कम्प्यूटर साफ्टवेयर /Computer Software	128.96	0.60
25	रसायन, रंगाई एवं रंग (पेंट) /Chemical, Dyes, Paints etc.	1777.68	394.69
25.1	इसमें से उर्वरक /Of which Fertilizers	205.73	0.00
25.2	इसमें से पेट्रो रसायन /Of which Petro-chemicals	1088.30	32.61
25.3	इसमें से औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स /Of which Drugs & pharmaceuticals	483.64	6.86
26	अन्य उद्योग /Other Industries	6978.30	69.66
27	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग /NBFC & Trading	5151.70	0.77
28	अवशिष्ट ऋण /Other Advances	15710.22	3344.78



● निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2011 तक निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश कुल निधि एवं गैर-निधि आधारित निवेश का 5% से अधिक है।

● Fund based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund based and non fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2011.

क्रम सं. Sl. No.	निधि आधारित निवेश Fund Based (FB) Exposure		क्रम सं. Sl. No.	गैर निधि आधारित निवेश Non-Fund Based (NFB) Exposure	
	उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल निधि आधार का प्रतिशत % of total FB		उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल गैर निधि आधारित का प्रतिशत % of total NFB
1	लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	8.72	1	लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	5.41
2	आधारभूत संरचना / Infrastructure	20.27	2	आधारभूत संरचना / Infrastructure	18.73
2.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	11.52	2.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	5.73
3	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	9.55	2.2	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	9.15

ड) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग-अलग विवरण
e) Residual contractual maturity break down of assets

(₹ करोड़ में)
(₹ in crore)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 mths	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
ऋण Advances	368.12	3338.29	244.57	1189.51	4430.36	2037.49	4274.52	20803.55	7814.96	9001.07	53502.44
निवेश Investments	49.46	266.34	49.58	160.79	994.29	469.42	883.14	2149.43	3724.93	17511.57	26258.95
विदेशी मुद्रा आस्ति Foreign Currency Assets	1475.1	336.98	123.58	79.2	1333.59	419.35	399.00	0.45	0.00	0.00	4167.25

(च) अनर्जक आस्ति (एनपीए) (सकल)

(₹ करोड़ में)

वर्ग	
अवमानक	572.13
संदिग्ध 1	342.61
संदिग्ध 2	321.29
संदिग्ध 3	95.44
हानि	24.31
(बिक्रीत आस्तियों की राशि) (-)	
कुल	1355.78

(छ) शुद्ध अनर्जक आस्ति 757.41

(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात	(% में)
(क) सकल ऋण की सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.51
(ख) शुद्ध ऋण की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ	1.42

(झ) सकल एनपीए की गतिविधि	(₹ करोड़ में)
क) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा	1372.30
ख) इस वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	984.15
ग) इस वर्ष हुई कमी	1000.67
घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख) - (ग)	1355.78

(अ) एनपीए हेतु प्रावधान की गतिविधि	
क) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा	593.75
ख) इस वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	419.18
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / पुनरांकन	414.56
घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख) - (ग)	598.37

(ड) निवेश पर मूल्य हास के लिए प्रावधान की गतिविधि 10.27**(ट) अनर्जक निवेश की राशि 10.27****(ठ) अनर्जक निवेश के लिए रखी गई प्रावधान की राशि**

i) इस वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	517.35
ii) इस वर्ष किए गए प्रावधान	151.51
iii) बट्टे खाता डालना	380.03
iv) अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखा	149.18
v) इस वर्ष के अंत में इतिशेष (i+ii) - (iii+iv)	139.64

(f) Amount of NPAs (Gross)

(₹ in crore)

Category	Amount
Sub Standard	572.13
Doubtful – 1	342.61
Doubtful – 2	321.29
Doubtful – 3	95.44
Loss	24.31
(Amounts of assets sold) (-)	
TOTAL	1355.78

(g) Net NPAs 757.41

(h) NPA ratios	(in %)
(a) Gross NPAs to Gross Advances	2.51
(b) Net NPAs to Net Advances	1.42

(i) Movement of gross NPA	(₹ in crore)
a) Opening balance at the beginning of the year	1372.30
b) Additions during the year	984.15
c) Reductions during the year	1000.67
d) Closing balance at the end of the year (a+b)-(c)	1355.78

(j) Movement of provision for NPAs	
a) Opening balance at the beginning of the year	593.75
b) Provisions made during the year	419.18
c) Write-off/write-back of excess provisions	414.56
d) Closing balance at the end of the year (a+b)-(c)	598.37

(k) Amount of non-performing investment 10.27**(l) Amount of provision held for non-performing investment 10.27**

(m) Movement of provisions for depreciation on investments	
i) Opening balance at the beginning of the year	517.35
ii) Provisions made during the year	151.51
iii) Write-off	380.03
iv) Write-back of excess provisions	149.18
v) Closing balance at the end of the year (i+ii)-(iii+iv)	139.64



सारणी डी एफ -5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए

• साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) करने वाली एजेंसियों के नाम तथा उसमें यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका कारण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने घरेलू निवेशों की रेटिंग हेतु केयर (सीएआरई), क्राइसिल (सीआरआईएसआईएल), इक्रा (आईसीआरए) एवं फिच (एफआईटीसीएच) इंडिया जैसी अनुमोदित घरेलू बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरएस) की पहचान की है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल पूंजी संगणना के लिए किया जाता है :

• निवेश के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है :

(i) एक वर्ष (कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी (रिवोल्विंग) ऋणों को छोड़कर) अथवा कम की संविदात्मक परिपक्वता के साथ निवेश हेतु ईसीआरएस द्वारा समनुदेशित अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है ।

(ii) घरेलू नकदी उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी उधारों (अवधि - निरपेक्ष) के लिए तथा 1 वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वतावाले मीयादी ऋण निवेशों के लिए दीर्घावधिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है ।

• बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम दर निर्धारण के अंतरण हेतु प्रयोग की गई प्रक्रिया कोई विवरण - कोई नहीं

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :		
		(₹ करोड़ में)
ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों (बिट्स) तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक के निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों (श्रेणी निर्धारित एवं अनिर्धारित) का बकाया	100% जोखिम भार से कम :	25815.62
	100% जोखिम भार :	18560.33
	100% जोखिम भार से अधिक :	4163.37
	कटौती :	0.00

सारणी डी एफ - 6

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मदें शामिल है :

- वे नीतियाँ और वह पद्धति और इसका एक संकेत कि वह कहाँ तक इनका उपयोग तुलन-पत्र तैयार करते समय करता है ।
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ ।

TABLE DF-5

Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Qualitative Disclosure

(a) For portfolios under the standardized approach

• **Names of credit rating agencies used, plus reasons for any changes:**

As per the RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India, approved domestic External Credit Rating Agencies (ECRAs), for the purpose of rating the Exposures, whose ratings are used for the purpose of capital calculation.

• **Types of exposure for which each agency is used:**

(i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short Term Ratings assigned by ECRAs is used.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures with a contractual maturity of over 1 year, Long Term Ratings is used.

• **A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book: NONE**

Quantitative Disclosures:		
		(₹ in crore)
b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, outstanding amount of bank's performing loans & advances (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.	Below 100 % risk weight:	25815.62
	100 % risk weight:	18560.33
	More than 100 % risk weight:	4163.37
	Deducted	0.00

TABLE DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- **Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting:**
- **Policies and processes for collateral valuation and management:**

नियामक अपेक्षाओं की तरह बैंक ने निर्मांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीकी एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है (क) बेसेल II की भावना / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विकों के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, (ख) बेसेल II / भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना । इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है । इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरुद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट - छांट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है ।

बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन :

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार है : (क) बैंक जमा (ख) एन एस सी/के वी पी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी

गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यता

सी आर आर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार निर्मांकित है :

- (क) केंद्रीय सरकार गारंटी (0%) (ख) राज्य सरकार (20%)
(ग) सी जी टी एम एस ई (0%) (घ) ई सी जी सी (20 %)

अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम संकेद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख) :

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूलीयोग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । अतः बैंक द्वारा मान्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) अलग-अलग प्रकटीकृत प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश जो काट - छांट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्पित है (बाद में, जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऍड ऑफ बैलेंसशीट नेटिंग)	4689.11
(ग) अलग - अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलिया हेतु कुल निवेश जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पत्ती द्वारा समर्थित है (भा.रि.बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है) (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऍड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)	4459.60

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel II / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

Description of the main types of collateral taken by the bank :

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies.

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness :

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%).

Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken :

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures:	(₹ in crore)
b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	4689.11
c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	4459.60



सारणी डी एफ - 7
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण
का प्रकटीकरण

TABLE DF-7
Securitisation: disclosure for
standardised approach

गुणात्मक प्रकटीकरण		Qualitative Disclosures	
<p>क) प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की जरूरत निम्नलिखित पर विचार - विमर्श सहित है :</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण विषयक कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य जिसमें वह सीमा भी शामिल है जिसे ये कार्यकलाप सन्निहित प्रतिभूतिकृत - निवेशों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित करते हैं । प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अन्य सन्निहित जोखिमों (जैसे नकदीकरण जोखिम) को प्रकृत ; प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिका (जैसे प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि सुविधादाता, नकदीकरण सुविधादाता, अदलाबदली सुविधादाता, संरक्षण सुविधादाता) और इन सभी कामों में बैंक की सक्रियता की सीमा का संकेत प्रतिभूतिकरण निवेश के ऋण और जोखिम में परिवर्तन के प्रेक्षण की जगह इस प्रक्रिया का वर्णन (उदाहरणार्थ 1 जुलाई, 2009 को एन सी ए एफ पर जारी मानक परिपत्र के पैरा 5.16.1 में दी गई परिभाषा के अनुरूप, सन्निहित आस्तियों का व्यवहार किस तरह प्रतिभूतिकरण निवेश को प्रभावित करता है) ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की नीति के उपयोग का विवरण ताकि प्रतिभूतिकरण निवेश के माध्यम से धारित जोखिम को कम किया जा सके ; <p>[@]नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप यदि अनुमति दी गई हो तो बैंक ने ब्याज दर की अदला बदली के रूप में या मुद्रा अदला बदली के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण संरचना को सहायता उपलब्ध कराया हो सकता है ताकि सन्निहित आस्ति की ब्याज दर / मुद्रा जोखिम को कम कर सके ।</p> <p>[#]नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यदि अनुमति दी गई हो तो गारंटी के जरिए, ऋण व्युत्पन्न के जरिए या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के जरिए बैंक किसी प्रतिभूतिकरण लेन-देन को ऋण संरक्षण दे सकता है ।</p>	<p>इस बैंक ने किसी भी प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में प्रवर्तक की भूमिका नहीं अदा की है ।</p>	<p>a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets; the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider[@] protection provider[#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009). a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures; <p>[@]bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.</p> <p>[#]bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.</p>	<p>The Bank has not acted as Originator in any Securitization</p>
<p>(ख) प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप हेतु बैंक की लेखा नीति के सारांश में निम्नांकित बातें शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> लेनदेन को विक्रय या वित्तपोषण समझा गया पद्धतियाँ और महत्वपूर्ण पूर्वानुमान (निवेश सहित) जो धारित या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन के लिए लागू किए गए हैं । पूर्ववर्ती अवधि से इस अवधि में पद्धतियाँ और महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इस परिवर्तन के प्रभाव तुलन - पत्र में देयता के निर्धारण की नीति हेतु व्यवस्था जिसकी जरूरत बैंक को अपनी प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वांछनीय थी । 	<p>लागू नहीं</p>	<p>b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> whether the transactions are treated as sales or financings; methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets. 	<p>Not Applicable</p>
<p>(ग) बैंकिंग बही में इ सी ए आई का उपयोग प्रतिभूतिकरण के लिए किया गया है और प्रतिभूतिकरण निवेश के प्रकार के लिए किया गया है जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई है ।</p>		<p>c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(₹ करोड़ में)	
बैंक बही के लिए			
घ)	बैंक द्वारा कुल निवेश राशि का प्रतिभूतीकरण किया गया।	शून्य	
ङ)	प्रतिभूतीकृत निवेशों के लिए चालू अवधि हेतु बैंक द्वारा पहचाना किए गए निवेश के प्रकार (अर्थात क्रेडिट कार्ड हाउसिंग ऋण, आटो ऋण इत्यादि) निर्धारित प्रतिभूति द्वारा वर्णित है।		
च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतीकृत की जानेवाली आस्तियों की राशि।		
छ)	(च) के, प्रतिभूतीकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई आस्तियों की राशि।		
ज)	प्रतिभूतीकृत निवेशों की कुल राशि (निवेश के प्रकारद्वारा) तथा निवेश प्रकार द्वारा विक्रय पर पहचान नहीं किए गए लाभ और हानि		
झ)	निम्नलिखित की औसत राशि : <ul style="list-style-type: none"> निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र पर प्रतिभूतीकरण निवेश प्रतिधारित अथवा किए गए क्रय निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर प्रतिभूतीकरण निवेश 		
अ)	प्रतिधारित अथवा खरीदे गए प्रतिभूतीकरण की कुल राशि तथा संबद्ध पूंजी प्रभार एवं प्रत्येक नियामक पूंजी प्रस्ताव हेतु विभिन्न जोखिम भारित में एवं खंडित। निवेश जिनकी कटौती पूर्णतः टायर - 1 से की गई है, कुल पूंजी से काटे गए ऋण वर्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से काटे गए अन्य निवेश निर्माकित निवेश प्रकार द्वारा अलग - अलग प्रकट किए जाने चाहिए।		
व्यापार बही के लिए			
ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतीकृत निवेशों की कुल राशि, जिसके लिए बैंक ने बैंक के कुछ निवेशों को रखा है एवं जो निवेश प्रकार द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अंतर्गत है।		शून्य
ठ)	कुल राशि का : <ul style="list-style-type: none"> तुलन पत्र के रखे गए प्रतिभूतीकरण निवेश या निवेश के प्रकार द्वारा खंडित खरीद एवं निवेश के प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर का प्रतिभूतीकरण निवेश 		
ड)	अलग - अलग खरीद या रखे गए प्रतिभूतीकरण निवेशों की कुल राशि हेतु <ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय को ध्यान में रखकर खरीदे या रखे गए प्रतिभूतीकरण निवेश एवं विभिन्न जोखिम आधारित बैंडों में विशिष्ट जोखिम खंडित मर्दों के लिए प्रतिभूतीकरण ढाँचों को ध्यान में रख कर प्रतिभूतीकरण निवेश 		
ढ)	कुल राशि का <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न जोखिम आधारित बैंडों में खंडित प्रतिभूतीकरण ढाँचों को ध्यान में रखकर प्रतिभूतीकरण निवेशों के लिए पूंजी आवश्यकता प्रतिभूतीकरण निवेश, जो समस्त रूप से टायर - 1 पूंजी से घटाया जाता है, ऋण वृद्धि आई ओ, जो कुल पूंजी से घटाया जाता है एवं अन्य निवेश, जो कुल पूंजी से घटाया जाता है (निवेश प्रकार द्वारा) 		

Quantitative Disclosures		(₹ in crore)	
For Banking Book			
d)	The total amount of exposures securitised by the bank.	NIL	
e)	For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)		
f)	Amount of assets intended to be securitised within a year		
g)	Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.		
h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.		
i)	Aggregate amount of : <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 		
j)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).		
For Trading Book			
k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.		NIL
l)	Aggregate amount of : <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 		
m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for: <ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 		
n)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 		



सारणी डीएफ - 8
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पोर्टफोलियो सहित बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता मानक दृष्टिकोण द्वारा चालित है।

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे-ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ईक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार-चाढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। मार्केट जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है कि उपार्जन एवं ईक्विटी पर होनेवाली हानि के प्रभाव को कम किया जाए।

बैंक में मार्केट जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है। उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होती हैं जैसे कि अशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध जोखिम मुक्तस्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य (वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(₹ करोड़ में)
(ख)	निम्नलिखित के लिए पूँजी आवश्यकता	
	• ब्याज दर जोखिम	182.82
	• ईक्विटी स्थिति जोखिम	62.81
	• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	0.45

सारणी डीएफ - 9
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

• सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण, परिचालन जोखिम पूँजी आकलन के लिए दृष्टिकोण जिसके लिए बैंक को योग्यता प्राप्त है

अपर्याप्त अथवा अंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीति और प्रसिद्धि जोखिम में शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों में परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी), (ग) काले धन को वैध बनाने के विरुद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि। बैंक द्वारा लागू किए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। निकट से एकीकृत परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में दैनिक जोखिम प्रबंधन का संचालन इस नीति का मुख्य उद्देश्य है जिसमें बैंक द्वारा प्रभावी अभिज्ञान, आकलन, निगरानी एवं नियंत्रण/परिचालन जोखिम को हल करना एवं भौतिक परिचालन हानि सहित परिचालनगत जोखिम निवेश का समय पर रिपोर्ट करना स्पष्ट किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा

TABLE DF-8
Market Risk in trading book

Qualitative disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

		(₹ in crore)
b)	The capital requirements for:	
	• Interest rate risk:	182.82
	• Equity position risk:	62.81
	• Foreign exchange risk:	0.45

TABLE DF-9
Operational Risk

Qualitative disclosures

• General qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security, (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting

के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देश की भाँति बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूँजी निर्धारण के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण अपनाया है। तदनुसार 31.03.2011 को परिचालन जोखिम हेतु पूँजी की आवश्यकता ₹239.49 करोड़ थी।

सारणी डी एफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंकिंग बही (आई आर आर बी) में ब्याज दर जोखिम की प्रवृत्ति सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए तथा ऋण भुगतान एवं पूर्वानुमान, गैर - परिपक्व जमाराशियों के व्यवहार तथा आई आर आर बी बी माप की आवृत्ति सहित पूर्वानुमान।

ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार चढ़ाव। आंतरिक तथ्यों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण एवं निवेश शामिल होता है। ब्याज दर में उतार - चढ़ाव बैंक के तुलन - पत्र के आस्ति और देयता - दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति - देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से बैंक की प्राप्ति निधि एवं परियोजनाओं, बैंक की उधार एवं जमा दर निर्धारित करने तथा बैंक की निवेश क्रियाकलापों के परिचालन जोखिम की निगरानी एवं नियंत्रण करता है। परिवर्तित ब्याज दरों अर्थात् उपार्जन जोखिम जिसका अभिकलन स्थिर स्थिति पर पारंपरिक अंतर विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, इसके संबंधित जोखिम को बैंक पहचान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक महीना के अंतिम शुक्रवार को तैयार की जाने वाली रिपोर्ट की ब्याज दर अस्थिरशीलता विवरण के माध्यम से महीना के अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित किया है। तदनुसार मासिक आधार पर आल्को (ए एल सी ओ) ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) आई आर आर बी बी माप के लिए प्रबंधन प्रविधि के अनुसार दर की वृद्धि एवं कमी हेतु ब्याज दर जोखिम की वृद्धि, मुद्रा द्वारा खंडित (हास) निर्धारण होता है (जहां आवर्त कुल आवर्त के 5% से ज्यादा है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर

(₹ करोड़ में)		
	ब्याज दर में परिवर्तन	एन आई आई में परिवर्तन
जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	1.00 % द्वारा वृद्धि	(+) 71.12
	1.00 % द्वारा कम	(-) 71.12

of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the **Basic Indicator Approach** for computing capital for Operational Risk. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2011 is ₹239.49 crores.

TABLE DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

a) **The general qualitative disclosure requirement, including the nature of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:**

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset - Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates i.e. Earnings at Risk, which is computed based on the Traditional Gap Analysis on a static position.

Further, RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity to be prepared as on last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.

Quantitative Disclosures

b) **The increase (decline) in earnings at risk for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover).**

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK

(₹ in crore)		
	Changes in Interest Rate	Change in NII
Earnings At Risk (EAR)	Up by 1.00%	(+)71.12
	Down by 1.00%	(-)71.12



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी : कोलकाता -700001

प्रिय शेयरधारक,

विषय : नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा / इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन इ सी एस/ इ सी एस) के जरिए लाभांश का भुगतान ।

यदि आपने अभी तक हमारे रजिस्ट्रार मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अथवा डी मेट धारी हों तो अमानतदार सहभागी को अपने एन इ सी एस/ इ सी एस/बैंक खाते का विवरण नहीं भेजा हो तो हम निवेदन करते हैं कि आप इसे नीचे दिए गए प्ररूप में दे दें ताकि लाभांश की घोषणा होते ही हम उसे तुरत, सुरक्षित रूप से और सही-सही आपके खाते में भेज सकें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार/अमानतदार सहभागी को दिया गया संबंधित विवरण बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आपका लाभांश किसी और के खाते में जमा हो जाएगा ।

एन इ सी एस/ इ सी एस और/अथवा लाभांश अधिपत्र (वारंट) पर छपे नामित बैंक खाते के जरिए लाभांश का भुगतान, आपके लाभांश अधिपत्र का कपटपूर्वक नकदीकरण रोक देता है ।

इस काम में आप हमें सहयोग दें ताकि हम आपको बेहतर सेवा दे सकें।

भवदीय

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा / इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन इ सी एस/ इ सी एस) हेतु अधिदेश/बैंक खाते का विवरण

मैं/ युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया को प्राधिकार देता / देती हूँ / देते हैं कि

- निम्नलिखित विवरण आप मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर छाप दें ।
- मेरे लाभांश की राशि को एन इ सी एस/ इ सी एस के जरिए सीधे मेरे खाते में जमा कर दें ।
(उपर्युक्त दोनों में से जो विकल्प आप पर लागू न हो, उसे काट दें ।)

डी पी आई डी ग्राहक पहचान मेरी/हमारी फोलियो संख्या

बैंक खाते का विवरण	:	_____
क. बैंक का नाम	:	_____
ख. शाखा का नाम	:	_____
ग. शाखा का पता	:	_____
घ. एम आई सी आर पर छपी बैंक और शाखा की नौ अंकों की कूट संख्या	:	_____
ड. खाता का प्रकार	:	बचत /चालू
च. चेक पर छपी खाता संख्या	:	_____
छ. शेयरधारक का एस टी डी कोड एवं टेलीफोन नम्बर	:	_____

यदि एन इ सी एस/ इ सी एस लागू न हो सका या बैंक ने किसी कारण से एन इ सी एस/ इ सी एस सेवा रोक दी तो मैं /हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराऊंगी / ठहराएंगे।

शेयरधारक के हस्ताक्षर

इसे निम्नलिखित पते पर भेजे :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

सी -13 पन्ना लाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एल बी एस मार्ग , भांडूप (वेस्ट)

मुंबई - 400078, महाराष्ट्र

- कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की एक फोटोकापी या रिक्त और रद्द किए हुए चेक का एक पन्ना अपने इस अधिदेश के साथ संलग्न करके भेजें ताकि हम नौ अंकों की कूट संख्या की यथार्थता की जाँच कर सकें ।
- यदि आप डी मेट रूप में शेयर धारण करते हैं तो कृपया अपने अमानतदार सहभागी को अपने बैंक खाते के विवरण/एन इ सी एस/ इ सी एस अधिदेश को नोट कर लेने के लिए लिखें ।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700001

Dear Shareholders,

Re.: Payment of Dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)/Electronic Clearing Services (ECS)

In case you have not already sent the NECS/ECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the same in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrar/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of Dividend through NECS/ECS and/or to the designated Bank Account which appears on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavour to serve you better.

Yours faithfully,

For **United Bank of India**

Authorised Signatory

FORM FOR NECS/ECS MANDATE / BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We _____ do hereby authorize United Bank of India to

- Print the following details on my/our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank Account by NECS/ECS.

(Strike out whichever is not applicable)

My/Our Folio No. _____

DP ID _____ Client ID _____

Particulars of Bank Account

- A. Bank Name : _____
- B. Branch Name : _____
- C. Branch Address : _____
- D. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing : _____
on the MICR Cheque : _____
- E. Account Type : Savings/Current
- F. Account No. as appearing on the Cheque : _____
- G. STD Code & Telephone No. of the Shareholder : _____

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS/ECS could not be implemented or the Bank discontinues the NECS/ECS for any reason.

(Signature of Shareholder)

Mail to: Link Intime India Pvt. Ltd.
Unit: United Bank of India
C-13 Pannalal Silk Mills Compound
L. B. S Marg, Bhandup (West)
Mumbai - 400078, Maharashtra.

- Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your account for verifying the accuracy of the nine digit code number.
- In case you are holding the shares in demat form, kindly advise your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/ NECS/ ECS Mandate.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता -700001

फार्म - ख

प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का फार्म
(शेयर धारक द्वारा भरा जाना एवं हस्ताक्षरित होना है)

पंजीकृत फोलियो नं
(वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फार्म में नहीं हैं)

डी पी आईडी.....क्लॉइंट आईडी.....
(वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फार्म में हैं)

रखे गए शेयरों की सं.....

मैं/हम.....निवासी.....जिला.....
राज्य.....युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयर धारक होने की हैसियत से एतद्वारा श्री/श्रीमती.....
निवासी..... जिला.....राज्य.....या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती.....
नवासी.....जिला.....राज्य.....को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक 29 जुलाई, 2011 दिन शुक्रवार को भाषा भवन
सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबोर्डियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027 एवं किसी स्थान की स्थिति में, बैंक के शेयर धारकों की होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त
करता/करती हूँ/करते हैं ।

दिनांक.....2011 को इस पर हस्ताक्षर किया ।

कृपया एक रसीदी टिकट चिपकाएं ।

रसीदी टिकट

.....
प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

.....
प्रथम /एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

नोट : पूरी तरह से भरे एवं हस्ताक्षर किए हुए प्रतिनिधि का फार्म बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार, दिनांक 23 जुलाई 2011 को कारोबार के समय की समाप्ति तक शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता- 700 001 तक पहुंच जाना चाहिए ।



UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700001.

FROM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Registered Folio No. _____
(for shares not in demat form)

DP ID : _____ Client Id : _____
(for shares in demat form)

No. of Shares held : _____

I / We _____ resident of _____ in the District of _____ in the state of _____, being a shareholder/ shareholders of United Bank of India hereby appoint Sri/.Smt. _____ resident of _____ in the District of _____ in the state of _____, or failing him Sri/.Smt. _____ resident of _____ in the District _____ of in the state of _____, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the forthcoming Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Friday, 29th July, 2011, at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ Day of _____ 2011

Revenue
Stamp

Signature of the proxy

Signature of the first/sole holder
Name : _____
Address : _____

Note : Proxy forms duly filled in and signed must reach the Share Department & Investors Grievance Cell, at the Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001 not later than four days prior to the date of the meeting, i.e. on or before the closing business hours at 1:45 PM of Saturday, the 23rd of July 2011.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता -700001

उपस्थिति पर्ची

में/हम एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति शुक्रवार, 29 जुलाई, 20110 पूर्वाह्न 11.00 बजे, शुक्रवार को भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027 में युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक सामान्य बैठक में दर्ज करता हूँ / करते हैं / करती हूँ/हैं ।

पंजीकृत फोलियो सं. :	शेयरों की सं. :
डी पी आई डी :	
क्लाइंट आई डी	
सदस्य का नाम :	
प्रतिनिधि का नाम :	
_____	_____
सदस्य का हस्ताक्षर	प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया, पूरी तरह से भरी गई पर्ची अपने साथ लाना याद रखें एवं आडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर उसे सौंप दे । कृपया, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भी अपने साथ लायें ।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700 001

ATTENDANCE SLIP

I/We hereby record my/our presence at the Annual General Meeting of United Bank of India at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 on Friday, July 29, 2011 at 11.00 a.m.

Registered Folio No. :	Number of Shares :
DP ID :	
Client ID :	
Name of the Member :	
Name of the Proxy :	
_____	_____
Signature (s) of the Member(s)	Signature(s) of the Proxy

Note : Please remember to bring the attendance slip with you duly filled-in and hand it over at the entrance of the Auditorium. Please also bring a copy of the Annual Report.